वित्तीय प्राक्कलन

तथा

निष्पादन बजट

2022-23

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110002

विषय सूची

विवरण		पृष्ठ संख्या
अधिशासी सारांश		**3-12**
बजट एक नज़र में		**13**
वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2022-2023 के बजट प्राक्कलन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन		**14-35**
विवरण क :	राजस्व प्राक्कलन	**36-41**
विवरण ख :	व्यय प्राक्कलन	**42-48**

परिशिष्ट :-

i.	दिनांक 31.03.2022 तथा 31.03.2023 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की प्रत्याशित संख्या का सूचक विवरण	**49-50**
ii.	प्रति व्यक्ति आय और व्यय का सूचक विवरण	**51**
iii.	पूंजीगत कार्य और बजट आवश्यकता परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 तथा बजट प्राक्कलन 2022-2023 का विवरण	**52-59**

निष्पादन बजट 2022-2023 **60-78**

संलग्नक :-

I.	व्याप्ति की राज्यवार स्थिति का सूचक विवरण (दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. योजना के अधीन कर्मचारियों, बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं तथा परिवार एककों की संख्या)	**79-82**
II.	क.रा.बी. योजना के अंशदान से प्रति व्यक्ति आय और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय का सूचक विवरण	**83**

निष्पादन एक झलक में **8**4-86

INDEX

Particulars		Page Nos.
Executive Summary		3-12
Budget at a Glance		13
Explanatory Memorandum on the Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023		14-35
Statement A:	Revenue Estimates	36-41
Statement B:	Expenditure Estimates	42-48
Appendices: -		
i)	Statement showing the estimated number of employees covered as on 31.03.2022 and 31.03.2023	49-50
ii)	Statement showing per capita income and expenditure	51
iii)	Details of Capital Works and Budget requirement RE 2021-2022 & BE 2022-2023	52-59
Performance Budget 2022-23		60-78
Annexure: -		
i)	Statement showing state-wise position of coverage (Number of employees, Insured Persons/Insured Women and family units, under Employees' State Insurance Scheme. as on 31.03.2021)	79-82
ii)	Statement showing per capita income from contribution and expenditure under different heads of the Employees' State Insurance Scheme	83
Performance at a Glance		84-86

अधिशासी सारांश

प्रस्तुत दस्तावेज में क.रा.बी. निगम का वित्तीय वर्ष 2021-2022 का परिशोधित बजट प्राक्कलन तथा वर्ष 2022-2023 का बजट प्राक्कलन है।

क.रा.बी. निगम बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी तथा मजदूरी की हानि के फलस्वरूप विषम आकस्मिकताओं, रोजगार चोट के कारण निःशक्तता और मृत्यु; मातृत्व में संरक्षित करने तथा बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को हितलाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, क.रा.बी. निगम ने प्रमुख पहल शुरू की हैं, जैसे-आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी योजना, देश में औषधालय-सह-शाखा कार्यालय तथा 30 नए अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण, जिससे काफी हद तक बीमाकृतों की जनसंख्या के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की चिकित्सा देखरेख की उपलब्धता में बढ़ोतरी संभावित है। क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. योजना और आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बीच तालमेल का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) के साथ भागीदारी की है, जिससे ऐसी पद्धति विकसित होगी, जहां चुनिंदा जिलों के क.रा.बी. निगम हितलाभार्थी आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामिकागत अस्पतालों व योजना सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे और आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थी क.रा.बी. निगम की सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे।

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, देश विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा था। बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. निगम/ क.रा.बी. योजना अस्पतालों को कोविड -19 समर्पित अस्पताल घोषित करके चिकित्सा देखभाल को सुलभ बनाया गया है और क.रा.बी. निगम द्वारा सीधे तौर पर चलाए जा रहे 21 क.रा.बी. निगम अस्पतालों के माध्यम से 3676 कोविड आइसोलेशन बेड, 229 आईसीयू बेड और 163 वेंटिलेटर बेड तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित और 26 क.रा.बी. योजना अस्पतालों के साथ बीमाकृत व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान की हैं।। प्लाज़्मा थेरेपी, जिसने कोविड-19 रोगियों के जीवन को बचाने के लिए आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, उसे क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, फरीदाबाद (हरियाणा) तथा सनथ नगर (तेलंगाना) में भी उपलब्ध कराया गया। क.रा.बी. हितलाभार्थियों को अपनी पात्रता के अनुसार, बिना रेफरल पत्र के सीधे टाई-अप अस्पतालों के माध्यम से आपातकालीन/गैर-आपातकालीन चिकित्सा उपचार ले सकने की अनुमति दी गई।

उपर्युक्त के अलावा, क.रा.बी. निगम ने बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी हितलाभ, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना(बेरोजगारी के दौरान), अन्त्येष्टि व्यय के माध्यम से नकद हितलाभ प्रदान किया है और कोविड -19 के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, "क.रा.बी. निगम कोविड -19 राहत योजना" के अंतर्गत पात्रता के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति के आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को आवधिक भुगतान सीधे बैंक खातों में किया गया।

अत: वर्ष 2021-22 के परिशोधित प्राक्कलनों और बजट प्राक्कलनों 2022-23 में जहां कहीं भी आवश्यक हो, क.रा.बीमा योजना के तहत विभिन्न हितलाभ योजनाओं के लिए बजट शीर्षों में आवश्यक बजट प्रावधानों को शामिल किया गया है।

1.1 क.रा.बी. योजना का विस्तार :

1.1.1 वर्तमान में, इस योजना की उपस्थिति 589 जिलों में है, जिसमें 413 पूर्ण रूप से क्रियान्वित जिले और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों तथा उनके जिला मुख्यालयों सहित 176 आंशिक रूप से अधिसूचित जिले शामिल हैं। दूसरी पीढ़ी क.रा.बी.निगम 2.0 के सुधारों को जारी रखते हुए, क.रा.बी.निगम ने विजन-2022 के अनुसार निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ क.रा.बी. योजना की अखिल भारतीय व्याप्ति के लिए एक कार्य योजना तैयार की है:-

EXECUTIVE SUMMARY

The present document contains the Revised Budget Estimates of ESIC for the financial year 2021-2022 and the Budget Estimates for the financial year 2022-2023.

The ESIC is committed to provide benefits to Insured Persons (IPs) during contingencies of sickness and consequent loss of wages, disablement and death due to employment injuries; maternity and to provide medical care to Insured Persons and their families.

In meeting these objectives, the ESIC has embarked on major initiatives in the form of modified IMP Scheme, Dispensary-cum-Branch-Offices and construction of 30 new hospitals/dispensaries which are expected to increase availability of primary and secondary level medical care to the insured population substantially. The ESIC has also entered into partnership with the National Health Authority (NHA), to take advantages of synergies between the ESI Scheme and Ayushman Bharat– PMJAY which will create an ecosystem wherein ESIC beneficiaries of selected districts will be able to access services at ABPM-JAY empanelled hospitals location and vice versa.

During the second wave of Covid-19, the Country was grappled with various challenges. In order to provide help and succour to the IPs and their families, ESIC has made medical care accessible by declaring ESIC/ESIS hospitals as covid-19 dedicated hospitals and provide services to IPs through 21 ESIC hospitals run directly by ESIC with 3676 COVID isolation beds, 229 ICU beds and 163 ventilator beds and 26 ESI Scheme hospitals run by State Governments. Plasma therapy which has shown promising results to save the lives of services Covid-19 patients, was also made available in ESIC Medical College & hospitals, Faridabad(Haryana) and Sanath Nagar (Telangana). Allowed ESI Beneficiaries to take Emergency/Non-Emergency Medical treatment through tie-up hospitals directly without referral letter, in accordance with his/her entitlement.

Besides above, EISC has provided Cash Benefit to IPs through Sickness Benefit, ABVKY (during unemployment), funeral Expenses and in case of demise of IP due to COVID-19, the eligible dependent family members of IP were paid periodic payments directly to bank accounts, in accordance to entitlement under "ESIC COVID-19 Relief Scheme".

In the Revised Estimates 2021-22 and the Budget Estimates 2022-23 wherever required, necessary budgetary provisions have therefore been incorporated across the budget heads for the new steps taken under the ESI Scheme.

1.1 EXPANSION OF ESI SCHEME:

1.1.1. Presently, the Scheme has presence in 589 Districts which includes 413 fully notified Districts and 176 partially notified Districts where prominent industrial centers and their District Headquarters area are covered. In continuation to second generation reforms under ESIC 2.0, ESIC has worked out an action plan for Pan India coverage of ESI scheme with the following targets as per Vision – 2022.

क्र.सं.	विषय	लक्ष्य वर्ष
1	इस योजना को उन 176 जिलों में पूरी तरह से लागू करना, जहां इसे आंशिक रूप से अधिसूचित किया गया है और 147 जिले, जहां योजना को अधिसूचित नहीं है।	31 मार्च, 2022

क.रा.बी. योजना का देश में विस्तृत भौगोलिक विस्तार होने से क.रा.बी. योजना के अंतर्गत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा के हितलाभ सभी पात्र कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराना है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम 36) को अधिसूचित किया गया है। कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि भी शीघ्र ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आठ अन्य केंद्रीय अधिनियमों के साथ क.रा.बी.अधिनियम, 1948 को समाहित करती है। एक बार अधिसूचित होने के बाद, क.रा.बी.योजना को देश के संपूर्ण क्षेत्रों में लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

1.1.2 राज्यों द्वारा राज्य स्वायत्त निकाय/सोसायटी का गठन :

क.रा.बी.निगम ने अपनी 167वीं बैठक में राज्य स्तर पर पूरक निगम की व्यापक संरचना को अनुमोदित किया तथा तत्पश्चात निगम की 172वीं बैठक में क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 58(5) के अंतर्गत राज्य स्वायत्त निकाय/सोसायटी की नई संरचना अनुमोदित की गई। राज्यों के लिए इस निकाय को एक सोसायटी के साथ-साथ एक न्यास के रूप में भी पंजीकृत करना अपेक्षित होगा तथा क.रा.बी. निगम सोसायटी के बैंक खाते में सीधे निधि जारी करेगा। राज्य क.रा.बी.सोसायटी के गठन के लिए अब तक 19 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सहमत हो गए हैं। केंद्रीय सरकार ने 7 राज्यों यथा- तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, त्रिपुरा, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश को सोसायटी का गठन करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में क.रा.बी. सोसायटियां प्रचालन में हैं। इन चार राज्यों में सोसायटी के बैंक खाते में सीधे तौर पर निधि अंतरण की जा रही है। तमिलनाडु ने भी शीघ्र ही राज्य क.रा.बी.सोसायटी के प्रचालन का निर्णय किया है।

राज्य स्वायत्त सोसाइटी के गठन से क.रा.बी. योजना के बीमाकृत व्यक्तियों और लाभार्थियों को बेहतर प्राथमिक और द्वितीयक देख-रेख द्वारा चिकित्सा हितलाभ आपूर्त (प्रदान) करने वाली सेवा में बहुत सुधार होगा।

1.2 अंशदान आय

क.रा.बी. अंशदान को दिनांक 01.07.2019 से 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ, अंशदान आय से राजस्व संग्रह में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में थोड़ा सुधार आया है तथा तदनुसार अंशदाय आय परिशोधित प्राक्कलन 2021-22 तथा बजट प्राक्कलन 2022-23 के लिए क्रमशः रु. 14,500 करोड़ तक रु. 15950 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है।

S.No.	Subject	Target Year
1	To fully implement the Scheme in 176 Districts where it is partially notified and 147 Districts where scheme is non- notified.	31st March, 2022

Simultaneously, the expansion of ESI Scheme to a vast geographical area of the country is to make the benefits of social security available under ESI Scheme to all eligible employees and their family members.

Code on Social security, 2020 (Act 36 of 2020) has been notified. The effective date of implementation is also expected to be notified shortly. The code subsumes ESI Act, 1948 along with eight other central enactments in the field of Social Security. Once notified ESI Scheme is proposed to be made applicable to entire area of the country.

1.1.2. Formation of State Autonomous Body/Society by States.

The ESI Corporation in its 167th meeting had approved the broad structure of subsidiary Corporation at State level and subsequently in the 172nd meeting of the Corporation, new structure of the State Autonomous Body/Society was approved under section 58(5) of ESI Act, 1948. The States are required to register the body as a Society as well as a Trust. ESIC shall release the fund to the bank account of the society directly. As on date 19 States/UTs have consented to form the State ESI Society. Central Government has accorded approval for formation of society to seven States viz, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Maharashtra, Nagaland, Tripura, Punjab & Arunachal Pradesh. Presently, ESI Societies are in operation in the States of Maharashtra, Chhattisgarh, Tripura and Himachal Pradesh. Fund transfer to these four States are being made directly to the Bank Account of the Society. Tamilnadu has also decided to operationalize the State ESI Society soon.

Formation of State Autonomous Society will greatly improve service delivery of Medical Benefits to the Insured Persons and the beneficiaries of the ESI Scheme by way of better Primary & Secondary Care.

1.2 CONTRIBUTION INCOME

The ESI Contribution has been reduced from 6.5 percent to 4 percent w.e.f. 01.07.2019. Further, with the improvement in economic activities, revenue collection from contribution income has slightly improved as compared to last financial year and accordingly contribution income has been projected at ₹ 14500 Crore and ₹ 15950 Crore for Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023 respectively.

1.3 <u>चिकित्सा सेवाएँ</u> :

वर्ष 2021-2022 के परिशोधित प्राक्कलनों में चिकित्सा हितलाभों (1.3.1 से 1.3.6) के लिए कुल ₹ 11,990 करोड़ का प्रावधान है जो वर्ष 2021-2022 के लिए आकलित अंशदान आय का लगभग 83% है। इसी प्रकार बजट प्राक्कलन 2022-2023 में ₹ 12344 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो कि वर्ष 2022-2023 की आकलित अंशदान आय का 77% है।

1.3.1 <u>राज्य क.रा.बी. योजना/सोसाइटी द्वारा चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान :</u>

क.रा.बी. हितलाभार्थियों के लिए चिकित्सा सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान करने के लिए राज्य सरकारों को सुगमता प्रदान करने हेतु अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने 'खातागत भुगतान' जारी करने की पद्धति के संबंध में पिछले सभी संसूचन (कम्यूनिकेशन) पत्रों के अधिक्रमण में क.रा.बी. योजना / सोसायटी को 'खातागत भुगतान' जारी करने के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी है जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावी है। अब, बाद के वित्तीय वर्षों के बजटीय प्राक्कलन (बीई) की गणना के लिए, मुद्रास्फीति की लागत और बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि पर विचार करते हुए वास्तविक व्यय का औसत 10% बढ़ाया जाएगा जो कि प्रचलित अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा। तदनुसार, नई 'खातागत भुगतान नीति ' के अनुसार परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 और बजट प्राक्कलन 2022-2023 के लिए क्रमशः 4876 करोड़ और 4394 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

1.3.2 <u>नए कार्यान्वित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था</u> :

ऐसे स्थानों पर जहां स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने के लिए निगम की अपनी अवसंरचना नहीं है, नामांकित नए बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय (एम-ईयूडी) तथा आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (एम-आइएमपी) योजना आरंभ की गई है, जिससे प्राथमिक देखरेख सेवाएं प्रदान की जाती हैं। द्वितीयक देखरेख चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को जानी-मानी निजी स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं के साथ टाइ-अप करने के लिए पहले से ही प्राधिकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में औषधालय-सह-शाखा कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जिले स्तर पर रेफरल और प्रतिपूर्ति के लिए सभी टाइ-अप पर नजर रखी जा सके।

इससे आगे, नए कार्यान्वित क्षेत्रों में चिकित्सा देखरेख की उपलब्धता सुनिश्चत कराने हेतु क.रा.बी. निगम ने पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) के साथ समझौता ज्ञापन कर लिया है ताकि क.रा.बी. निगम लाभार्थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई.) नामिकागत अस्पतालों में सेवाओं के लिए सीधे जाने में सक्षम हो सकें। क.रा.बी. लाभार्थी भी देश भर में ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. नामिकागत अस्पतालों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे और दूसरा पक्ष भी इसका लाभ उठा सकेगा। ऐसी अपेक्षा है कि इस संबंध से आगे क.रा.बी. निगम के उन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च मांग होगी जो अभी अल्प उपयोग में आ रहे हैं और परिणामस्वरूप ऐसे स्थानों पर आधारभूत ढांचे के सुधार में मदद मिलेगी।

परिणामस्वरूप दिनांक 13.09.2019 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 178वीं बैठक में लिए गए निर्णय के बाद क.रा.बी. निगम ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना(पीएमजेएवाई) के साथ सहयोग (कोलोबरेशन) किया है जिससे देश के 152 ज़िलों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से क.रा.बी. हितलाभार्थियों को नकदरहित चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकें।

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 07.12.2020 को आयोजित अपनी 183वीं बैठक में निर्णय लिया कि जिन क्षेत्रों में क.रा.बी. अवसंरचना 10 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध नहीं है, वहां क.रा.बी. हितलाभार्थी ओपीडी सेवाओं के लिए सीधे क.रा.बी. निगम या आयुष्मान भारत के साथ पैनलबद्ध अस्पताल से क.रा.बी. औषधालय या अस्पताल से रेफरल की आवश्यकता के बिना चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में यदि आंतरिक उपचार के लिए स्वीकृति

1.3 **MEDICAL SERVICES**

The total provision for Medical Benefits (1.3.1 to 1.3.6) in Revised Estimates 2021-2022 is ₹ 11990 Crore which is about 83 *percent* of projected contribution income for 2021-2022. Similarly, the provision of ₹ 12344 Crore has been made in Budget Estimates 2022-2023 which is about 77 *percent* of projected contribution income for 2022-2023.

1.3.1 **PROVISION OF MEDICAL SERVICES BY STATE ESI SCHEME / SOCIETY**:

In order to facilitate State Governments for making adequate provision of medical services to ESI beneficiaries, the Chairman, ESIC, in supersession of all previous communication regarding modalities for release 'On Account Payment' has approved a revised policy for releasing 'On Account Payment' to State ESI Scheme / Society w.e.f. FY 2021-22. Now, for calculation of Budgetary Estimate (BE) of subsequent financial years, average of actual expenditure will be enhanced by 10 percent considering cost of inflation and increase in nos. of IPs subject to prevailing maximum ceiling. Accordingly, in terms of new 'On Account Policy' an allocation of ₹ 4876 Crore and ₹ 4394 Crore has been made for Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023 respectively.

1.3.2 **PROVISION OF MEDICAL SERVICES IN NEWLY IMPLEMENTED AREAS**:

Medical services for newly enrolled IPs at places where Corporation do not have its own infrastructure for health care delivery, modified Employer Utilization Dispensary (m-EUD) & modified Insurance Medical Practitioner (m-IMP) scheme have been extended to cater to Primary care service requirements of IPs. For providing secondary care medical services, Regional Offices concerned, have already been authorised to tie-up with reputed private health care institutions. Apart from this, DCBOs are being established in districts in order to oversee all tie-ups for referral and reimbursement at district level.

Moreover, to ensure the availability of medical care in newly implemented areas, ESI Corporation has already entered into an MoU with National Health Authority (NHA) to enable ESIC beneficiaries to access services of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PMJAY) empanelled hospitals. ESI beneficiaries shall also be able to avail benefits from portability of services provided by AB PM-JAY empanelled hospitals across the country and vice versa. It is expected that this relation would further create higher demand for health services at under-utilized hospitals of ESI Corporation and consequently support the improvement of infrastructure and facilities at such places.

Subsequent to decision taken in 178th ESI Corporation meeting held on 13.09.2019, ESIC has collaborated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna(PMJAY) in 152 districts of the country for providing cashless medical services to ESI Beneficiaries through PMJAY empanelled hospitals.

The ESI Corporation in its 183rd meeting held on 07.12.2020 decided that in areas where ESI infrastructure is not available within a radius of 10 kms, the ESI beneficiaries can avail medical consultation for OPD services directly from a hospital empanelled with ESIC

की आवश्यकता होती है, तो सूचीबद्ध अस्पताल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से क.रा.बी. अनुमोदन प्राधिकारी से समयबद्ध अनुमति प्राप्त की जाएगी।

इन सेवाओं के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में 75 करोड़ और बजट प्राक्कलन 2022-23 में 83 करोड़ की राशि प्रदान की जा रही है।

1.3.3 अति विशिष्टता उपचार (एसएसटी) :

क.रा.बी. निगम देशभर में 2270 टाइ-अप अस्पतालों के माध्यम से अति विशिष्टता उपचार सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें मई 2017 से यूटीआइ-आइटीएसएल की सेवाओं को बिल प्रक्रमण एजेंसी (बीपीए) के रूप में लिया गया है। 'रेफरल' धन्वंतरि और यूटीआइ मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट किए जा रहे हैं। इस प्रणाली के माध्यम से किए गए भुगतानों का ऑनलाइन अनुवीक्षण किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता आए और टाइ-अप अस्पतालों को समय पर भुगतान हो। इसके अलावा सुचारू कामकाज और हितलाभार्थियों के लिए बेहतर पारदर्शिता हेतु यूटीआई-आईटीएसएल विभिन्न परिवर्तनों के साथ-साथ क.रा.बी. निगम की आवश्यकता के अनुसार लगातार बीपीए एप्लिकेशन का उन्नयन कर रहा है।

अति विशिष्टता उपचार के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में ₹1752 करोड़ और बजट प्राक्कलन 2022-23 में ₹1823 करोड़ की राशि प्रदान की जा रही है।

1.3.4 चिकित्सा तथा अन्य उपस्करों का प्रापण :

क.रा.बी. निगम ने उपस्करों की खरीद हेतु व्यवस्थित सुधार किए हैं। विभिन्न अस्पतालों के लिए उपस्करों के प्रतिमानकों की समीक्षा तथा समरूप विनिर्दिशों सहित केंद्रीकृत खरीद, जेईएम (जेम) के माध्यम से प्रापण आदि इनमें से कुछेक हैं। इन उपस्करों के प्रापण के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 तथा बजट प्राक्कलन 2022-2023 में पूंजीगत खाते के रूप में क्रमश: 329 करोड़ रुपये तथा 331 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

1.3.5 बीमाकृत महिला (आइडब्ल्यू) और बीमाकृत व्यक्ति (आइपी) को उसकी पत्नी के लिए प्रसूति व्यय

जीवन-निर्वाह सूचकांक की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रसूति से संबंधित व्यय में वृद्धि हुई है, क.रा.बी.निगम द्वारा 13.02.2020 को हुई 181वीं बैठक में प्रसूति खर्चों की मौजूदा राशि 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई है।

परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 और बजट प्राक्कलन 2022-23, प्रत्येक के लिए 4.5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

1.3.6 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएँ

वर्तमान में, क.रा.बी. निगम पराचिकित्सा संस्थान, गुलबर्गा, कर्नाटक 08 विषयों में पराचिकित्सा पाठ्यक्रम चला रहा है, जिसमें से 6 पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक में 20 वार्षिक प्रवेश और 2 पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में 5 सीटें उपलब्ध हैं।

वर्तमान में क.रा.बी. निगम अति विशिष्टता अस्पताल-सनथनगर, रोहिणी-दिल्ली, नोएडा-उ.प्र., झिलमिल-शाहदरा, ओखला-दिल्ली, नंदा नगर-इंदौर, जयपुर-राजस्थान में डीएनबी[1] पाठ्यक्रम चल रहे हैं।

[1]डीएनबी - डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड

or with Ayushman Bharat without the need for referral from an ESI dispensary or hospital. In such cases if admission for indoor treatment is required, the empanelled hospital will obtain in a time bound manner permission from the ESI approving authority through an online system.

For these services, an amount of ₹ 75 Crore is being provided in Revised Estimates 2021-2022 and ₹ 83 Crore in Budget Estimates 2022-23.

1.3.3 **SUPER SPECIALITY TREATMENT (SST)**:

ESIC is providing SST services through 2270 tie-up hospitals (TUHs) across India wherein services of UTI-ITSL have been taken on board as a Bill Processing Agency (BPA) since May 2017. Referrals are generated through Dhanwantri and UTI module online. Payments through this system are being monitored online to bring transparency and timely payment to the TUH. Further, UTI-ITSL is continually upgrading the BPA application as per requirement of ESIC along with various changes being implemented for smooth functioning and better transparency for all stakeholders.

For super speciality treatment , an amount of ₹ 1752 Crore is being provided in Revised Estimates 2021-2022 and ₹ 1823 Crore in Budget Estimates 2022-23.

1.3.4 **PROCUREMENT OF MEDICAL AND OTHER EQUIPMENT**:

ESIC has undertaken systemic reforms for purchase of equipment. Review of norms of equipment for various hospitals, centralized purchase with uniform specifications, procurement through GeM etc are a few of them. For procurement of these equipment, an amount of ₹ 329 Crore and ₹ 331 Crore has been allocated in the Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023 respectively as capital expenditure.

1.3.5 **CONFINEMENT EXPENSES TO AN INSURED WOMEN (IW) AND AN INSURED PERSON (IP) IN RESPECT OF HIS WIFE**

Keeping in view the rise in the cost of living index resulting in increase in expenditure related to confinement, existing amount of confinement expenses has been increased from ₹ 5,000 to ₹ 7,500 by ESI Corporation in its 181st meeting held on 13.02.2020.

An amount of ₹ 4.5 Crore each has been allocated for Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-23.

1.3.6 **MEDICAL EDUCATION PROJECTS**

Presently, the ESIC Paramedical Institute, Gulbarga, Karnataka is running Para Medical Course in 08 discipline with 20 annual admissions each in 6 courses and 5 seats each in 2 courses.

Presently DNB[1] courses are running at ESIC Hospital, Sanathnagar(SST), Rohini, Delhi, Noida, UP, Jhilmil, Shahdra, Okhla Delhi, Nanda Nagar, Indore, Jaipur, Rajsthan.

[1] DNB:- Diplomate of National Board

एनबीईएमएस[2] ने वर्ष 2021-22 के लिए एनेस्थिसियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग, नेत्र विज्ञान, हड्डी रोग और बाल रोग (एमबीबीएस के पश्चात-43, डिप्लोमा के पश्चात-24 और एमबीबीएस[3] डिप्लोमा के पश्चात -12) की विशेषता में डीएनबी के लिए 79 सीटें क.रा.बी. निगम अस्पताल-सनथनगर, रोहिणी-दिल्ली, नोएडा-उ.प्र., झिलमिल-शाहदरा, ओखला-दिल्ली, नंदा नगर-इंदौर, जयपुर-राजस्थान और बापू नगर-गुजरात में आवंटित की हैं।

प्रस्तावित क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय, बिहटा और अलवर के लिए 2021-22 के संबंध में 100 एमबीबीएस सीटों के अनुमोदन के साथ आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हो गया है।

इन चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का संचालन और अनुरक्षण के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 और बजट प्राक्कलन 2022-2023 में क्रमशः 834 करोड़ रुपये और 876 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

1.4 नकद एवं अन्य हितलाभ

परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में नकद हितलाभों और अन्य हितलाभों के लिए 5265 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान है, जो अंशदान आय का 36 प्रतिशत है। वर्ष 2022-2023 बजट प्राक्कलन के लिए 2741 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो अंशदान आय का 17 प्रतिशत है। इसमें परिशोधित प्राक्कलन 2021-22 के लिए 750 करोड़ रुपये और 2614 करोड़ रुपये का प्रावधान स्थायी नि:शक्तता निधि, आश्रितजन हितलाभ निधि हेतु क्रमश: किया गया है और क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना कोष के लिए 2021-2022 के लिए *अनुपूरक बजट प्राक्कलन* के रूप में 705 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

इसी प्रकार बजट प्राक्कलन 2022-23 के लिए स्थायी निःशक्तता कोष में 809 करोड़ रुपये, आश्रितजन हितलाभ कोष में 488 करोड़ रुपये तथा क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना कोष में 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

1.4.1 क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना

कोविड-19 के कारण मृतजन के परिवारों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना' को मंजूरी दी। यह योजना बीमाकृत व्यक्तियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय है जो कि दो वर्ष की अवधि के लिए 24.03.2020 से प्रभावी है और यह कोविड-19 के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में उसके आश्रितों को राहत प्रदान करती है। कोविड-19 के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, उसके परिवार के पात्र आश्रितों को आवधिक भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है। तदनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-2022 के लिए *अनुपूरक बजट प्राक्कलन* के रूप में 705 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रावधान किया गया है और क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना कोष के लिए बजट प्राक्कलन 2022-2023 के लिए 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इस निधि से भुगतान का प्राक्कलन वित्तीय 2021-2022 और बजट प्राक्कलन 2022-2023 के लिए क्रमशः 43 करोड़ और 47 करोड़ अनुमानित किया गया है।

---

[2]एनबीईएमएस - नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन इन मेडिकल साइन्स

[3]एमबीबीएस - बैचलर ऑफ मैडिसिन एण्ड बैचलर ऑफ सर्जरी

NBEMS[2] has allotted 79 Seats for DNB in Specialty of Anaesthesiology, General Medicine, General Surgery, Obstetrics & Gynaecology, Ophthalmology, Orthopaedics and Paediatrics (Post MBBS-43, Post Diploma-24 & Post MBBS[3] diploma-12) for the year 2021-22 at ESIC Hospital, Sanathnagar, Rohini, Delhi, Noida, UP, Jhilmil, Shahdra, Okhla Delhi, Nanda Nagar, Indore, Jaipur, Rajasthan and Bapunagsr, Gujrat.

Letter of Intent (LoI) with approval of 100 MBBS seats for 2021-22has been received for proposed ESIC Medical College, Bihta and Alwar.

For running and maintaining these medical education institutions an allocation of ₹ 834 Crore and ₹ 876 Crore has been provided in the Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023 respectively.

1.4. CASH AND OTHER BENEFITS

The total provision for Cash Benefits & Other Benefits for Revised Estimates 2021-2022 is ₹ 5265 Crore which is about 36 *percent* of contribution income. For Budget Estimates 2022-2023, provision is ₹ 2741 Crore which is about 17 *percent* of contribution income. This includes a provision of ₹ 750 Crore and ₹ 2614 Crore in the Permanent Disablement Fund and Dependent Benefit Fund respectively for Revised Estimates 2021-2022 and an amount of ₹ 705 Crore has been provided as ***supplementary budget estimate*** for 2021-2022 towards ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund.

Similarly, provision of ₹ 809 Crore in the Permanent Disablement Fund, ₹ 488 Crore in the Dependent Benefit Fund and ₹ 110 Crore in ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund have been made for Budget Estimates 2022-23.

1.4.1 ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME

In order to provide help and succour to the families of the IPs who died due to COVID-19, the Chairman, ESIC approved the 'ESIC COVID-19 Relief Scheme', This scheme is a welfare measure for IPs made effective for a period of two years w.e.f. 24.03.2020 and it provides relief to the dependants of the IP in case of his/her death due to COVID-19. In case of death of IP due to COVID-19, the eligible dependant's family members of IP are paid periodic payments directly to the bank account. Accordingly, a supplementary budget provision of ₹ 705 Crore has been provided as ***supplementary budget estimate*** for current financial year i.e. 2021-2022 and ₹ 110 Crore for Budget Estimate 2022-2023 towards ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund. However, projection for pay-out from this Fund has been estimated at ₹ 43 Crore and ₹ 47 Crore for financial 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023 respectively.

[2] NBEMS :- National Board of Examination in Medical Science
[3] MBBS:- Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

1.4.2 औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ)

बीमाकृत व्यक्तियों को प्राथमिक देखरेख सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क.रा.बी. निगम ने दिनांक 29.05.2018 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में औषधालय सह शाखा कार्यालय की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया। 'औषधालय-सह-शाखा कार्यालय' औषधालय एवं शाखा कार्यालयों दोनों के प्रकार्यों के निष्पादन के साथ नियोक्ता उपयोगन औषधालय/बीमा चिकित्सा व्यवसायी क्लीनिक से जुड़े लाभार्थियों को औषधियों के वितरण हेतु केंद्रीकृत फार्मेसी वितरण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। औषधालय-सह-शाखा कार्यालय बीमाकृत व्यक्तियों के प्रतिपूर्ति दावों का प्रक्रमण भी करेंगे और द्वितीयक देखभाल के लिए रेफरल करेंगे।

संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए क.रा.बी. निगम ने ऐसे जिलों में औषधालय- सह-शाखा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है जिनमें 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी क.रा.बी. औषधालय नहीं है और जिनकी बीमाकृत व्यक्ति आबादी 3000 या उससे अधिक है। यदि ऐसे जिले में पहले से ही एक शाखा कार्यालय है, तो शाखा कार्यालय को औषधालय-सह-शाखा कार्यालय में परिवर्तित किया जाएगा।
इसके लिए परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 और बजट प्राक्कलन 2022-2023 के लिए क्रमशः 47.00 करोड़ और 51.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है।

1.4.3 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जिसे शुरुआत में प्रायोगिक आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया था और जो दिनांक 01.07.2018 से प्रभावी की गई। दिनांक 20.08.2020 को अपनी 182 वीं बैठक में क.रा.बी.निगम ने छह महीने दिनांक 01.07.2020 से 31.12.2020 तक के लिए योजना का विस्तार करने और कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हो चुके बीमाकृत व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए राहत की दर को बढ़ाकर बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक कमाई का 50% कर दिया है और बीमाकृत व्यक्ति जो 24.03.2020 से 31.12.2020 के दौरान बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए अंशदायी और अन्य पात्रता शर्तों को शिथिल कर दिया और चल रही कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए क.रा.बी. निगम ने इस योजना को और दो अन्य विभिन्न अवधियों के लिए बढ़ा दिया है और वर्तमान में यह योजना अंशदायी और अन्य पात्रता शर्तों में छूट के साथ 01.07.2021 से 30.06.2022 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

इसके अलावा परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 और बजट प्राक्कलन 2022-2023 में क्रमशः 35 करोड़ रुपये और 30 करोड़ रुपये का आवंटन "अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना" के अंतर्गत किया गया है।

1.5. चिकित्सा संस्थाएँ और अन्य परियोजनाएँ (परिशिष्ट-III देखें)

1.5.1 वर्ष 2020-2021 के दौरान, क.रा.बी. निगम ने 09 परियोजनाएं[4] पूरी कर ली हैं जिसमें कुल रू. 600 करोड़ की राशि पूंजीकृत की गई है।

1.5.2 कड़ी निगरानी के साथ-साथ व्यवस्थित समीक्षा तथा मामला विशेष अभिगम के विकास के साथ और संबंधित प्रस्तुत बैंक गारंटी राशि[5] जिसे परियोजना निगरानी एजेंसियों[6] द्वारा निधि उपलब्ध करवाने पर यह अनुमान है कि वर्ष 2008-2009 की सभी अपूर्ण परियोजनाएं मार्च 2022 तक पूर्ण कर ली जाएंगी।

(पांडु नगर, कानपुर और क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी को छोड़कर)।

1.4.2 **DISPENSARY-CUM-BRANCH OFFICE (DCBO)**

To provide primary care services to its IPs, the ESI Corporation in its 174th meeting held on 29.05.2018 has approved setting up a Dispensary Cum Branch Office (DCBO) in every district. A DCBO would perform the functions of both Dispensary and Branch Office along with centralized pharmacy dispensing unit for distribution of drugs to beneficiaries attached to Employers Utility Dispensaries (EUD)/ Insurance Medical Practitioners (IMP) Clinic. DCBO will also process reimbursement claims of Insured Persons and make referrals for Secondary care.

In order to have optimal utilization of resources, the ESIC has decided to open Dispensary Cum Branch offices in such districts which have no ESI Dispensary and having IP population of 3000 or more within a radius of 10 Km. In case, a Branch Office is already there in such district, then the branch office may be converted into DCBO.

For the same, an amount of ₹ 47.00 Crore and ₹ 51.00 Crore for Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023 respectively.

1.4.3 **ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA**

The “ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA” which was initially started on pilot basis for a period of two years w.e.f. 01.07.2018, the ESI Corporation in its 182nd meeting on 20.08.2020 had been extended this for six months i.e. from 01.07.2020 to 31.12.2020 and to provide benefit to the IPs who have become unemployed during COVID-19 pandemic, enhanced the rate of relief to 50% of the average daily earning of the IP and relaxed the qualifying contributory and other eligibility conditions for the IPs who became unemployed during 24.03.2020 to 31.12.2020. And keeping in view of on-going COVID-19 pandemic, the ESI Corporation has extended this scheme for another two different spell and presently this scheme is effective for the period 01.07.2021 to 30.06.2022 with the relaxed contributory and other eligibility conditions.

Further, in Revised Estimate 2021-2022 and Budget Estimate 2022-2023 an allocation of ₹ 35 crore and ₹ 30 crore respectively have been made under the “ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA”.

1.5 MEDICAL INSTITUTIONS AND OTHER PROJECTS (SEE APPENDIX-III)

1.5.1 During the year 2020-21, ESIC has completed 09 projects[4] in which total amount of ₹ 600 Crore (approx.) has been capitalized.

1.5.2 With systematic review and developing case specific approach along with strict monitoring and making available fund equal to the amount of BG[5] submitted by respective PMAs[6], it

[4] ESI Hospital Varnasi(UP), Korba (Chhattisgarh), Udaipur (Rajasthan), Rudrapur (Uttrakhand), Baltikuri (WB), Angul (Odisha), ESI Dispensary Panki (UP) and Raibareilly (UP).
[5] Bank Guarantee.
[6] Project Monitoring Agencies

क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी की ओपीडी माह नवंबर, 2022 से आरंभ होने की आशा है। इसके बाद अग्निशमन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद आईपीडी का काम आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-2021 के दौरान क.रा.बी. निगम ने लगभग 2 अस्पतालों (क.रा.बी. अस्पताल आदित्यपुर, झारखंड और रायपुर) को क्रमशः 80 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया।

1.5.3 भारत सरकार के निदेशानुसार क.रा.बी. निगम के भवनों की छतों के ऊपर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के संस्थापन का कार्य श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मेसर्स राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ड्रुमेंट्स लिमिटेड (आरईआइएल) को सौंपा गया है। तदनुसार, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड (श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नियुक्त) ने देश भर में क.रा.बी. निगम के सभी व्यवहार्य प्रतिष्ठानों में काम करने का निदेश दिया है।

क.रा.बी. निगम के लिए 31.66 मेगावाट के लक्ष्य को अंतिम रूप दिया गया है। इस संबंध में देश भर में क.रा.बी. भवनों के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। आरईआईएल ने सूचित किया है कि 4.56 मेगावाट के लिए सोलर पीवी पैनल की स्थापना का काम पूरा हो गया है और क.रा.बी. निगम के विभिन्न स्थलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा 2.31 मेगावाट क्षमता पर काम किया जा रहा है। आज की तिथि के अनुसार 2.31 मेगावाट क्षमता को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1.5.4 चिकित्सा संस्थानों और अन्य परियोजनाओं के कार्य निष्पादन के लिए कुल परिव्यय निम्नानुसार प्राक्कलित किया गया है:-

क्र.सं.	परियोजनाएं	परियोजनाओं की संख्या	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 (₹ करोड़ में)	बजट प्राक्कलन 2022-2023 (₹ करोड़ में)
1.	चिकित्सा शिक्षा संस्थान	22	218.56	169.76
2.	अस्पताल/औषधालय	41	115.12	96.96
3.	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय	23	31.48	18.04
4.	नई परियोजनाएं(अस्पताल/औषधालय/ क्षेत्रीय कार्यालय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय	78	912.34	1221.13
	कुल	**164**	**1277.50**	**1505.89**

उपर्युक्त में पूंजीगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत क.रा.बी. निगम अस्पतालों / औषधालयों / कार्यालयों के लिए भूमि की खरीद के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 और बजट प्राक्कलन 2022-2023 में 250 करोड़ रुपये और 300 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

1.6 सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

क.रा.बी. निगम ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी मामलों के प्रबंधन में रणनीतिक भूमिकाएं और जिम्मेदारियां संभालने में कुछ प्रगति की है। सेवा प्रदाता को डाटा सेंटर (डीसी) और डाटा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) के बुनियादी ढांचे के रखरखाव और व्यापार निरंतरता के साथ-साथ सभी केंद्रीय अनुप्रयोगों (ईआरपी बीमा और धनवंतरी आदि सहित) का काम सौंपा गया है। कंप्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन, नेटवर्क और बैंडविड्थ प्रावधान सहित शेष सभी क्षेत्र की गतिविधियां तथा केंद्रीय गतिविधियां जिसमें लाइसेंस का नवीनीकरण, रखरखाव/ तकनीकी अनुबंध, डीसी/डीआर में सभी मूर्त और अमूर्त केंद्रीय संपत्तियों का सबस्क्रिपशन शामिल है, क.रा.बी. निगम द्वारा अपने आंतरिक गैर-तकनीकी संसाधनों के माध्यम से किया जाता है।

---

[4]क.रा.बी. अस्पताल, वाराणसी (उ.प्र.), कोरबा (छत्तीसगढ़), उदयपुर (राजस्थान), रुद्रपुर (उत्तराखण्ड), बाल्टीकुडी (पश्चिम बंगाल), अंगुल (ओडिशा), क.रा.बी. औषधालय पनकी (उ.प्र.) और रायबरेली (उ.प्र.) [5]बैंक गारंटी [6]प्रौजेक्ट मानिटरिंग एजेंसी

is expected that all unfinished projects of 2008-2009 will be completed by March 2022 (except Pandu Nagar, Kanpur and ESI Hospital Andheri).

OPD of ESI Hospital Andheri is expected to start in the year 2022. Subsequently work of IPD will be started after obtaining clearance from the Fire Department. Besides this, during the year 2020-2021 ESIC completed 2 Hospitals (ESI Hospital Adityapur, Jharkhand and Raipur) at the approx. cost of ₹ 80 Crore respectively.

1.5.3 On directions of Government of India, installation of Solar Power Project on Roof Top of ESIC buildings has been assigned by the MoL&E, GoI to M/s Rajasthan Electronics & Instruments Ltd. (REIL). Accordingly, Rajasthan Electronics and Instrument Ltd. (appointed by Ministry of Labour & Employment) has instructed to take up the works across the country in all the feasible establishments of ESIC.

A target of 31.66 MW was finalized for ESIC. The work in this regard is being taken for the ESI Buildings across the country in a phased manner. REIL has informed that installation of Solar PV Panel for 4.56 MW is completed and further surveys of various sites of ESIC have been completed and 2.31 MW capacity being worked out. As on date the Potential of 2.31 MW capacity is under finalization.

1.5.4 The total outlay for execution of medical institutions and other projects has been estimated as per details given below:

SI.no.	Projects	Projects in numbers	Revised Estimates 2021-2022 (₹ in Crore)	Budget Estimates 2022-2023 (₹ in Crore)
1.	Medical Education Institutions	22	218.56	169.76
2.	Hospitals / Dispensaries	41	115.12	96.96
3.	ROs / SROs and Branch Offices	23	31.48	18.04
4.	New projects (Hospitals/Dispensaries/Ros/SROs and Branch Office)	78	912.34	1221.13
	Total	**164**	**1277.50**	**1505.89**

Above includes a provision of ₹ 250 Crore and ₹ 300 Crore in Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023 towards purchase of land for ESIC Hospitals / Dispensaries / Offices under capital expenditure head.

1.6 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

ESIC has made some progress in taking over strategic roles and responsibilities in managing its own IT affairs. A Service Provider has been entrusted with the job of all central Applications (including ERP Insurance and Dhanwantri, etc.), along with Data Centre (DC) and Data Recovery Centre (DRC) infrastructure maintenance and business continuity. Remaining field activities including management of computer Infrastructure, Network & Bandwidth provisioning and central activities which includes renewal of licences, maintenance /technical contracts, subscriptions of all tangible and intangible central assets at DC/DR are being done by ESIC through its internal non-technical resources. ESIC has implemented the various initiatives in the year 2021-22 which included enabling of selection of Regional Language (Gujrati, Marathi, Punjabi, Tamil, Telgu, Malayalam & Kannada) in IP Portal / Employer Portal, value addition in the

क.रा.बी. निगम ने वर्ष 2021-22 में विभिन्न पहलों को लागू किया है जिसमें बीमाकृत व्यक्ति पोर्टल/नियोक्ता पोर्टल में क्षेत्रीय भाषा (गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़) के चयन को सक्षम करना, उमंग मोबाइल ऐप, धनवंतरी मोबाइल ऐप में मूल्यवर्धन, बीमाकृत व्यक्ति द्वारा औषधालय आसानी से बदलना, बीमाकृत व्यक्ति के लिए बहुभाषी एसएमएस विकल्प, क.रा.बी. निगम की वेबसाइट www.esic.in पर कोविड-19 डैशबोर्ड का प्रावधान, यूएएन सीडिंग को सुगमता से सक्षम करना आदि शामिल है।

इसके अलावा, आधार (प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 16(2) के अनुसार यूआईडीएआई द्वारा क.रा.बी. निगम को उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आधार डाटा वॉल्ट में संपूर्ण ई-केवाईसी के भंडारण के अतिरिक्त आधार के ऑनलाइन प्रमाणीकरण के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय का उप-एयूए बनने की अनुमति दी गई है। यूआईडीएआई ने असंगठित कामगार या किसी अन्य व्यक्ति के पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में अनिवार्य है।

तदनुसार, परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 और बजट प्राक्कलन 2022-2023 में पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आईटी अवसंरचना के लिए 76 करोड़ रुपये और 67 करोड़ रुपये के अलावा पूरी आईटी अवसंरचना के संचालन और रखरखाव के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 और बजट प्राक्कलन 2022-2023 में 121 करोड़ रुपये और 240 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

1.7 **भर्ती**

वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित संवर्गों/पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू की गई है:-

क्र.सं.	**संवर्ग/पद**
01	शिक्षण संकाय की भर्ती
02	विशेषज्ञ ग्रेड-II की भर्ती
03	बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II की भर्ती
04	नर्सिंग और पैरा-मेडिकल संवर्गों की भर्ती
05	कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) की भर्ती
06	सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती
07	अवर श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक तथा बहुकार्य स्टाफ (एमटीएस) की भर्ती
08	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

तदनुसार, परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 तथा बजट प्राक्कलन 2022-2023 में क्रमश: 58 करोड़ रुपये तथा 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

1.8 **प्रशासन**

वर्ष 2020-2021 के दौरान प्रशासनिक लागत कुल आय की 6.98 प्रतिशत थी। चालू वर्ष (2021-2022) में प्रशासनिक लागत लगभग 9.29 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022-2023 में 10.17 प्रतिशत मुख्य रूप से प्रकल्पित अंशदान आय की युक्तीकरण और चल रही कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण होने का अनुमान है। यह नियम 31ए के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्चों के लिए निर्धारित 15% उच्चतम की सीमा के भीतर है।

UMANG Mobile App / DHANWANTRI Mobile App, Changing Dispensary by IP at ease, Multilingual SMSs options to the IPs, provision of COVID-19 Dashboard on ESIC's website i.e. www.esic.in, enabling UAN Seeding with ease, etc.

Further, the ESIC has been permitted by UIDAI to become sub-AUA of Ministry of Labour & Employment for performing online authentication of Aadhaar in addition to storing the complete e-KYC, as per Regulation 16(2) of the Aadhaar (Authentication & Offline verification) Regulation, 2021, in the Aadhaar Data Vault to be procured by ESIC. UIDAI has provided approval for registration of un-organised worker or any other person, as mandated in The Code of Social Security, 2020.

Accordingly, provision of ₹ 121 Crore and ₹ 240 Crore has been made in Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023 towards running and maintenance of entire IT infrastructure besides ₹ 76 Crore and ₹ 67 Crore in Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023 towards IT infrastructure under capital expenditure.

1.7 RECRUITMENT

Action has been initiated for undertaking recruitment in following Cadres/Posts for the year 2022-23:

Sl. No.	Cadre/Post
01	Recruitment of Teaching Faculty
02	Recruitment of Specialist Gr. II
03	Recruitment of Insurance Medical Officer Gr. II
04	Recruitment of Nursing and Para-Medical Cadres
05	Recruitment of Junior Engineer (Civil & Electrical)
06	Recruitment of Social Security Officers
07	Recruitment of UDC,MTS & Steno
08	Limited Departmental Competitive Examination

Accordingly, a provision of ₹ 58 Crore and ₹ 100 Crore have been made for the Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023 respectively.

1.8 ADMINISTRATION

The administrative cost as a part of the total income was at 6.98 *percent* during the year 2020-21. It is expected to be approximately 9.29 *percent* in the current year (2021-2022) and 10.17 *percent* for the financial year 2022-2023 mainly due to rationalisation of projected Contribution Income and impact of ongoing COVID-19 Pandemic. This is well within the ceiling of 15 percent as prescribed by the Central Government for administrative expenses under Rule 31A.

1.8.1 **<u>स्वच्छता कार्य योजना (एस.ए.पी)</u>**

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुसरण में, स्वच्छता कार्य योजना संबंधी खर्च के अनुवीक्षण तथा बुकिंग उद्देश्य हेतु एक अलग बजट शीर्ष बनाया गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 तथा बजट प्राक्कलन 2022-2023 में क्रमशः रू. 0.8 करोड़ रुपये तथा 1.65 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

1.9 **<u>लिंग एवं बाल बजट</u>**

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, क.रा.बी.निगम में लिंग और बाल बजट प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। क.रा.बी.योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान 8257 करोड़ रुपये तथा 8059 करोड़ रुपये क्रमशः परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 तथा बजट प्राक्कलन 2022-2023 के लिए किया गया है। लिंग एवं बाल बजट का शीर्षवार विस्तृत बजट आबंटन, व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा सं. 10 तथा 18 में क्रमशः वर्ष 2021-2022 के परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2022-2023 के बजट प्राक्कलन में दिया गया है।

1.10 प्रमुख क्रियाकलापों पर निधि परिव्यय का सारांश:

क्र.सं.	**वर्ष 2022-2023 के बजट में प्रमुख क्रियाकलाप**	**निधि आबंटन (करोड़ रुपये में)**
1.	अस्पतालों/औषधालयों का उन्नयन एवं नवीयन	587.41
2.	क.रा.बी.निगम अस्पतालों/औषधालयों में नए चिकित्सा एवं अन्य उपस्करों का प्रापण	312.66
3.	क.रा.बी.निगम अस्पतालों/औषधालयों/कार्यालयों के लिए भूमि की खरीद	300.00
4.	उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा सॉफ्टवेयर लाइसेंसों पर व्यय	198.65
5.	चिकित्सा, परा चिकित्सा, अभियंता तथा अनुसचिवीय संवर्ग में विभिन्न पदों की भर्ती	100.00
6.	औषधालय सह शाखा कार्यालयों पर व्यय	51.00
7.	जागरूकता तथा प्रचार पर व्यय	33.00
8.	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर व्यय	30.00
9.	आशोधित ईयूडी तथा आशोधित आइएमपी योजना#	30.00
10.	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत व्यय	1.65
11.	आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई के अंतर्गत व्यय	02.00
	कुल	**1646.37**

#आईएमपी अर्थात् बीमा चिकित्सा व्यवसायी तथा ईयूडी अर्थात् नियोक्ता उपयोगन औषधालय।

1.8.1 SWACHHATA ACTION PLAN (SAP)

In pursuance of Ministry of Labour and Employment, Government of India directions, a separate budget head for the purpose of booking and monitoring the expenditure related to SAP has been created. Under this head a budget provision has been made for ₹ 0.8 Crore and ₹ 1.65 Crore in the revised estimate 2021-22 and Budget Estimates for the year 2022-2023 respectively.

1.9 GENDER AND CHILD BUDGET

As per the directions of Ministry of Labour and Employment, Government of India, ESIC Gender & Child Budget Cell has been constituted. Across all budget heads under ESI Scheme, an approximate budget provision for female have been worked out at ₹ 8257 Crore and ₹ 8059 Crore in the Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023 respectively. The detailed budget head wise allocation of Gender and Child Budget is provided at Para No. 10 and 18 of Explanatory Memorandum to the Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates for the year 2022-23 respectively

1.10 SUMMARY OF FUNDS OUTLAY ON MAJOR ACTIVITIES:

Sl. No.	Major activities in Budget of 2022-2023	Fund allocation (₹ in Crore)
1.	Uplifting & Renovation of Hospitals/ Dispensaries	587.41
2.	Procurement of new medical & other equipment in ESIC Hospitals/ Dispensaries	312.66
3.	Purchase of land for ESIC Hospitals / Dispensaries / Offices	300.00
4.	Expenditure on advanced IT Infrastructure &Software licences	198.65
5.	Recruitment to the various post of Medical, Paramedical, Engineer and Ministerial cadres	100.00
6.	Expenditure on DCBO	51.00
7.	Expenditure on Awareness and Publicity	33.00
8.	Expenditure under Atal BimitVyakti Kalyan Yojna	30.00
9.	Modified EUD & Modified IMP Scheme#	30.00
10.	Expenditure under Swachhata Action Plan (SAP)	1.65
11.	Expenditure under Ayushman Bharat – PMJAY	02.00
	TOTAL	**1646.37**

#IMP stands for Insurance Medical Practitioner and EUD stands for Employer Utilization Dispensary

1.11 वर्ष 2022-2023 के दौरान निधि अंतर्वाह तथा निधि बहिर्वाह का सारांश (राशि करोड़ रुपये)

चित्र संख्या 1: जहाँ धन व्यय हो रहा है-व्यय (बजट प्राक्कलन 2022-2023)

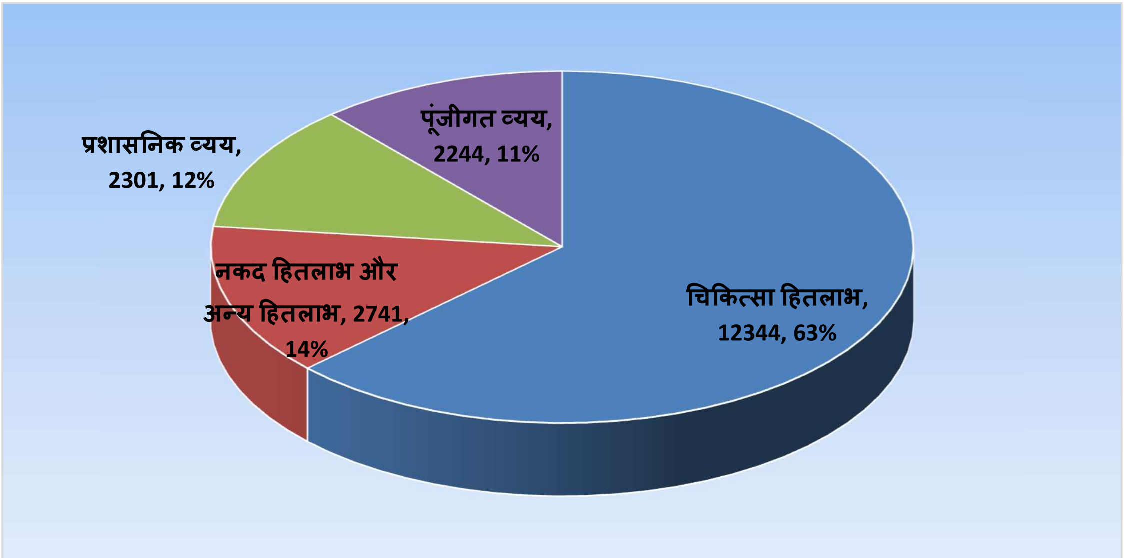

- चिकित्सा हितलाभ
- प्रशासनिक व्यय
- नकद हितलाभ और अन्य हितलाभ
- पूंजीगत व्यय

चित्र संख्या 2: जहाँ से धन आ रहा है- राजस्व (बजट प्राक्कलन 2022-2023)

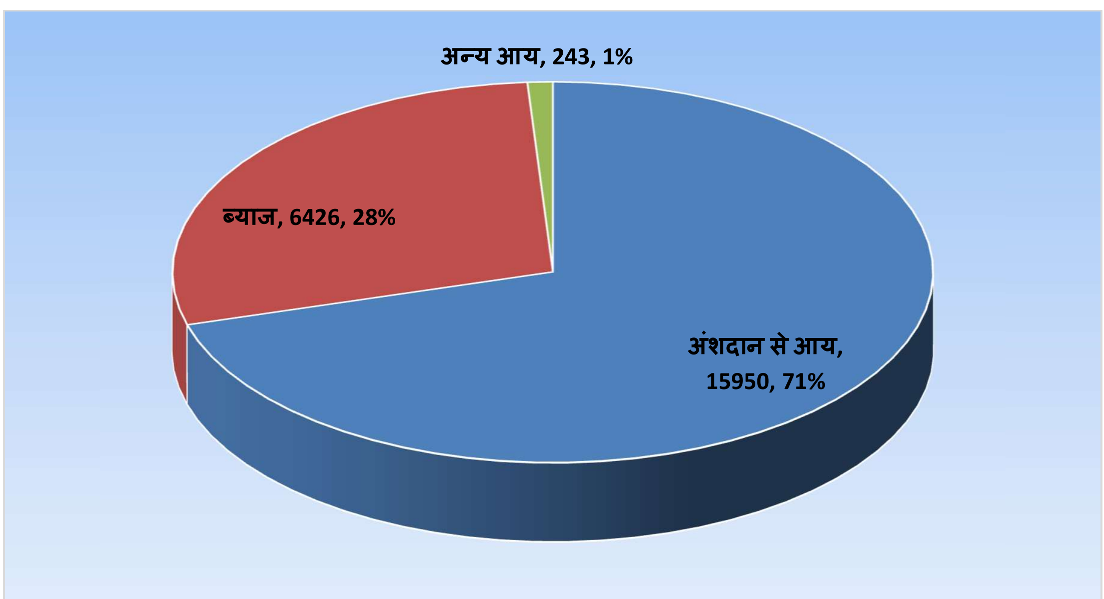

- अंशदान से आय
- ब्याज
- अन्य आय

1.11 Summary of Funds Inflow and Funds Outflows during 2022-2023 (Amount in ₹ Crore)

Figure No.1: Where the Money Goes–Expenditure (Budget Estimates 2022-2023)

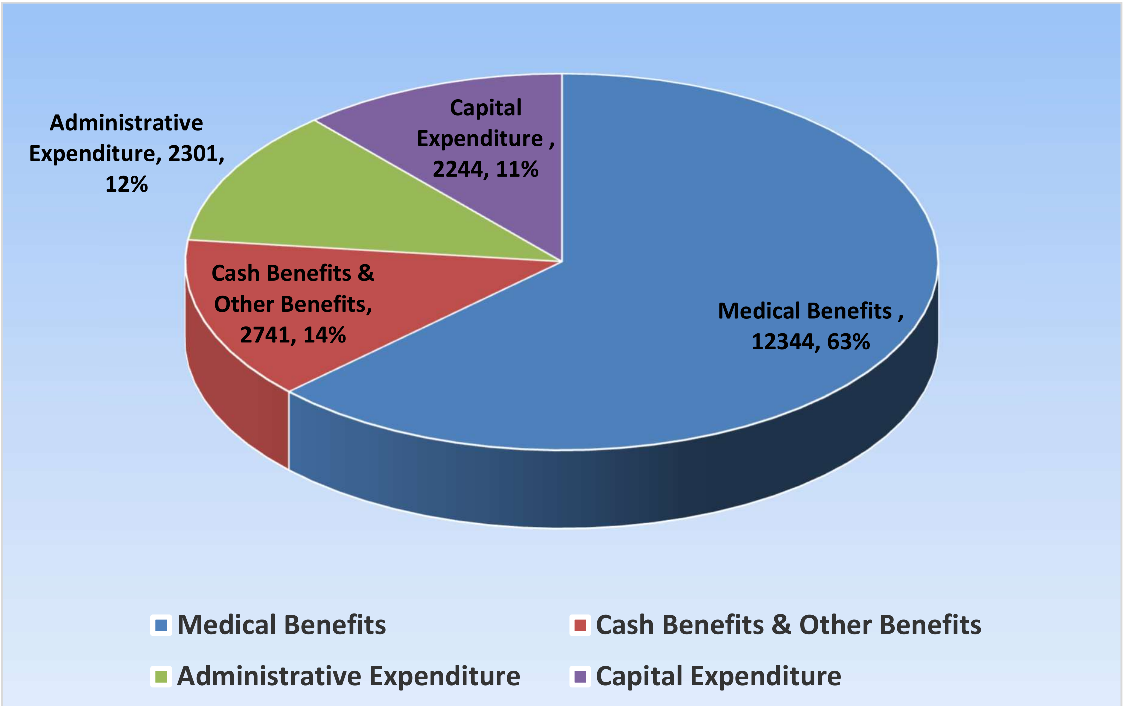

Figure No.2: Where the Money Comes from–Revenue (Budget Estimates 2022-2023)

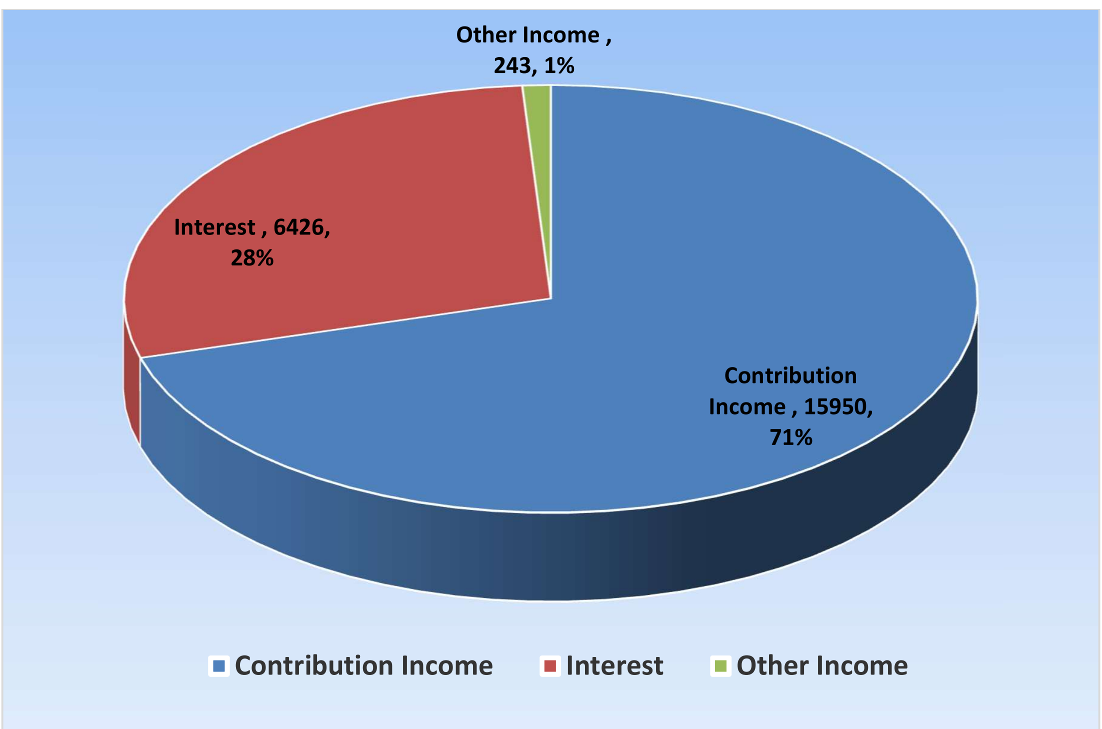

	क.रा.बी. निगम – बजट एक नज़र में				
	लेखा-शीर्ष	**वास्तविक** 2020-2021	**बजट प्राक्कलन** 2021-2022	**परिशोधित प्राक्कलन** 2021-2022	**बजट प्राक्कलन** 2022-2023
क. राजस्व प्राप्तियां					**(₹ लाख में)**
i)	अंशदान	1378778.53	1375000.00	1450000	1595000.00
ii)	चिकित्सा हितलाभ के निमित्त राज्य सरकारों का अंश जो प्रथमत: निगम द्वारा वहन किया गया	0.00	0.00	200.00	0.00
iii)	क्षतिपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	ब्याज	597383.41	644874.00	611492.00	642635.00
v)	किराया, दरें तथा कर	491.25	540.00	1450.00	13300.00
vi)	शुल्क, जुर्माना एवं जब्तियां	3116.36	5000.00	3800.00	3800.00
vii)	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां	3582.03	4500.00	4000.00	4200.00
viii)	विविध	125780.72@	4000.00	3000.00	3000.00
	कुल राजस्व प्राप्तियां :	**2109132.30**	**2033914.00**	**2073942.00**	**2261935.00**
	@ में आश्रितजन हितलाभ के 123192 लाख रुपये के बीमांकिक मूल्यांकन के कारण बीमांकिक लाभ शामिल है।				
ख.	**राजस्व व्यय**				
क)	**हितलाभ :**				
i)	चिकित्सा हितलाभ :	953063.81	1320630.22	1199031.00	1234359.00
ii)	नकद हितलाभ :	276188.25#	247400.00	526000$.00	273600.00
iii)	अन्य हितलाभ :	339.45	278.00	501.00	456.00
	कुल हितलाभ :	**1229591.51**	**1568308.22**	**1725532.00**	**1508415.00**
	#वास्तविक 2020-21 के नकद हितलाभ में आश्रितजन हितलाभ निधि में बीमांकिक लाभ के कारण आश्रितजन हितलाभ के लिए प्रावधान शामिल नहीं है। $दिनांक 31.03.2021 मूल्यांकन के समय कुछ फाइलें न मिलने से कम रिपोर्ट (अंडर रिपोर्टिंग) के रूप में (ऑन एकाउन्ट ऑफ) इसमें क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना के अनुपूरक बजट प्राक्कलन 70500 लाख रुपये और 80000 लाख रुपये आश्रितजन हितलाभ के शामिल हैं।				
ख)	**प्रशासनिक व्यय**	**147120.17**	**183010.60**	**192734.00**	**230131.00**
ग)	पूंजीगत निर्माण हेतु प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल राजस्व व्यय (क+ख+ग)	**1376711.68**	**1751318.82**	**1918266.00**	**1738546.00**
ग	**पूंजीगत व्यय**				**(₹ लाख में)**
i)	निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टर्स सहित)	211.49	2633.00	3148.00	1804.00
ii)	अस्पताल एवं औषधालय	25867.94	137447.00	127746.00	161809.00
iii)	चिकित्सा शिक्षा परियोजना	4182.83	14800.00	21856.00	15776.00
iv)	अन्य परिसंपत्तियां	12389.14	31668.00	42307.00	44855.00
	कुल पूंजीगत व्यय	**42651.40**	**186548.00**	**195057.00**	**225444.00**
	कुल व्यय (ख+ग)	**1419363.08**	**1937866.82**	**2113323.00**	**1963990.00**
	राजस्व व्यय से राजस्व आय की अधिकता (क-ख)	**732420.62**	**282595.18**	**155676.00**	**523389.00**

E.S.I.C. - BUDGET AT A GLANCE

	Head of Account	Actuals 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
A. REVENUE RECEIPTS (₹ in Lakhs)					
i)	Contribution	1378778.53	1375000.00	1450000	1595000.00
ii)	State Govts. Share towards medical benefit initially incurred by the Corporation.	0.00	0.00	200.00	0.00
iii)	Compensation	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	Interest	597383.41	644874.00	611492.00	642635.00
v)	Rent, Rates & Taxes	491.25	540.00	1450.00	13300.00
vi)	Fees, Fines & Forfeiture	3116.36	5000.00	3800.00	3800.00
vii)	Medical Education Receipts	3582.03	4500.00	4000.00	4200.00
viii)	Miscellaneous	125780.72@	4000.00	3000.00	3000.00
	TOTAL REVENUE RECEIPT:	**2109132.30**	**2033914.00**	**2073942.00**	**2261935.00**
	@ includes actuarial gain on account of actuarial valuation of Dependant Benefit to the tune of ₹ 123192 Lakhs.				
B.	**REVENUE EXPENDITURE**				
a)	**BENEFITS:**				
i)	Medical Benefits:	953063.81	1320630.22	1199031.00	1234359.00
ii)	Cash Benefits:	276188.25#	247400.00	526000.00$	273600.00
iii)	Other Benefits:	339.45	278.00	501.00	456.00
	Total Benefits:	**1229591.51**	**1568308.22**	**1725532.00**	**1508415.00**
	# Cash Benefit for Actual 2020-21 does not include provision on account of Dependant Benefit due to actuarial gain in Dependant Benefit Fund. $Includes Supplementary Budget Estimate of ₹ 70500 Lakhs towards ESIC Covid-19 Relief Scheme Fund and reinstatement amount ₹ 80000 Lakhs for Dependent Benefit fund by actuary on account of under-reporting due to some missing files in valuation as on 31.03.2021.				
b)	**ADMINISTRATIVE EXPENDITURE**	**147120.17**	**183010.60**	**192734.00**	**230131.00**
c)	Provision for Capital Construction	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUE EXPENDITURE (a+b+c)	**1376711.68**	**1751318.82**	**1918266.00**	**1738546.00**
C	**CAPITAL EXPENDITURE**				**(₹ in Lakhs)**
i)	Offices of the Corporation (with staff quarters)	211.49	2633.00	3148.00	1804.00
ii)	Hospitals & Dispensaries	25867.94	137447.00	127746.00	161809.00
iii)	Medical Education Projects	4182.83	14800.00	21856.00	16976.00
iv)	Other Assets	12389.14	31668.00	42307.00	44855.00
	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE	**42651.40**	**186548.00**	**195057.00**	**225444.00**
	TOTAL EXPENDITURE (B+C)	**1419363.08**	**1937866.82**	**2113323.00**	**1963990.00**
	EXCESS OF REVENUE INCOME OVER REVENUE EXPENDITURE (A-B)	**732420.62**	**282595.18**	**155676.00**	**523389.00**

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन का व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की प्राप्तियों और व्यय के बजट प्राक्कलन, बजट एवं लेखा उप समिति तथा स्थायी समिति द्वारा क्रमशः 22.01.2021 और 27.01.2021 को अनुमोदित किए गए थे। ये प्राक्कलन दिनांक 22.02.2021 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 184वीं बैठक में अंगीकृत किए गए थे। केन्द्र सरकार ने अपने पत्र संख्या जी-20017/01/2020 एस.एस.-1 दिनांक 18.03.2021 द्वारा बजट का अनुमोदन किया।

क.रा.बी.योजना का प्रसार उन सभी जिलों में पूर्ण व्याप्त करते हुए करना जहां योजना वर्तमान में चल रही है।

क.रा.बी. निगम **2**.0 के दूसरी पीढ़ी के सुधारों के क्रम में क.रा.बी.निगम ने विज़न-2022 के अनुसार क.रा.बी.योजना की अखिल भारतीय व्याप्ति के लिए कार्य योजना (एक्शन प्लान) निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ तैयार की है :

क्र.सं.	विषय	लक्ष्य वर्ष
1	इस योजना को उन 176 जिलों में जहां इसे आंशिक रूप से अधिसूचित किया गया है और 147 जिले, जहां योजना को अधिसूचित नहीं किया गया है,पूरी तरह से लागू करना।	31 मार्च, 2022

देश में क.रा.बी. योजना के विस्तृत भौगोलिक विस्तार होने के साथ क.रा.बी. योजना के अंतर्गत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा के हितलाभ सभी पात्र कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों तक विस्तारित होंगे।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम संख्याक 36) को अधिसूचित किया गया है। कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि भी शीघ्र ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है। यह संहिता, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आठ अन्य केंद्रीय अधिनियमों के साथ क.रा.बी.अधिनियम, 1948 को समाहित करती है। एक बार अधिसूचित होने के बाद, क.रा.बी.योजना को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

वर्तमान में, योजना 589 जिलों में है जिसमें 413 जिले पूर्णत: कार्यान्वित तथा 176 जिले आंशिक रूप से अधिसूचित हैं जिनमें प्रमुख औद्योगिक केंद्र तथा उनके जिला मुख्यालयों के क्षेत्र व्याप्त हैं।

वर्ष 2021-22 का परिशोधित प्राक्कलन और वितीय वर्ष 2022-23 का बजट प्राक्कलन तैयार किया गया है। ‘‘बजट-एक नजर में’’ इन प्राक्कलनों को राजस्व और व्यय के प्रमुख शीर्षों में इंगित करता है। प्राक्कलनों के अनुसार, अंशदान से प्राप्त आय चिकित्सा हितलाभों, नकद हितलाभों और प्रशासनिक व्यय को पूर्ण करने में पर्याप्त है।

2. वर्ष 2021-22 के लिए परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्राक्कलन निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए हैं :-

EXPLANATORY MEMORANDUM TOTHE REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022 AND THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023

The Budget Estimates of receipts and expenditure of the Employees' State Insurance Corporation for the financial year 2021-2022 were approved by the Budget & Accounts Sub-Committee and Standing Committee on 22.01.2021 and 27.01.2021 respectively. These estimates were adopted by the ESI Corporation in its 184thmeeting held on 22.02.2021. The Central Government approved the Budget vide their letter No. G-20017/01/2020-SS-I dated 18.03.2021.

EXTENSION OF ESI SCHEME COVERING WHOLE OF THE AREA OF DISTRICTS WHERE SCHEME IS RUNNING AT PRESENT

In continuation to second generation reforms under ESIC 2.0, ESIC has worked out an action plan for Pan India coverage of ESI scheme with the following targets as per Vision – 2022.

S.No.	Subject	Target Year
1	To fully implement the Scheme in 176 Districts where it is partially notified and 147 Districts where scheme is non-notified.	31st March, 2022

Simultaneous with expansion of ESI Scheme to a vast geographical area of the country is to make the benefits of social security available under ESI Scheme to all eligible employees and their family members.

Code on Social security, 2020 (Act 36 of 2020) has been notified. The effective date of implementation is also expected to be notified shortly. The code subsumes ESI Act, 1948 along with eight other central enactments in the field of Social Security. Once notified ESI Scheme is proposed to be made applicable to entire area of the country.

Presently, the Scheme has presence in 589 Districts which includes 413 fully notified Districts and 176 partially notified Districts where prominent industrial centres and their district Headquarters area are covered.

The Revised Estimates for the year 2021-2022 and Budget Estimates for the financial year 2022-2023 have been prepared. "Budget at a Glance" indicates these estimates under broad major heads of revenue and expenditure. According to the estimates the income from contribution fall short to cover the expenditure on medical benefits, cash Benefits and the administrative expenses.

2. The Revised Estimates for 2021-2022 and Budget Estimates for 2022-2023 have been prepared considering the following: -

2.1 प्राप्तियाँ

i. नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के अंशदान का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 में विहित दरों के अनुसार देय है। वर्ष 2021-2022 के लिए, नियोक्ता के अंशदान की दर कर्मचारी को देय मजदूरी का 3.25 प्रतिशत तथा कर्मचारी अंशदान 0.75 प्रतिशत है जो 01.07.2019 से प्रभावी है। पूर्वोक्त नियमों के नियम 52 (जो दिनांक 06.09.2019 से प्रभावी है) के अनुसार 176/- रुपये तक प्रतिदिन की मजदूरी पाने वाले कर्मचारी वर्तमान में अंशदान के भुगतान से छूट प्राप्त हैं। वर्ष 2022-2023 के लिए, अंशदान की दर वही, अर्थात् कर्मचारी को देय मजदूरी का 4 प्रतिशत, रहेगी।

ii. वर्ष 2021-2022 के पहले सात महीनों के दौरान दिखाई दिए रुझान।

iii. वर्ष 2021-2022 की अवधि के दौरान बकाया की वसूली का लक्ष्य 58007 लाख रुपये तथा 4/2021 से 9/2021 की अवधि में 16200 लाख रुपये की वास्तविक प्राप्तियाँ।

iv. क.रा.बी. सामान्य संरक्षित निधि, आकस्मिक संरक्षित निधि तथा पूंजीगत निर्माण संरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज से आय।

v. 2020-2021 की वास्तविक आय में पूर्व अवधि की मदें शामिल नहीं हैं।

vi. दिल्ली में, जहाँ योजना क.रा.बी. निगम द्वारा सीधे चलाई जा रही है, प्रारंभ में चिकित्सा-देखभाल पर खर्च निगम द्वारा पूरी तरह वहन किया गया और बाद में दिल्ली सरकार द्वारा साझा किया जाना था। क.रा.बी. निगम द्वारा वहनीय राशि से किए गए अधिक व्यय को दिल्ली सरकार से यथासमय वापस लिया जाना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वर्ष 1989-90 तक चिकित्सा देखभाल पर किए गए व्यय तथा अधिकतम सीमा से किए गए अधिक व्यय के 1/8वें अंश का भुगतान कर रही थी। वर्ष 1990-91 से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उनके अंश का भुगतान इस तर्क के आधार पर नहीं किया है कि करार की अनुपस्थिति में वह अधिकतम खर्च से ज्यादा किए गए खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तथापि, दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली सरकार को 197416 लाख रुपये का दावा भेजा जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण, 2021-2022 के परिशोधित प्राक्कलनों तथा 2022-2023 के बजट प्राक्कलनों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से जब भी कोई राशि प्राप्त होगी, उसे प्राप्ति के वर्ष में वास्तविक आय में शामिल किया जाएगा। हालांकि, विविध व्यय के निमित राज्य सरकार से वसूली जाने वाली राशि के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में 200 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है ।

2.1.1 क्षतिपूर्ति

जहां किसी भी राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों को दिया गया बीमारी हितलाभ पूरे देश की औसत से 150 प्रतिशत से अधिक होने का पता चलता है और उस राज्य में बीमारी हितलाभ दिनों का औसत 3 दिनों से अधिक हो जाता है तो ऐसे व्यय का राज्य सरकार तथा निगम द्वारा वहन किया जाता है जैसाकि क.रा.बी.अधिनियम की धारा 58(2) में नियत करार द्वारा किया जाए। बीमारी हितलाभ निर्धारित सीमा के भीतर ही थी अत: परिशोधित प्राक्कलन 2021-22 तथा बजट प्राक्कलन 2022-23 में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

2.1 RECEIPTS

i. Employers' and employees' shares of contribution are payable by the employers as per the rates prescribed by Rule 51 of the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950. For the year 2021-22, the rate of employers' contribution is 3.25 *percent* of the wages payable to an employee and the employees' contribution is 0.75 *percent* effective from 01.07.2019. Employees drawing wages up to ₹ 176/- per day are presently exempted from payment of their contribution, under Rule 52 of the ibid Rules, effective from 06.09.2019. For the year 2022-2023, the rate of contribution shall be same i.e.4 *percent* of the wages payable to an employee.

ii. Trends noticed during the first seven months of 2021-2022.

iii. Target of ₹ 58007 Lakhs for recovery of arrears during 2021-2022 and actual receipt of ₹ 16200 Lakhs for the period 04/2021 to 09/2021.

iv. Income from interest on investment of E.S.I. General Reserve, Contingency Reserve Fund and Capital Construction Reserve Fund.

v. Prior period items are not included in actual 2020-2021.

vi. In Delhi, where the Scheme is directly administered by the E.S.I. Corporation, the entire expenditure on medical care was incurred initially by the Corporation and was subsequently sharable with Government of Delhi. Expenditure incurred beyond the amount bearable by ESIC is recoverable from the Government of Delhi in due course. The Govt. of NCT of Delhi had been sharing and paying $1/8^{th}$ share of expenditure on medical care plus expenses incurred over and above the ceiling up to the year 1989-90. From the year 1990-91 the Govt. of NCT of Delhi did not pay their share on the plea that they are not liable to pay the expenditure beyond the ceiling in the absence of agreement. However, the claim of ESIC for ₹ 1,97416 Lakhs as on 31.3.2018 has already been made with the Delhi Govt. Keeping in view of non-response of Govt. of NCT of Delhi, no provisions have been made in Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023. Any sum of money, whenever received by the ESIC from the Govt of NCT of Delhi, would be booked as actuals in the year of receipt. However, an amount of ₹ 200 Lakhs has been provided in Revised Estimates 2021-2022 towards an amount recoverable from State Government on account of miscellaneous expenditure.

2.1.1. COMPENSATION

Where the incidence of sickness benefits payment to Insured Persons in any state is found to exceed 150% of the all India Average and the average number of sickness benefit days in that state is more than 3 days, the amount of such expense is shared between the State Government and the Corporation as may be fixed by an Agreement, U/S 58 (2) of E.S.I. Act. As incidence of sickness benefit was within the prescribed limit, no provision has been made in the Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023.

2.1.2 किराया, दरें और कर

(i) कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) और (ii) अस्पतालों तथा औषधालयों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) के संबंध में वसूली-योग्य किराया, दरें तथा कर दर्शाए गए हैं। निगम द्वारा निर्मित तथा अपने स्वामित्व वाले अस्पताल तथा औषधालय भवनों से संबंधित किराया, बांटने योग्य व्यय का भाग होता है जो उच्चतम सीमा से बाहर है। इस प्रकार यह निगम तथा राज्य सरकारों के बीच 7:1 के निर्धारित अनुपात में विभाजित हो जाता है। निगम, तीन वर्षों के लिए क.रा.बी. योजना से संबंधित 100% व्यय का वहन करेगा, अत: कर की समानुपातिक कटौती पर परिशोधित प्राक्कलन 2021-22 में विचार नहीं किया गया है। केवल कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के किराए के संबंध में स्टाफ से मकान किराया भत्ता की प्रमुख रूप से वसूली के संबंध में 1450 लाख रुपये की राशि प्राक्कलित की गई है जो है। हालांकि, बजट प्राक्कलन 2022-2023 में अस्पताल और औषधालय भवनों के संबंध में कर्मचारियों से मकान किराया भत्ता की वसूली सहित 13300 लाख रुपये का हिसाब लगाया गया है।

2.1.3 फीस, जुर्माना और जब्ती

इस शीर्ष में निगम को अंशदान, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अंश, की समय पर अदायगी न कर पाने पर नियोक्ताओं पर लगाए गए हर्जानों के कारण आय शामिल है।

2.1.4 चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां

चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियों में छात्रों द्वारा भुगतान किया गया शुल्क जैसे शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं चिकित्सा शिक्षा के रूप में प्राप्त अन्य राशियां शामिल हैं।

2.1.5 विविध प्राप्तियां

इनमें अनुलिपि पहचान-पत्रों की लागत से हुई आय, छुट्टी वेतन वसूली तथा पेंशन अंशदानों, न्यायालयों द्वारा दी गई डिक्री राशियों सहित कानूनी वादों की लागत की वसूलियां, अन्य मौजूदा शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत न की जा सकने वाली प्राप्तियां तथा आधिक्य भुगतान तथा लेखापरीक्षा में अस्वीकृत राशि की वसूली; गत वर्षो में किए गए सेवा व्ययों की वसूलियां तथा नकद हितलाभ की वसूलियां, आवेदकों द्वारा भर्ती हेतु जमा किए गए शुल्क, क.रा.बी. कर्मचारियों के चिकित्सा हितलाभ पर अंशदान आदि शामिल हैं।

2.2 व्यय

2.2 .1 चिकित्सा हितलाभ

दिल्ली तथा नोएडा(उत्तर प्रदेश) के औषधालयों को छोड़कर, जहाँ योजना प्रत्यक्षतः निगम द्वारा संचालित है, शीर्षक - 'चिकित्सा हितलाभ' के अंतर्गत व्यय को अधिकतम सीमा तक निगम तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 7:1 के अनुपात में साझा किया जाता है। तथापि, दिनांक 19.2.19 को आयोजित निगम की 177वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, वर्ष 2019-20 से तीन वर्ष के लिए क॰रा॰बी॰ योजना के संचालन पर होने वाले संपूर्ण व्यय, निर्धारित अधिकतम सीमा तक, क॰रा॰बी॰ निगम द्वारा वहन किए जाएँगे।

2.1.2 RENT, RATES AND TAXES

Rents, Rates and Taxes are recoverable in respect of (i) Office buildings (including staff quarters), and (ii) Hospitals and dispensaries (including staff quarters). The rent in respect of hospital and dispensary buildings constructed and owned by the Corporation forms part of the shareable expenditure but outside the ceiling. It thus gets apportioned between the Corporation and State Governments in the prescribed ratio of 7:1 up-to the ceiling. Since the Corporation would be bearing 100% expenditure in respect of the ESI Scheme for three years, proportionate deduction of rent has not been considered in Revised Estimates 2021-2022 and only rent in respect of Office buildings and staff quarters amounting to ₹ 1450 Lakhs has been estimated, chiefly on account of HRA recoveries from staff. However, in Budget Estimates 2022-2023 the rent in respect of hospital and dispensary buildings has been accounted for at ₹ 13300 Lakhs including HRA recoveries from staff.

2.1.3. FEES, FINES & FORFEITURES

This Head includes receipts on account of damages levied on the employers due to their failure to pay contribution, both employers' and employees' share, to the Corporation in time.

2.1.4 MEDICAL EDUCATION RECEIPTS

Medical education receipts include the fee paid by the students, like tuition fee, hostel fee and any other amount received on account of medical education.

2.1.5 MISCELLANEOUS RECEIPTS

These include receipts on account of cost of duplicate identity cards, recoveries of leave salary and pension contributions, recovery of cost of law suits including amounts of decrees by courts, receipts which cannot be classified under the other existing heads, recoveries of over-payments and disallowance in audit; recoveries of service expenditure incurred in previous years and recoveries of cash benefits, fees deposited by the applicants for recruitment, contribution towards medical benefit of ESI Employees etc.

2.2 EXPENDITURE

2.2.1 MEDICAL BENEFIT

The expenditure under the Head 'Medical Benefit', except in Delhi and dispensaries in Noida (U.P.) where the Scheme is directly administered by the Corporation, is shared between the Corporation and the concerned State Governments in the prescribed ratio of 7:1 up-to the ceiling. However, as per the decision taken in the 177th meeting of the Corporation held on 19.02.2019, the entire expenditure on running the ESI Scheme, up to the prescribed ceiling, shall be borne by the ESIC for three years starting from 2019-20.

2.2.2 व्यावसायिक रोग केंद्र

निगम ने क.रा.बी. अस्पताल, के.के. नगर, चेन्नई (तमिलनाडु), क.रा.बी. अस्पताल, जोका (पश्चिम बंगाल.), क.रा.बी. अस्पताल, अंधेरी (मुंबई), क.रा.बी. अस्पताल, इंदौर (मध्यप्रदेश) तथा क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर (दिल्ली) में व्यावसायिक रोग केन्द्रों की स्थापना की है।

2.2.3 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएँ

चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के चालू खर्चों की पूर्ति के लिए बजट प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि उन्हें राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण होने तक अति विशिष्ट उपचार हेतु उत्कृष्टतापूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके।

2.2.4 आदर्श अस्पताल तथा क.रा.बी. निगम अस्पताल व क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय

निगम ने दिनांक 14.12.2001 को सम्पन्न अपनी बैठक में चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाने और राज्य सरकारों द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक आदर्श अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार, क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल के रूप में संचालन करने के लिए राज्य के कम-से-कम एक अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया गया या राज्य में एक नया अस्पताल निर्मित (स्थापित) किया गया। आदर्श अस्पतालों के अलावा, निगम ने कुछ राज्य अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लिया है/राज्य में नए अस्पतालों की स्थापना की है और ये सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

2.2.5 राज्य सरकारों को भुगतान

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 10.09.2021 को आयोजित अपनी 185वीं बैठक में राज्य सरकार को लेखागत अदायगी की सम्पूर्ण नीति को परिशोधित किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

i) **वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बाद से निधि आबंटन/जारी करने की रीति:**

क. प्रति बीमाकृत व्यक्ति ₹3000/- प्रति वर्ष की कुल उच्चतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि, ₹3000/- की इस व्यापक उच्चतम सीमा के अंतर्गत विभिन्न उच्चतम उप-सीमा को निम्नानुसार परिशोधित किया गया है:-

- i. चिकित्सा देखभाल व्यय के लिए हकदारी पर वार्षिक उच्चतम सीमा को "प्रशासन" शीर्ष के अंतर्गत व्यय करने के लिए ₹1300/- की उच्चतम उप-सीमा सहित मौजूदा ₹2150/- से बढ़ाकर ₹2600/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष किया जाएगा।
- ii. परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपि) के अंतर्गत व्यय हेतु ₹200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की हकदारी।
- iii. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के क.रा.बी. अस्पतालों और औषधालयों में क.रा.बी. निगम धन्वन्तरी मॉड्यूल के कार्यान्वयन की सीमा के आधार पर यथानुपात आधार पर ₹200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की हकदारी।

ख. समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 70 प्रतिशत से अधिक बिस्तर अधिभोग वाले सभी राज्यों के क.रा.बी. अस्पतालों को ₹3000/- की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में ₹200 प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की अतिरिक्त हकदारी।

2.2.2 OCCUPATIONAL DISEASES CENTRE

The Corporation has set up Occupational Disease Centers at E.S.I. Hospital, K.K. Nagar, Chennai, (Tamil Nadu), E.S.I. Hospital Joka (W.B.), E.S.I. Hospital Andheri (Mumbai), E.S.I Hospital Indore (M.P.) and E.S.I. Hospital, Basaidarapur (Delhi).

2.2.3 MEDICAL EDUCATION PROJECTS

Budget provisions are being made to meet the ongoing expenditure in medical education institutions, till their take over by State Govts. for making them centres of excellence for super specialty treatment.

2.2.4 MODEL HOSPITALS & ESIC HOSPITALS AND ESIC MEDICAL COLLEGES.

The ESI Corporation in its meeting held on 14.12.2001 decided to set up Model Hospitals in each state, to improve the quality of medical care, and also to serve as a benchmark for the Hospitals run by the State Governments. In accordance with this decision, at least one hospital in a State was taken over or a new hospital was constructed in the State to be run as ESIC Model Hospital. In addition to the model hospitals, the Corporation has taken over some of the State hospitals/ constructed new hospitals in the States and they are being run directly by ESIC.

2.2.5 PAYMENT TO STATE GOVERNMENTS:

The ESI Corporation in its 185th meeting held on 10.09.2021 revised entire policy on account payment to State Government as detailed below: -

i) Modalities for fund allocation/release for FY 2021-22 onward:

a. No change in overall ceiling of ₹ 3,000/- per IP per annum. However, various Sub- ceiling under this broader ceiling of ₹ 3000/- have been revised as under: -

   i. Annual ceiling on entitlement for medical care expenditure to be enhanced to ₹ 2,600 per IP per annum from existing ceiling of ₹ 2150/- with maximum sub ceiling of ₹ 1300 for expenditure under "Administration" head.
   ii. Entitlement of ₹ 200 per IP per annum for incurring expenditure under Project Implementation Plan (PIP).
   iii. Entitlement of ₹ 200 per IP per annum on pro-rata basis based on extent of implementation of ESIC Dhanwantari module in State ESI hospitals & dispensaries during previous financial year.

b. Additional Entitlement of ₹ 200 per IP per annum as incentive, over and above the ceiling of ₹ 3000/- where bed occupancy in all the State ESI Hospitals is more than 70% during the concluded financial year.

ग. निवारक एवं उन्नायक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत व्यय के लिए ₹3000/- की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष 20/- रुपये की अतिरिक्त हकदारी।

ii) राज्य क.रा.बी. योजनाओं को "लेखागत अदायगी" (ऑन अकाउण्ट) के लिए बजट प्राक्कलन (बीई) के परिकलन की रीति।
माह मार्च और अक्टूबर में राज्य सरकार के साथ बैठक में निधि जारी करने और व्यय की समीक्षा के साथ-साथ बजट प्राक्कलन के अनुमोदन पर भी विचार किया जाएगा।

पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक प्रति बीमाकृत व्यक्ति व्यय के औसत के आधार पर राज्य क.रा.बी. योजनाओं की हकदारी का प्राक्कलन किया जाएगा। चिकित्सा व्यय की उच्चतम सीमा को ₹2,150/- से बढ़ाकर ₹2,600/- करने के प्रस्ताव के कारण (जो लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि है), वित्तीय वर्ष 2021-2022 को बजट प्राक्कलन (बीई) करने के लिए वास्तविक प्रति बीमाकृत व्यक्ति व्यय के औसत को 21 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

आगामी वित्तीय वर्षों के बजट प्राक्कलन (बीई) की गणना के लिए, मुद्रास्फीति और बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्तमान उच्चतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के औसत में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

यदि राज्य सरकार वर्ष के लिए अनुमोदित बजट प्राक्कलन के अलावा अपने समग्र व्यय (हकदारी) के अंदर रहते हुए अतिरिक्त निधि आबंटन के इच्छुक हैं तो वह परिशोधित प्राक्कलन के प्रयोजन के लिए व्यय के विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र सहित औचित्य के साथ 31 अक्टूबर तक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए महानिदेशक के समक्ष रखा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, किसी भी वित्तीय वर्ष के कुल अनुमोदित बजट में से राज्यों के बीच बजट के पुनर्विनियोजन को अनुमोदित करने के लिए महानिदेशक को अधिकृत किया गया है।

राज्यों को लेखागत अदायगी के लिए परिशोधित प्राक्कलन 30 नवम्बर तक तैयार किया जाना चाहिए और विस्तृत अनुदेशों और दिशा-निर्देशों सहित बजट प्रावधान परिपत्र आगामी वित्तीय वर्ष से पूर्व 15 दिसम्बर तक जारी किया जाएगा।

iii) "लेखागत अदायगी" जारी करने की प्रस्तावित रीति।
लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात बजट प्राक्कलन का 10 प्रतिशत रखने के बाद, उपर्युक्त परिकलित बजट प्राक्कलन (बीई) में से जारी करने के लिए बजट प्राक्कलन का 90 प्रतिशत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 15 अप्रैल और अक्टूबर तक दो किश्तों में निम्नानुसार जारी किया जाएगा:

- पहली किश्त (अप्रैल से सितंबर): बजट प्राक्कलन के 90 प्रतिशत का 50 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में अप्रयुक्त निधि के समायोजन के बाद (यदि कोई हो) जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से पूर्व एक वर्ष के लिए राज्य क.रा.बी. योजना को प्रदान किया गया था जो इसके उपयोगिता (प्रयुक्त) प्रमाणपत्र के माध्यम से दर्शाया गया है, 15 अप्रैल तक जारी किया जाएगा। अप्रयुक्त प्रमाणपत्र (यूसी) की देय तिथि अगले वर्ष की 30 सितम्बर होगी।
- दूसरी किश्त (अक्टूबर से मार्च): बजट प्राक्कलन के 90 प्रतिशत का शेष 50 प्रतिशत 15 अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। दूसरी किश्त जारी करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए:
  क) यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से पूर्व एक वर्ष के अव्ययित शेष पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय होता है, जो उपयोगिता (प्रयुक्त) प्रमाणपत्र (अगले वर्ष की 30 सितंबर देय तिथि है) के माध्यम से दर्शाया गया है, ऐसे मामले में दूसरी किश्त के अलावा पहली किश्त के दौरान किया गया समायोजन भी जारी किया जाए।
  ख) यदि वित्तीय वर्ष के अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक में यह पता चले कि पहली किश्त की जारी निधि का 50 प्रतिशत 30 सितम्बर के अंत तक खत्म नहीं हुआ है, तो दूसरी किश्त समानुपातिक आधार पर दी जाए।

c. Additional entitlement of ₹20 per IP per annum, over and above the ceiling of ₹3,000/- for expenditure under preventive and promotive health services.

ii) Modalities for Calculation of Budgetary Estimates (BE) for "On Account" payment to State ESI Schemes.

The release of funds and review of expenditure as well approval of BE will be made in the meeting with the State Govt. in the month of March & October.

Entitlement of State ESI Schemes shall be estimated based on average of actual per IP expenditure incurred during last three completed financial year. As increase in medical expenditure ceiling is proposed from ₹2,150/- to ₹2,600/- (which is around 21% increase), the average of actual per IP expenditure will be enhanced by 21% to arrive at budgetary estimate (BE) for FY 2021-22.

For calculation of Budgetary Estimate (BE) of subsequent financial years, average of actual expenditure will be enhanced by 10% considering cost of inflation and increase in nos. of lPs subject to prevailing maximum ceiling

In case the State Govt. desires additional allocation of funds over and above the approved BE for the year but within its overall entitlement, it may submit a proposal with justification with details of expenditure and utilization certificate for the purpose of Revised Estimate by 31st October. The proposal will be submitted before Director General for approval.

Further, the Director General has been authorized to approve re-appropriation of budget among States from within the total approved budget for any financial year.

The preparation of the revised estimates for On Account payment to State should be done by 30th November and budgetary provision circular with details instructions and guidelines will be issued by 15th December prior to subsequent financial year.

iii) Proposed Modalities for release of "On Account" payment.

Out of the calculated budgetary estimate (BE) as above, after holding 10% of BE for release subsequent to submission of Audit certificate, 90% shall be released in two instalments by the 15th of April and October, by concerned Regional office as per following:

- First Instalment (April to September): 50% of 90% of BE shall be released by 15thApril after adjustment for unutilized fund (if any) which was provided to State ESI Scheme for one year prior to preceding financial year as reflected through its utilization certificate. Due date for UC will be 30thSeptember of following year.
- Second Instalment (October to March): Remaining 50% of 90% of BE shall be released by 15thOctober. While releasing 2nd instalment following may be taken care of:
  a) In case of unspent balances of one year prior to the preceding F.Y. get spent in previous F.Y. as reflected through utilization certificate (due date is 30th Sept of following year), adjustment made during 1stinstalment may also be released in addition to 2nd instalment.
  b) In case in the review meeting with State in the 1stweek of October of financial year, it is revealed that the 50% of fund released during 1st instalment has not been exhausted till the end of 30thSept, 2ndinstalment may be given on proportionate basis.

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 से जारी की गई किश्त की राशि और उपयोगिता (प्रयुक्त) प्रमाणपत्र का समायोजन निम्नानुसार किया जाएगा:

पहली किश्त: अप्रैल 2021 के दौरान जारी - वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रयुक्त प्रमाणपत्र।
पहली किश्त: अप्रैल 2022 के दौरान जारी - वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रयुक्त प्रमाणपत्र।
पहली किश्त: अप्रैल 2023 के दौरान जारी - वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रयुक्त प्रमाणपत्र और इसी प्रकार।

- **अतिरिक्त किश्त:**

राज्य सरकार को उपर्युक्त पैरा 'ख' में यथा उल्लिखित परिशोधित प्राक्कलन के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निधि की अतिरिक्त मांग की अनुमति दी गई है। अतिरिक्त निधि, यदि अनुमोदित हो, उसी वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक जारी की जाएगी बशर्ते, वर्ष का कुल आबंटन उच्चतम उप-सीमा सहित उच्चतम सीमा राशि की हकदारी के अंदर हो।

- **अन्य शीर्ष के लिए कोई उप-सीमा नहीं:**

50:50 के अनुपात में वेतन पर आधिक्य व्यय को नियंत्रित करने के प्रयास में वर्तमान में राज्यों को प्रशासनिक एवं अन्य (औषधि एवं मरहम पट्टी आदि) की उप-सीमा के भीतर भुगतान किया जाता है। ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां कुछ राज्य अन्य (शीर्षों) पर हकदारी की उच्चतम उप-सीमा से अधिक व्यय कर रहे हैं। अब यह अनुमोदित किया गया है कि अन्य की उच्चतम सीमा को सीमित न किया जाए, बशर्ते प्रशासनिक व्यय पर उच्चतम सीमा के साथ बीमाकृत व्यक्तियों को सेवा पर व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र हकदारी उच्चतम सीमा के भीतर जारी रखी जाए।

- **परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) निधि किश्त**:

परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) निधि के लिए राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 15 अक्टूबर तक अग्रिम योजना प्रस्तुत करेगी। क.रा.बी. निगम मुख्यालय स्तर पर इसकी जांच की जाएगी और महानिदेशक से अनुमोदन मिलने के बाद आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 31 दिसंबर तक राज्य सरकार को संस्वीकृति की सूचना दी जाएगी। परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के मामले में उपयोगिता (प्रयुक्त) प्रमाणपत्र पूर्ववर्ती वर्ष से पूर्व की 12 महीने की अवधि पर विचार करके लिया जाए। जबकि राज्यों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संस्वीकृति की सूचना वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व दी जाएगी। निधि सालभर में जारी की जाएगी, इसके बावजूद कि 90 प्रतिशत की कोई उच्चतम सीमा को ध्यान में रखते हुए लेखागत अदायगी, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के साथ लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

- **पूर्ण और अंतिम निपटान**:

राज्य क.रा.बी. योजना द्वारा विभिन्न उप-शीर्षों और व्यापक उच्चतम सीमा के अध्यधीन व्यय की गई शेष राशि को जारी करने के लिए संबंधित वित्तीय वर्षों का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।
इसके अलावा, उपर्युक्त नीति में अतिविशिष्टता उपचार पर व्यय का प्रावधान सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि क.रा.बी. निगम ने दिनांक 07.08.2015 को आयोजित अपनी 166वीं बैठक में हितलाभार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का अवलोकन किया तथा निर्णय लिया कि अति-विशिष्टता उपचार के व्यय को सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

Further, the adjustment of released instalment amount and utilisation certificate from financial year 2Q21-22 onwards will be carried out as under:

1st instalment: Released during April, 2021 — UC of FY 2019-20.

1st Instalment: Released during April, 2022 — UC of FY 2020-21.

1st Instalment: Released during April, 2023 — UC of FY 2021-22 and so on.

- **Additional instalment**:

  The State Govt. has been allowed to submit additional requirement of fund through submission of revised estimate as explained in Para B above. Additional fund, if approved, shall be released by 31stDecember of the same financial year subject to total allocation of the year being within the entitlement of ceiling amount including sub-ceiling.

- **No sub-ceiling for Others head**:

  At present payment to States are done within a sub- ceiling of Administration & Others (Drugs & Dressing etc.) in an effort to control excess expenditure on salaries in the ratio of 50:50. Instances have been seen where some of the State are incurring expenditure on Others above the sub-ceiling entitlement. Now It has been approved that the ceiling of Others may not be restricted subject to within the overall entitlement ceiling to encourage expenditure on service to IPs with ceiling on Administrative expenditure to continue.

- **PIP Fund Instalment**:

  To avail the Project Implementation Plan (PIP) fund, the State Government shall submit plan in advance by 15thOct for subsequent financial year. This will be examined at ESIC Hqrs' level and after getting approval from Director General, the sanction will be communicated to State Government by 31 Dec for subsequent financial year. Utilisation Certificate in case of PIP may be taken by considering period of 12 months before preceding year. While sanction for the subsequent financial year will be communicated to the States before commencement of the financial year, the release will be spread over the year irrespective of any ceiling of 90% with audit certificate to be furnished with On Account payment audit certificate.

- **Full & final Settlement**:

  Audit certificate of concerned financial years shall be required for release of balance fund spent by State ESI Scheme subject to various sub-heads and broader ceiling.

Further, above policy does not contain the provisions towards expenditure on super specialty treatment as the ESI Corporation it its 166th meeting held on 07.08.2015 took stock of the difficulties being faced by the beneficiaries and decided that the expenditure on super specialty treatment would be borne directly by the ESI Corporation.

2.2.6 अतिविशिष्टता उपचार

क.रा.बी.निगम पूरे भारत में 2270 टाई-अप अस्पतालों (टीयूएच) के माध्यम से एसएसटी सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें मई 2017 से वेंडर की सेवाओं को बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (बीपीए) के रूप में शामिल किया गया है। धन्वन्तरी और यूटीआई मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन रेफरल किए जाते हैं। भुगतान में पारदर्शिता लाने और टाई अप अस्पतालों को नियत समय पर भुगतान करने के लिए इस सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। पिछले कुछ समय से बिलों के निपटान में कुछ देरी देखी गई है और आगे बिल निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, ताकि बीमाकृत व्यक्तियों की सेवाएं बाधित न हों, निगम ने 07 जनवरी, 2020 को सम्पन्न अपनी 180वीं बैठक में निम्नलिखित परिवर्तनों को अनुमोदित किया है:

बिलों का प्रकार	अग्रिम भुगतान	पूर्व-भुगतान प्रोसेसिंग (प्रक्रमण)	भुगतान पश्चात् संवीक्षा (यूटीआई एवं आईसीटी द्वारा विकसित किए गए बिल मॉड्यूल के सिस्टम जनित यादृच्छिक चयनित बिल)
सीजीएचएस पैकेज बिल	यूटीआई द्वारा अनुशंसित राशि का 100 प्रतिशत	शून्य	• प्रत्येक 1 लाख की राशि के कम से कम 10 प्रतिशत बिल। • प्रत्येक 1 लाख की राशि से अधिक के कम से कम 50 प्रतिशत बिल।
गैर-सीजीएचएस पैकेज बिल	यूटीआई द्वारा अनुशंसित राशि का 80 प्रतिशत	यूटीआई द्वारा अनुशंसित राशि का शेष 20 प्रतिशत जारी करने से पहले सम्पूर्ण संवीक्षा	शून्य

इन परिवर्तनों से सिस्टम में आवश्यक तरलता आएगी और बाधाएं दूर होंगी।

बीपीए मॉड्यूल का पंचदीप मॉड्यूल के साथ समाकलन करने के बाद, बिल समाशोधन प्रक्रिया में तेजी लाने और सुचारु संचालन हेतु सभी क्षेत्र इकाइयों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बीपीए, क.रा.बी.निगम की आवश्यकता के अनुसार अपने अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) को निरंतर रूप से उन्नत कर रहा है। साथ ही, सभी पणधारियों के लिए सुचारु संचालन और बेहतर पारदर्शिता के लिए कई परिवर्तनों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

2.2.7 <u>नई पहलें :-</u>

जिन स्थानों पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए निगम की अपनी अवसंरचना नहीं है, वहाँ के नए नामांकित बीमाकृत व्यक्तियों की प्राथमिक देखभाल सेवा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय (एम-ई.यू.डी.) तथा आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (एम-आइ.एम.पी.) योजना का विस्तार बीमाकृत व्यक्तियों की आवश्यकताओं की दृष्टि से प्राथमिक देखरेख सेवाएं प्रदान करने का प्रबंध किया गया है। द्वितीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रतिष्ठित निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं के साथ टाई-अप करने के लिए पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है। इसके अलावा, जिला स्तर पर रेफरल एवं प्रतिपूर्ति के लिए सभी टाई-अप व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने हेतु प्रत्येक जिले में औषधालय सह शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) स्थापित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, नए क्रियान्वित क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु क.रा.बी.निगम ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ एक समझौता किया है ताकि क.रा.बी.निगम हितलाभार्थियों की पहुंच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के नामिकागत अस्पतालों तक संभव हो सके। कर्मचारी राज्य बीमा हितलाभार्थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य

2.2.6 SUPER SPECIALITY TREATMENT: -

ESIC is providing SST services through 2270 tie-up hospitals (TUHs) across India wherein services of vendor have been taken on board as a Bill Processing Agency (BPA) since May 2017. Referrals are generated through Dhanwantri and UTI module online. Payments through this system are being monitored online to bring transparency and timely payment to the TUH. Over a period of time, some amount of pendency in clearing bills has accumulated and in order to further streamline the process of bill clearance, so that services to insured persons are not disrupted, the Corporation in its 180th meeting held on 07th January 2020 has approved the following changes:

Types of Bills	Upfront Payment	Pre-Payment processing	Post payment scrutiny (system generated random selection of bills module developed by UTI & ICT)
CGHS package bills	100% of the UTI recommended amount	NIL	• At least 10% of bills less than 1 lakh each. • At least 50% of bills more than 1 lakh each.
Non CGHS package bills	80% of the UTI recommended amount	Full scrutiny before release of balance 20% of UTI recommended amount.	Nil

These changes are expected to impart the necessary fluidity to the system and prevent bottlenecks.

Post integration of BPA module with Panchdeep modules, regular training and capacity building are being provided to all the field units for smooth functioning and expediting the bill clearing process.

BPA is continually upgrading its application as per requirement of ESIC along with various changes being implemented for smooth functioning and better transparency for all stakeholders.

2.2.7 NEW INITIATIVES: -

Medical services for newly enrolled IPs at places where Corporation do not have its own infrastructure for health care delivery, modified Employer Utilization Dispensary (m-EUD) & modified Insurance Medical Practitioner (m-IMP) scheme have been extended to cater to Primary care service requirements of IPs. For providing secondary care medical services, Regional Offices concerned, have already been authorised to tie-up with reputed private health care institutions. Apart from this, DCBOs are being established in each district in order to oversee all tie-ups for referral and reimbursement at district level.

योजना के देश भर के नामिकागत अस्पतालों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) का भी लाभ उठा सकेंगे और दूसरा पक्ष भी इसी प्रकार लाभ ले सकेगा। यह भी आशा की जाती है कि क.रा.बी.निगम के अल्प उपयोगी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में वृद्धि होने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे स्थानों में बुनियादी ढांचे तथा सुविधाओं की बेहतरी को बल मिलेगा।

क.रा.बी. निगम की दिनांक 13.09.2019 को आयोजित 178वीं बैठक में लिए गए निर्णय के बाद क.रा.बी. निगम ने पीएमजेएवाई नामिकागत अस्पतालों के माध्यम से क.रा.बी. हितलाभार्थियों को नकद रहित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के 152 जिलों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के साथ सहयोग किया है।

ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. और क.रा.बी. योजना के परस्पर समझौते के मुख्य लाभ

1. ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. के तहत स्वास्थ्य देखरेख प्रदाता तक क.रा.बी.निगम हितलाभार्थियों को पहुंच प्राप्त होगी।
2. ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. लाभार्थी क.रा.बी. निगम नामिकागत अस्पतालों में सेवाएं पाने में सक्षम होंगे।
3. क.रा.बी. निगम के हितलाभार्थी अपने क.रा.बी. योजना कार्ड को ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. नामिकागत अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा के लिए प्रयोग (एक्सेस) कर सकते हैं।
4. इसी प्रकार ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. के लाभार्थी अपना पी.एम.जे.ए.वाई. कार्ड अल्प उपयोग में आ रहे क.रा.बी. निगम अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा के लिए प्रयोग (एक्सेस) कर सकते हैं।

क.रा.बी.निगम ने दिनांक 07.12.2020 को आयोजित अपनी 183वीं बैठक में निर्णय लिया कि ऐसे क्षेत्र, जहां क.रा.बी.निगम अवसंरचना 10 किमी. की परिधि में उपलब्ध नहीं है, क.रा.बी. लाभार्थी ओ.पी.डी. सेवाओं के लिए चिकित्सकीय परामर्श सीधे क.रा.बी.निगम नामिकागत अस्पताल से अथवा क.रा.बी. औषधालय अथवा अस्पताल से रेफरल किए जाने की आवश्यकता के बगैर आयुष्मान भारत से ले सकते हैं। ऐसे मामलों में यदि आंतरिक उपचार की आवश्यकता होती है तो नामिकागत अस्पताल ऑनलाइन पद्धति के द्वारा क.रा.बी. के अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी से समयबद्ध रूप से अनुमति लेंगे।

2.8.1 नकद हितलाभ :

बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी, कुछेक विनिर्दिष्ट रोगों के कारण विस्तारित बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट से उत्पन्न अस्थायी या स्थायी निःशक्तता की आकस्मिकताओं में नकद हितलाभ तथा किसी व्यवसाय जन्य रोग या रोजगार चोट के फलस्वरूप यदि किसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के जीवित सदस्य(यों) को पेंशन के रूप में आश्रितजन हितलाभ का भुगतान किया जाता है। अंत्येष्टि खर्च भी दिया जाता है। क.रा.बी.निगम ने दिनांक 18.9.2018 को आयोजित अपनी 175वीं बैठक में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय वर्तमान अंत्येष्टि व्यय राशि ₹10,000/- से बढ़ाकर ₹15,000/- कर दी है जो दिनांक 01.05.2019 से प्रभावी है। कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 54 से 59 में निर्धारित दरों पर इन हितलाभों का भुगतान किया जाता है। दिनांक 27-10-2020 से क.रा.बी. औषधालयों/अस्पताल के बाहर होने वाले प्रसव के व्यय की राशि को भी ₹5000/- से बढ़ाकर ₹7,500/- तक किया गया है।

Moreover, to ensure the availability of medical care in newly implemented areas, ESI Corporation has already entered into an MoU with National Health Authority (NHA) to enable ESIC beneficiaries to access services of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PMJAY) empanelled hospitals. ESI beneficiaries shall also be able to avail benefits from portability of services provided by AB PM-JAY empanelled hospitals across the country and vice versa. It is expected that this relation would further create higher demand for health services at under-utilized hospitals of ESI Corporation and consequently support the improvement of infrastructure and facilities at such places.

Subsequent to decision taken in 178th ESI Corporation meeting held on 13.09.2019, ESIC has collaborated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY) in 152 districts of the country for providing cashless medical services to ESI Beneficiaries through PMJAY empanelled hospitals

Key Benefits of AB PM-JAY and ESIS Convergence

1. ESIC beneficiaries will get access to healthcare providers under AB PM-JAY.
2. AB PM-JAY beneficiaries will be able to avail services in ESIC empaneled hospitals.
3. Beneficiaries of ESIC can use their ESIS card to access free treatment at AB PM-JAY empaneled hospitals.
4. Similarly, beneficiaries of AB PM-JAY can use their PM-JAY card to access free treatment at ESIC under-utilized hospitals.

The ESI Corporation in its 183rd meeting held on 07.12.2020 decided that in areas where ESI infrastructure is not available within a radius of 10 kms, the ESI beneficiaries can avail medical consultation for OPD services directly from a hospital empanelled with ESIC or with Ayushman Bharat without the need for referral from an ESI dispensary or hospital. In such cases if admission for indoor treatment is required, the empanelled hospital will obtain time bound permission from the ESI approving authority through an online system.

2.8.1 CASH BENEFITS:

Cash benefits are paid to insured persons in adverse contingencies of sickness or extended sickness on account of certain specified diseases, maternity, temporary or permanent disablement arising out of an employment injury and dependants' benefit to the surviving member(s) of the family, if an insured person who dies as a result of an occupational disease or an employment injury. Funeral Expenses are also met. The ESI Corporation in its 175th meeting held on 18.09.2018 has enhanced the Funeral Expenses from existing ₹ 10,000/- to ₹ 15,000/- w.e.f. 01.05.2019 being paid on the death of Insured Person. The rates at which these benefits are payable are prescribed in Rules 54 to 59 of the E.S.I. (Central) Rules, 1950. Confinement expenses taking place outside ESI Dispensaries/hospital from ₹ 5,000/- to ₹ 7,500/- w.e.f. 27.10.2020.

2.8.2 राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

इस योजना में चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के साथ-साथ बीमायोग्य रोजगार की 5 वर्ष की न्यूनतम अर्हक अवधि के बाद कारखाना के बंद होने पर 6 महीनों की अधिकतम अवधि हेतु बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए एक योजना पर विचार किया गया और निगम द्वारा अनुमोदन दिया गया है जो दिनांक 01.04.2005 से लागू है। आगे, हितलाभों की आवधिकता 24 (चौबीस) महीने की अधिकतम अवधि तक विस्तारित की गई है तथा हकदारी की शर्त के रूप में बीमायोग्य रोजगार की अवधि भी घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी भत्ते के दावे के प्रस्तुतीकरण की अवधि भी दिनांक 01.07.2010 से 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दी गई है। हितलाभ की दर प्रथम 12 माह के लिए औसत दैनिक मजदूरी का 50% है और अगले 13 से 24 महीनों के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25% है, जिसका दिनांक 06.09.2016 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 169वीं बैठक के दौरान निर्णय किया गया है।

2.8.3 अटल बीमाकृत व्यक्ति कल्याण योजना

क.रा.बी.निगम ने दिनांक 18.09.2018 को अपनी 175 वीं बैठक में बीमाकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने वाले “अटल बीमाकृत व्यक्ति कल्याण योजना” को अनुमोदन दे दिया था, जिसकी योग्यता शर्तों के अधीन है, जो बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक प्रतिदिन औसत कमाई के 25 प्रतिशत तक नकद प्रतिपूर्ति के रूप में बीमाकृत व्यक्तियों को जीवन में एक बार भुगतान किया जाता है। प्रारंभ में प्रायोगिक तौर पर यह योजना पूरे भारत में दो वर्ष के लिए लागू की गई। क.रा.बी.निगम ने दिनांक 20.08.2020 को अपनी 182 वीं बैठक में इस योजना को छह महीने के लिए अर्थात् दिनांक 01.07.2020 से बढ़ाकर 31.12.2020 तक और कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हो चुके बीमाकृत व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए, बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक कमाई के 50% तक राहत की दर को बढ़ाया और दिनांक 24.03.2020 से 31.12.2020 के दौरान बेरोजगार हो गए बीमाकृत व्यक्तियों के लिए योग्यता अंशदायी और अन्य पात्रता शर्तों में शिथिलता प्रदान की।

क.रा.बी.निगम ने दिनांक 07.12.2020 को अपनी 183वीं बैठक में अटल बीमाकृत व्यक्ति कल्याण योजना को और छह महीने अर्थात् दिनांक 01.01.2021 से बढ़ाकर दिनांक 30.06.2021 तक करने का निर्णय लिया है।

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 10.09.2021 को आयोजित अपनी 185वीं बैठक में इस योजना को अंशदायी और अन्य पात्रता शर्तों में ढील के साथ दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022 तक विस्तारित किया है।

2.8.4 क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना

कोविड-19 के कारण मरने वाले बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को मदद और सहायता प्रदान करने के लिए अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने ‘क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना’ को अनुमोदित किया। यह योजना बीमाकृत व्यक्तियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय है जिसे दिनांक 24.03.2020 से दो वर्षों के लिए लागू किया गया है तथा यह योजना कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को राहत प्रदान करती है। कोविड-19 के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, बीमाकृत व्यक्ति के आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को आवधिक भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है। योजना की पात्रता शर्त के अनुसार, मृतक बीमाकृत व्यक्ति कोविड-19 रोग के निदान की तिथि को रोजगार में होना चाहिए तथा कम से कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान किया गया/देय होना चाहिए। कोविड-19 रोग के निदान से तुरंत पहले जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, अधिकतम एक वर्ष के दौरान उसके संबंध में अंशदान

2.8.2 RAJIV GANDHI SHRAMIK KALYAN YOJNA

A scheme to provide medical benefits as well as unemployment allowance up-to a maximum period of six months after a minimum qualifying period of five years of insurable employment on closure of factories was conceived and approved by the Corporation which is in force w.e.f. 1.4.2005. Further, the periodicity of benefits has been extended to a maximum period of twenty-four months and the period of insurable employment as a condition for entitlement has also been reduced to 3 years. Also, the period of submission of claim for Unemployment Allowance has been enhanced from 6months to 9 months w.e.f. 1.07.2010. The rate of benefit is 50% of the average daily wages for first 12 months and 25% of the last average daily wage for next 13 to 24 months which has been decided during 169th meeting of ESI Corporation held on 06.09.2016.

2.8.3 ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA

The ESI Corporation in its 175th Meeting on 18.09.2018 had approved the "ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA" providing relief to the IPs, subject to qualifying conditions, in the form of cash compensation to the extent of 25*percent*of the average per day earning paid up to a maximum of 90 days of unemployment, once in a lifetime of IPs. Initially the Scheme was started w.e.f. 01.07.2018 on Pan India pilot basis for a period of two years.

The ESI Corporation in its 182nd meeting on 20.08.2020 extended the scheme for six months i.e. from 01.07.2020 to 31.12.2020 and to provide benefit to the IPs who have become unemployed during COVID-19 pandemic, enhanced the rate of relief to 50 percent of the average daily earning of the IP and relaxed the qualifying contributory and other eligibility conditions for the IPs who became unemployed during 24.03.2020 to 31.12.2020.

The ESI Corporation in its 183rd meeting on 07.12.2020 has decided to further extend the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for another six months i.e. from 01.01.2021 to 30.06.2021.

The ESI Corporation in its 185th meeting on 10.09.2021 extended the scheme for the period 01.07.2021 to 30.06.2022 with the relaxed contributory and other eligibility conditions.

2.8.4 ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME

In order to provide help and succour to the families of the IPs who died due to COVID-19, the Chairman, ESIC approved the 'ESIC COVID-19 Relief Scheme', This scheme is a welfare measure for IPs made effective for a period of two years w.e.f. 24.03.2020 and it provides relief to the dependants of the IP in case of his/her death due to COVID-19. In case of death of IP due to COVID-19, the eligible dependant's family members of IP are paid periodic payments directly to the bank account. As per the eligibility condition of the scheme, the deceased IP must have been in employment on the date of diagnosis of COVID-19 disease and contributions for at least 70 days should have been paid or payable in respect of him / her during a period of maximum one year immediately preceding the

दिया/देय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत बीमाकृत व्यक्ति के रिश्तेदार मृतक बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत के बराबर राशि का आवधिक भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जिसे राहत की पूर्ण दर कहा जाएगा। चूंकि, इस योजना को चालू वित्त वर्ष अर्थात 2021-22 के लिए लागू किया गया है और इसीलिए, इस योजना को वर्ष 2021-2022 के लिए अनुपूरक बजट प्राक्कलन तथा वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन के रूप में रखा गया है।

2.9 प्रशासनिक खर्च:

प्रशासनिक व्यय में "वेतन एवं भत्ते" एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति हितलाभ शामिल हैं तथा कार्यालय प्रबंधन पर सामान्य व्यय का प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) 7वें वेतन आयोग के प्रभाव के दृष्टिगत वस्तुओं की कीमतों और सेवा की लागत में सामान्य वृद्धि तथा भर्तियों को ध्यान में रखते हुए दर्शाया गया है। तथापि, किफायती उपायों को ध्यान में रखा गया है।

केंद्र सरकार ने वर्ष 1997-98 से कुल राजस्व आय का 15 प्रतिशत नियम 31ए के तहत प्रशासनिक खर्चों का प्रतिशत निर्धारित किया है।

2.10 पूंजीगत निर्माण निधि

निगम ने 2 फरवरी, 1974 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया था कि नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त कुल राजस्व का 10% अस्पतालों, औषधालयों तथा अन्य चिकित्सा संस्थाओं और कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टर्स (कार्मिक आवास) के निर्माण के लिए पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा। इसके पश्चात्, दिनांक 19 फरवरी, 1983 को सम्पन्न निगम की बैठक में, यह निर्णय लिया गया था कि इस व्यवस्था को कम कर अंशदान का 5% कर दिया जाए। फिर, दिनांक 17.12.2004 को सम्पन्न निगम की 129वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि दिनांक 01.04.2005 से इस धन व्यवस्था को घटाकर अंशदान का 1% कर दिया जाए। तत्पश्चात्, निगम की दिनांक 19.02.2019 को आयोजित 177वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पांच वर्षों के लिए निधि में कोई और परिवर्धन नहीं किए जाएंगे।

2.11 आकस्मिकता आरक्षित निधि

दिनांक 17 मार्च 1973 को आयोजित निगम के बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राजस्व खाते के आय के अतिरिक्त रकम का 20% न्यूनतम ₹100 लाख (यदि यह रकम ₹100 लाख से कम हो तो सम्पूर्ण अतिरिक्त रकम) इस निधि में जमा की जाएगी। दिनांक 27/28 नवम्बर,1986 को स्थायी समिति तथा निगम की संपन्न बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि इस निधि में बकाया राशि केवल ₹7500 लाख तक सीमित रखी जानी चाहिए।

diagnosis of COVID-19 disease resulting in death. Further under this scheme the relatives of the IP shall be eligible to receive periodical payments equivalent amount of 90 percent of the average daily wages of the deceased IP, which will be called as full rate of the relief. Since, this scheme has been introduced in current financial year i.e. 2021-2022 and therefore the same has been placed as Supplementary Budget Estimates for the year 2021-2022 and as Budget Estimates for the year 2022-2023.

2.9 ADMINISTRATIVE EXPENSES:

Administrative expenditure includes "Pay & Allowances" and provision for retirement benefits to administrative employees and expenditure on general office management has been projected keeping in view of 7th pay commission impact, the usual increase in the price of goods and cost of services and recruitments; however, austerity measures have been kept in view.

The Central Government has fixed the percentage of the administrative expenses under Rule 31A as 15 percent of total revenue income with effect from the year 1997-98.

2.10 CAPITAL CONSTRUCTION FUND

The Corporation in its meeting held on 2ndFebruary, 1974 decided that 10% of the total revenue derived from employers' and employees' contribution was to be credited to the Capital Construction Reserve Fund for construction of hospitals, dispensaries, other medical institutions, office buildings and staff quarters. Subsequently, in the meeting of the Corporation held on 19thFebruary, 1983, it was decided to reduce that provision to 5 percent of contribution. Further, in the 129th meeting of the Corporation held on 17.12.2004, it was decided to reduce that provision to 1 percent of Contribution w.e.f. 1.4.2005. Subsequently, it was decided not to make any further additions to the fund for five years in the 177th meeting of the Corporation held on 19.02.2019.

2.11 CONTINGENCY RESERVE FUND

The Corporation in its meeting held on 17thMarch, 1973, decided that 20 percent of the excess of income over expenditure on revenue account subject to a minimum of ₹ 100 Lakhs (whole of the excess when it is less than ₹ 100 Lakhs) was to be credited to this fund. The Standing committee and the Corporation in their meeting held on 27th/28thNovember, 1986 decided that the balance in this Fund should be limited to ₹ 7500 Lakhs only.

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन

I. प्राप्तियाँ :

3.1 पहले अनुमानित ₹ 2033914 लाख रुपये की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए निगम का राजस्व ₹ 2073942 लाख होने का अनुमान है।

अंशदान:

3.2 माह अक्टूबर 2021 तक राजस्व की प्रवृति को ध्यान में रखते हुए, शेष माह के लिए बीमांकन प्राक्कलन के अनुसार प्रवृत्ति तथा पैरा 2.1 में उल्लिखित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए अंशदान से 1450000 लाख रुपये की आय का अनुमान किया गया है। परिशोधित प्राक्कलन में वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अतिरिक्त व्याप्ति, जिलावार कार्यान्वयन पर भी विचार किया गया है। दिनांक 31.3.2022 को कुल अनुमानित व्याप्ति 266.60 लाख कर्मचारी होने की सम्भावना है।

3.3 दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अंशदान तथा ब्याज़ की कुल बकाया राशि ₹ 445969 लाख में से ₹ 194322 लाख फिलहाल विभिन्न कारणों से वसूली योग्य नहीं है। बकाया तथा गैर-वसूली योग्य राशि का ब्योरा निम्नलिखित है:-

क.	**वर्तमान गैर-वसूली योग्य बकाया राशि**		**(₹ लाख में)**
	क)	न्यायालयों में विवादग्रस्त बकाया राशि	147735
	ख)	परिसमापन के अधीन राशि	27400
	ग)	क्लेम कमीशनर के पास लंबित राशि	567
	घ)	ऐसे कारखाने/स्थापनाएं जो बंद हो गई हैं तथा जिनके नियोक्ताओं का अता-पता मालूम नहीं, से देय राशि	18481
	ङ)	ऐसी राशि जिनमें डिक्री प्राप्त हो गई है परन्तु निष्पादित नही हुई	139
		योग	**194322**
ख.	***रुग्ण उद्योगों से देय राशि***		
(i)	ऐसे कारखानों से संबंधित मामले जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बीआइएफआर) से पंजीकृत हैं परन्तु पुनर्वास योजना अभी स्वीकृत की जानी है		12964
(ii)	ऐसे कारखाने/स्थापनाएं जिन्हें रुग्ण घोषित कर दिया गया है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड(बीआइएफआर) द्वारा पुनर्वास योजना स्वीकृत कर दी गई है		9063
ग.	वसूली अधिकारी के पास वसूली हेतु लम्बित वसूली-योग्य प्राप्य राशि		22962
	कुल योग		**445969**

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45-सी से 45-आई के अधीन स्थापित अपने स्वयं के वसूली तंत्र के माध्यम से निगम द्वारा नियोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अधीन यदि अभियोजन तथा दाण्डिक कार्रवाई अपेक्षित है, वहां उचित कार्रवाई भी की गई है।

3.4 ब्याज

परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में अनुमानित और दिखाए गए ब्याज आंकड़े सामान्य आरक्षित निधि, आकस्मिक रिजर्व निधि और पूंजी निर्माण आरक्षित कोष के निवेश पर प्राप्त ब्याज से संबंधित हैं। निर्धारित आरक्षित निधि खाते पर अर्जित ब्याज संबंधित निधि खाते में जमा किया जाता है। अनुमानित कुल ब्याज और इसका विनियोग इस प्रकार है: -

(लाख ₹ में)

	परिशोधित प्राक्कलन (2021-22)
गैर-निर्धारित निधि पर ब्याज	611492
निर्धारित आरक्षित निधि पर ब्याज	197857
कुल	**809349**

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022

I. RECEIPTS:

3.1 The revenue of the Corporation for the current financial year 2021-2022 is estimated at ₹ 2073942 Lakhs as against ₹ 2033914 Lakhs estimated earlier.

CONTRIBUTION:

3.2 The income from contribution has been estimated at ₹ 1450000 Lakhs keeping in view the trend of revenue up to October 2021, trend as per Actuarial estimation for remaining months and keeping the factors mentioned in para 2.1. The revised estimates also consider the additional coverage of employees during the year and district wise implementation. The total estimated coverage as on 31.03.2022 is likely to be 266.60 lakhs employees.

3.3 Out of the total amount of arrears of contribution and interest of ₹ 445969 Lakhs as on 31.3.2021, an amount of ₹ 194322 Lakhs is not recoverable for the present, due to various reasons. Details of arrears and the amount not recoverable are furnished below:

A.	**Arrears not recoverable for the time being**		**(₹ In Lakhs)**
	a)	Amount of arrears disputed in courts	147735
	b)	Amount under liquidation	27400
	c)	Amount pending with claim commissioner	567
	d)	Amount due from factories/Estts. Which have been closed and whereabouts of employers not known	18481
	e)	Amount for which decree obtained but not executed	139
		TOTAL	**194322**
B.	***Dues from sick industries***		
i)	Cases in respect of Factories registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned		12964
ii)	Factories/Establishments which have been declared sick and rehabilitation scheme sanctioned by BIFR		9063
C.	Recoverable due pending for Recovery with Recovery Officer		22962
	GRAND TOTAL		**445969**

The Corporation is vigorously pursuing the recovery of arrears with employers through its own Recovery Machinery set up under Section 45-C to 45-1 of the ESI Act. Prosecution and penal action if felt necessary under the provisions of the E.S.I. Act has also been taken.

3.4 **INTEREST**

The interest figures estimated and shown in the Revised Estimates 2021-2022 are pertaining to interest received on investment of General Reserve Fund, Contingency Reserve Fund and Capital Construction Reserve Fund. The interest accrued on earmarked reserved fund account is credited to the respective fund account. The total interest estimated and its appropriation is as follows: -

(₹ in Lakhs)

	RE (2021-22)
Interest on Non-earmarked Fund	611492
Interest on Earmarked Reserve Fund	197857
Total	**809349**

3.5 क्षतिपूर्ति

परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2021-22 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3.6 किराया, दरें और कर

केवल कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के किराये के संबंध में 1450 लाख रुपये का प्राक्कलन किया गया है। इसमें मुख्यत: स्टाफ से मकान किराए भत्तों (एचआरए) की वसूली प्रमुख है।

3.7 फीस, जुर्माना और जब्ती

परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2021-22 में 3800 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

3.8 चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां

परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2021-22 में 4000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

3.9 विविध प्राप्तियां

परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2021-22 में 3000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

II. व्यय :

वर्ष 2021-2022 के दौरान राजस्व खाते पर व्यय ₹ 1918266 लाख होने का अनुमान किया जाता है जबकि मूल रूप से ₹ 1751319 लाख अनुमानित किया गया। राजस्व व्यय के विवरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) चिकित्सा हितलाभ-

4.1 इस शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रावधान ₹ 1199031 लाख (308.54 लाख बीमाकृत व्यक्तियों के लिए) अनुमानित किया गया है।

4.2 अस्पताल/औषधालय

इस शीर्ष के अंतर्गत धन व्यवस्था में (i) चालू भवन की पूंजीगत लागत (भूमि की लागत रहित) के 1.67% की दर से अस्पताल एवं औषधालय भवनों का मूल्यह्रास (₹ 21905 लाख) और (ii) प्रकल्पित (प्रोजेक्टिड) व्यय पर भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव (₹ 52176 लाख) तथा (iii) अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए किराया तथा नगरपालिका कर (₹ 3000 लाख) शामिल हैं। विशेष मरम्मत पर व्यय मूल्यह्रास आरक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है, जबकि अस्पतालों और औषधालय भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण (आर एण्ड एम) पर किया गया व्यय चिकित्सा हितलाभ व्यय में प्रभारित किया जाता है।

4.3 व्यवसायिक जन्य रोग केंद्र

इन अस्पतालों के प्रचालन का संपूर्ण व्यय क.रा.बी.निगम द्वारा वहन किया जाता है जोकि परिशोधित प्राक्क्लन 2021-2022 में 94165.50 लाख रुपये है।

4.4 चिकित्सीय शिक्षा परियोजनाएं

वर्ष 2021-2022 में बजट प्रावधान 83390 लाख रुपये (चिकित्सीय शिक्षा संस्थान भवनों और अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास सहित) किया गया है।

3.5 **COMPENSATION**

No provision has been made in the Revised Estimates 2021-2022.

3.6 **RENT, RATES AND TAXES**

Only rent in respect of Office buildings and staff quarters amounting to ₹ 1450 Lakhs has been estimated, chiefly on account of HRA recoveries from staff.

3.7 **FEES, FINES & FORFEITURES**

An amount of ₹ 3800 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2021-2022.

3.8 **MEDICAL EDUCATION RECEIPTS**

An amount of ₹ 4000 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2021-2022.

3.9 **MISCELLANEOUS RECEIPTS**

An amount of ₹ 3000 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2021-2022.

II. EXPENDITURE:

The expenditure on revenue account during 2021-2022 is estimated at ₹ 1918266 Lakhs as against ₹ 1751319 Lakhs anticipated earlier. The details of revenue expenditure are discussed below:

(A) MEDICAL BENEFIT:

4.1 The total provision under this Head has been estimated at ₹ 1199031 Lakhs (for 308.54 lakhs IPs.).

4.2 **HOSPITAL/DISPENSARIES**

The provision under this head comprises (i) depreciation of hospitals and dispensary buildings (₹ 21905 Lakhs) at the rate of 1.67 *percent* of capital cost (excluding cost of land) of commissioned building and (ii) repair and maintenance of the building (₹ 52176 Lakhs) at projected expense and (iii) Rent & Municipal taxes for hospitals and dispensaries(₹ 3000 Lakhs). The expenditure on special repairs is charged to the Depreciation Reserve Fund while that of R&M of Hospitals & Dispensaries Buildings is charged to medical benefit expenditure.

4.3 **OCCUPATIONAL DISEASES CENTRE**

The entire expenditure on running of these Hospitals is being borne by the E.S.I. Corporation which is ₹ 94165.50 Lakhs for Revised Estimates 2021-2022.

4.4 **MEDICAL EDUCATION PROJECTS**

The Budget provisions for the year 2021-2022 has been done for ₹ 83390 Lakhs (including depreciation on medical education institution buildings and other assets).

4.5 अस्पताल और औषधालयों में आईटी रोल आउट प्रचालन पर व्यय

परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में आईटी रोल आउट के तहत अस्पतालों तथा औषधालयों में कम्प्यूटरीकरण पर 5688 लाख रुपये का प्रावधान है।

4.6 आदर्श अस्पताल और क.रा.बी. निगम अस्पताल व क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय

क.रा.बी. निगम अस्पतालों (आदर्श अस्पतालों सहित) चिकित्सा महाविद्यालय तथा औषधालयों के व्यय का वहन करने हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में ₹504208 लाख तथा बजट प्राक्कलन 2022-2023 में ₹516248 लाख (अति विशिष्टता उपचार तथा उपस्करों की लागत सहित) का प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार दिल्ली तथा नोएडा स्थित औषधालयों तथा निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली के अतिरिक्त 5 व्यावसायिक रोग केन्द्र तथा 43 आदर्श अस्पताल एवं 8 चिकित्सा महाविद्यालय/5 स्नातकोत्तर संस्थाएं क.रा.बी.निगम द्वारा सीधे रूप में संचालित होते हैं और व्यय प्राक्कलन (स्नातकोत्तर संस्थान जहां लागू है, सहित) निम्नानुसार है:

क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल/क.रा.बी.निगम अस्पताल व चिकित्सा महाविद्यालय							
क्र. सं.	अस्पताल/चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 (₹ लाख में)			बजट प्राक्कलन 2022-2023 (₹ लाख में)		
		उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल	उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल
(क)	**व्यावसायिक रोग केंद्र**						
1	जोका	19526.00	296.00	19822.00	20328.00	185.00	20513.00
2	के.के. नगर	19616.00	4500.00	24116.00	22384.00	1200.00	23584.00
3	अंधेरी	9555.00	500.00	10055.00	10005.00	600.00	10605.00
4	नंदा नगर, इंदौर	8351.50	100.00	8451.50	8861.50	150.00	9011.50
5	बसईदारापुर	29521.00	2200.00	31721.00	31023.00	3000.00	34023.00
	कुल (क)	86569.50	7596.00	94165.50	92601.50	5135.00	97736.50
(ख)	**क.रा.बी.नि. अस्पताल**						
1	बेलतला	7609.00	240.00	7849.00	8020.00	250.00	8270.00
2	आश्रमम	9410.00	400.00	9810.00	9860.00	500.00	10360.00
3	राउरकेला	3055.00	100.00	3155.00	3587.00	100.00	3687.00
4	लुधियाना	9415.00	550.00	9965.00	10125.00	550.00	10675.00
5	राजाजी नगर	27780.00	350.00	28130.00	28431.00	350.00	28781.00
6	बापू नगर	9028.00	400.00	9428.00	9329.00	450.00	9779.00
7	सनत नगर अस्पताल	25820.00	3800.00	29620.00	30372.00	4500.00	34872.00
8	जयपुर	9659.00	1100.00	10759.00	10120.00	600.00	10720.00
9	जम्मू	2688.00	70.00	2758.00	2793.00	70.00	2863.00
10	नामकुम	4586.00	0.00	4586.00	4958.00	150.00	5108.00
11	फुलवारीशरीफ	3742.00	150.00	3892.00	3973.00	150.00	4123.00
12	चंडीगढ़	4405.00	250.00	4655.00	4856.00	300.00	5156.00
13	नोएडा	23607.00	200.00	23807.00	24409.00	300.00	24709.00
14	उद्योगमंडल	8155.00	330.00	8485.00	9047.00	350.00	9397.00
15	नरोड़ा	2331.00	150.00	2481.00	2473.00	100.00	2573.00
16	आदित्यपुर	3703.00	100.00	3803.00	3864.00	100.00	3964.00
17	एषुकोण	4864.00	290.00	5154.00	5154.00	200.00	5354.00
18	सनत नगर(अ.वि.अस्पताल)	14057.00	2000.00	16057.00	14507.00	1200.00	15707.00
19	गुरुग्राम	10035.00	300.00	10335.00	10335.00	300.00	10635.00
20	भिवाड़ी	2562.00	10.00	2572.00	2632.00	10.00	2642.00
21	तिरुनेलवेली	3979.00	160.00	4139.00	4811.00	180.00	4991.00

4.5 EXPENDITURE ON ACCOUNT OF OPERATING EXPENSES OF IT-ROLL OUT IN HOSPITALS AND DISPENSARIES

A sum of ₹ 5688 Lakhs has been made in Revised Estimate 2021-2022 towards operating expenses on computerization of Hospital & Dispensaries on account of IT Roll out.

4.6 MODEL HOSPITALS & ESIC HOSPITALS AND ESIC MEDICAL COLLEGES.

For incurring expenditure by ESIC Hospitals (including Model Hospitals), Medical Colleges and Dispensaries, a sum of ₹ 504208 Lakhs has been provided in the Revised Estimates 2021-2022 and ₹ 516248 Lakhs (including SST and cost of equipment) has been provided in Budget Estimate2022-2023. As on 31.3.2021 there are 5 Occupational Disease Centers,43 Model Hospitals, 08 Medical Colleges/ PG Institutes besides D(M)D and the dispensaries of Delhi & NOIDA which are run by ESIC directly and the estimates of expenditure (including PGIs wherever applicable) is as below:

ESIC Model Hospitals / ESIC Hospitals & Medical Colleges							
Sl No	**Name of the Hospital/Medical College**	**Revised Estimate 2021-2022 (₹ In lakhs)**			**Budget Estimate 2022-2023 (₹ In lakhs)**		
		Excluding Equipment	**Equipment**	**Total**	**Excluding Equipment**	**Equipment**	**Total**
(A)	**O.D.C.**						
1	Joka	19526.00	296.00	19822.00	20328.00	185.00	20513.00
2	K.K. Nagar	19616.00	4500.00	24116.00	22384.00	1200.00	23584.00
3	Andheri	9555.00	500.00	10055.00	10005.00	600.00	10605.00
4	Nanda Ngr. Indore	8351.50	100.00	8451.50	8861.50	150.00	9011.50
5	Basaidarapur	29521.00	2200.00	31721.00	31023.00	3000.00	34023.00
	Total (A)	86569.50	7596.00	94165.50	92601.50	5135.00	97736.50
(B)	**ESIC Hospital**						
1	Beltola	7609.00	240.00	7849.00	8020.00	250.00	8270.00
2	Asramam	9410.00	400.00	9810.00	9860.00	500.00	10360.00
3	Rourkela	3055.00	100.00	3155.00	3587.00	100.00	3687.00
4	Ludhiana	9415.00	550.00	9965.00	10125.00	550.00	10675.00
5	Rajaji Nagar	27780.00	350.00	28130.00	28431.00	350.00	28781.00
6	Bapu Nagar	9028.00	400.00	9428.00	9329.00	450.00	9779.00
7	Sanath Nagar Hosp. (Nacharam)	25820.00	3800.00	29620.00	30372.00	4500.00	34872.00
8	Jaipur	9659.00	1100.00	10759.00	10120.00	600.00	10720.00
9	Jammu	2688.00	70.00	2758.00	2793.00	70.00	2863.00
10	Namkum	4586.00	0.00	4586.00	4958.00	150.00	5108.00
11	Phulwarisharif	3742.00	150.00	3892.00	3973.00	150.00	4123.00
12	Chandigarh	4405.00	250.00	4655.00	4856.00	300.00	5156.00
13	Noida	23607.00	200.00	23807.00	24409.00	300.00	24709.00
14	Udyogmandal	8155.00	330.00	8485.00	9047.00	350.00	9397.00
15	Naroda	2331.00	150.00	2481.00	2473.00	100.00	2573.00
16	Adityapur	3703.00	100.00	3803.00	3864.00	100.00	3964.00
17	Ezhukone	4864.00	290.00	5154.00	5154.00	200.00	5354.00
18	SanathNagar(SST Hosp.)	14057.00	2000.00	16057.00	14507.00	1200.00	15707.00
19	Gurugram	10035.00	300.00	10335.00	10335.00	300.00	10635.00
20	Bhiwadi	2562.00	10.00	2572.00	2632.00	10.00	2642.00
21	Tirunelveli	3979.00	160.00	4139.00	4811.00	180.00	4991.00

22	बद्दी	4341.00	65.00	4406.00	4597.00	70.00	4667.00
23	पीण्या	6850.00	70.00	6920.00	6980.00	80.00	7060.00
24	मानेसर	8808.00	70.00	8878.00	7359.00	70.00	7429.00
25	वापी (गुजरात)	2506.00	75.00	2581.00	2637.00	80.00	2717.00
26	फरीदाबाद	33336.00	6500.00	39836.00	16560.00	5000.00	21560.00
27	रुद्रपुर	609.00	200.00	809.00	811.00	200.00	1011.00
	कुल (ख)	246940.00	17930.00	264870.00	242600.00	16210.00	258810.00
(ग)	**चिकित्सा महाविद्यालय**						
1	पी.जी.आई.एम.एस.आर और क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय जोका	2552.00	10.00	2562.00	2703.00	10.00	2713.00
2	पी.जी.आई.एम.एस.आर और क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय के.के नगर	3300.50	800.00	4100.50	3600.50	800.00	4400.50
3	पीजीआईएमएसआर अंधेरी	900.00	0.00	900.00	903.00	0.00	903.00
4	क.रा.बी और पी.जी.आई.एम.एस.आर बसईदारापुर	825.50	6.00	831.50	902.00	6.00	908.00
5	क.रा.बी और पी.जी.आई.एम.एस.आर राजाजीनगर	3330.00	0.00	3330.00	3330.00	0.00	3330.00
6	गुलबर्ग चिकित्सा महाविद्यालय	8316.00	200.00	8516.00	8623.00	300.00	8923.00
7	गुलगर्ब डेंटल महाविद्यालय	168.00	80.00	248.00	177.00	100.00	277.00
8	एस.नगर चिकित्सा महाविद्यालय	2587.00	270.00	2857.00	3030.00	270.00	3300.00
9	अलवर चिकित्सा महाविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	बिहटा चिकित्सा महाविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ग)	21979.00	1366.00	23345.00	23268.50	1486.00	24754.50
(घ)	**नए अस्पताल**						
1	जाजमऊ, कानपुर	2716.00	100.00	2816.00	2507.00	80.00	2587.00
2	वाराणसी	4261.00	300.00	4561.00	4464.00	350.00	4814.00
3	साहिबाबाद	8555.00	200.00	8755.00	8756.00	225.00	8981.00
4	सरोजनी नगर, लखनऊ	3422.00	350.00	3772.00	3594.00	240.00	3834.00
5	अंकलेश्वर, गुजरात	2324.00	100.00	2424.00	2585.00	100.00	2685.00
6	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	2256.00	150.00	2406.00	2563.00	200.00	2763.00
7	बिहटा (पटना)	6700.00	500.00	7200.00	7365.00	500.00	7865.00
8	बिबवेवाड़ी, महाराष्ट्र	6387.00	900.00	7287.00	6507.00	200.00	6707.00
9	अलवर (राजस्थान)	5068.00	200.00	5268.00	5400.00	4000.00	9400.00
10	बरेली	1471.00	60.00	1531.00	1583.00	70.00	1653.00
11	कोरबा, छत्तीसगढ़	92.00	0.00	92.00	625.00	200.00	825.00
12	रायपुर, छत्तीसगढ़	84.00	20.00	104.00	790.00	300.00	1090.00
13	उदयपुर, राजस्थान	750.00	100.00	850.00	1112.00	200.00	1312.00
14	अंगुल, ओडिशा	875.00	120.00	995.00	3417.00	400.00	3817.00
	कुल (घ)	44086.00	2980.00	47066.00	47851.00	6665.00	54516.00
(ड़)	**दिल्ली स्थित अस्पताल**						
1	झिलमिल	19014.00	600.00	19614.00	20166.00	600.00	20766.00
2	ओखला	19304.00	150.00	19614.00	20305.00	700.00	21005.00
3	रोहिणी	22105.00	400.00	22505.00	22705.00	400.00	23105.00
4	डी (एम) डी	13129.00	60.00	13189.00	15485.00	70.00	15555.00
5	बसईदारापुर	29521.00	2200.00	31721.00	31023.00	3000.00	34023.00
	कुल (ड़)	103073.00	3410.00	106483.00	109684.00	4770.00	114454.00
	(-) बसईदारापुर कुल ड़	73552.00	1210.00	74762.00	78661.00	1770.00	80431.00
	कुल (क+ख+ग+घ+ड़)	**473126.50**	**31082.00**	**504208.50**	**484982.00**	**31266.00**	**516248.00**

नोट : उपर्युक्त आंकड़ों में ई.बी.आर.एफ. तथा मूल्यह्रास के लिए प्रावधान की राशि सम्मिलित नहीं है।

ESIC Model Hospitals / ESIC Hospitals & Medical Colleges							
Sl No	**Name of the Hospital/Medical College**	**Revised Estimate 2021-2022 (₹ In lakhs)**			**Budget Estimate 2022-2023 (₹ In lakhs)**		
		Excluding Equipment	**Equipment**	**Total**	**Excluding Equipment**	**Equipment**	**Total**
22	Baddi	4341.00	65.00	4406.00	4597.00	70.00	4667.00
23	Peenya	6850.00	70.00	6920.00	6980.00	80.00	7060.00
24	Manesar	8808.00	70.00	8878.00	7359.00	70.00	7429.00
25	Vapi(Gujarat)	2506.00	75.00	2581.00	2637.00	80.00	2717.00
26	Faridabad	33336.00	6500.00	39836.00	16560.00	5000.00	21560.00
27	Rudrapur	609.00	200.00	809.00	811.00	200.00	1011.00
	Total (B)	246940.00	17930.00	264870.00	242600.00	16210.00	258810.00
(C)	**Medical Colleges**						
1	PGIMSR & ESIC M.CollegeJoka	2552.00	10.00	2562.00	2703.00	10.00	2713.00
2	PGIMSR & ESIC M.College K.K. Nagar	3300.50	800.00	4100.50	3600.50	800.00	4400.50
3	PGIMSR Andheri	900.00	0.00	900.00	903.00	0.00	903.00
4	ESI&PGIMSR Basaidarapur	825.50	6.00	831.50	902.00	6.00	908.00
5	ESIC MC&PGIMSR Rajajinagar	3330.00	0.00	3330.00	3330.00	0.00	3330.00
6	Gulbarga Medical College	8316.00	200.00	8516.00	8623.00	300.00	8923.00
7	Gulbarga Dental College	168.00	80.00	248.00	177.00	100.00	277.00
8	S. Nagar M.College	2587.00	270.00	2857.00	3030.00	270.00	3300.00
9	Alwar, M. College	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Bihta, M. College	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (C)	21979.00	1366.00	23345.00	23268.50	1486.00	24754.50
(D)	**New Hospitals**						
1	Jajmau, Kanpur	2716.00	100.00	2816.00	2507.00	80.00	2587.00
2	Varansai	4261.00	300.00	4561.00	4464.00	350.00	4814.00
3	Sahibabad	8555.00	200.00	8755.00	8756.00	225.00	8981.00
4	Sarojinagar, Lucknow	3422.00	350.00	3772.00	3594.00	240.00	3834.00
5	Ankleshar, Gujarat	2324.00	100.00	2424.00	2585.00	100.00	2685.00
6	Kolhapur, Maharashtra	2256.00	150.00	2406.00	2563.00	200.00	2763.00
7	Bihta(Patna)	6700.00	500.00	7200.00	7365.00	500.00	7865.00
8	Bibvewadi, Maharashtra	6387.00	900.00	7287.00	6507.00	200.00	6707.00
9	Alwar(Rajasthan)	5068.00	200.00	5268.00	5400.00	4000.00	9400.00
10	Bareilly-	1471.00	60.00	1531.00	1583.00	70.00	1653.00
11	Korba, Chhattisgarh	92.00	0.00	92.00	625.00	200.00	825.00
12	Raipur, Chhattisgarh	84.00	20.00	104.00	790.00	300.00	1090.00
13	Udaipur, Rajasthan	750.00	100.00	850.00	1112.00	200.00	1312.00
14	Angul, Odisha	875.00	120.00	995.00	3417.00	400.00	3817.00
	Total (D)	44086.00	2980.00	47066.00	47851.00	6665.00	54516.00
(E)	**Delhi based Hospital**						
1	Jhilmil	19014.00	600.00	19614.00	20166.00	600.00	20766.00
2	Okhla	19304.00	150.00	19614.00	20305.00	700.00	21005.00
3	Rohini	22105.00	400.00	22505.00	22705.00	400.00	23105.00
4	D(M)D	13129.00	60.00	13189.00	15485.00	70.00	15555.00
5	Basaidarapur	29521.00	2200.00	31721.00	31023.00	3000.00	34023.00
	Total (E)	103073.00	3410.00	106483.00	109684.00	4770.00	114454.00
	(-) Basaidarapur Total E	73552.00	1210.00	74762.00	78661.00	1770.00	80431.00
	Total (A+B+C+D+E)	**473126.50**	**31082.00**	**504208.50**	**484982.00**	**31266.00**	**516248.00**

NOTE: Above figures do not include amount of Provision for Depreciation and EBRF.

4.7 राज्य सरकारों को भुगतान

परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 के लिए 487614 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। इस राशि में (क) परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के लिए ₹22000 लाख रुपये के भुगतान का प्रावधान (ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 70 प्रतिशत या इससे अधिक दर्ज अधिभोग वाले क.रा.बी. योजना अस्पतालों को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार को प्रति बीमाकृत व्यक्ति ₹200.00 की अतिरिक्त राशि तथा (ग) महामारी से लड़ने के लिए सभी राज्य सरकारों को लाभार्थियों के लिए निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा उच्चतम सीमा के अतिरिक्त प्रति वर्ष 20/- रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई का प्रावधान किया है। पूर्वोक्त बजट प्राक्कलन में राज्य सरकार की पिछली शेष देनदारियों की अदायगी के लिए ₹1071 लाख का प्रावधान भी किया गया है।

4.8 अति विशिष्टता उपचार

परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में टाई-अप अस्पताल के नेटवर्क और क.रा.बी.निगम द्वारा सीधे संचालित अस्पतालों के माध्यम से अति विशिष्टता उपचार के लिए 175236 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) नकद हितलाभ

5.1 परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में नकद हितलाभ के लिए कुल प्रावधान 526000 लाख रुपये है जो अंशदान आय का 36.28 प्रतिशत है। इसमें परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित स्थायी नि:शक्तता निधि में 75000 लाख रुपये और आश्रितजन हितलाभ निधि में 261400 लाख रुपये का प्रावधान शामिल है। क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना निधि के लिए वर्ष 2021-2022 के 'अनुपूरक बजट प्राक्कलन' के रूप में 70500 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। बीमांकक द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 2020-2021 में आश्रितजन हितलाभ लगभग 80000 लाख रुपये कम रिपोर्ट किया गया था जिसका कारण फाइलों में कमियां थीं जिनका मूल्यांकन के समय प्रयोग किया गया था। तदनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में बीमांकक द्वारा 261400 लाख रुपये बहाल किए गए है।

बीमारी हितलाभ और अस्थायी नि:शक्तता हितलाभ की प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या और प्रति कर्मचारी औसत दैनिक दर राशि नीचे दर्शाई गई है :-

	वर्ष	बीमारी हितलाभ	अस्थायी नि:शक्तता हितलाभ
प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या (दिनों की संख्या में)	2003-2004	1.80	0.53
	2004-2005	1.55	0.44
	2005-2006	1.34	0.38
	2006-2007	1.12	0.32
	2007-2008	0.98	0.30
	2008-2009	0.94	0.23
	2009-2010	0.85	0.21
	2010-2011	0.55	0.21
	2011-2012	0.53	0.21
	2012-2013	0.57	0.20
	2013-2014	0.47	0.20
	2014-2015	0.45	0.21
	2015-2016	0.37	0.17
	2016-2017	0.33	0.14
	2017-2018	0.29	0.10
	2018-2019	0.28	0.09
	2019-2020	0.27	0.08
	2020-2021	0.21	0.08
प्रतिदिन प्रति कर्मचारी औसत हितलाभ दर (रुपये में)	2003-2004	80.05	94.22
	2004-2005	80.68	94.68
	2005-2006	83.11	95.21
	2006-2007	84.08	99.65
	2007-2008	96.98	99.63
	2008-2009	121.12	124.57

4.7 **PAYMENT TO STATE GOVTS.**

A sum of ₹ 487614 Lakhs has been proposed for Revised Estimate 2021-2022. This includes (a) provision for payment towards Project implementation Plan (PIP) of ₹ 22000 Lakhs, (b) additional amount of ₹ 200.00 per IP to the State Government towards incentive for ESIS hospitals having registered occupancy of 70 percent or more during last financial year and (c) provision of ₹ 20/- per IP family unit per annum to all State Governments over & above the existing ceiling has been made for providing preventive and promotive health services to the beneficiaries so as to fight with the pandemic. Provision of ₹ 1071 Lakhs has also been provided in aforesaid budget estimate for discharging the outstanding past liabilities of State Government.

4.8 **SUPER SPECIALITY TREATMENT**

A provision of ₹ 175236 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2021-2022 for Super speciality Treatment through tie-up hospital network and by the hospitals run by ESIC directly.

(B) CASH BENEFITS:

5.1 The total provision for Cash Benefits for Revised Estimates 2021-22 is ₹ 526000 Lakhs which is 36.28 *percent* of contribution income. This includes a provision of ₹ 75000 Lakhs in the Permanent Disablement Fund and ₹ 261400 Lakhs in the Dependent Benefit Fund for Revised Estimates 2021-2022 based on actuarial valuation. An amount of ₹ 70500 Lakhs has been provided as ***supplementary budget estimate*** for 2021-2022 towards ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund. As informed by the Actuary during financial year 2020-2021 the Dependent Benefit Fund was under reported by around ₹ 80000 Lakhs due to some discrepancy into input files that were used for valuation. Accordingly, provision of ₹ 261400 Lakhs has been reinstated by the Actuary in current financial year i.e. Revised Estimates 2021-2022.

The average number of benefit days per annum per employee and the average amount of daily rate of sickness benefit and temporary disablement benefit per employee have been shown below: -

	Year	Sickness Benefit	Temporary Disablement Benefit
Average number of Benefit days per annum per employee (in no. of days)	2003-2004	1.80	0.53
	2004-2005	1.55	0.44
	2005-2006	1.34	0.38
	2006-2007	1.12	0.32
	2007-2008	0.98	0.30
	2008-2009	0.94	0.23
	2009-2010	0.85	0.21
	2010-2011	0.55	0.21
	2011-2012	0.53	0.21
	2012-2013	0.57	0.20
	2013-2014	0.47	0.20
	2014-2015	0.45	0.21
	2015-2016	0.37	0.17
	2016-2017	0.33	0.14
	2017-2018	0.29	0.10
	2018-2019	0.28	0.09
	2019-2020	0.27	0.08
	2020-2021	0.21	0.08
b) Average benefit rate per day per employee (In ₹)	2003-2004	80.05	94.22
	2004-2005	80.68	94.68
	2005-2006	83.11	95.21
	2006-2007	84.08	99.65
	2007-2008	96.98	99.63
	2008-2009	121.12	124.57

	2009-2010	126.80	134.10
	2010-2011	136.37	154.86
	2011-2012	160.82	177.01
	2012-2013	159.42	219.51
	2013-2014	194.25	237.52
	2014-2015	217.91	264.45
	2015-2016	261.72	287.39
	2016-2017	251.43	300.42
	2017-2018	260.19	307.36
	2018-2019	301.41	337.02
	2019-2020	316.67	365.76
	2020-2021	331.33	391.20

बीमारी हितलाभ और अस्थायी नि:शक्तता हितलाभ के संबंध में बनाए गए प्रावधान उपर्युक्त को संज्ञान में लेते है।

5.2 राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 के लिए 3300 लाख रुपये की राशि का उपबंध करता है।

5.3 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में 3500 लाख रुपये की राशि का उपबंध किया जा रहा है।

5.4 क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना

वर्ष हेतु अनुपूरक बजट प्राक्कलन के रूप में क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना निधि में 70500 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस निधि से वास्तविक पे-आउट की संबंधित आरक्षित निधि खाता के तहत अनुमानित किया गया है।

ग. अन्य हितलाभ :

6.1 चिकित्सा बोर्ड, न्यायाधिकरण को किए गए शुल्क के भुगतान, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति के लिए बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा यात्रा पर किए गए खर्चे की प्रतिपूर्ति, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने के कारण बीमाकृत व्यक्ति के मजदूरी में हुए हानि के लिए देय रकम इत्यादि जैसे विविध मदों के खर्चे के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में ₹501 लाख का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु यात्रा व्यय का भुगतान करने के लिए प्रति लाभार्थी ₹100/- का खर्च भी शामिल है।

घ. प्रशासनिक व्यय

7.1 पूर्व के अनुमानित ₹183011 लाख की तुलना में वर्ष 2021-2022 के लिए प्रशासन पर कुल ₹192734 लाख का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2021-2022 में प्रशासनिक लागत के रूप में कुल लागत राजस्व की 9.29 प्रतिशत आँकी गई है।

स्थापना व्यय (ई.बी.आर.एफ. सहित)

7.2 वर्ष 2021-2022 के लिए स्थापना व्यय पर कुल व्यय ₹142246 लाख अनुमानित है, जबकि इसके पूर्व ₹122034 लाख अनुमानित था।

अन्य प्रशासनिक व्यय

7.3 पूर्व के बजट प्राक्कलन में ₹60976 लाख की तुलना में वर्ष 2021-2022 के परिशोधित प्राक्कलन में ₹50488 लाख की व्यवस्था की गई है।

	Year	Sickness Benefit	Temporary Disablement Benefit
	2009-2010	126.80	134.10
	2010-2011	136.37	154.86
	2011-2012	160.82	177.01
	2012-2013	159.42	219.51
	2013-2014	194.25	237.52
	2014-2015	217.91	264.45
	2015-2016	261.72	287.39
	2016-2017	251.43	300.42
	2017-2018	260.19	307.36
	2018-2019	301.41	337.02
	2019-2020	316.67	365.76
	2020-2021	331.33	391.20

The provisions made in respect of sickness benefit and temporary disablement benefit takes the above into account.

5.2 RAJIV GANDHI SHRAMIK KALYAN YOJNA

The Revised Estimates for 2021-2022 provides for a sum of ₹ 3300 Lakhs.

5.3 ATAL BEEMIT VYAKTI KALYAN YOJANA

An amount of ₹ 3500 Lakhs is being provided in Revised Estimates 2021-2022.

5.4 ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME

An amount ₹ 70500 Lakhs in ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund have been provided as Supplementary budget Estimates for the year. Actual pay-outs from this fund have been estimated under the respective reserve fund account.

C. OTHER BENEFITS:

6.1 A provision of ₹ 501 Lakhs has been made in Revised Estimate 2021-2022 to cover expenses on miscellaneous items like fees paid to Medical Boards, Tribunals, reimbursement to IPs for expenditure on conveyance for appearing before Medical Board, payment towards loss of wages to the insured persons for appearing before the Medical Boards, etc. The provision also includes payment of travelling expenditure of ₹ 100 per beneficiary for submitting Life Certificate.

D. **ADMINISTRATIVE EXPENSES**

7.1 The total expenditure on Administration for the year 2021-2022 is projected as ₹ 192734 Lakhs against ₹ 183011 Lakhs estimated earlier. The Administrative Cost as a percentage of total Revenue works out to 9.29 *percent* for the year 2021-2022.

ESTABLISHMENT EXPENSES (Including EBRF)

7.2 The total expenditure on Establishment expenses for the year 2021-2022 is projected as ₹ 142246 Lakhs against ₹ 122034 Lakhs estimated earlier.

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

7.3 A provision of ₹ 50488 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2021-2022 as against ₹ 60976 Lakhs in the Budget Estimates earlier.

आकस्मिक आरक्षित निधि

7.4 परिशोधित प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि निधि उच्चतम सीमा तक पहुंच गई है।

पूंजीगत निर्माण निधि

7.5 इस शीर्ष के तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि वर्तमान निधि के रूप में 697651 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को) की राशि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसकी आवधिक तौर पर समीक्षा की जाएगी। प्राक्कलित कार्य के विवरण परिशिष्ट-III पर हैं।

पूंजीगत लेखा पर व्यय

8.1 वर्ष 2021-2022 के परिशोधित प्राक्कलन में पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की प्रगति पर विचार करते हुए निर्माण कार्यों पर ₹152750 लाख (कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए ₹3148 लाख, अस्पतालों, औषधालयों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए ₹127746 लाख तथा चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निर्माण के लिए ₹21856 लाख का व्यय अनुमानित किया गया है। अनुमानित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-III पर है।

8.2 वर्ष 2021-2022 के परिशोधित प्राक्कलन में, गैर परियोजना पूंजीगत व्यय पर ₹42307 लाख का व्यय प्राक्कलित किया गया है, जिसमें कम्प्यूटरों के लिए ₹7565 लाख और उपस्कर (कार्यालय और चिकित्सा उपस्कर, दोनों) के लिए ₹32950 लाख का बड़ा व्यय सम्मिलित है।

व्यय से आय का आधिक्य

9.1 परिशोधित प्राक्कलन के अनुसार, पूर्व के प्राक्कलित ₹282595 लाख की तुलना में व्यय से अधिक आय के लिए इस वर्ष ₹155676 लाख प्राक्कलित किया गया है। तथापि, व्यय की तुलना में प्रचालन आय (जैसे,अंशदान आय) में कमी आई है जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में (-)468266 लाख अनुमानित है।

9.2 निगम का एक सेवा संगठन होने के नाते, इसके संचालन में लाभ का कोई तत्व नहीं है अतः आयकर अधिनियम की धारा 10(25) (क) के अंतर्गत निगम द्वारा क.रा.बी. निधि को आयकर के भुगतान से विशेष छूट दी गई है।

लिंग और बाल बजट

10 परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सभी बजट शीर्षों में से, महिलाओं के लिए ₹825722 लाख (इसमें बालिकाओं के लिए ₹574190 लाख सहित) के बजट का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के लिए मुख्य शीर्षवार महिला बजट प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**योजना का विवरण/बजट शीर्ष**	**परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 (₹ लाख में)**
	महिलाओं हेतु 100% प्रावधान	
1.	मातृत्व हितलाभ योजना	48800
2.	बीमाकृत महिलाओं तथा बीमाकृतों की पत्नियों के लिए प्रसूति भत्ता	450
	महिलाओं हेतु (न्यूनतम 30% का प्रावधान)	
3.	चिकित्सा हितलाभ योजना	688236
4.	नकद हितलाभ योजना (मातृत्व हितलाभ योजना के अतिरिक्त)	88236
	कुल	**825722**

7.4

CONTINGENCY RESERVE FUND

7.4 No provision has been made in the Revised Estimates as the fund has reached the ceiling.

CAPITAL CONSTRUCTION FUND

7.5 No provisions have been made under this head as fund presently of ₹ 697651 Lakhs (as on 31st March 2021) is enough to cater to present requirements. This will be reviewed periodically. The details of estimated works are at Appendix-III.

EXPENDITURE ON CAPITAL ACCOUNT

8.1 In the Revised Estimates for 2021-2022, the expenditure on construction works has been estimated at ₹ 152750 Lakhs (₹ 3148 Lakhs for construction of office buildings and Staff quarters, ₹ 127746 Lakhs for construction of hospitals, dispensaries and staff quarters and ₹ 21856 Lakhs for construction of medical education projects), considering the progress of Projects undertaken. The details of estimated works are at Appendix-III.

8.2 In the Revised Estimates for 2021-2022, the expenditure on Non-Project Capital Expenditure has been estimated at ₹ 42307 Lakhs. This includes major expenditure of ₹ 7565 Lakhs for Computers and ₹ 32950 Lakhs for Equipment (both Office & Medical equipment).

EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE

9.1 As per the Revised Estimates, the excess of income over expenditure is estimated at ₹ 155676 Lakhs as compared to earlier estimates of ₹ 282595 Lakhs. However, there is deficit of operating income (i.e. contribution income) over expenditure which is estimated at ₹ (-) 468266 Lakhs during the current financial year.

9.2 The Corporation being a service organization, there is no element of profit in its operations and therefore, specific exemption under Sec 10 (25) (A) of Income Tax Act is granted for Employees State Insurance Fund from payment of income tax by Corporation.

GENDER AND CHILD BUDGET

10. Across all budget heads under ESI Scheme. An approximate budget provision for Women has been worked out at ₹ 825722 Lakhs (including budget provision for female child at ₹ 574190 Lakhs) in the Revised Estimates 2021-2022.

Major head wise Gender Budget provision for Women as detailed give below:

Sl. No.	Details of Scheme / Budget Head	Revised Estimates 2021-22 (₹ in Lakhs)
	100% provision towards women	
1.	Maternity Benefit Scheme	48800
2.	Confinement Allowance to Insured Women & Wives of IPs	450
	Pro-women (at least 30% of provision)	
3.	Medical Benefit Scheme	688236
4.	Cash Benefit Scheme (other than Maternity Benefit Scheme)	88236
	Total	**825722**

वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन

I. प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए निगम का अनुमानित राजस्व ₹ 2261935 लाख है, जबकि परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2021-2022 में ₹ 2073942 लाख दर्शाया गया है।

अंशदान

11.1 जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है, 6.5% की अंशदान दर को घटाकर 4% किये जाने के कारण वर्ष 2022-2023 के लिए अंशदान से आय ₹ 1595000 लाख प्राक्कलित की गई है, जबकि परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 के लिए यह ₹ 1450000 लाख है। इस वृद्धि (प्रोजेक्शन) में (क) कार्यान्वयन कार्यक्रम (परिशिष्ट-1) के अनुसार नए क्षेत्रों में 2022-2023 के दौरान लगभग 21.46 लाख कर्मचारियों की अतिरिक्त व्याप्ति और (ख) अंशदान आय के रुझान को भी ध्यान में रखा गया है। वर्ष 2022-2023 में कर्मचारियों की भारित औसत संख्या 277.34 लाख अनुमानित है।

तालिका में 2017-2018 से प्रतिव्यक्ति अंशदान आय दिखाई गई है :-

2017-2018 वास्तविक	2018-2019 वास्तविक	2019-2020 वास्तविक	2020-2021 वास्तविक	2021-2022 परिशोधित प्राक्कलन	2022-2023 बजट प्राक्कलन
₹ 6258	₹ 7127	₹ 5370*	₹ 4956	₹ 5032	₹ 5751

*यह आंकड़ें वर्ष 2018-19 तक अंशदान आय दर 6.5 प्रतिशत घटने और 2020-21 महामारी के प्रभाव के कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रतिव्यक्ति आय की घटी हुई राशि दर्शाते हैं।

ब्याज

11.2 बजट प्राक्कलन में प्राक्कलित तथा दर्शाए गए ब्याज़ आंकड़े सामान्य आरक्षित निधि, आकस्मिकता आरक्षित निधि और पूंजी निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़ से संबंधित हैं। उद्दिष्ट आरक्षित निधि खाते पर प्रोद्भूत ब्याज़ संबंधित निधि खाते में जमा कर दिया है। निवेश पर ब्याज की दर में तेजी से गिरावट आई है; अतः निवेश योग्य अधिशेष में वृद्धि के बावजूद कुल ब्याज आय में निवेश के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली के संचालन उपरांत निवेश में विविधता के प्रभाव वर्ष 2022-2023 से परिलक्षित होंगे। कुल प्राक्कलित ब्याज़ तथा उसका विनियोजन निम्न प्रकार है :-

(₹ लाख में)

	बजट प्राक्कलन (2022-2023)
गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधि पर ब्याज़	642635
उद्दिष्ट आरक्षित निधि पर ब्याज़	219321
कुल	**861956**

क्षतिपूर्ति

11.3 बजट प्राक्कलन वर्ष 2022-2023 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अस्पताल/औषधालय भवनों का किराया

11.4 कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में केवल ₹ 13300 लाख की किराया राशि प्राक्कलित की गई है जो प्रमुख रूप से स्टाफ से मकान किराया भत्ता की वसूली से संबंधित है।

शुल्क, जुर्माने तथा ज़ब्तियाँ

11.5 बजट प्राक्कलन वर्ष 2022-2023 में ₹ 3800 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023

I. RECEIPTS

The revenue of the Corporation for the financial year 2022-2023 is estimated at ₹ 2261935 Lakhs as against ₹ 2073942 Lakhs shown in Revised Estimates 2021-2022.

CONTRIBUTIONS

11.1 For reasons of reduction in rate of contributions from 6.5 percent to 4 percent as explained earlier, income from Contributions for the year 2022-2023 has been estimated at ₹ 1595000 Lakhs as against ₹ 1450000 Lakhs in the Revised Estimates 2021-2022. This projection has also taken into the account (a) anticipated additional coverage of about 21.46 lakhs employees during 2022-2023 in new areas as per the implementation programme (Appendix-I); and (b) the trends of contribution income. The weighted average number of employees in 2022-2023 is estimated at 277.34 lakhs.

The table shows the per capita income from contribution since 2017-2018:

2017-2018 Actuals	2018-2019 Actuals	2019-2020 Actuals	2020-2021 Actuals	2021-2022 RE	2022-2023 BE
₹ 6258	₹ 7127	₹ 5370*	₹ 4956	₹ 5032	₹ 5751

* The figures reflect reduced amount of per capita income due to increase number of employees from 2018 to 2019 on account of reduction in rate of contribution from 6.5 *percent* to 4 *percent* and effect of Pandemic in 2020-21.

INTEREST

11.2 The interest figures estimated and shown in the BE is pertaining to interest received on investment of General Reserve Fund, Contingency Reserve Fund and Capital Construction Reserve Fund. The interest accrued on earmarked reserved fund account is credited to the respective fund account. Rate of interest on investment has sharply declined; hence in spite of increase in investible surplus total interest income has not increased in line with investments. The impact of diversification in investment after operationalization of Portfolio Management System will be visible from the year 2022-2023. The total estimated interest and its appropriation is as follows: -

(₹ in Lakhs)

	BE (2022-2023)
Interest on Non-earmarked Reserve Fund	642635
Interest on Earmarked Reserve Fund	219321
Total	**861956**

COMPENSATION

11.3 No provision has been made in Budget Estimates 2022-2023.

RENT OF HOSPITAL/DISPENSARY BUILDINGS

11.4 Only rent in respect of Office buildings and staff quarters amounting to ₹ 13300 Lakhs has been estimated, chiefly on account of HRA recoveries from staff.

FEES, FINES & FORFEITURES

11.5 An amount of ₹ 3800 Lakhs has been made in the Budget Estimates 2022-2023.

चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां

11.6 बजट प्राक्कलन वर्ष 2022-2023 में ₹4200 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

विविध प्राप्तियां

11.7 बजट प्राक्कलन वर्ष 2022-2023 में ₹3000 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

II व्यय

वर्ष 2021-2022 के लिए ₹1918266 लाख के परिशोधित प्राक्कलन की तुलना में राजस्व लेखाओं में वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन में कुल व्यय ₹1738546 लाख है। प्रावधानों में ₹ 179720 लाख तक का ह्रास मुख्यत: आरक्षित निधियों के प्रावधानों के कारण है जिसकी निम्नलिखित अनुच्छेद में व्याख्या की गई है।

क. चिकित्सा हितलाभ

12.1 चिकित्सा हितलाभों पर व्यय के लिए कुल ₹1234359 लाख का प्रावधान किया गया है। उच्चतर प्रावधानों में कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत 21.49 लाख कर्मचारियों की अनुमानित अतिरिक्त व्याप्ति शामिल है। किए गए प्रावधानों के ब्यौरों की व्याख्या निम्नानुसार इस प्रकार की गई है :-

(₹ लाख में)

क.रा.बी. निगम **राज्य सरकारों को देय**		439362
II) क.रा.बी. निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले व्यय :		
क)	व्यावसायिक रोग केन्द्रों वाले अस्पताल/आदर्श अस्पताल/अन्य अस्पताल/औषधालय	421403
ख)	अति विशिष्टता उपचार पर व्यय	182280
ग)	बीमाकृत महिलाओं तथा बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसूति भत्ता	450
घ)	अस्पताल एवं औषधालय के मूल्यह्रास संबंधी प्रावधान	33018
ङ)	मरम्मत एवं रखरखाव (अस्पताल एवं औषधालय)	58741
च)	भाड़ा, दरें एवं कर	3200
छ)	चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं पर व्यय	87570
ज)	आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय (एम-ईयूडी)/एम-आईएमपी पर व्यय	3000
झ)	स्वच्छता कार्य योजना(एसएपी)पर व्यय	35
ञ)	आयुष्मान भारत के अंतर्गत व्यय	200
ट)	औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डी.सी.बी.ओ.)	5100
	कुल :	**1234359**

12.2 वर्ष 2017-2018 से प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष चिकित्सा देखरेख पर निगम के व्यय के अंश की औसत अनुमानित लागत निम्नानुसार है :-

(₹)

2017-2018 वास्तविक	**2018-2019 वास्तविक**	**2019-2020 वास्तविक**	**2020-2021 वास्तविक**	**2021-2022 परिशोधित प्राक्कलन**	**2022-2023 बजट प्राक्कलन**
2,847.20	2,790.03	3,004.20	3425.88	4161.35	4450.62

*कर्मचारियों की भारित औसत संख्या के अनुसार परिकलित।

12.3 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 70 प्रतिशत या उससे अधिक दर्ज अधिभोग वाले क.रा.बी.योजना अस्पतालों के लिए राज्य सरकार को प्रति बीमाकृत व्यक्ति ₹200.00 की अतिरिक्त राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

ख. नकद हितलाभ

13. वर्ष 2021-2022 के परिशोधित प्राक्कलन तथा जिलावार व्याप्ति के कारण 21.49 लाख कर्मचारियों की संभावित अतिरिक्त व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-2023 के दौरान नकद हितलाभों पर ₹273600 लाख के व्यय का

MEDICAL EDUCATION RECEIPTS

11.6 An amount of ₹ 4200 Lakhs has been made in the Budget Estimates 2022-2023.

MISCELLANEOUS RECEIPTS

11.7 An amount of ₹ 3000 Lakhs has been made in the Budget Estimates 2022-2023.

II. EXPENDITURE

Total expenditure in the Budget Estimates for 2022-2023 in the Revenue account is ₹ 1738546 Lakhs as against the Revised Estimates of ₹ 1918266 Lakhs for 2021-2022. The decrease in provisions to an extent of ₹ 179720 Lakhs is mainly due to provisions towards reserve funds explained in the following paragraphs.

A. MEDICAL BENEFIT

12.1 A total provision of ₹ 1234359 Lakhs has been made towards Medical Benefits expenditure. The higher provisions include anticipated additional coverage of 21.49 lakh employees under the implementation programme. The details of the provisions made are explained here under:-

(₹ In Lakhs)

E.S.I.C ***Payable to State Governments***		439362
II)Expenditure to be incurred directly by the E.S.I.C in:		
a)	Hospital with ODCs/ Model Hospital/ Other Hospitals/dispensaries	421403
b)	Expenditure on Super Specialty Treatment	182280
c)	Confinement allowance to Insured Women & Wives of IPs	450
d)	Depreciation provision of Hospital & Dispensary	33018
e)	Repairs & Maintenance (Hospitals & Dispensary)	58741
f)	Rent, Rates &Taxes	3200
g)	Expenditure on Medical Education Institutions	87570
h)	Expenditure on Modified Employer Utility Dispensary (m-EUD)/m-IMP	3000
i)	Expenditure on Swachhata Action Plan(SAP)	35
j)	Expenditure under Ayushman Bharat	200
k)	DCBO	5100
	TOTAL:	**1234359**

12.2 The average approximate cost of Corporations' shares of expenditure on medical care per capita per annum since 2017-18 is as under:

(₹)

2017-2018 Actuals	**2018-2019 Actuals**	**2019-2020 Actual**	**2020-2021 Actual**	**2021-2022 RE**	**2022-2023 BE**
2,847.20	2,790.03	3,004.20	3425.88	4161.35	4450.62

* Calculated as per weighted average number of employees.

12.3 Provision has been provided for payment of additional amount of ₹ 200.00 per IP to the State Government of the ESIS hospitals registered occupancy of 70 percent or more during last financial year.

B. CASH BENEFITS

13 Expenditure on Cash Benefits during 2022-2023 is estimated at ₹ 273600 Lakhs keeping in view the Revised Estimates 2021-2022 and the likely additional coverage of 21.49 lakhs

अनुमान है। ह्रास प्रावधान भी संबंधित उद्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किए जाने वाले आश्रितजन हितलाभ और क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना के पूंजीकृत मूल्य के बीमांकिक निर्धारण के फलस्वरूप है।

अन्य हितलाभ

14 ₹456 लाख के प्रावधान में विविध मदों पर हुए खर्च यथा-चिकित्सा बोर्डों, अधिकरणों को अदा किए गए शुल्क, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए सवारी खर्च हेतु बीमाकृत व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने पर बीमाकृत व्यक्तियों को मजदूरी में हुई हानि के लिए भुगतान आदि सम्मिलित हैं। इस प्रावधान में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए ₹100/- प्रति हितलाभार्थी यात्रा खर्च का भुगतान भी शामिल है।

प्रतिव्यक्ति व्यय

15. प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष नकद हितलाभों की विभिन्न श्रेणियों की औसत अनुमानित लागत नीचे दर्शायी गई है:

(₹ में)

क्र.सं.	हितलाभ	2017-18* वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 परिशोधित प्राक्कलन	2022-23 बजट प्राक्कलन
i)	बीमारी हितलाभ	127.47	120.24	127.30	104.21	135.35	155.04
ii)	विस्तारित बीमारी हितलाभ	17.03	15.08	17.44	17.84	22.56	29.57
iii)	मातृत्व हितलाभ	75.46	117.54	123.02	140.20	169.37	205.16
iv)	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	38.21	31.13	29.79	29.71	41.65	45.07
v)	स्थायीनिःशक्तता हितलाभ (पूंजीकृत मूल्य)	0.00	48.20	161.12	664.83	260.29	291.69
vi)	आश्रितजन हितलाभ (पूंजीकृत मूल्य)	0.00	31.97	129.40	0.00	907.21	175.95
Vii)	अन्त्येष्टि खर्च	6.55	5.48	7.63	9.99	20.82	21.363
viii)	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	1.76	2.69	3.05	4.73	11.45	11.90
ix)	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	--लागू नहीं--	--लागू नहीं-	0.01	21.27	12.15	10.82
x)	क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना	--लागू नहीं--	--लागू नहीं--	--लागू नहीं--	--लागू नहीं--	244.68	39.66
xi)	अन्य हितलाभ	1.04	0.80	0.68	1.22	1.74	1.64
	कुल	**267.52**	**373.13**	**599.44**	**994.01**	**1827.27**	**988.14**

* कर्मचारियों की भारित औसत संख्या के अनुसार परिकलित।

16 **अंशदान से आय की प्रतिशतता के अनुसार हितलाभों पर व्यय निम्नानुसार है :**

हितलाभ	**2017-18* वास्तविक**	**2018-19 वास्तविक**	**2019-20 वास्तविक**	**2020-21 वास्तविक**	**2021-22 परिशोधित प्राक्कलन**	**2022-23 बजट प्राक्कलन**
चिकित्सा हितलाभ	34.21%	39.14%	55.95%	69.12%	82.69%	77.40%
नकद तथा अन्य हितलाभ	3.20%	5.26%	11.16%	20.06%	36.31%	17.18%

*कर्मचारियों की भारित औसत संख्या के अनुसार परिकलित।

employees on account of district wise coverage. The decreased provision is also attributable to the actuarial assessment of capitalized value of Dependent Benefit and ESIC COVID-19 Relief Scheme transferable to the respective earmarked fund.

OTHER BENEFITS

14 A provision of ₹ 456 Lakhs covers expenses on miscellaneous items like fees paid to Medical Boards, Tribunals, reimbursement to IPs for expenditure on conveyance for appearing before Medical Board, payment towards loss of wages to the insured persons for appearing before the Medical Boards, etc. The provision also includes payment of travelling expenditure of ₹ 100 per beneficiary for submitting Life Certificate.

EXPENDITURE PER CAPITA.

15 The average approximate cost of various categories of Cash Benefits per capita per annum works out as below:

(₹)

Sl. No	BENEFIT	2017-18 * Actuals	2018-19 Actuals	2019-20 Actuals	2020-21 Actuals	2021-22 RE	2022-23 BE
i)	Sickness Benefit	127.47	120.24	127.30	104.21	135.35	155.04
ii)	Extended sickness Benefit	17.03	15.08	17.44	17.84	22.56	29.57
iii)	Maternity Benefit	75.46	117.54	123.02	140.20	169.37	205.16
iv)	Temporary Disablement Benefit	38.21	31.13	29.79	29.71	41.65	45.07
v)	Permanent Dis. Benefit (Capitalised value)	0.00	48.20	161.12	664.83	260.29	291.69
vi)	Dependants' Benefit (Capitalised value)	0.00	31.97	129.40	0.00	907.21	175.95
Vii)	Funeral Expenses	6.55	5.48	7.63	9.99	20.82	21.363
viii)	Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	1.76	2.69	3.05	4.73	11.45	11.90
ix)	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	--NA--	--NA--	0.01	21.27	12.15	10.82
x)	ESIC Covid -19 Relief Scheme	--NA--	--NA--	--NA--	NA	244.68	39.66
xi)	Other Benefits	1.04	0.80	0.68	1.22	1.74	1.64
	Total	**267.52**	**373.13**	**599.44**	**994.01**	**1827.27**	**988.14**

* Calculated as per weighted average number of employees

16 **The expenditure on benefits as a percentage of income from contribution is under:**

BENEFIT	2017-18 * Actuals	2018-19 Actuals	2019-20 Actuals	2020-21 Actuals	2021-22 RE	2022-23 BE
Medical Benefit	34.21%	39.14%	55.95 %	69.12%	82.69%	77.40%
Cash and Other Benefits	3.20%	5.26%	11.16 %	20.06%	36.31%	17.18%

* Calculated as per weighted average number of employees

प्रशासनिक व्यय :

17.1 बजट प्राक्कलन 2022-2023 में प्रशासन पर व्यय के लिए ₹230131लाख का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन में ₹86366 लाख की तुलना में इसमें वेतन एवं भत्तों के निमित्त ₹102113 लाख की व्यवस्था की गई है। परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 के आंकड़ों में ₹15747 लाख की बढ़ोत्तरी अपेक्षित भर्तियों, वेतन-वृद्धि के प्रभाव, महंगाई भत्ते में अनुमानित वृद्धि, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, नई पेंशन योजना में क.रा.बी.निगम के अंश के कारण हुई है।

17.2 'अन्य प्रशासनिक व्यय' शीर्ष के अंतर्गत ₹65977 लाख का प्रावधान वस्तुओं के मूल्य एवं सेवाओं की लागत, भर्ती व्यय, कार्यालय भवन की मरम्मत और रखरखाव में वृद्धि तथा कार्यालय भवन व अन्य सम्पत्तियों में मूल्यह्रास को ध्यान में रखकर किया गया है।

17.3 वर्ष 2022-2023 के लिए कुल राजस्व की प्रतिशतता के अनुसार प्रशासनिक लागत 10.17% परिकलित की गई है।

लिंग तथा बाल बजट

18 क.रा.बी.योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में बजट प्राक्कलन 2022-2023 में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान ₹805940 लाख परिकलित किया गया है। (इसमें बालिकाओं हेतु ₹591114 लाख का प्रावधान शामिल है।)

महिलाओं के लिए लिंग बजट प्रावधान के ब्योरे मुख्य शीर्षवार निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	**योजना के ब्योरे /बजट शीर्ष**	**बजट प्राक्कलन** 2022 - 23 (₹ **लाख में**)
	महिलाओं के लिए 100% प्रावधान	
1.	मातृत्व हितलाभ योजना	56900
2.	बीमाकृत महिला एवं बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसूति भत्ता	450
	महिलाओं हेतु (न्यूनतम30% का प्रावधान)	
3.	चिकित्सा हितलाभ योजना	708522
4.	नकद हितलाभ योजना (मातृत्व हितलाभ योजना के अलावा)	40069
	कुल	**805940**

पूंजीगत निर्माण एवं आकस्मिकता आरक्षित निधि में योगदान :

19 दिनांक 19.02.2019 को आयोजित निगम की 177वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में जैसा ऊपर बताया गया है, पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में कोई प्रावधान नहीं किया गया। प्राक्कलित कार्यों का विवरण परिशिष्ट III पर दिया गया है।

20 आकस्मिकता आरक्षित निधि के संबंध में वर्ष 2022-2023 के बजट प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि उक्त निधि में अतिशेष निर्धारित ₹7500 लाख के स्तर पर बना हुआ है।

पूंजीगत लेखा पर व्यय

21.1 बजट प्राक्कलन वर्ष 2022-2023 के लिए पूंजीगत लेखा परिव्यय हेतु विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अनुमान निम्नानुसार हैं :-

(i) चिकित्सा संस्थाओं के लिए ₹16976 लाख

(ii) अस्पतालों/औषधालयों के लिए ₹161809 लाख

(iii) क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ₹1804 लाख

ADMINISTRATIVE EXPENSES:

17.1 A provision of ₹230131 Lakhs has been made for expenses on administration in the Budget Estimates 2022-2023. It includes ₹102113 Lakhs towards Pay & Allowances against ₹86366 Lakhs in the Revised Estimates for 2021-2022. The increase of ₹15747 Lakhs over the figures of Revised Estimates 2021-2022 is due to expected recruitments, impact of increments, projected increase in dearness allowance, promotion, retirement, ESIC's share of New Pension Scheme.

17.2 The provision for ₹65977 Lakhs under "Other Administrative Expenses" has been made keeping in view the increase in price of goods and cost of services, Recruitment expenses, Repair & Maintenance of Office building and Depreciation on Office Building & Other Assets.

17.3 The Administrative Cost as a percentage of total Revenue works out to 10.17 *percent* for the year 2022-2023.

GENDER AND CHILD BUDGET

18 Across all budget heads under ESI Scheme an approximate budget provision for Women has been worked out at ₹805940 Lakhs (including budget provision for female child at ₹591114 Lakhs) in the Budget Estimates 2022-2023.

Major head wise Gender Budget provision for Women as detailed give below:

Sl. No.	Details of Scheme / Budget Head	Budget Estimates 2022 - 23 (₹ in Lakhs)
	100% provision towards women	
1.	Maternity Benefit Scheme	56900
2.	Confinement Allowance to Insured Women & Wives of IPs	450
	Pro-women (at least 30% of provision)	
3.	Medical Benefit Scheme	708522
4.	Cash Benefit Scheme (other than Maternity Benefit Scheme)	40069
	Total	**805940**

CONTRIBUTION TO CAPITAL CONSTRUCTION & CONTINGENCY RESERVE FUNDS

19 No provision has been made in respect of Capital Construction Reserve Fund in pursuance of decision taken in the 177th meeting of the Corporation held on 19.02.2019 as explained above. The details of estimated works are at Appendix-III.

20 No provision has been made in the Budget Estimates for 2022-2023 in respect of Contingency Reserve Fund as the balance in the Fund continues to remain at the prescribed level of ₹7500 Lakhs.

EXPENDITURE ON CAPITAL ACCOUNT

21.1 The projections made towards Capital Account Outlay for Budget Estimates 2022-2023 under various heads are as follows: -

(i) For Medical Institutions ₹16976 Lakhs.

(ii) For Hospitals/Dispensaries ₹161809 Lakhs

(iii) For ROs/SROs ₹1804 Lakhs

21.2 वर्ष 2022-2023 के बजट प्राक्कलन में, गैर-अनुमानित पूंजीगत व्यय पर प्राक्कलित खर्च ₹44855 लाख रखा गया है, जिसमें कंप्यूटरों के लिए ₹ 6750 लाख और उपकरण (कार्यालय और चिकित्सा उपकरण दोनों) के लिए ₹36100 लाख का मुख्य व्यय शामिल है।

व्यय से आय का आधिक्य

22 वर्ष 2021-2022 के परिशोधित प्राक्कलन में ₹155676 लाख की तुलना में वर्ष 2022-2023 के बजट प्राक्कलन व्यय से आय के आधिक्य में राजस्व लेखा पर ₹523389 लाख की अधिक शुद्ध आय प्रत्याशित है। हालांकि, व्यय पर परिचालित आय (अर्थात् अंशदान आय) में घाटा है जो कि परिशोधित बजट 2021-2022के लिए ₹(-)468266 लाख के परिचालित घाटे की तुलना में बजट प्राक्कलन 2022-23 के लिए ₹(-) 143546 लाख अनुमानित है।

राजस्व लेखा में प्राप्ति एवं व्यय के अलावा वित्तीय विवरण अर्थात् विवरण क-प्राप्तियाँ एवं विवरण ख-व्यय में अन्य लेखा शीर्षों अर्थात् कर्ज जमा, आरक्षित निधियां, पेशगियां, धन प्रेषण एवं नकद शेष आदि के प्राक्कलन भी समाविष्ट हैं। परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में विप्रो बनाम क.रा.बी.निगम मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुपालन में दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक के पास जमा करने के लिए ₹41500 लाख की राशि की व्यवस्था की गई हैं। वार्षिक अंशदान एवं संबंधित आरक्षित निधियों में शेष राशियों के निवेश पर जमा ब्याज़ के द्वारा आरक्षित निधियों से संबंधित प्रावधान प्राप्ति भाग में दर्शाए गए है। आरक्षित निधियों में पहले से उपलब्ध अतिशेष में जमा या उससे निकासी को वर्ष के दौरान आरक्षित निधिनिवेश के विस्तृत शीर्षमें व्यय भाग में दर्शाया गया है।

जमा रोकड़ शेष

23 31 मार्च, 2022 एवं 2023 को बैंकों में अंतिम रोकड़ शेष तथा भौतिक रोकड़ (कैश इन हैण्ड) ₹2000 लाख प्रत्याशित है। दिनांक 31.03.2022 एवं 31.03.2023 को ₹2000 लाख की राशि खाता संख्या 1 (संग्रह खातों) में रहेगी तथापि, जहां तक संभव हो, भौतिक रोकड़ (कैश इन हैण्ड)/बैंक न्यूनतम तक सीमित होगा।

24 परिशिष्ट-II के विवरण दर्शाते हैं :

क. अंशदानों से प्रतिव्यक्ति आय;

ख. राजस्व लेखा पर प्रतिव्यक्ति व्यय तथा

ग. अंशदान आय का अंतर।

हेमंत जैन

वित्त आयुक्त

21.2 In the Budget Estimates for 2022-2023, the expenditure on Non-Project capital expenditure has been estimated at ₹ 44855 Lakhs which includes major expenditure of ₹ 6750 Lakhs for Computers and ₹ 36100 Lakhs for Equipment (both Office & Medical equipment).

EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE

22 A net excess of ₹ 523389 Lakhs of income over expenditure on revenue account has been anticipated in the Budget Estimates for 2022-2023, as compared to that of ₹ 155676 Lakhs in Revised Estimates for 2021–2022. However, there is deficit of operating income (i.e. contribution income) over expenditure which is estimated at ₹ (-) 143546 Lakhs for Budget Estimates 2022-23 as compared to operating loss of ₹ (-) 468266 Lakhs for Revised Estimates 2021-22.

Apart from the receipt and expenditure on revenue account, the financial statement, viz. Statement A-Receipts and Statement B-Expenditure also contain the estimates in respect of other heads of account, viz. Debt Deposits, Reserve Funds, Advances, Remittances and Cash balance etc. In Revised Estimates 2021-2022 an amount of ₹ 41500 Lakhs has been provided towards deposit with Registrar General of Delhi High Court in respect of Wipro Vs ESIC case in compliance to Hon'ble High Court of Delhi. The provision in respect of reserve funds by way of annual contribution and credit of interest on investment of the balances in the concerned reserve funds are indicated on the receipt side. Addition to or withdrawals from the balance already available in reserve funds have been shown on the expenditure side against the detailed head of Reserve Funds Investment during the year.

CLOSING CASH BALANCE

23 The closing cash balance with banks and cash in hand is anticipated at ₹ 2000 Lakhs on 31st March, 2022 and 2023. Amount of ₹ 2000 Lakhs as on 31.3.2022 and 31.03.2023 may remain in Account No.1 (Collection Accounts).However, the cash in hand/bank will be restricted to the bare minimum as far as feasible.

24. The Statement in Appendix-II shows:

a. Per capita income from contributions;

b. Per capita expenditure on revenue account and

c. Margin in contribution income.

H-Jain

HEMANT JAIN
FINANCIAL COMMISSIONER

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन
वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन
विवरण—क प्राप्ति

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022	बजट प्राक्कलन 2022-2023
					(₹ लाख में)
	राजस्व के मुख्य शीर्ष				
i.	अंशदान	13,78,778.53	13,75,000.00	1450000.00	1595000.00
ii.	चिकित्सा हितलाभ पर निगम द्वारा आरम्भ में किए गए व्यय में राज्य सरकार का अंश	0.00	0.00	200.00^	0.00
	राजस्व के अन्य शीर्ष				
iii.	ब्याज़	5,97,383.41	6,44,874.00	611492.00	642635.00
iv.	किराया, दरें तथा कर	0.00	0.00	0.00	0.00
	(i) निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	227.88	300.00	250.00	300.00
	(ii) अस्पताल तथा औषधालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	263.37	240.00	1200.00	13000.00
v.	शुल्क, जुर्माना तथा जब्तियां	3,116.36	5,000.00	3800.00	3800.00
vi.	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां	3,582.03	4,500.00	4000.00	4200.00
vii.	विविध	1,25,780.72@	4,000.00	3000.00	3000.00
	कुल-राजस्व	**21,09,132.30**	**20,33,914.00**	**2073942.00**	**2261935.00**
	@ राशि 123192 लाख रुपये के आश्रितजन हितलाभ के बीमांकिक मूल्यांकन के कारण बीमांकिक अर्जन सहित ^राज्य सरकार से राशि प्राप्त होना संभावित है लेकिन इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा देय व वसूली योग्य राशि शामिल नहीं है ।				
	कर्ज, आरक्षित निधियां, जमा, अग्रिम तथा धन प्रेषण				
	साधारण कर्ज , राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा लौटाया गया कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल साधारण कर्ज	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	अनिधिक कर्ज **क.रा.बी. निगम सामान्य भविष्य निधि**				
I.	कर्मचारियों का अभिदान	16,890.90	17,468.97	15778.00	17356.00
ii.	कर्मचारियों के अभिदान पर ब्याज़	7,666.39	9,715.56	8447.00	9292.00
iii.	**कुल अनिधिक कर्ज**	**24,557.29**	**27,184.53**	**24225.00**	**26648.00**
	आरक्षित निधि :				
क	**स्टाफ क्वार्टरों सहित निगम के कार्यालय भवनों का मूल्यह्रास आरक्षित निधि लेखा**				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार	559.05	868.00	1104.00	1145.00
ii.	निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़	165.17	420.00	114.00	123.00
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	घटाएं-वर्ष के दौरान अग्रिम	-897.73	-12,244.00	-11845.00	-13233.00

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-A RECEIPT

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
	Principal Heads of Revenue				
i.	CONTRIBUTION	1378778.53	1375000.00	1450000.00	1595000.00
ii.	State Govts. Share towards medical benefit initially incurred by the Corporation	0.00	0.00	200.00^	0.00
	Other Heads of Revenue				
iii.	Interest	597383.41	644874.00	611492.00	642635.00
iv.	Rent, Rates & Taxes	0.00	0.00	0.00	0.00
	I. Office of the Corporation (including staff quarters)	227.88	300.00	250.00	300.00
	II. Hospitals & Dispensaries (including staff quarters)	263.37	240.00	1200.00	13000.00
v.	Fees, Fines & Forfeiture	3116.36	5000.00	3800.00	3800.00
vi.	Medical Education Receipts	3582.03	4500.00	4000.00	4200.00
vii.	Miscellaneous	125780.72@	4000.00	3000.00	3000.00
	TOTAL REVENUE	**2109132.30**	**2033914.00**	**2073942.00**	**2261935.00**
	@ includes actuarial gain on account of actuarial valuation of Dependant Benefit to the tune of ₹ 123192 Lakhs. **^ An amount likely to be received from State Government but this does not includes amount due and recoverable from Govt. of NCT, Delhi**				
	Debts, Reserve Funds, Deposits, Advances and Remittances				
	Ordinary debt, loans refunded by the State Govt.(Maharashtra)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ORDINARY DEBT	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Unfunded Debts **ESIC General Provident Fund**				
I.	Employees' subscription	16890.90	17468.97	15778.00	17356.00
ii.	Interest on employees' subscription	7666.39	9715.56	8447.00	9292.00
iii.	**Total unfunded debts**	**24557.29**	**27184.53**	**24225.00**	**26648.00**
	Reserve Funds:				
A	**Depreciation Reserve Fund Account of building for the offices of Corporation including staff quarters.**				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	559.05	868.00	1104.00	1145.00
ii.	Interest realised on investment	165.17	420.00	114.00	123.00
iii.	Other Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	Deduct -Advances during the year.	-897.73	-12244.00	-11845.00	-13233.00

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन
वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन
विवरण—क प्राप्ति

	लेखा शीर्ष	**वास्तविक 2020-2021**	**बजट प्राक्कलन 2021-2022**	**परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022**	**बजट प्राक्कलन 2022-2023**
					(₹ लाख में)
ख	**अस्पताल तथा औषधालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) का मूल्यह्रास आरक्षित निधि लेखा**				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार	7,930.88	13,875.67	12807.00	23086.00
ii.	निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़	8,375.13	9,900.00	8770.00	9495.00
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	घटाएं-वर्ष के दौरान अग्रिम	**-1867.52**	**-45,692.00**	**-59040.00**	**-57755.00**
ग	**चिकित्सा शिक्षा भवन के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि**				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार	16,702.64	13,875.67	37517.00	38225.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर सकरा गया ब्याज़	3,070.66	2,030.00	4217.00	4566.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
घ	**अन्य परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास आरक्षित निधि लेखा (संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर तथा वाहन)**				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार	31,006.34	19,422.63	34175.00	37305.00
ii.	निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़	10,198.71	9,030.00	12331.00	13352.00
iii.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	घटाएं—वर्ष के दौरान अग्रिम	**-20.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ङ	**स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि लेखा**				
i.	वार्षिक प्रावधान	1,84,951.83	57,200.00	51200.00	55100.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-A RECEIPT

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
B	**Depreciation Reserve Fund Account of Hospital and Dispensary Building (including staff quarters).**				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	7930.88	13875.67	12807.00	23086.00
ii.	Interest realised on investment	8375.13	9900.00	8770.00	9495.00
iii.	Other Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	Deduct-Advances during the year	**-1867.52**	**-45692.00**	**-59040.00**	**-57755.00**
C	**Depreciation reserve fund for Medical Education Building**				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	16702.64	13875.67	37517.00	38225.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	3070.66	2030.00	4217.00	4566.00
iv.	Deduct actual payments during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
D	**Depreciation Reserve Fund Account of Other Assets (Plant & Machinery, Furniture & Vehicles)**				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	31006.34	19422.63	34175.00	37305.00
ii.	Interest realised on investment	10198.71	9030.00	12331.00	13352.00
iii.	Other Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	Deduct -Advances during the year.	**-20.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E	**Permanent (Partial & total) Disablement Benefit Reserve Fund Account**				
i.	Annual Provisions	184951.83	57200.00	51200.00	55100.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन
वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन
विवरण—क प्राप्ति

	लेखा शीर्ष	**वास्तविक 2020-2021**	**बजट प्राक्कलन 2021-2022**	**परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022**	**बजट प्राक्कलन 2022-2023**
					(₹ लाख में)
iii.	निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़	47,715.66	52,270.00	58325.00	63151.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-30667.85	-4,857.00	-33000.00	-36000.00
च	**आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि लेखा**				
i	वार्षिक प्रावधान	-1,23,191.55	47,500.00	256200.00	44500.00
ii.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़	30,272.93	33,020.00	19982.00	21636.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-27493.10	-1,756.00	-30000.00	-33000.00
	क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना आरक्षित निधि खाता				
I.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	0.00	0.00	70500.00	11031.00
ii.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़	0.00	0.00	0.00	4948.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	0.00	0.00	-4275.00	-4704.00
छ	**कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—पेंशन**				
I.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	49593.23	42,414.00	57900.00	60200.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	125.58	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़	72,748.23	7,939.00	73071.00	79116.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-46,000.70	-63,800.00	-54500.00	-58300.00
ज	**कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—उपदान**				
I.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	11,003.51	8,088.30	6400.00	11200.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़	5,285.53	6,180.00	5655.00	6122.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-5,687.85	-9,700.00	-14600.00	-7000.00
झ	**कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—छुट्टी नकदीकरण**				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	11,396.46	4,061.50	14700.00	18400.00

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-A RECEIPT

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
iii.	Interest realised on investment	47715.66	52270.00	58325.00	63151.00
iv.	Deduct-actual payments during the year	-30667.85	-4857.00	-33000.00	-36000.00
F	**Dependents Benefit Reserve Fund Account**				
i	Annual Provisions	-123191.55	47500.00	256200.00	44500.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	30272.93	33020.00	19982.00	21636.00
iv.	Deduct-actual payments during the year	-27493.10	-1756.00	-30000.00	-33000.00
	ESIC COVID-19 Relief Scheme Reserve Fund Account				
I.	Annual Provision for the year	0.00	0.00	70500.00	11031.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	0.00	0.00	0.00	4948.00
iv.	Deduct actual payments during the year	0.00	0.00	-4275.00	-4704.00
G	**Employees Benefit Reserve Fund – Pension**				
I.	Annual Provision for the year	49593.23	42414.00	57900.00	60200.00
ii.	Other receipts	125.58	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	72748.23	7939.00	73071.00	79116.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-46000.70	-63800.00	-54500.00	-58300.00
H	**Employees Benefit Reserve Fund - Gratuity**				
I.	Annual Provisions for the year	11,003.51	8,088.30	6400.00	11200.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	5285.53	6180.00	5655.00	6122.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-5687.85	-9700.00	-14600.00	-7000.00
I	**Employees Benefit Reserve Fund - Leave Encashment**				
i.	Annual Provision for the year	11396.46	4061.50	14700.00	18400.00

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन
वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन
विवरण—क प्राप्ति

	लेखा शीर्ष	**वास्तविक 2020-2021**	**बजट प्राक्कलन 2021-2022**	**परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022**	**बजट प्राक्कलन 2022-2023**
					(₹ लाख में)
ii.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़	5,002.78	4,890.00	5567.00	6027.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-3,229.53	-49,00.00	-10000.00	-4900.00
ञ	**कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—पेंशनभोगी चिकित्सा योजना**				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	3,090.97	1,025.90	2600.00	3000.00
ii.	पेंशनभोगियों से प्राप्त अंशदान	216.28	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़	1,242.45	1,300.00	1379.00	1493.00
iv.	घटाएं—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-1,335.01	-2,500.00	-600.00	-600.00
ट	**पूंजीगत निर्माण निधि लेखा**				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
ii.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	**घटाएं—वर्ष के दौरान भवनों के निर्माण के लिए निर्माण एजेंसियों को दिए गए अग्रिम**				
क.	निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	85.18	-2,633.00	-3148.00	-1804.00
ख.	अस्पताल एवं औषधालय	1867.24	-1,37,447.00	-127746.00	-161809.00
ग.	चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	0.00	-14,800.00	-21856.00	-16976.00
ठ	**आकस्मिकता आरक्षित निधि लेखा**	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**262214.86**	**34,981.07**	**363904.00**	**117140.00**
	जमा				
i.	प्रतिभूति जमा	989.15	1,000.00	2000.00	2000.00
ii.	अन्य जमा	2,303.89	3,000.00	10000.00	5000.00
iii.	**कुल जमा**	**3,293.04**	**4,000.00**	**12000.00**	**7000.00**
	अग्रिम				
i.	**स्थायी अग्रिम**	2.72	10.00	5.00	5.00
ii.	**निगम के कर्मचारियों को अग्रिम**				

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-A RECEIPT

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	5002.78	4890.00	5567.00	6027.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-3229.53	-4900.00	-10000.00	-4900.00
J	**Employees Benefit Reserve Fund - Pensioner's Medical Scheme**				
i.	Annual Provision for the year	3090.97	1025.90	2600.00	3000.00
ii.	Contribution received from pensioners	216.28	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	1242.45	1300.00	1379.00	1493.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-1335.01	-2500.00	-600.00	-600.00
K	**Capital construction fund account**				
i.	Annual amount transferred to the fund	0.00	0.00	0.00	0.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	**Deduct advances to Construction Agencies during the year for buildings for**				
a.	Offices of the corporation (with staff quarters)	85.18	-2633.00	-3148.00	-1804.00
b.	Hospitals & Dispensaries	1867.24	-137447.00	-127746.00	-161809.00
c.	Medical Education Projects	0.00	-14800.00	-21856.00	-16976.00
L	**Contingency Reserve Fund Account**	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**262214.86**	**34,981.07**	**363904.00**	**117140.00**
	Deposits				
i.	Deposit of securities	989.15	1000.00	2000.00	2000.00
ii.	Other Deposits	2303.89	3000.00	10000.00	5000.00
iii.	**Total Deposits**	**3293.04**	**4000.00**	**12000.00**	**7000.00**
	Advances				
i.	**Permanent advances**	2.72	10.00	5.00	5.00
ii.	**Advance to employees of the Corporation:**				

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन

वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन

विवरण—क प्राप्ति

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022	बजट प्राक्कलन 2022-2023
					(₹ लाख में)
क.	स्थानांतरण पर अग्रिम वेतन	-66.43	0.00	1.00	1.00
ख.	स्थानांतरण पर अग्रिम यात्रा भत्ता	16.13	30.00	20.00	20.00
ग.	दौरे पर अग्रिम यात्रा भत्ता	126.30	140.00	140.00	140.00
घ.	छुट्टी यात्रा रियायत के लिए अग्रिम	583.01	1,600.00	1000.00	1000.00
³.	मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	9.18	25.00	25.00	25.00
च.	अन्य वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	0.00	1.00	1.00	1.00
छ.	गृह निर्माण अग्रिम	46.52	200.00	200.00	200.00
ज.	कम्प्यूटर अग्रिम	205.90	300.00	250.00	300.00
झ.	विविध अग्रिम (त्योहार अग्रिम, बाढ़ अग्रिम चिकित्सा एवं पंखा अग्रिम)	162.85	120.00	250.00	200.00
iii.	**अन्य अग्रिम**				
क.	राज्य सरकार/निर्माण/कर्मचारी बीमा न्यायालय को दिए गए अग्रिम	1,952.42	100.00	2000.00	2000.00
ख.	विविध	3,002.30	2,500.00	10000.00	5000.00
ग.	विशेष अग्रिम	237.54	30.00	50.00	50.00
	कुल अग्रिम (I+II+III)	**6,278.44**	**5,056.00**	**13942.00**	**8942.00**
	धन प्रेषण				
i.	नकद धन प्रेषण (क)	27,09,352.96	17,00,000.00	1700000.00	1700000.00
ii.	अन्य धन प्रेषण (ख)	18,123.63	21,00,000.00	2100000.00	2100000.00
	कुल धन प्रेषण	**27,27,476.59**	**38,00,000.00**	**3800000.00**	**3800000.00**
	कुल कर्ज, आरक्षित निधियां, जमा, अग्रिम एवं धन प्रेषण आदि	**3023820.22**	**38,71,221.20**	**4214071.00**	**3960730.00**
	कुल प्राप्तियां	**5132952.52**	**59,05,136.20**	**6288013.00**	**6222665.00**
	अथ रोकड़ शेष	1,696.10	2,000.00	5094.00	2000.00
	प्राप्तियों का कुल योग	**5134648.62**	**59,07,136.20**	**6293107.00**	**6224665.00**

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-A RECEIPT

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
a.	Advance of pay on transfer	-66.43	0.00	1.00	1.00
b.	Advance of TA on transfer	16.13	30.00	20.00	20.00
c.	Advance of TA on Tour	126.30	140.00	140.00	140.00
d.	Advance for LTC	583.01	1600.00	1000.00	1000.00
e.	Advance purchase of motor conveyance	9.18	25.00	25.00	25.00
f.	Advance of purchase of other conveyance	0.00	1.00	1.00	1.00
g.	House Building Advance	46.52	200.00	200.00	200.00
h.	Computer advances	205.90	300.00	250.00	300.00
i.	Miscellaneous advances(festival advance flood advance, medical & fan advance)	162.85	120.00	250.00	200.00
iii.	**Other Advances:**				
a.	Advances paid to State Govt./construction/ E.I. Court	1952.42	100.00	2000.00	2000.00
b.	Miscellaneous	3002.30	2500.00	10000.00	5000.00
c.	Special Advance	237.54	30.00	50.00	50.00
	Total Advance(I+II+III)	**6278.44**	**5056.00**	**13942.00**	**8942.00**
	Remittances				
i.	Cash Remittances(a)	2709352.96	1700000.00	1700000.00	1700000.00
ii.	Other Remittances(b)	18123.63	2100000.00	2100000.00	2100000.00
	TOTAL REMITTANCES:	**2727476.59**	**3800000.00**	**3800000.00**	**3800000.00**
	Total debts, reserve Funds, deposits, advances and remittances etc.	**3023820.22**	**3871221.20**	**4214071.00**	**3960730.00**
	TOTAL RECEIPTS:	**5132952.52**	**5905136.20**	**6288013.00**	**6222665.00**
	Opening Cash balance	1696.10	2000.00	5094.00	2000.00
	GRAND TOTAL RECEIPTS:	**5134648.62**	**5907136.20**	**6293107.00**	**6224665.00**

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन
वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन
विवरण—क प्राप्ति

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022	बजट प्राक्कलन 2022-2023
					(₹ लाख में)
(क)	'नकद धन प्रेषण' शब्द का अर्थ एक लेखा परिमंडल से अन्य लेखा परिमंडल को तथा इसके विपरीत क्रम से निधियों (नकद) का अंतरण है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। प्राप्त अंशदान टेलीग्राफिक अंतरणों के माध्यम से खाता संख्या 1 केन्द्रीय (मुख्यालय) में साप्ताहिक रूप में अंतरित किया जाता है।				
(ख)	'अन्य धन प्रेषण' शब्द का अर्थ निगम के एक कार्यालय से अन्य कार्यालयों के बीच खाता समायोजन है। निगम के एक कार्यालय में किया गया ऐसा लेनदेन जिसका समायोजन किसी दूसरे कार्यालयों के खाते में किया जाता हो, का अंतरण विनिमय खाते के माध्यम से किया जाता है और इसे इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।				

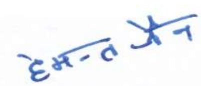

हेमंत जैन
वित्त आयुक्त

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-A RECEIPT

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
(a)	The term 'Cash Remittances' denotes transfer of funds (cash) from one account circle to the other and vice versa. The revenue of the Corporation is collected through the State Bank of India and its associate banks. The contribution received are transferred weekly to the Account No.1 Central (Hqrs. Office) through telegraphic transfers.				
(b)	The term 'Other Remittance' denotes book adjustments between one office of the Corporation and the other. Transactions originating in one office of the Corporation but adjustable in the books of its another office are transferred through Exchange Account and exhibited under this Head.				

H-Jain

HEMANT JAIN
FINANCIAL COMMISSIONER

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन
वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन
विवरण—ख व्यय

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022	बजट प्राक्कलन 2022-2023
					(₹ लाख में)
राजस्व लेखा पर व्यय					
1	**बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिजनों को हितलाभ:**				
क	**चिकित्सा हितलाभ**				
I .	i)चिकित्सा देखभाल उपचार तथा मातृत्व सुविधाओं पर खर्च में निगम के अंश के रूप में राज्य सरकारों को भुगतान (वर्धित उच्चतम सीमा और अंतिम निपटान हेतु अतिरिक्त प्रावधान)	3,92,643.61	4,83,629.00	487614.00	439362.00
	ii)वर्धित उच्चतम सीमा हेतु अतिरिक्त प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	निम्न पर निगम द्वारा सीधे किया गया व्यय :				
क.	व्यावसायिक रोग केन्द्र सहित अस्पताल/आदर्श अस्पताल *	314174.79	4,35,046.00	367680.00	421403.00
ख.	अति-विशिष्टता उपचार व द्वितीयक स्तर की देखभाल (टाईअप)	142530.19	1,64,215.00	175236.00	182280.00
ग.	आयुष्मान भारत के अंतर्गत व्यय	0.00	70,000.00	50.00	100.00
घ.	औषधालय-सह-शाखा कार्यालय/स्वास्थ्य पासबुक एवं आइवीआरएस पर व्यय *	4601.57	5,000.00	4700.00	5100.00
ङ.	बीमाकृत महिलाओं और बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसव भत्ता	382.61	700.00	450.00	450.00
च.	अस्पताल एवं औषधालय का मूल्यह्रास प्रावधान	14,974.95	21,830.52	21905.00	33018.00
छ.	मरम्मत एवं रखरखाव (अस्पताल एवं औषधालय)	16,969.76	42,040.00	52176.00	58741.00
ज.	अस्पताल एवं औषधालय का किराया, भाड़ा तथा कर	2,548.39	3,700.00	3000.00	3200.00
झ.	आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय (एमईयूडी)	120.97	3,300.00	200.00	300.00
ञ.	बीमाकृत चिकित्सा व्यवसायी (आईएमपी)/आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (एमआइएमपी)	2,303.37	30,000.00	2600.00	2700.00
ट.	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)पर व्यय	21.27	26.80	30.00	35.00
III.	चिकित्सा शिक्षा	61,792.33	61,142.90	83390.00	87570.00
	योग—क—चिकित्सा हितलाभ :	**953063.81**	**13,20,630.22**	**1199031.00**	**1234359.00**
ख.	**नकद हितलाभ**				
i.	बीमारी हितलाभ	28,989.67	52,500.00	39000.00	43000.00
ii.	विस्तारित बीमारी हितलाभ	4,964.16	7,300.00	6500.00	8200.00
iii.	मातृत्व हितलाभ	39,004.29	53,000.00	48800.00	56900.00
iv.	निःशक्तता हितलाभः				
	क. अस्थायी निःशक्तता	8,264.85	12,800.00	12000.00	12500.00
	ख. स्थायी निःशक्तता*	1,84,951.83	57,200.00	75000.00	80900.00
v.	आश्रितजन हितलाभ*	0.00	47,500.00	261400.00	48800.00
vi	अंत्येष्टि खर्च	2,779.51	3,500.00	6000.00	6000.00

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-B EXPENDITURE

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
Expenditure on Revenue Account					
1	**Benefits to insured persons and their families:**				
A	**Medical Benefits:**				
I.	i) Payment to State Govts. as Corporation's share of expenditure on medical care treatment & maternity facilities. (Additional provision for enhanced ceiling & final settlement) *	392643.61	483629.00	487614.00	439362.00
	ii) Additional Provision for enhanced ceiling	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Expenditure directly incurred by the Corporation on:				
a)	Hospital with occupational diseases centre/ Model Hospitals*	314174.79	435046.00	367680.00	421403.00
b)	Super Speciality Treatment & Secondary Care(tie-up)	142530.19	164215.00	175236.00	182280.00
c)	Expenditure under Ayushman Bharat	0.00	70000.00	50.00	200.00
d)	Expenditure on DCBO*/ Health Passbook & IVRS*	4601.57	5000.00	4700.00	5100.00
e)	Confinement Allowance to Insured Women & Wives of IPs	382.61	700.00	450.00	450.00
f)	Depreciation provision of Hospital & Dispensary	14974.95	21830.52	21905.00	33018.00
g)	Repairs & Maintenance (Hospital & Dispensary)	16969.76	42040.00	52176.00	58741.00
h)	Rent, Hired and Taxes for Hospital & Disp.	2548.39	3700.00	3000.00	3200.00
i)	Modified Employer Utility Dispensary(m-EUD)	120.97	3300.00	200.00	300.00
j)	Insured Medical Practitioner (IMP)/Modified Insured Medical Practitioner (m-IMP)	2303.37	30000.00	2600.00	2700.00
ii)	Expenditure on Swachhata Action Plan (SAP)	21.27	26.80	30.00	35.00
III.	Medical Education	61792.33	61142.90	83390.00	87570.00
	Total -A - Medical Benefit:	**953063.81**	**1320630.22**	**1199031.00**	**1234359.00**
	***These budget heads have been regrouped wherever required**				
B.	**Cash Benefits:**				
i.	Sickness Benefit	28989.67	52500.00	39000.00	43000.00
ii.	Extended Sickness Benefit	4964.16	7300.00	6500.00	8200.00
iii.	Maternity Benefit	39004.29	53000.00	48800.00	56900.00
iv.	Disablement Benefits:				
	a. Temporary Disablement	8264.85	12800.00	12000.00	12500.00
	b. Permanent Disablement*	184951.83	57200.00	75000.00	80900.00
v.	Dependants' Benefit*	0.00	47500.00	261400.00	48800.00
vi	Funeral Expenses	2779.51	3500.00	6000.00	6000.00

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन
वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन
विवरण—ख व्यय

	लेखा शीर्ष	**वास्तविक 2020-2021**	**बजट प्राक्कलन 2021-2022**	**परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022**	**बजट प्राक्कलन 2022-2023**
					(₹ लाख में)
vii.	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	1,317.18	1,100.00	3300.00	3300.00
viii	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	5916.76	12500.00	3500.00	3000.00
ix.	क.रा.बी. निगम कोविड़-19 राहत योजना**	0.00	0.00	70500.00	11000.00
	योग—ख—नकद हितलाभ	**276188.25**	**2,47,400.00**	**526000.00**	**273600.00**
	***अनंतिम आंकड़े; **अनुपूरक बजट प्राक्कलन**				
ग.	**अन्य हितलाभ :**				
i.	चिकित्सा बोर्ड व अपील अधिकरण	28.66	55.00	75.00	35.00
ii	सवारी प्रभार के निमित्त बीमाकृत व्यक्तियों को भुगतान	116.64	150.00	145.00	150.00
iii.	मजदूरी की हानि के निमित्त बीमाकृत व्यक्तियों को भुगतान	6.03	20.00	30.00	20.00
iv.	विविध	188.12	50.00	250.00	250.00
v.	बीमाकृत व्यक्तियों को पुनर्वास भत्ता	0.00	3.00	1.00	1.00
	योग—ग—अन्य हितलाभ	**339.45**	**278.00**	**501.00**	**456.00**
	योग शीर्ष—1 हितलाभ	**1229591.51**	**15,68,308.22**	**1725532.00**	**1508415.00**
2.	**प्रशासनिक व्यय**				
क.	**अधीक्षण :**				
	अधिकारी :				
i.	वेतन	6,687.78	7,600.00	8000.00	9600.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	3,505.26	4,500.00	5000.00	6600.00
iii.	बोनस	0.00	0.00	1.00	1.00
iv	संविदात्मक कर्मचारी	204.47	350.00	300.00	500.00
	कुल अधिकारी	**10,397.51**	**12,450.00**	**13301.00**	**16701.00**
	अनुसचिवीय स्थापनाएँ				
i.	वेतन	26,245.77	35,000.00	30000.00	35000.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	13,181.89	22,200.00	20000.00	22500.00
iii.	बोनस	914.80	1,230.00	1500.00	1200.00
iv	संविदात्मक कर्मचारी	120.96	1,100.00	500.00	1000.00
	कुल अनुसचिवीय स्थापनाएं :	**40,463.42**	**59,530.00**	**52000.00**	**59700.00**
	समूह 'घ' कर्मचारी				
i.	वेतन	73.10	110.00	70.00	70.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	34.86	75.00	65.00	70.00
iii.	बोनस	2.89	7.00	5.00	5.00
iv	संविदात्मक कर्मचारी	0.00	54.00	170.00	50.00
	कुल समूह 'घ' स्टाफ	**110.86**	**246.00**	**310.00**	**195.00**
	कुल 'क' अधीक्षण (i)	**50,971.79**	**72,226.00**	**65611.00**	**76596.00**
	ख—क्षेत्र कार्य				
	अधिकारी				
i.	वेतन	118.08	400.00	300.00	400.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	86.89	260.00	250.00	300.00

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-B EXPENDITURE

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
vii.	Rajiv Gandhi ShramikKalyanYojna	1317.18	1100.00	3300.00	3300.00
viii	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	5916.76	12500.00	3500.00	3000.00
ix)	ESIC COVID-19 Relief Scheme**	0.00	0.00	70500.00	11000.00
	Total - B - Cash Benefits	**276188.25**	**247400.00**	**526000.00**	**273600.00**
	***Provisional figures; **Supplementary Budget Estimates**				
C.	**Other Benefits:**				
i.	Medical Boards & Appeal Tribunals	28.66	55.00	75.00	35.00
ii	Payment to insured person on account of conveyance charges	116.64	150.00	145.00	150.00
iii.	Payment to insured person on account of loss of wages	6.03	20.00	30.00	20.00
iv.	Miscellaneous	188.12	50.00	250.00	250.00
v.	Rehabilitation allowance to IPs.	0.00	3.00	1.00	1.00
	Total -C - Other Benefits	**339.45**	**278.00**	**501.00**	**456.00**
	Total Head-1 Benefits	**1229591.51**	**1568308.22**	**1725532.00**	**1508415.00**
2.	**Administrative Expenses**				
A.	**Superintendence:**				
	Officers:				
i.	Pay	6687.78	7600.00	8000.00	9600.00
ii.	Allowances & Honoraria	3505.26	4500.00	5000.00	6600.00
iii.	Bonus	0.00	0.00	1.00	1.00
iv	Contractual employees	204.47	350.00	300.00	500.00
	Total Officers	**10397.51**	**12450.00**	**13301.00**	**16701.00**
	MINISTERIAL ESTABLISHMENT				
i.	Pay	26245.77	35000.00	30000.00	35000.00
ii.	Allowances & Honoraria	13181.89	22200.00	20000.00	22500.00
iii.	Bonus	914.80	1230.00	1500.00	1200.00
iv	Contractual employees	120.96	1100.00	500.00	1000.00
	TOTAL MINISTERIAL ESTABLISHMENT:	**40463.42**	**59530.00**	**52000.00**	**59700.00**
	GROUP D STAFF				
i.	Pay	73.10	110.00	70.00	70.00
ii.	Allowances & Honoraria	34.86	75.00	65.00	70.00
iii.	Bonus	2.89	7.00	5.00	5.00
iv	Contractual employees	0.00	54.00	170.00	50.00
	Total Group-D staff	**110.86**	**246.00**	**310.00**	**195.00**
	Total A supdt.(i)	**50971.79**	**72226.00**	**65611.00**	**76596.00**
	B-Field work				
	Officers				
i.	Pay	118.08	400.00	300.00	400.00
ii.	Allowances & Honoraria	86.89	260.00	250.00	300.00

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन
वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन
विवरण—ख व्यय

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022	बजट प्राक्कलन 2022-2023
					(₹ लाख में)
iii.	बोनस	2.48	8.00	3.00	3.00
iv	संविदात्मक कर्मचारी	0.00	2.00	1.00	1.00
	कुल—अधिकारी	**207.45**	**670.00**	**554.00**	**704.00**
	अनुसचिवीय स्थापना				
i.	वेतन	11,638.48	12,000.00	12100.00	14000.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	5,262.04	7,000.00	7500.00	10000.00
iii.	बोनस	381.50	550.00	500.00	700.00
iv	संविदात्मक कर्मचारी	8.93	155.00	50.00	50.00
	कुल–अनुसचिवीय स्थापना	**17,290.95**	**19,705.00**	**20150.00**	**24750.00**
	समूह 'घ' स्टाफ :				
i.	वेतन	25.45	45.00	26.00	29.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	12.52	22.00	20.00	27.00
iii.	बोनस	1.40	1.50	2.00	2.00
iv	संविदात्मक कर्मचारी	2.58	13.00	3.00	5.00
	कुल समूह 'घ' कर्मचारी :	**41.95**	**81.50**	**51.00**	**63.00**
	कुल—ख—क्षेत्र कार्य (ii)	**17,540.35**	**20,456.50**	**20755.00**	**25517.00**
ग)	**क-अधीक्षण और ख-क्षेत्र कार्य अधिकारियों/स्टाफ के लिए साझा व्यय**				
क.	स्टाफ कल्याण व्यय	149.56	1,700.00	1205.00	1200.00
ख.	छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	0.00	100.00	50.00	75.00
ग.	अनुकम्पा अनुदान	0.00	5.00	5.00	5.00
घ.	भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	9.69	13.86	22.00	24.00
ङ.	कर्मचारी हितलाभों पर व्यय				
	i) पेंशन	31,463.42	13,472.74	35807.00	37230.00
	ii) उपदान	3,794.67	2,569.11	2219.00	3884.00
	iii) छुट्टी नकदीकरण	3,989.71	1,290.12	5171.00	6473.00
	iv) पेंशनभोगी चिकित्सा योजना	3,090.97	1,025.90	2600.00	3000.00
	v) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का अंश	4,538.98	9,000.00	8700.00	10000.00
च.	समूह बचत बीमा योजना में क.रा.बी. निगम का अंश	12.39	175.00	100.00	150.00
	कुल - ग समान व्यय (iii)	**47,049.39**	**29,351.73**	**55880.00**	**62041.00**
	कुल स्थापना व्यय (i+ii+iii)	**115561.53**	**1,22,034.23**	**142246.00**	**164154.00**
	घ. अन्य प्रशासनिक व्यय				
1	विद्युत एवं शक्ति	1,843.24	2,600.00	2500.00	2500.00
2	जल प्रभार	143.85	240.00	175.00	210.00
3	बीमा	56.44	200.00	150.00	200.00
4	किराया, दर एवं कर	3,675.10	4,600.00	4500.00	4800.00
5	वाहन, चालन एवं अनुरक्षण (भाड़ा प्रभार सहित)	317.21	550.00	400.00	600.00

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-B EXPENDITURE

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
iii.	Bonus	2.48	8.00	3.00	3.00
iv	Contractual employees	0.00	2.00	1.00	1.00
	Total-Officers	**207.45**	**670.00**	**554.00**	**704.00**
	MINISTERIAL ESTABLISHMENT				
i.	Pay	11638.48	12000.00	12100.00	14000.00
ii.	Allowances & Honorarium	5262.04	7000.00	7500.00	10000.00
iii.	Bonus	381.50	550.00	500.00	700.00
iv	Contractual employees	8.93	155.00	50.00	50.00
	TOTAL MINISTERIAL ESTABLISHMENT	**17290.95**	**19705.00**	**20150.00**	**24750.00**
	Group - D - Staff:				
i.	Pay	25.45	45.00	26.00	29.00
ii.	Allowances & Honorarium	12.52	22.00	20.00	27.00
iii.	Bonus	1.40	1.50	2.00	2.00
iv	Contractual employees	2.58	13.00	3.00	5.00
	TOTAL GROUP-D-STAFF:	**41.95**	**81.50**	**51.00**	**63.00**
	Total-B-Field work (ii)	**17540.35**	**20456.50**	**20755.00**	**25517.00**
c)	**Common Expenses for A-Supdt. & B-Field Work Officers/Staffs**				
a.	Staff Welfare Expenses	149.56	1700.00	1205.00	1200.00
b.	Leave Salary & Pension Contribution	0.00	100.00	50.00	75.00
c.	Compassionate Grants	0.00	5.00	5.00	5.00
d.	PF Deposit Linked Insurance Scheme	9.69	13.86	22.00	24.00
e.	Exp. on Employee Benefits				
	i. Pension	31463.42	13472.74	35807.00	37230.00
	ii. Gratuity	3794.67	2569.11	2219.00	3884.00
	iii. Leave Encashment	3989.71	1290.12	5172.00	6473.00
	iv. Pensioners' Medical Scheme	3090.97	1025.90	2600.00	3000.00
	v. ESIC Share of New Pension Scheme	4538.98	9000.00	8700.00	10000.00
f.	ESIC Share of GSLIS	12.39	175.00	100.00	150.00
	Total –C Common Expenses (iii)	**47049.39**	**29351.73**	**55880.00**	**62041.00**
I	**TOTAL ESTABLISHMENT EXPENSES (i+ii+iii)**	**115561.53**	**122034.23**	**142246.00**	**164154.00**
	D. Other Admin. Expenses				
1	Electricity and Power	1843.24	2600.00	2500.00	2500.00
2	Water Charges	143.85	240.00	175.00	210.00
3	Insurance	56.44	200.00	150.00	200.00
4	Rent, Rates and Taxes	3675.10	4600.00	4500.00	4800.00
5	Vehicles, Running and Maintenance (including Hire Charges)	317.21	550.00	400.00	600.00

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन

वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन

विवरण—ख व्यय

	लेखा शीर्ष	**वास्तविक 2020-2021**	**बजट प्राक्कलन 2021-2022**	**परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022**	**बजट प्राक्कलन 2022-2023**
					(₹ लाख में)
6	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	730.54	800.00	850.00	1000.00
7	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	408.52	700.00	550.00	700.00
8	यात्रा एवं वाहन व्यय				
	क) निगम/स्थायी समिति/क्षेत्रीय बोर्ड/स्थानीय समिति	8.91	80.00	100.00	160.00
	ख) अन्य (क.रा.बी. निगम कर्मचारी)	657.87	1,400.00	750.00	1000.00
9	संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	37.01	200.00	100.00	200.00
10	अभिदान व्यय—पत्र/पत्रिकाएँ	16.47	60.00	50.00	91.00
11	लेखापरीक्षा शुल्क	9.00	200.00	150.00	240.00
12	क) विधिक प्रभार	246.21	730.00	500.00	600.00
	ख) विधिक विवाद के अंतर्गत पंचाट के भुगतान पर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
13	बीमा न्यायालय	13.92	135.00	100.00	150.00
14	अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	93.52	96.00	150.00	200.00
15	गृह प्रबंधन व्यय	2,520.07	3,200.00	3500.00	4000.00
16	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)	22.32	100.00	50.00	130.00
17	बैंक खाते अनुरक्षण हेतु प्रभार तथा अन्य बैंक प्रभार	858.94	1,300.00	1000.00	1300.00
18	हानियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मरम्मत एवं रखरखाव-कम्प्यूटर एवं अन्य	3,871.66	7,000.00	6403.00	10749.00
20	भर्ती व्यय	14.63	5,800.00	5785.00	10000.00
21	राजस्व वसूली प्रकोष्ठ	53.04	120.00	70.00	140.00
22	विज्ञापन एवं प्रचार	1,024.37	3,000.00	1500.00	3300.00
23	पहरा व निगरानी	4,588.69	4,800.00	5200.00	5500.00
24	प्रशिक्षण	18.12	300.00	100.00	300.00
25	विविध*	1,335.82	3,500.00	3500.00	3500.00
26	कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत एवं रखरखाव	4,310.40	9,707.00	6107.00	7607.00
27	परामर्श सेवाएं	134.31	225.00	143.00	200.00
28	निवेश प्रबंधन प्रभार	350.47	350.00	375.00	400.00
29	मूल्यह्रास	4,198.00	8,983.37	5730.00	6200.00
II	**कुल अन्य प्रशासनिक व्यय** ***इस बजट शीर्ष को पुन: समूहित किया गया है।**	**31,558.65**	**60,976.37**	**50488.00**	**65977.00**
	कुल प्रशासनिक व्यय (I + II)	**1,47,120.17**	**1,83,010.60**	**192734.00**	**230131.00**
3	**पूंजीगत निर्माण और आकस्मिक आरक्षित निधियों में अंशदान**				
	क. पूंजीगत निर्माण निधि में वार्षिक अंशदान (अंशदान आय के 1%की दर से)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख. आकस्मिक आरक्षित निधि में वार्षिक अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूंजीगत निर्माण और आकस्मिकता आरक्षित निधियों में कुल शीर्ष-4 अंशदान	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	राजस्व लेखे पर कुल व्यय :	**1376711.68**	**17,51,318.82**	**1918266.00**	**1738546.00**
4	**पूंजीगत लेखा पर व्यय**				
(क)	**गैर परियोजना**				

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-B EXPENDITURE

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
6	Postage, Telephone and Communication Charge	730.54	800.00	850.00	1000.00
7	Printing and Stationary	408.52	700.00	550.00	700.00
8	Travelling and Conveyance Expenses				
	a) Corporation / Standing Committee / Regional Board / Local Committee	8.91	80.00	100.00	160.00
	b) Others (ESIC Employees)	657.87	1400.00	750.00	1000.00
9	Expenses on Seminar / Workshops	37.01	200.00	100.00	200.00
10	Subscription Expenses - periodicals	16.47	60.00	50.00	91.00
11	Audit Fees	9.00	200.00	150.00	240.00
12	a) Legal Charges	246.21	730.00	500.00	600.00
	b] Expenses on payment of award under legal dispute	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Insurance Courts	13.92	135.00	100.00	150.00
14	Contribution to ISSA & other International Organisations	93.52	96.00	150.00	200.00
15	House Keeping Expenses	2520.07	3200.00	3500.00	4000.00
16	Swachhata Action Plan (SAP)	22.32	100.00	50.00	130.00
17	Charges for maintaining bank accounts & other bank charges	858.94	1300.00	1000.00	1300.00
18	Losses	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Repair and Maintenance - Computers & Others	3871.66	7000.00	6403.00	10749.00
20	Recruitment Expenses	14.63	5800.00	5785.00	10000.00
21	Revenue Recovery Cell	53.04	120.00	70.00	140.00
22	Advertisement and Publicity	1024.37	3000.00	1500.00	3300.00
23	Watch & Ward	4588.69	4800.00	5200.00	5500.00
24	Training	18.12	300.00	100.00	300.00
25	Miscellaneous*	1335.82	3500.00	3500.00	3500.00
26	Repair and Maintenance of Office Building & Staff Quarters.	4310.40	9707.00	6107.00	7607.00
27	Consultancy Services	134.31	225.00	143.00	200.00
28	Investment Management charges	350.47	350.00	375.00	400.00
29	Depreciation	4198.00	8983.37	5730.00	6200.00
II	**Total – D Other Admin. Expenses** *This budget head has been regrouped	**31558.65**	**60976.37**	**50488.00**	**65977.00**
	Total Admin. Exp. (I + II)	**147120.17**	**183010.60**	**192734.00**	**230131.00**
3	**Contribution to Capital Construction & Contingency Reserve Funds: -**				
	A. Annual contribution to Capital Construction Fund (@ 1% of contribution income)	0.00	0.00	0.00	0.00
	B. Annual contribution to Contingency Reserve Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Head-4 Contributions to Capital Construction & Contingency Reserve Funds.	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	TOTAL EXPENDITURE ON REVENUE ACCOUNTS:	**1376711.68**	**1751318.82**	**1918266.00**	**1738546.00**
4	**Expenditure on Capital Account**				
(A)	**Non-Project**				

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन
वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन
विवरण—ख व्यय

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022	बजट प्राक्कलन 2022-2023
					(₹ लाख में)
	i) वाहन	28.05	70.00	98.00	96.00
	ii) संयंत्र व उपस्कर (चिकित्सा व गैर-चिकित्सा)	8,872.75	21,151.00	32950.00	36100.00
	iii) फर्नीचर और जुड़नार (फिक्सचर)	776.66	1,810.00	1585.00	1775.00
	iv) कम्प्यूटर	2,649.57	8,500.00	7565.00	6750.00
	v) पुस्तकें	62.11	130.00	105.00	130.00
	vi) चिकित्सा शिक्षा सहायता	0.00	7.00	4.00	4.00
	कुल	**12,389.13**	**31,668.00**	**42307.00**	**44855.00**
(ख)	**परियोजनाएं**				
	कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर	211.49	2633.00	3148.00	1804.00
	स्टाफ क्वार्टर सहित अस्पताल और औषधालय	25,867.94	1,37,447.00	127446.00	161809.00
	चिकित्सा महाविद्यालय और स्टाफ क्वार्टर	4,182.83	14,800.00	21856.00	16976.00
	कुल (ख)	**30,262.25**	**1,54,880.00**	**152750.00**	**180589.00**
	कुल योग - पूंजीगत व्यय (क+ख)	**42,651.38**	**1,86,548.00**	**195057.00**	**225444.00**
5	**कुल व्यय (1+2+3+4)**	**1419363.08**	**1937866.82**	**2113323.00**	**1963990.00**
6.	**कर्ज, आरक्षित निधि, जमा अग्रिम और अनिधिक कर्ज धन प्रेषण :**				
6क	**क.रा.बी.निगम सामान्य भविष्य निधि**				
	अभिदाताओं को भुगतान	17,521.32	8,488.06	13546.47	14901.12
	कुल अनिधिक कर्ज	**17,521.32**	**8,488.06**	**13546.47**	**14901.12**
6ख	**आरक्षित निधि**				
(i)	निगम के कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टर सहित) के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	-173.51	-10,956.00	-10627.00	-11965.00
(ii)	अस्पताल और औषधालय भवन (स्टाफ क्वार्टर सहित) के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	14,438.49	-21,916.33	-37463.00	-25174.00
(iii)	अन्य परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और वाहन) की मूल्यह्रास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	41,184.31	28,452.63	46506.00	50657.00
(iv)	स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि निवेश लेखा				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	2,01,999.64	1,04,613.00	76525.00	82251.00
(v)	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि निवेश लेखा				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	-1,20,411.72	78,764.00	246182.00	33136.00
(vi)	क.रा.बी. निगम कोविड़-19 राहत योजना के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	0.00	0.00	66225.00	11275.00

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-B EXPENDITURE

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
	i) Vehicles	28.05	70.00	98.00	96.00
	ii) Plant & Equipment (both medical & Non-Medical)	8872.75	21151.00	32950.00	36100.00
	iii) Furniture & Fixture	776.66	1810.00	1585.00	1775.00
	iv) Computers	2649.57	8500.00	7565.00	6750.00
	v) Books	62.11	130.00	105.00	130.00
	vi) Medical Education Aid	0.00	7.00	4.00	4.00
	Total (A)	**12389.13**	**31668.00**	**42307.00**	**44855.00**
(B)	**Projects**				
	Office Building & Staff Qtrs.	211.49	2633.00	3148.00	1804.00
	Hospital & Dispensaries including Staff Qtrs.	25867.94	137447.00	127446.00	161809.00
	Medical Colleges & Staff Qtrs.	4182.83	14800.00	21856.00	16976.00
	TOTAL(B)	**30262.25**	**154880.00**	**152750.00**	**180589.00**
	Grand Total-Capital Expenditure (A+B)	**42651.38**	**186548.00**	**195057.00**	**225444.00**
5	**TOTAL EXPENDITURE (1+2+3+4)**	**1419363.08**	**1937866.82**	**2113323.00**	**1963990.00**
6	**DEBTS, RESERVE FUNDS, DEPOSITS ADVANCES AND REMITTANCES UNFUNDED DEBT:**				
6A	**ESIC General Provident Fund**				
	Payment to Subscribers	17521.32	8488.06	13546.47	14901.12
	TOTAL-UNFUNDED DEBTS	**17521.32**	**8488.06**	**13546.47**	**14901.12**
6B	**RESERVE FUNDS**				
(i)	Depreciation Reserve Fund for office buildings of the Corporation (including staff quarters) investment account				
	Investment during the year	-173.51	-10956.00	-10627.00	-11965.00
(ii)	Depreciation Reserve Fund of Hospital & Dispensary Building(including staff quarters) Investment Account.				
	Investment during the year	14438.49	-21916.33	-37463.00	-25174.00
(iii)	Depreciation Reserve Fund of Other Assets (Plant & Machinery, Furniture & Vehicles)				
	Investment during the year	41184.31	28452.63	46506.00	50657.00
(iv)	Permanent (Partial & Total) Disablement Benefit Reserve Fund Investment Account				
	Investment during the year	201999.64	104613.00	76525.00	82251.00
(v)	Dependents Benefit Reserve Fund Investment Account				
	Investment during the year	-120411.72	78764.00	246182.00	33136.00
(vi)	Depreciation reserve fund for ESIC COVID-19 Relief Scheme				
	Investment during the year	0.00	0.00	66225.00	11275.00

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन
वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन
विवरण—ख व्यय

	लेखा शीर्ष	**वास्तविक 2020-2021**	**बजट प्राक्कलन 2021-2022**	**परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022**	**बजट प्राक्कलन 2022-2023**
					(₹ लाख में)
(vii)	चिकित्सा शिक्षा भवन हेतु मूल्यह्रास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	19,773.30	15,905.67	41734.00	42791.00
(viii)	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : पेंशन				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	76,466.33	-13447.00	76471.00	81016.00
(ix)	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : उपदान				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	10,601.19	4,568.30	-2545.00	10322.00
(x)	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : छुट्टी नकदीकरण				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	13,169.71	4,051.50	10267.00	19527.00
(xi)	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : पेंशन भोगी चिकित्सा योजना				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	3,214.69	-174.10	3379.00	3893.00
(xii)	क.रा.बी. निगम सामान्य भविष्य निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	7035.97	18696.47	10678.53	11746.88
(xiii)	पूँजीगत निर्माण निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	1952.42	-144519.00	-152746.00	-179389.00
(xiv)	आकस्मिक आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आरक्षित निधि :	**269250.83**	**64039.14**	**374586.53**	**129886.88**
6ग	**जमा :**				
	(i) प्रतिभूतियों में जमा	820.27	1,000.00	1000.00	1000.00
	(ii) अन्य जमा	741.50	2,000.00	42500.00(क)	1000.00
	कुल जमा :	**1561.77**	**3,000.00**	**43500.00**	**2000.00**
	(क) अन्य जमाओं में परिशोधित आकलन 2021-2022 में विप्रो बनाम क.रा.बी. नि. बाद में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसरण में 41500 लाख रूपये शामिल है ।				
6घ	**अग्रिम :**				
क.	स्थायी अग्रिम	9.04	50.00	50.00	50.00
ख.	निगम के कर्मचारियों को अग्रिम				
	i.स्थानांतरण पर अग्रिम वेतन	-13.62	0.00	2.00	2.00
	ii.स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता अग्रिम	6.23	70.00	250.00	300.00
	iii.दौरे पर यात्रा भत्ते हेतु अग्रिम	73.43	250.00	100.00	250.00
	iv.छुट्टी यात्रा रियायत हेतु अग्रिम	650.72	2750.00	1500.00	2000.00
	v.मोटर वाहन की खरीद हेतु अग्रिम	1.74	0.00	0.00	0.00
	vi.कम्प्यूटर अग्रिम	298.97	400.00	350.00	500.00
	vii.अन्य वाहन की खरीद हेतु अग्रिम	1.91	0.00	0.00	0.00
	viii.गृह निर्माण अग्रिम	172.66	1,000.00	2900.00	3400.00
	ix.विविध अग्रिम (त्योहार, बाढ़ एवं पंखा अग्रिम)	293.92	250.00	400.00	450.00
ग.	**अन्य अग्रिम :**				

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-B EXPENDITURE

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
(vii)	Depreciation reserve fund for Medical Education Building				
	Investment during the year	19773.30	15905.67	41734.00	42791.00
(viii)	Employees Benefit Reserve Fund: Pension				
	Investment during the year	76466.33	-13447.00	76471.00	81016.00
(ix)	Employees Benefit Reserve Fund: Gratuity				
	Investment during the year	10601.19	4568.30	-2545.00	10322.00
(x)	Employees Benefit Reserve Fund: Leave Encashment				
	Investment during the year	13169.71	4051.50	10267.00	19527.00
(xi)	Employees Benefit Reserve Fund: Pensioners Medical Scheme				
	Investment during the year	3214.69	-174.10	3379.00	3893.00
(xii)	ESIC General Provident Fund Investment Account				
	Investment during the year	7035.97	18696.47	10678.53	11746.88
(xiii)	Capital Construction Fund Investment Account				
	Investment during the year	1952.42	-144519.00	-152746.00	-179389.00
(xiv)	Contingency Reserve fund Investment Account				
	Investment during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESERVE FUNDS:	**269250.83**	**64039.14**	**374586.53**	**129886.88**
6C	**DEPOSITS:**				
	i. Deposits of Securities	820.27	1000.00	1000.00	1000.00
	ii. Other Deposits	741.50	2000.00	42500.00[a]	1000.00
	TOTAL DEPOSITS:	**1561.77**	**3,000.00**	**43500.00**	**2000.00**
	Other Deposits include ₹ 41500 Lakhs provisioned in pursuance of Hon'ble Delhi High Court in the case of WIPRO Vs ESIC in the Revised Estimates 2021-2022.				
6D	**ADVANCES**				
a.	Permanent advance	9.04	50.00	50.00	50.00
b.	Advance to employee of the Corporation				
	i. Advance of pay on transfer	-13.62	0.00	2.00	2.00
	ii. Advance on TA on transfer	6.23	70.00	250.00	300.00
	iii. Advance of TA on Tour	73.43	250.00	100.00	250.00
	iv. Advance for LTC	650.72	2750.00	1500.00	2000.00
	v. Advance for purchase of motor conveyance	1.74	0.00	0.00	0.00
	vi. Computer Advance	298.97	400.00	350.00	500.00
	vii. Advance for purchase of other conveyance	1.91	0.00	0.00	0.00
	viii. House Building Advance	172.66	1000.00	2900.00	3400.00
	ix. Miscellaneous Advances(Festival Flood & Fan advances)	293.92	250.00	400.00	450.00
c.	**Other Advances**				

वर्ष 2021-2022 के लिए परिशोधित प्राक्कलन

वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्राक्कलन

विवरण—ख व्यय

	लेखा शीर्ष	**वास्तविक 2020-2021**	**बजट प्राक्कलन 2021-2022**	**परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022**	**बजट प्राक्कलन 2022-2023**
					(₹ लाख में)
	I. राज्य सरकारों/निर्माण एजेंसियों को दिया गया अग्रिम	4368.12	3,400.00	3400.00	3400.00
	II. विविध	10,438.54	3,500.00	11000.00	5000.00
	III.विशेष अग्रिम	13.78	250.00	250.00	250.00
	कुल अग्रिम :	**16,315.44**	**11,920.00**	**20202.00**	**15602.00**
6ङ	**धन प्रेषण**				
	(क) अन्य जमाओं में परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में विप्रो बनाम क.रा.बी.निगम वाद में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा 41500 लाख रुपये शामिल हैं।				
	नकद धन प्रेषण (क)	13,71,089.61	17,00,000.00	1400000.00	1500000.00
	अन्य धन प्रेषण (ख)	13,70,411.81	21,00,000.00	2000000.00	2000000.00
	कुल धन प्रेषण :	**27,41,501.42**	**38,00,000.00**	**3400000.00**	**3500000.00**
	कुल—कर्ज, आरक्षित निधियां जमा, अग्रिम तथा धन प्रेषण (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ) :	**3046150.78**	**38,87,447.20**	**3851831.00**	**3661390.00**
7	**कुल संवितरण :**	**4465513.86**	**58,25,814.02**	**5965154.00**	**5625380.00**
8	**क.रा.बी. सामान्य रिजर्व:-**				
	I. वर्ष के दौरान निवेश(निवल उदग्रहण राशि)	933291.59	143861.32	700535.53	725171.88
	II. घटाएं - रिजर्व निधि निवेश खाते में अंतरण	269250.83	64039.14	374582.53	128886.88
	क.रा.बी. सामान्य रिजर्व अंतरित में अतिरेक राशि	**664040.76**	**79822.18**	**325953.00**	**596285.00**
9	अंतशेष (हस्तगत निधि)/बैंक	5094.00	2000.00	2000.00	2000.00
10	**कुल योग व्यय**	**5134648.62**	**5907136.20**	**6293107.00**	**6223665.00**
(क)	"नकद धन प्रेषण" शब्द का अर्थ एक लेखा परिमंडल से अन्य लेखा परिमंडल को तथा इसके विपरीत क्रम से निधियों (नकद) का अंतरण है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। प्राप्त अंशदान टेलीग्राफिक अंतरणों के माध्यम से खाता संख्या 1 केन्द्रीय (मुख्यालय) में साप्ताहिक रूप में अंतरित किया जाता है।				
(ख)	"अन्य धन प्रेषण" शब्द का अर्थ निगम के एक कार्यालय से अन्य कार्यालयों के बीच खाता समायोजन है। निगम के एक कार्यालय में किया गया ऐसा लेनदेन जिसका समायोजन किसी दूसरे कार्यालय के खाते में किया जाता हो, का अंतरण विनिमय खाते के माध्यम से किया जाता है और इसे इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।				

हेमंत जैन

वित्त आयुक्त

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-2022
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2022-2023
STATEMENT-B EXPENDITURE

	Head of Account	Actual 2020-2021	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
					(₹ in Lakhs)
	I. Advances paid to State Govt./construction agencies.	4368.12	3400.00	3400.00	3400.00
	II. Miscellaneous	10438.54	3500.00	11000.00	5000.00
	III Special Advances	13.78	250.00	250.00	250.00
	Total Advances:	**16315.44**	**11920.00**	**20202.00**	**15602.00**
6E	**Remittances**				
	Cash Remittances(a)	1371089.61	1700000.00	1400000.00	1500000.00
	Other Remittances (b)	1370411.81	2100000.00	2000000.00	2000000.00
	TOTAL REMITTANCES:	**2741501.42**	**3800000.00**	**3400000.00**	**3500000.00**
	Total-Debts, Reserve Funds Deposits, Advances and Remittances (6A+6B+6C+6D+6E):	**3046150.78**	**3887447.20**	**3851831.00**	**3661390.00**
7	**TOTAL DISBURSEMENT:**	**4465513.86**	**5825814.02**	**5965154.00**	**5625380.00**
8	**ESI General Reserve :-**				
	I. Investment during the(c) year(Net of Realisation)	933291.59	143861.32	700535.53	725171.88
	II. Deduct-transfers to reserve fund investment account	269250.83	64039.14	374582.53	128886.88
	Surplus Transferred to ESI General Reserve	**664040.76**	**79822.18**	**325953.00**	**596285.00**
9	Closing balance(Cash in hand)/Bank	5094.00	2000.00	2000.00	2000.00
10	**GRAND TOTAL EXPENDITURE**	**5134648.62**	**5907136.20**	**6293107.00**	**6223665.00**
(a)	The term 'Cash Remittances' denotes transfer of funds (cash) from one account circle to the other and vice versa. The revenue of the Corporation is collected through the State Bank of India and its associate banks. The contribution received are transferred weekly to the Account No.1 Central (Hqrs. Office) through telegraphic transfers.				
(b)	The term 'Other Remittance' denotes book adjustments between one office of the Corporation and the other. Transactions originating in one office of the Corporation but adjustable in the books of its another office are transferred through Exchange Account and exhibited under this Head.				

HEMANT JAIN
FINANCIAL COMMISSIONER

परिशिष्ट-1

31 मार्च, 2020 तथा 2021 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त तथा 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2023 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त किए जाने वाले संभावित कर्मचारियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या					
		31-3-2020 की स्थिति के अनुसार	31-3-2021 की स्थिति के अनुसार	1.4.2021 से 31.3.2022के दौरान चरणबद्ध	31-3-2022 की स्थिति के अनुसार	1.4.2022 से 31.3.2023 के दौरान चरणबद्ध	31-3-2023 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8
	आंध्र प्रदेश						
1	i) तिरुपति	2,43,100	1,88,840	15,221	2,04,061	16,447	2,20,508
	ii) विजयवाड़ा और येन्नम	5,85,820	4,78,060	38,532	5,16,592	41,637	5,58,229
	iii) विशाखापत्तनम	3,67,650	2,99,660	24,153	3,23,813	26,099	3,49,912
2	तेलंगाना	16,65,170	12,81,480	1,03,287	13,84,767	1,11,612	14,96,380
3	असम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम	3,22,500	2,79,670	22,542	3,02,212	24,359	3,26,571
4	बिहार	3,14,600	2,76,120	22,255	2,98,375	24,049	3,22,424
5	चंडीगढ़ (संघ राज्यक्षेत्र)	1,53,510	1,06,630	8,756	1,17,386	9,461	1,26,847
6	छत्तीसगढ़	4,54,510	4,07,420	32,838	4,40,258	35,485	4,75,743
	दिल्ली						
7	i) राजेन्द्र प्लेस	3,97,070	2,89,060	23,298	3,12,358	25,176	3,37,534
	ii) नंद नगरी	1,62,570	1,35,760	10,942	1,46,702	11,824	1,58,526
8	iii) रोहिणी	2,30,330	1,85,750	14,971	2,00,721	16,178	2,16,900
9	iv) ओखला	6,54,990	4,89,750	39,474	5,29,224	42,655	5,71,879
10	गोवा	1,86,460	1,36,780	11,024	1,47,804	11,913	1,59,718
	गुजरात						
11	i) अहमदाबाद	7,69,220	6,06,140	48,855	6,54,995	52,793	7,07,787
12	ii) वडोदरा	4,05,090	3,58,450	28,891	3,87,341	31,220	4,18,561
13	iii) सूरत	3,81,150	2,87,490	23,172	3,10,662	25,039	3,35,701
	हरियाणा						
14	i) फरीदाबाद	7,51,690	6,51,160	52,483	7,03,643	56,714	7,60,357
15	ii) गुरूग्राम	10,89,230	8,14,790	65,672	8,80,462	70,965	9,51,427
16	iii) अंबाला	2,47,790	2,24,490	17,933	2,40,423	19,378	2,59,801
17	हिमाचल प्रदेश	3,10,200	2,65,890	21,431	2,87,321	23,158	3,10,479
18	जम्मू एवं कश्मीर	1,21,980	1,01,270	8,162	1,09,432	8,820	1,18,253
19	झारखण्ड	4,14,550	3,50,210	28,227	3,78,437	30,502	4,08,939
	कर्नाटक						
20	i) बेंगलुरु	10,24,980	7,41,540	59,768	8,01,308	64,585	8,65,894
21	ii) हुबली	3,28,320	2,81,590	22,696	3,04,286	24,525	3,28,812
22	iii) पीण्या	4,79,880	3,64,440	29,374	3,93,814	31,741	4,25,555
23	iv) बोम्मसंद्रा	7,28,830	4,96,550	40,022	5,36,572	43,248	5,79,820
24	v) गुलबर्गा	1,61,200	1,38,800	11,187	1,49,987	12,089	1,62,076
25	vi) मैसूर	2,34,120	1,99,120	16,049	2,15,169	17,343	2,32,512
26	vii) मैंगलौर	1,89,680	1,61,880	13,048	1,74,928	14,099	1,89,027
	केरल तथा माहे						
27	i) तृश्शूर	1,51,890	1,28,900	10,389	1,39,289	11,227	1,50,516
28	ii) एरणाकुलम	4,02,950	3,19,910	25,785	3,45,695	27,863	3,73,558
29	iii) कोल्लम	1,37,350	1,22,170	9,847	1,32,017	10,641	1,42,657
30	iv) कोषिकोड	1,60,380	1,35,930	10,956	1,46,886	11,839	1,58,725
31	v) तिरुवनंतपुरम	1,36,720	1,08,280	8,727	1,17,007	9,431	1,26,438

APPENDIX – I

NUMBER OF EMPLOYEES COVERED UPTO 31ST MARCH 2020 AND 2021 AND PLANNED TO BE COVERED UNDER THE SCHEME UPTO 31ST MARCH, 2022 AND 31ST MARCH, 2023

SI .N o.	STATE / REGION	No. of Employees					
		As on 31-3-2020	As on 31-3-2021	Phased during 1.4.21 to 31.3.2022	As on 31-3-2022	Phased during 1.4.2022 to 31.3.2023	As on 31-3-2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	ANDHRA PRADESH						
1	i) TIRUPATI	243100	188840	15221	204061	16447	220508
	ii)VIJAYAWADA & YENAM	585820	478060	38532	516592	41637	558229
	iii)VISAKHAPATNAM	367650	299660	24153	323813	26099	349912
2	TELANGANA	1665170	1281480	103287	1384767	111612	1496380
3	ASSAM, MEGHALYA, NAGALAND, SIKKIM, TRIPURA, MANIPUR & MIZORAM	322500	279670	22542	302212	24359	326571
4	BIHAR	314600	276120	22255	298375	24049	322424
5	CHANDIGARH(UT)	153510	106630	8756	117386	9461	126847
6	CHATTISGARH	454510	407420	32838	440258	35485	475743
	DELHI						
7	i) RAJENDER PLACE	397070	289060	23298	312358	25176	337534
	ii)NAND NAGARI	162570	135760	10942	146702	11824	158526
8	iii) ROHINI	230330	185750	14971	200721	16178	216900
9	iv) OKHLA	654990	489750	39474	529224	42655	571879
10	GOA	186460	136780	11024	147804	11913	159718
	GUJARAT						
11	i) AHMEDABAD	769220	606140	48855	654995	52793	707787
12	ii) VADODRA	405090	358450	28891	387341	31220	418561
13	iii) SURAT	381150	287490	23172	310662	25039	335701
	HARYANA						
14	i) FARIDABAD	751690	651160	52483	703643	56714	760357
15	ii)GURGOAN	1089230	814790	65672	880462	70965	951427
16	iii) AMBALA	247790	224490	17933	240423	19378	259801
17	H.P.	310200	265890	21431	287321	23158	310479
18	J & K	121980	101270	8162	109432	8820	118253
19	JHARKHAND	414550	350210	28227	378437	30502	408939
	KARNATAKA						
20	i) BANGALORE	1024980	741540	59768	801308	64585	865894
21	ii) HUBLI	328320	281590	22696	304286	24525	328812
22	iii)PEENYA	479880	364440	29374	393814	31741	425555
23	iv)BOMASUNDRA	728830	496550	40022	536572	43248	579820
24	v) GULBARGA	161200	138800	11187	149987	12089	162076
25	vi) MYSORE	234120	199120	16049	215169	17343	232512
26	vii) MANGALORE	189680	161880	13048	174928	14099	189027
	KERALA & MAHE						
27	i)THRISSUR	151890	128900	10389	139289	11227	150516
28	ii)ERNAKULAM	402950	319910	25785	345695	27863	373558
29	iii)KOLLAM	137350	122170	9847	132017	10641	142657
30	iv) KOZHIKODE	160380	135930	10956	146886	11839	158725
31	v)THIRUNANTHANPURAM	136720	108280	8727	117007	9431	126438

	मध्य प्रदेश						
32	**i) इंदौर**	6,28,560	5,09,120	41,035	5,50,155	44,342	5,94,498
33	**ii) भोपाल**	3,25,050	2,66,250	21,460	2,87,710	23,189	3,10,899
	महाराष्ट्र						
34	**i) लोअर परेल**	5,34,300	3,63,190	29,273	3,92,463	31,633	4,24,096
35	**ii) मरोल**	8,11,110	5,48,870	44,239	5,93,109	47,805	6,40,914
36	**iii) ठाणे**	7,63,880	5,44,260	43,867	5,88,127	47,403	6,35,530
37	**iv) नागपुर**	3,34,620	2,79,960	22,565	3,02,525	24,383	3,26,908
38	**v) औरंगाबाद**	2,71,740	2,18,500	17,611	2,36,111	19,031	2,55,142
39	**vi) पुणे**	13,93,050	9,95,750	80,257	10,76,007	86,726	11,62,734
40	**vii) नाशिक**	1,96,960	1,63,640	13,189	1,76,829	14,252	1,91,082
41	**ओड़िशा**	6,85,850	5,89,960	47,551	6,37,511	51,383	6,88,894
42	**पुदुच्चेरी**	1,06,460	88,980	7,172	96,152	7,750	1,03,902
	पंजाब						
43	**i) चंडीगढ़ (पंजाब)**	4,20,520	3,83,050	30,874	4,13,924	33,362	4,47,286
44	**ii) जालंधर**	2,74,230	2,52,210	20,328	2,72,538	21,967	2,94,505
45	**iii) लुधियाना**	3,79,320	3,33,940	26,916	3,60,856	29,085	3,89,941
	राजस्थान						
46	**i) जयपुर**	8,98,030	7,25,550	58,479	7,84,029	63,193	8,47,222
47	**ii) उदयपुर**	2,04,640	1,63,000	13,138	1,76,138	14,197	1,90,335
48	**iii) जोधपुर**	1,76,920	1,48,420	11,963	1,60,383	12,927	1,73,309
	तमिलनाडु						
49	**i) चेन्नै**	18,27,520	13,66,310	1,10,125	14,76,435	1,19,001	15,95,435
50	**ii) तिरुनेलवेली**	1,79,120	1,59,820	12,881	1,72,701	13,920	1,86,621
51	**iii) सलेम**	3,74,910	3,26,220	26,293	3,52,513	28,413	3,80,926
52	**iv) कोयम्बतूर**	7,78,640	6,06,620	48,894	6,55,514	52,834	7,08,348
53	**v) मदुरै**	4,15,990	3,63,160	29,271	3,92,431	31,630	4,24,061
	उत्तर प्रदेश						
54	**i) कानपुर**	4,61,300	3,89,270	31,375	4,20,645	33,904	4,54,549
55	**ii) वाराणसी**	1,21,620	1,09,210	8,802	1,18,012	9,512	1,27,524
56	**iii) नोएडा**	11,51,620	9,10,490	73,385	9,83,875	79,300	10,63,176
57	**iv) लखनऊ**	4,76,250	4,16,830	33,596	4,50,426	36,304	4,86,731
58	**उत्तराखण्ड**	5,58,640	4,65,980	37,558	5,03,538	40,585	5,44,123
	पश्चिम बंगाल						
59	**i) बैरकपुर**	3,08,970	2,89,800	20,940	2,80,740	22,628	3,03,368
60	**ii) कोलकाता**	13,12,490	10,91,520	87,977	11,79,497	95,067	12,74,564
61	**iii) दुर्गापुर**	2,29,140	2,18,290	17,594	2,35,884	19,012	2,54,896
	अखिल भारत	**3,09,66,930**	**2,46,72,150**	**19,88,575**	**2,66,60,725**	**21,48,854**	**2,88,09,580**

	M. P.						
32	**i) INDORE**	628560	509120	41035	550155	44342	594498
33	**ii) BHOPAL**	325050	266250	21460	287710	23189	310899
	MAHARASHTRA						
34	**i) LOWER PAREL**	534300	363190	29273	392463	31633	424096
35	**ii) MAROL**	811110	548870	44239	593109	47805	640914
36	**iii) THANE**	763880	544260	43867	588127	47403	635530
37	**iv) NAGPUR**	334620	279960	22565	302525	24383	326908
38	**v) AURANGABAD**	271740	218500	17611	236111	19031	255142
39	**vi) PUNE**	1393050	995750	80257	1076007	86726	1162734
40	**vii) NASIK**	196960	163640	13189	176829	14252	191082
41	**ODISHA**	685850	589960	47551	637511	51383	688894
42	**PUDUCHERRY**	106460	88980	7172	96152	7750	103902
	PUNJAB						
43	**i)CHANDIGARH(PUNJAB)**	420520	383050	30874	413924	33362	447286
44	**ii)JALANDHAR**	274230	252210	20328	272538	21967	294505
45	**iii)LUDHIANA**	379320	333940	26916	360856	29085	389941
	RAJASTHAN						
46	**i)JAIPUR**	898030	725550	58479	784029	63193	847222
47	**ii)UDAIPUR**	204640	163000	13138	176138	14197	190335
48	**iii) JODHPUR**	176920	148420	11963	160383	12927	173309
	TAMIL NADU						
49	**i) CHENNAI**	1827520	1366310	110125	1476435	119001	1595435
50	**ii) TIRUNELVELI**	179120	159820	12881	172701	13920	186621
51	**iii) SALEM**	374910	326220	26293	352513	28413	380926
52	**iv) COIMBATORE**	778640	606620	48894	655514	52834	708348
53	**v) MADURAI**	415990	363160	29271	392431	31,630	4,24,061
	UTTAR PRADESH						
54	**i)KANPUR**	461300	389270	31375	420645	33904	454549
55	**ii) VARANASI**	121620	109210	8802	118012	9512	127,524
56	**iii) NOIDA**	1151620	910490	73385	983875	79300	1063176
57	**iv) LUCKNOW**	476250	416830	33596	450426	36304	486731
58	**UTTRAKHAND**	558640	465980	37558	503538	40585	544123
	WEST BENGAL						
59	**i) BARRACKPORE**	308970	289800	20940	280740	22628	303368
60	**ii) KOLKATA**	1312490	1091520	87977	1179497	95067	1274564
61	**iii) DURGAPUR**	229140	218290	17594	235884	19012	254896
	ALL INDIA	**30966930**	**24672150**	**1988575**	**26660725**	**2148854**	**28809580**

,

परिशिष्ट-2

प्रतिव्यक्ति आय-व्यय का सूचक विवरण

वर्ष	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी अंशदान आय की राशि	राजस्व लेखो में व्यय	अन्तर
1998-1999	1,466	1,034	432
1999-2000	1,578	1,261	317
2000-2001	1,608	1,306	302
2001-2002	1,676	1,397	279
2002-2003	1,840	1,488	352
2003-2004	1,961	1,564	397
2004-2005	2,306	1,602	704
2005-2006	2,421	1,577	844
2006-2007	2,782	1,503	1,279
2007-2008	3,196	1,485	1,711
2008-2009	3,115	1,711	1,404
2009-2010	2,944	2,020	924
2010-2011	3,919	2,229	1,690
2011-2012	4,449	2,637	1,812
2012-2013	4,937	3,438	1,499
2013-2014	5,679	3,883	1,796
2014-2015	6,052	4,298	1,754
2015-2016	6,054	4,400	1,654
2016-2017	6,127	4,326	1,801
2017-2018	6,258	3,542	2,716
2018-2019	7,127	3,535	3,592
2019-2020	5,370	5,331	38
2020-2021	4,956	4,949	7.43
2021-2022 (**परिशोधित प्राक्कलन**)	5,032	6,658	(1625)
2022-2023 **(बजट प्राक्कलन)**	5,750	6,269	(518)

टिप्पणियाँ :

(क) क.रा.बी.अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 1.10.2006 से ₹.7,500/- बढ़ाकर ₹.10,000/- प्रतिमाह कर दी गई।

(ख) क.रा.बी.अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 01.05.2010 से ₹.10,000/- बढ़ाकर ₹.15,000/- प्रतिमाह कर दी गई।

(ग) क.रा.बी.अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 01.01.2017 से ₹.15,000/- बढ़ाकर ₹.21,000/- प्रतिमाह कर दी गई।

,

APPENDIX – II

STATEMENT SHOWING PER CAPITA INCOME & EXPENDITURE

Year	Amount per annum per employee's Contribution Income	Expenditure on Revenue Account	MARGIN
1998-1999	1,466	1,034	432
1999-2000	1,578	1,261	317
2000-2001	1,608	1,306	302
2001-2002	1,676	1,397	279
2002-2003	1,840	1,488	352
2003-2004	1,961	1,564	397
2004-2005	2,306	1,602	704
2005-2006	2,421	1,577	844
2006-2007	2,782	1,503	1,279
2007-2008	3,196	1,485	1,711
2008-2009	3,115	1,711	1,404
2009-2010	2,944	2,020	924
2010-2011	3,919	2,229	1,690
2011-2012	4,449	2,637	1,812
2012-2013	4,937	3,438	1,499
2013-2014	5,679	3,883	1,796
2014-2015	6,052	4,298	1,754
2015-2016	6,054	4,400	1,654
2016-2017	6,127	4,326	1,801
2017-2018	6,258	3,542	2,716
2018-2019	7,127	3,535	3,592
2019-2020	5,370	5,331	38
2020-2021	4,956	4,949	7.43
2021-2022 (Revised Estimates)	5,032	6,658	(1625)
2022-2023 (Budget Estimates)	5,750	6,269	(518)

NOTES:

(a) Wage limit for coverage under ESI Act was increased from ₹ 7500/- to ₹ 10000/- w.e.f. 1.10.2006.

(b) Wage limit for coverage under ESI Act was increased from ₹ 10000/- to ₹ 15000/- w.e.f.01.05.2010.

(c) Wage limit for coverage under ESI Act. Has been increased from ₹ 15000/- to ₹ 21000/- w.e.f. 01.01.2017.

परिशिष्ट-3

चिकित्सा संस्थाओं, अस्पताल व औषधालयों तथा कार्यालय भवनों के संबंध में आरंभ की गई पूँजीगत परियोजनाओं के विवरण : परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 तथा बजट प्राक्कलन 2022-2023 में उनकी निधि संबंधी आवश्यकताएँ

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2021 से 30.09.2021 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2021 से 31.03.2022 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2022-2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ करोड़ में)				
	क. चिकित्सा संस्थान :					
1	क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय सनत नगर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) का निर्माण	676.16	0.00	25.00	25.00	10.00
2	दंत्य महाविद्यालय नाचाराम, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) का निर्माण	244.49	4.00	10.00	14.00	10.00
3	चिकित्सा महाविद्यालय फरीदाबाद, हरियाणा का निर्माण	737.37	0.00	2.00	2.00	2.00
4	मंडी (हिमाचल प्रदेश) में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	827.00	5.00	12.00	17.00	12.00
5	गुलबर्गा, कर्नाटक में चिकित्सा/दंत्य महाविद्यालय का निर्माण	1,190.88	0.00	0.00	0.00	7.00
6	पेरीपल्ली, कोल्लम, केरल चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	544.26	0.00	0.00	0.00	1.00
7(a)क	चिकित्सा महाविद्यालय, एम.जी.एम. परेल, मुंबई फेज-I का निर्माण	144.94	0.00	5.00	5.00	5.00
7(b)ख	परेल, मुंबई फेज-I नर्सिंग महाविद्यालय और स्नातकोत्तर छात्रावास/स्टाफ आवास का निर्माण	83.14	0.00	5.00	5.00	5.00
8	क.रा.बी.अस्पताल, बसईदारापुर में स्नातकोत्तर संस्थान-सह-चिकित्सा महाविद्यालय	485.24	0.00	25.00	25.00	10.00
9	क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर में नवीयन तथा स्टाफ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	9.71	0.46	0.00	0.46	0.00
10(क)	क.रा.बी.दंत्य महाविद्यालय, (प्रथम वर्ष), सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	8.36	0.00	0.50	0.50	0.50
10(ख)	क.रा.बी.दंत्य महाविद्यालय, (द्वितीय वर्ष), सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	5.52	0.00	0.17	0.17	0.00
10(ग)	क.रा.बी.दंत्य महाविद्यालय, (तृतीय वर्ष), सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	9.22	0.00	1.31	1.31	0.00
11	कोयम्बतूर क.रा.बी. चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	563.17	0.00	0.00	0.00	0.00
12	के.के.नगर, चेन्नै स्नातकोत्तर संस्थान तथा अन्य परा-चिकित्सा संस्थान एवं चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	470.93	0.00	10.00	10.00	20.00
13	अयनावरम, चेन्नै में शिक्षण अस्पताल भवन तथा संबद्ध सुविधाओं का निर्माण, सुविधाओं का उन्नयन	335.04	0.00	2.00	2.00	15.00

APPENDIX – III

DETAILS OF CAPITAL PROJECTS UNDERTAKEN IN RESPECT OF MEDICAL INSTITUTIONS, HOSPITAL & DISPENSARIES AND OFFICE BUILDINGS: THEIR FUND REQUIREMENT IN REVISED ESTIMATES 2021-2022 & BUDGET ESTIMATES 2022-2023

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2021 to 30.9.2021	Fund requirement from 1.10.2021 to 31.3.2022	Revised Estimates 2021-2022 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2022-2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ in crore)				
	A. MEDICAL INSTITUIONS:					
1	Construction ESIC Medical College at Sanath Nagar Hyderabad (AP)	676.16	0.00	25.00	25.00	10.00
2	Construction of Dental College, Nacharam, Hyderabad (AP)	244.49	4.00	10.00	14.00	10.00
3	Construction of Medical College, Faridabad, Haryana	737.37	0.00	2.00	2.00	2.00
4	Construction of ESIC Medical College at Mandi(H.P.)	827.00	5.00	12.00	17.00	12.00
5	Construction of Medical/Dental College at Gulbarga, Karnataka	1,190.88	0.00	0.00	0.00	7.00
6	Construction of Medical College at Paripally, Kollam, Kerala	544.26	0.00	0.00	0.00	1.00
7(a)	Construction of Medical College, MGM Parel, Mumbai Ph-I)	144.94	0.00	5.00	5.00	5.00
7(b)	Construction of Nursing College and PG Hostel/Staff Housing at Parel, Mumbai Ph-I	83.14	0.00	5.00	5.00	5.00
8	PG Institute cum Medical College at ESI Hospital, Basaidarapur	485.24	0.00	25.00	25.00	10.00
9	Renovation and staff PG course at ESI Hospital, Basaidarapur	9.71	0.46	0.00	0.46	0.00
10(a)	Construction of ESI Dental College(1st Year), Sector-15, Rohini, New Delhi	8.36	0.00	0.50	0.50	0.50
10(b)	Construction of ESI Dental College(2nd Year), Sector-15, Rohini, New Delhi	5.52	0.00	0.17	0.17	0.00
10(c)	Construction of ESI Dental College(IIIrd) Year), Sector-15, Rohini, New Delhi	9.22	0.00	1.31	1.31	0.00
11	Construction of ESI Medical College at Coimbatore	563.17	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Construction of PG Institutes and other Para-Medical Institutes and Medical College at K.K. Nagar, Chennai	470.93	0.00	10.00	10.00	20.00
13	Construction of Teaching Hospitals Building and Allied Facilities, Up gradation of Facilities at Aynavaram, Chennai	335.04	0.00	2.00	2.00	15.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2021 से 30.09.2021 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2021 से 31.03.2022 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2022-2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ करोड़ में)				
14	मानिकतला, कोलकाता में स्नातकोत्तर संस्थान का निर्माण	91.20	0.00	1.82	1.82	0.00
15	जोका, कोलकाता स्नातकोत्तर संस्थान-सह-चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	416.03	4.80	13.35	18.15	3.76
16	बिहटा, पटना में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	603.60	0.00	20.00	20.00	0.00
17	इंदिरा नगर में नर्सिंग महाविद्यालय और अस्पताल तथा 1000 कुर्सियों वाले सभागार का निर्माण	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गुलबर्गा में परा-चिकित्सा एवं संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र का निर्माण	308.15	0.00	0.00	0.00	5.00
19	चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर का निर्माण	904.08	0.00	18.00	18.00	18.00
20(क)	क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई का उन्नयन और विस्तार	250.15	14.58	20.00	34.58	20.00
20(ख)	क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई (फेज-II) में स्नातकोत्तर छात्रावास और स्टाफ आवास का निर्माण	61.46	0.07	10.00	10.07	10.00
20(ग)	क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई में स्टाफ क्वार्टर का नवीयन और मरम्मत	6.53	0.00	0.50	0.50	0.50
21	राजाजीनगर, बेंगलुरु, कनार्टक में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	319.01	0.00	4.00	4.00	10.00
22	अस्पताल, राजाजी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक का निर्माण	228.07	0.00	4.00	4.00	5.00
	कुल (क. चिकित्सा संस्थाएं)	**9595.74**	**28.91**	**189.56**	**218.56**	**169.76**
	ख. अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण/नवीयन/उन्नयन					
23	सनत नगर, हैदराबाद में अतिविशिष्टता अस्पताल का निर्माण	145.03	0.00	3.28	3.28	0.00
24	तिरुपति, आंध्र प्रदेश में क.रा.बी.अस्पताल का नवीयन/पुनर्सज्जा	108.93	0.00	4.00	4.00	7.00
25	बापूनगर, अहमदाबाद में 300 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	125.74	0.00	10.00	10.00	10.00
26	मणिनगर, खोखरा, अहमदाबाद में डी-34 औषधालय का निर्माण	25.00	0.00	5.00	5.00	5.00

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2021 to 30.9.2021	Fund requirement from 1.10.2021 to 31.3.2022	Revised Estimates 2021-2022 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2022-2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ in crore)				
14	Construction of PG Institute at Manicktala, Kolkata	91.20	0.00	1.82	1.82	0.00
15	Construction of PG Institute cum Medical College at Joka, Kolkata	416.03	4.80	13.35	18.15	3.76
16	Construction of Medical College at Bihata, Patna	603.60	0.00	20.00	20.00	0.00
17	Construction of Nursing College & Hospital &1000-seater Auditorium at Indira Nagar	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Construction of Para-Medical and allied Health Science Centre at Gulbarga	308.15	0.00	0.00	0.00	5.00
19	Construction of Medical College, Alwar	904.08	0.00	18.00	18.00	18.00
20(a)	Up gradation &Extension of ESIC Hospital Andheri, Mumbai	250.15	14.58	20.00	34.58	20.00
20(b)	Construction of PG Hostel & Staff Housing at ESIC Hospital, Andheri, Mumbai (Ph-II)	61.46	0.07	10.00	10.07	10.00
20(c)	Renovation & Repair of Staff Quarter at ESIC Hospital, Andheri, Mumbai	6.53	0.00	0.50	0.50	0.50
21	Construction of Medical College, Rajajinagar Bangalore, Karnataka	319.01	0.00	4.00	4.00	10.00
22	Construction of Hospital Rajajinagar, Bangalore Karnataka	228.07	0.00	4.00	4.00	5.00
	Total (A. Med. Institutions)	**9595.74**	**28.91**	**189.56**	**218.56**	**169.76**
	B. CONSTRUCTION/RENOVATION/UPGRADATION OF HOSPITALS/DISPENSARIES					
23	Construction of Super Speciality Hospital at Sanath Nagar, Hyderabad	145.03	0.00	3.28	3.28	0.00
24	Renovation/face lifting of ESI Hospital at Tirupati, A.P.	108.93	0.00	4.00	4.00	7.00
25	Construction of 300 bedded ESI Hosp. Bapunagar, Ahmedabad.	125.74	0.00	10.00	10.00	10.00
26	Construction of D-34 dispensary at, Maninagar, Khokhara, Ahmedabad	25.00	0.00	5.00	5.00	5.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2021 से 30.09.2021 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2021 से 31.03.2022 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2022-2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ करोड़ में)				
27	करनाल, हरियाणा में क.रा.बी.औषधालय-सह-नैदानिक केन्द्र का निर्माण	5.34	0.00	0.40	0.40	0.40
28	फरीदाबाद, सेक्टर 15 ए (हरियाणा) में क.रा.बी.औषधालय	0.87	0.00	0.15	0.15	0.22
29	मुरथल, हरियाणा में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30	मानेसर, हरियाणा में 100 बिस्तर वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण (पहले ही उद्घाटित)	68.74	0.00	0.00	0.00	2.00
31	बद्दी, हिमाचल प्रदेश में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	59.67	0.00	0.00	0.00	1.00
32	क.रा.बी. अस्पताल, हुबली कर्नाटक का नवीयन	33.17	0.00	3.00	3.00	0.00
33	क.रा.बी. अस्पताल, मैसूर कर्नाटक का नवीयन	35.32	0.00	3.00	3.00	0.00
34	क.रा.बी. अस्पताल, देवनगिरी, कर्नाटक का नवीयन	29.53	0.00	3.00	3.00	0.00
35	क.रा.बी. अस्पताल, पीण्या, कर्नाटक का निर्माण	125.14	0.00	0.00	0.00	5.00
36	तिरुवंनतपुरम, केरल में निदेशालय बीमा चिकित्सा सेवा (डीआइएमएस) भवन का निर्माण	10.62	0.00	0.02	0.02	0.00
37	कोल्लम, केरल में 5 चिकित्सकों वालों औषधालय का निर्माण	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
38	मायलम, कोट्टरकारा के शाखा कार्यालय में 2 चिकित्सकों वालो औषधालय का निर्माण	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
39	पुरवेषी, कोल्लम, केरल में 3 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.28	0.15	0.00	0.15	0.00
40	ओ.टी. ब्लॉक, क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर, दिल्ली का नवीयन	31.30	0.19	0.00	0.19	0.50
41	क.रा.बी. अस्पताल ओखला, दिल्ली का नवीयन व विस्तार	266.20	0.00	15.00	15.00	20.00
42	एन.आइ.ए.-1, कर्मपुरा दिल्ली में क.रा.बी. औषधालय का नवीयन	2.01	0.00	0.90	0.90	0.00
43	क.रा.बी. अस्पताल, भुवनेश्वर, ओड़िशा की पुनर्सज्जा	74.99	0.00	2.00	2.00	1.00
44	तिरुनेलवेली में 50 और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	56.56	0.00	5.00	5.00	5.00
45	जयपुर में क.रा.बी. आदर्श अस्पताल	214.36	0.00	2.00	2.00	2.00

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2021 to 30.9.2021	Fund requirement from 1.10.2021 to 31.3.2022	Revised Estimates 2021-2022 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2022-2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ in crore)				
27	Constn. Of ESI Disp.cum diagnostic centre at Karnal, Haryana	5.34	0.00	0.40	0.40	0.40
28	ESI Dispensary at Faridabad, Sec.15A (Haryana)	0.87	0.00	0.15	0.15	0.22
29	Constn. Of ESI Dispensary Murthal, Haryana	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Constn. of 100 Bedded ESI Hosp. At Manesar, Haryana (already inaugurated)	68.74	0.00	0.00	0.00	2.00
31	Construction of ESI Hosp. At Baddi, H.P.	59.67	0.00	0.00	0.00	1.00
32	Renovation of ESI Hosp.Hubli, Karnataka	33.17	0.00	3.00	3.00	0.00
33	Renovation of ESI Hosp. Mysore, Karnataka	35.32	0.00	3.00	3.00	0.00
34	Renovation of ESI Hospital, Devengiri, Karnataka	29.53	0.00	3.00	3.00	0.00
35	Constn. Of ESI Hosp.Peenya, Karnataka	125.14	0.00	0.00	0.00	5.00
36	Constn. Of DIMS building at Thiruvanthapuram, Kerala	10.62	0.00	0.02	0.02	0.00
37	Construction of 5 Doctors Disp. At Kollam, Kerala	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Construction of 2 Doctors Disp. at Branch Office at Mylom, Kottarakara	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Construction of 3 Doctor Disp. At Poruvazhy, Kollam, Kerala	2.28	0.15	0.00	0.15	0.00
40	Renovation of OT Block ESI Hosp.Basaidarapur, Delhi	31.30	0.19	0.00	0.19	0.50
41	Renovation and expansion of ESI Hosp., Okhla, Delhi	266.20	0.00	15.00	15.00	20.00
42	Renovation of ESI Disp. At NIA-1, Karampura, Delhi	2.01	0.00	0.90	0.90	0.00
43	Face lifting of ESI Hosp. At Bhubaneshwar, Orissa	74.99	0.00	2.00	2.00	1.00
44	Constn. Of 50 & 100 bedded Hosp. at Tirunelveli	56.56	0.00	5.00	5.00	5.00
45	ESI Model Hosp. At Jaipur	214.36	0.00	2.00	2.00	2.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2021 से 30.09.2021 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2021 से 31.03.2022 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2022-2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ करोड़ में)				
46	सरोजिनी नगर, लखनऊ में 100 बिस्तर वाले अभिघात (ट्रॉमा) केन्द्र का निर्माण तथा विद्यमान अस्पताल का नवीयन	109.04	0.00	10.00	10.00	10.00
47	सेक्टर-24, नोएडा अस्पताल की आंतरिक पुनर्सज्जा	143.17	9.56	13.62	23.18	0.00
48	झारसुगुडा में औषधालय, शाखा कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
49	जीदीमेटला में क.रा.बी. औषधालय-सह-नैदानिक केन्द्र तथा स्टाफ आवास	25.90	0.00	0.90	0.90	0.90
50	अंकलेश्वर में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	92.87	0.00	0.30	0.30	0.30
51	पेरीनाडु, कोल्लम, केरल में 3 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.33	0.00	0.003	0.003	0.00
52	कोलाबा, मुंबई में आदर्श औषधालय-सह-नैदानिक केन्द्र (एमडीडीसी) तथा औषधालय	16.92	0.00	1.59	1.59	1.59
53	वाशी, मुंबई में क.रा.बी. अस्पताल की पुनर्सज्जा/विस्तार तथा दंत्य महाविद्यालय का निर्माण	136.09	0.00	2.00	2.00	5.00
54	कुलाशेखरापुरम, केरल में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
55	विलाकुड़ी, केरल में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
56	वडावतूर, केरल में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	1.95	0.00	0.005	0.005	0.00
57	कदम्पानन्दु, केरल में 05 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.34	0.00	0.005	0.005	0.00
58	सिलीगुड़ी (मतीगरा), कोलकाता में क.रा.बी. निगम के लिए औषधालय एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
59	जगतपुर में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
60	केंद्रीय चिकित्सा भंडार का निर्माण तथा निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली का नवीयन	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
61	नरेला में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	40.18	0.00	20.00	20.00	20.00
62	रोहिणी में एसटीपी एवं ईटीपी	1.01	0.00	0.03	0.03	0.03
63	ऑटो नगर, विजयवाड़ा में क.रा.बी. औषधालय एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	6.37	0.00	0.02	0.02	0.02
	कुल (अस्पताल/औषधालय)	2038.36	9.90	105.22	115.123	96.96
64	उप क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा का निर्माण	25.80	0.00	0.02	0.02	0.02
65	आदर्श नगर, हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय का नवीयन/पुनर्सज्जा/सुधार	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
66	क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ का नवीयन/आशोधन	13.56	0.00	1.00	1.00	1.00

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2021 to 30.9.2021	Fund requirement from 1.10.2021 to 31.3.2022	Revised Estimates 2021-2022 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2022-2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ in crore)				
46	Construction of 100 Bedded Trauma Centre and Renovation of existing Hospital at Sarojini Nagar, Lucknow.	109.04	0.00	10.00	10.00	10.00
47	Face lifting interior of Sector-24, NOIDA Hosp.	143.17	9.56	13.62	23.18	0.00
48	Construction of Disp., Branch Office & Staff Qtr. At Jharsuguda	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
49	ESI Dispn., cum Diagnostic centre & Staff housing at Jeedimetla	25.90	0.00	0.90	0.90	0.90
50	Construction of 100 Bedded Hosp. at Ankleshwar	92.87	0.00	0.30	0.30	0.30
51	Constn. Of 3Drs.Dispn. at Perinadu, Kollam, Kerala	2.33	0.00	0.003	0.003	0.00
52	MDDC & Disp. at Colaba, Mumbai	16.92	0.00	1.59	1.59	1.59
53	Face lifting/expansion of ESI Hospital and Construction of Dental College, Vashi, Mumbai	136.09	0.00	2.00	2.00	5.00
54	Construction of 2 Dr. Disp. At Kulashekhrapuram, Kerala	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Construction of 2 Dr. Disp. At Vilakudy Kerala	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Construction of 2 Dr. Disp. At Vadavathur Kerala	1.95	0.00	0.005	0.005	0.00
57	Construction of 5 Dr. Disp. At Kadampanandu Kerala	2.34	0.00	0.005	0.005	0.00
58	Construction of Dispensary and Branch Office for ESIC Atsiliguri (Matigara) Kolkata	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Construction of 2 Dr. Disp. & Branch Office at Jagatpur	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Construction of Central Medical Store & Refurbishment, D(M)D	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Construction of ESI Dispensary at Narela	40.18	0.00	20.00	20.00	20.00
62	STP & ETP at Rohini	1.01	0.00	0.03	0.03	0.03
63	Construction of ESI Dispensary & B.O at Autonagar, Vijaywada	6.37	0.00	0.02	0.02	0.02
	Total (Hosp/Disp.)	2038.36	9.90	105.22	115.123	96.96
64	Construction of SRO Vijayawada	25.80	0.00	0.02	0.02	0.02
65	Renovation/face lifting/uplifting of RO at Adarsh Nagar, Hyderabad	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Renovation/Modification of ESIC Regional Office, Chandigarh.	13.56	0.00	1.00	1.00	1.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2021 से 30.09.2021 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2021 से 31.03.2022 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2022-2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ करोड़ में)				
67	क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी, गोवा का नवीयन	8.11	0.00	0.10	0.10	0.10
68	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु की पुनर्सज्जा	18.62	0.00	3.00	3.00	0.00
69	शाखा कार्यालय, एरणाकुलम, केरल का निर्माण	5.56	0.00	3.00	3.00	0.00
70	कोल्लम, केरल में शाखा कार्यालय का निर्माण	5.19	0.00	0.005	0.005	0.00
71	वलुज, औरंगाबाद में शाखा कार्यालय और औषधालय का निर्माण	5.23	0.00	0.24	0.24	0.24
72	चिंचवाड़ (पुणे) में शाखा कार्यालय और औषधालय का निर्माण	12.97	0.00	0.43	0.43	0.43
73	उप क्षेत्रीय कार्यालय, बिबवेवाड़ी (पुणे) की पुनर्सज्जा	25.91	0.00	0.70	0.70	0.70
74	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	11.06	0.00	0.30	0.30	0.30
75	उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे, मुंबई	13.38	0.00	1.43	1.43	1.43
76	उप क्षेत्रीय कार्यालय, चिकलथाना, औरंगाबाद का नवीयन	15.24	0.00	0.20	0.20	0.20
77	उप क्षेत्रीय कार्यालय, मरोल, मुंबई का नवीयन	11.62	0.00	0.21	0.21	0.20
78	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के भवन का नवीयन और पुनर्सज्जा	10.20	0.00	0.00	0.00	0.20
79	क्षेत्रीय कार्यालय, पुदुच्चेरी का नवीयन	6.41	0.01	0.00	0.01	0.00
80	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर की पुनर्सज्जा	16.31	0.00	0.70	0.70	0.00
81	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै की पुनर्सज्जा	31.62	0.00	3.19	3.19	3.21
82	क.रा.बी. कॉलोनी, सेक्टर-56, नोएडा में स्टाफ क्वार्टरों की पुनर्सज्जा और नवीयन	18.94	4.00	10.00	14.00	10.00
83	सॉल्टलेक, कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण	61.84	0.00	2.29	2.29	0.00
84	क.रा.बी. आवासीय परिसर, जी.बी. सॉल्टलेक, कोलकाता में ए से एन टाइप क्वाटरों का आंतरिक नवीयन, मरम्मत और पेंटिंग	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
85	उप क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली, कर्नाटक का निर्माण	14.73	0.00	0.65	0.65	0.00
86.	क.रा.बी. निगम डेटा केंद्र, रोहिणी	4.80	0.00	0.00	0.00	0.01
	कुल ग =	**372.14**	**4.01**	**27.465**	**31.48**	**18.04**
	कुल क+ख+ग =	**12006.24**	**42.82**	**322.34**	**365.16**	**272.76**

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2021 to 30.9.2021	Fund requirement from 1.10.2021 to 31.3.2022	Revised Estimates 2021-2022 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2022-2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ in crore)				
67	Renovation of RO Panjim, Goa	8.11	0.00	0.10	0.10	0.10
68	Face lifting RO Bangalore	18.62	0.00	3.00	3.00	0.00
69	Construction of branch office Ernakulam Kerala	5.56	0.00	3.00	3.00	0.00
70	Construction of Branch Office at Kollam Kerala	5.19	0.00	0.005	0.005	0.00
71	Construction of Branch office & Disp. Waluj Aurangabad	5.23	0.00	0.24	0.24	0.24
72	Construction of Branch Office & Disp. Chinchwad (Pune)	12.97	0.00	0.43	0.43	0.43
73	Face Lifting of SRO Bibewadi (Pune)	25.91	0.00	0.70	0.70	0.70
74	SRO Nagpur	11.06	0.00	0.30	0.30	0.30
75	SRO Thane, Mumbai	13.38	0.00	1.43	1.43	1.43
76	Renovation of SRO Chikalthana Aurangabad	15.24	0.00	0.20	0.20	0.20
77	Renovation of SRO Marol, Mumbai	11.62	0.00	0.21	0.21	0.20
78	Renovation & Face-lifting of RO Building at Bhubaneswar	10.20	0.00	0.00	0.00	0.20
79	Renovation of RO Puducherry	6.41	0.01	0.00	0.01	0.00
80	Face Lifting RO Jaipur	16.31	0.00	0.70	0.70	0.00
81	Face lifting RO Chennai	31.62	0.00	3.19	3.19	3.21
82	Renovation and refurbishment of staff qrts. At ESI Colony Sector-56, NOIDA	18.94	4.00	10.00	14.00	10.00
83	Construction of RO at Salt Lake Kolkata	61.84	0.00	2.29	2.29	0.00
84	Internal Renovation Repairing & Painting of A to N type Staff quarters at ESI Housing complex GB Salt Lake,Kolkata	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Construction of SRO Hubli, Karnataka	14.73	0.00	0.65	0.65	0.00
86.	ESIC Data Centre Rohini	4.80	0.00	0.00	0.00	0.01
	TOTAL.C =	**372.14**	**4.01**	**27.465**	**31.48**	**18.04**
	TOTAL.A+B+C=	**12006.24**	**42.82**	**322.34**	**365.16**	**272.76**

नई परियोजनाएं **अस्पताल एवं औषधालय**						
1.	रूद्रपुर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	97.72	0.00	10.00	10.00	10.00
2.	हरिद्वार में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	95.00	29.51	30.00	59.51	70.00
3.	पड्दिभिमावरम में 06 बिस्तरों वाला आदर्श औषधालय एवं नैदानिक केंद्र तथा शाखा कार्यालय	5.64	2.14	1.82	3.96	0.00
4.	मापुसा में 06 बिस्तरों वाले एमडीडीसी एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	7.12	0.00	5.00	5.00	5.00
5.	सूरत में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल स्टाफ क्वार्टरों एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण	209.35	4.03	80.00	84.03	28.55
6.	रायपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	79.93	0.00	0.00	0.00	10.00
7.	डोडाबल्लापुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	81.38	0.00	15.77	15.77	26.15
8.	उदयपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	80.10	0.00	8.00	8.00	0.00
9.	आदित्यपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	75.88	8.13	8.18	16.31	0.00
10.	बेलतला में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	143.22	0.00	14.00	14.00	70.00
11.	इंदौर में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	378.00	37.61	50.00	87.61	170.77
12.	बाल्टीकुरी में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	187.37	0.00	8.50	8.50	0.00
13.	रांची में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	71.80	0.00	25.00	25.00	0.00
14.	आसनसोल में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का 150 बिस्तरों वाले अस्पताल में उन्नयन	36.61	0.00	6.00	6.00	0.00
15.	बोम्मसंद्रा में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	100.00	0.00	10.00	10.00	40.00
16.	नागपुर में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	194.93	0.00	70.00	70.00	70.00
17.	उत्तरी गोवा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
18.	कोरबा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	56.31	0.00	0.50	0.50	0.00
19.	अंगुल में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	64.47	0.00	5.00	5.00	0.00
20.	हल्दिया में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	57.15	0.00	8.00	8.00	5.00
21.	बिबवेवाड़ी, पुणे में वर्तमान अस्पताल की पुनर्सज्जा एवं 50 बिस्तरों से 100 बिस्तरों में उन्नयन	53.86	0.00	5.00	5.00	5.00
22.	विशाखपट्टणम में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	400.00	0.00	50.00	50.00	50.00
23.	विजयनगरम में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	73.68	0.00	14.00	14.00	40.00
24.	सिलीगुड़ी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	59.47	11.39	12.00	23.39	10.00
25.	फुलवारीशरीफ में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	71.74	0.00	12.00	12.00	21.54
26.	डुबरी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	70.00	0.00	0.00	0.00	20.00
27.	50 अतिरिक्त बिस्तरों के लिए क.रा.बी. अस्पताल, दुर्गापुर का ऊर्ध्वाधर विस्तार	28.61	0.00	0.54	0.54	0.00
28.	भुवनेश्वर में 150 बिस्तरों वाले अतिविशिष्टता अस्पताल का निर्माण	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00
29.	भिलाई में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	103.11	15.71	20.00	35.71	7.08
30.	रायबरेली में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.27	0.00	0.20	0.20	0.20

NEW PROJECTS						
HOSPITALS AND DISPENSARIES						
1.	100 Bedded Hospital at Rudrapur	97.72	0.00	10.00	10.00	10.00
2.	100 Bedded Hospital at Haridwar	95.00	29.51	30.00	59.51	70.00
3.	Model Dispensary and Diagnostic Centre with 06 beds and B.O at Pydibhimavaram	5.64	2.14	1.82	3.96	0.00
4.	Construction of MDDC with 06 beds and B.O at Mapusa	7.12	0.00	5.00	5.00	5.00
5.	Construction of 100 bedded ESI Hospital Staff Qts. And SRO Building at Surat	209.35	4.03	80.00	84.03	28.55
6.	Construction of 100 Bedded Hospital at Raipur	79.93	0.00	0.00	0.00	10.00
7.	Construction of 100 Bedded Hospital at Doddaballapur	81.38	0.00	15.77	15.77	26.15
8.	Construction of 100 Bedded Hospital atUdaipur	80.10	0.00	8.00	8.00	0.00
9.	Construction of 100 Bedded Hospital at Adityapur	75.88	8.13	8.18	16.31	0.00
10.	Construction of 100 Bedded Hospital at Beltola	143.22	0.00	14.00	14.00	70.00
11.	Construction of 300 Bedded Hospital at Indore	378.00	37.61	50.00	87.61	170.77
12.	Construction of 300 Bedded Hospital at Baltikuri	187.37	0.00	8.50	8.50	0.00
13.	Construction of 100 Bedded Hospital at Ranchi	71.80	0.00	25.00	25.00	0.00
14.	Upgradation of 100 Bedded to 150 bedded Hospital at Asansol	36.61	0.00	6.00	6.00	0.00
15.	Construction of 200 Bedded Hospital at Bommasandra	100.00	0.00	10.00	10.00	40.00
16.	Construction of 200 Bedded Hospital at Nagpur	194.93	0.00	70.00	70.00	70.00
17.	Construction of 100 Bedded Hospital at North Goa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
18.	Construction of 100 Bedded Hospital at Korba	56.31	0.00	0.50	0.50	0.00
19.	Construction of 100 Bedded Hospital at Angul	64.47	0.00	5.00	5.00	0.00
20.	Construction of 100 Bedded Hospital at Haldia	57.15	0.00	8.00	8.00	5.00
21.	Upgradation from 50 to 100 beds and renovation of Existing Hospital at Bibvewadi, Pune	53.86	0.00	5.00	5.00	5.00
22.	Construction of 500 Bedded Hospital at Vishakhapatnam	400.00	0.00	50.00	50.00	50.00
23.	Construction of 100 Bedded Hospital at Vizianagaram	73.68	0.00	14.00	14.00	40.00
24.	Construction of 100 Bedded Hospital at Siliguri	59.47	11.39	12.00	23.39	10.00
25.	Construction of 100 Bedded Hospital at Phulwasharif	71.74	0.00	12.00	12.00	21.54
26.	Construction of 100 Bedded Hospital at Dubri	70.00	0.00	0.00	0.00	20.00
27.	Vertical Extension of ESI Hospital Durgapur for additional 50 beds	28.61	0.00	0.54	0.54	0.00
28.	Construction of 150 bedded Super Specialty Hospital at Bhubaneswar	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00
29.	Construction of 100 Bedded Hospital at Bhilai	103.11	15.71	20.00	35.71	7.08
30.	Construction of ESI Dispensary & B.O at Raibareilly	2.27	0.00	0.20	0.20	0.20

31.	पनकी में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.33	0.00	0.50	0.50	0.50
32.	गोरखपुर में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.84	0.28	0.50	0.78	1.08
33.	नंजगुड में एमडीडीसी का निर्माण	8.65	0.00	2.00	2.00	1.90
34.	इनाथु में 5 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	2.92	0.00	1.46	1.46	1.46
35.	कोरेटी में 02 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	3.94	0.37	1.60	1.97	1.97
36.	सनत नगर में बाह्य रोगी विभाग खण्ड का निर्माण	211.00	0.00	20.00	20.00	50.00
37.	आश्रमम, कोल्लम में आदर्श अस्पताल का उर्ध्वाधर विस्तार	40.00	0.00	20.00	20.00	5.00
38.	हुबली के अस्पताल भवन में अतिरिक्त 50 बिस्तरों का निर्माण	25.0	0.00	5.00	5.00	10.00
39.	रायगढ में 100 बिस्तरों अस्पताल का निर्माण	74.23	9.74	39.32	49.06	0.00
40.	आबू-रोड में 2 चिकित्सक वाले औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	5.91	0.59	1.00	1.59	4.00
41.	वाराणसी में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	141.98	0.00	5.00	5.00	5.00
42.	पंचकुला में क.रा.बी.औषधालय-और -शाखा कार्यालय का निर्माण	6.84	0.00	1.00	1.00	1.50
43.	पंचकुला में निदेशक कार्यालय का निर्माण	8.38	0.00	1.50	1.50	6.00
44.	कुंडैन में 2 चिकित्सक वाले अस्पताल का निर्माण	3.00	0.00	0.50	0.50	1.00
45.	सेलाकुई में 3 चिकित्सक वाले औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	5.90	0.00	1.20	1.20	4.10
46.	मयूर विहार में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	40.60	0.00	4.00	4.00	30.00
47.	आइएमटी मानेसर में 6 बिस्तरों के साथ 5 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	1.49	0.00	0.50	0.50	0.10
48.	अलवर में 6 बिस्तरों तथा 4 चिकित्सक वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	3.48	0.25	1.00	1.25	2.00
49.	बहरोड में 3 चिकित्सक वाला औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर	3.60	0.11	2.00	2.11	1.00
50.	सीतापुरा, जयपुर में 6 बिस्तरों तथा 5 चिकित्सक वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	5.45	0.54	2.00	2.54	3.00
51.	नीमराणा में 6 बिस्तरों तथा 5 चिकित्सक वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	5.66	1.69	3.96	5.65	0.00
52.	क.रा.बी. औषधालय राजपुरवा, कानपुर	1.84	0.00	0.50	0.50	0.50
53.	क.रा.बी. औषधालय नवाबगंज, कानपुर	2.26	0.00	0.30	0.30	0.10
54.	क.रा.बी. औषधालय मोदी नगर	1.26	0.00	0.13	0.13	0.13
55.	क.रा.बी. औषधालय मिर्ज़ापुर	0.65	0.00	0.10	0.10	0.10
56.	क.रा.बी. औषधालय छिपतोला, आगरा	1.14	0.00	0.15	0.15	0.15
57.	काला अम्ब, हिमाचल प्रदेश में 30 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल (100 बिस्तरों वाले अस्पताल में विस्तार योग्य) का निर्माण	50.00	0.00	10.00	10.00	40.00
58.	काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण	102.77	0.00	20.00	20.00	40.00
59.	शिवमोग्गा, कर्नाटक में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण	97.00	0.00	10.00	10.00	40.00
60.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, बिहटा, पटना में संबंद्ध सेवाओं एवं पीछे वाली सड़क का निर्माण	4.50	0.00	1.50	1.50	3.00
61.	एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा में क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में रैम्प का निर्माण	15.00	0.00	1.00	1.00	14.00

31.	Construction of ESI Dispensary & B.O at Panki	2.33	0.00	0.50	0.50	0.50
32.	Construction of ESI Dispensary & B.O at Gorakhpur	2.84	0.28	0.50	0.78	1.08
33.	Construction of MDDC at Nanjagud	8.65	0.00	2.00	2.00	1.90
34.	Constrution of 5 Dr. Dispensary at Enathu	2.92	0.00	1.46	1.46	1.46
35.	Constrution of 2 Dr. Dispensary at Korraty.	3.94	0.37	1.60	1.97	1.97
36.	Construction of new OPD block at Sanath Nagar	211.00	0.00	20.00	20.00	50.00
37.	Vertical Extension of Model Hospital at Asramam, Kollam	40.00	0.00	20.00	20.00	5.00
38.	Construction of additional 50 bedded Hospital Building at Hubli.	25.0	0.00	5.00	5.00	10.00
39.	Construction of 100 bedded Hospital at Raigarh	74.23	9.74	39.32	49.06	0.00
40.	Construction of 2 Dr. Dispensary and B.O at Abu- Road	5.91	0.59	1.00	1.59	4.00
41.	Construction of 150 bedded Hospital at Varanasi	141.98	0.00	5.00	5.00	5.00
42.	Construction of ESI Dispensary at & BO at Panchkula	6.84	0.00	1.00	1.00	1.50
43.	Construction of Director Office at Panchkula	8.38	0.00	1.50	1.50	6.00
44.	Construction of 2 Doctor Dispensary at Kundain	3.00	0.00	0.50	0.50	1.00
45.	Construction of 3 Doctor Dispensary & BO at Selaqui	5.90	0.00	1.20	1.20	4.10
46.	Construction of ESI Dispensary at Mayur Vihar	40.60	0.00	4.00	4.00	30.00
47.	Construction of 5 Dr. Dispensary with 6 beds at IMT Manesar	1.49	0.00	0.50	0.50	0.10
48.	Construction of 4 Dr. Dispensary with 6 beds and staff quarters at Alwar	3.48	0.25	1.00	1.25	2.00
49.	3 Dr. Dispensary and Staff Qrters at Behor	3.60	0.11	2.00	2.11	1.00
50.	5 Dr. Disp. With 6 beds and staff qtr. at Sitapura, Jaipur	5.45	0.54	2.00	2.54	3.00
51.	5 Dr. Disp. With 6 beds and staff qtr. At Neemrana	5.66	1.69	3.96	5.65	0.00
52.	ESI Dispensary Rajpurwa, Kanpur	1.84	0.00	0.50	0.50	0.50
53.	ESI Dispensary Nawabganj, Kanpur	2.26	0.00	0.30	0.30	0.10
54.	ESI Dispensary Modinagar	1.26	0.00	0.13	0.13	0.13
55.	ESI Dispensary, Mirzapur	0.65	0.00	0.10	0.10	0.10
56.	ESI Dispensary Chhiptola, Agra	1.14	0.00	0.15	0.15	0.15
57.	Construction of 30 Bedded ESI Hospital (Expandable to 100 bedded) at Kala Amb,HP	50.00	0.00	10.00	10.00	40.00
58.	Construction of 100 Bedded ESI Hospital at Kakinada, A.P.	102.77	0.00	20.00	20.00	40.00
59.	Construction of 100 Bedded ESI Hospital at Shivamogga, Karnataka.	97.00	0.00	10.00	10.00	40.00
60.	Construction of back side Road and allied services at ESIC Medical College and Hospital Bihta,Patna	4.50	0.00	1.50	1.50	3.00
61.	Construction of Ramp at ESIC Medical College and Hospital at NIT, Faridabad,Haryana	15.00	0.00	1.00	1.00	14.00

62.	चलापुरम, कोषिकोड, केरल में क.रा.बी.निगम औषधालय, आरडीडी कार्यालय (एनडी) और सब-स्टेशन का निर्माण	8.00	0.00	1.00	1.00	7.00
63.	तिरूपुर, तमिलनाडु में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण	90.00	0.00	0.00	0.00	3.00
64.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, गुड़गांव, हरियाणा में सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एसटीपी) एवं अवशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) का निर्माण	1.00	0.00	0.25	0.25	0.75
65.	बहादुरगढ़, हरियाणा में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल (वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी सेवाओं सहित) का निर्माण	90.00	0.00	10.00	10.00	30.00
66.	बावल, हरियाणा में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल (वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी सेवाओं सहित) का निर्माण	90.00	0.00	10.00	10.00	30.00
67.	गया, बिहार में चारदीवारी सहित औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) का वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी सेवाओं सहित निर्माण करने के लिए पीएमसी	5.00	0.00	1.00	1.00	4.00
68.	राजमुन्दरी में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	97.99	0.00	10.00	10.00	40.00
69.	उल्लासनगर में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	102.58	10.25	30.00	40.25	50.00
70.	सैक्टर-80, नोएडा, फेज-II में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय का निर्माण	6.07	0.60	1.00	1.60	4.00
71.	सैक्टर-22, नोएडा, में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय का निर्माण	5.97	0.59	1.00	1.59	4.00
72.	ओमपुरा, जम्मू एवं कश्मीर में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	158.00	0.00	10.00	10.00	50.00
73.	बरेली, उत्तर प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	77.66	7.51	20.00	27.51	35.00
74.	मलकापुरम में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का विस्तारण	21.79	5.92	6.61	12.53	6.00
75.	बीकानेर में 100 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	41.15	8.00	20.00	28.00	10.00
76.	पीथमपुरा, मध्य प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.	गरश्यामनगर, पश्चिम बंगाल में 100 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	90.00	0.25	9.00	9.25	0.00
	कुल घ	4,646.68	155.21	757.09	912.30	1221.13
78	क.रा.बी.निगम अस्पतालों/औषधालयों/कार्यालयों के लिए भूमि का क्रय (ड)	550.00	0.00	0.00	250.00	300.00
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ड)	**16652.92**	**198.03**	**1079.43**	**1527.46**	**1805.89**

नोट:

क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय - के.के.नगर, राजाजी नगर, सनत नगर, गुलबर्गा, जोका, फरीदाबाद।

राज्य सरकारों को सौंपे गए चिकित्सा महाविद्यालय - परिपल्ली, कोयम्बतूर, मंडी।

क.रा.बी.निगम स्नातकोत्तर संस्थान - बसईदारापुर, अंधेरी, के.के.नगर, राजाजी नगर, माणिकतला (जोका)

क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय - गुलबर्गा, रोहिणी

क.रा.बी.निगम नर्सिंग महाविद्यालय - इंदिरानगर, गुलबर्गा

62.	Construction of ESIC Dispensary, RDD office(ND) and sub station at Chalapuram, Kozhikode, kerala	8.00	0.00	1.00	1.00	7.00
63.	Construction of 100 Bedded ESI Hospital at Tirupur, TN	90.00	0.00	0.00	0.00	3.00
64.	Construction of STP & ETP at ESIC Hospital Gurgaon, Haryana	1.00	0.00	0.25	0.25	0.75
65.	Construction (including A&E Services) of 100 bedded ESI Hospital at Bahadurgarh, Haryana	90.00	0.00	10.00	10.00	30.00
66.	Construction (including A&E Services) of 100 bedded ESI Hospital atBawal, Haryana	90.00	0.00	10.00	10.00	30.00
67.	PMC for Construction including A&E Services for construction of Dispensary cum Branch office (DCBO) including Boundary wall at Gaya, Bihar	5.00	0.00	1.00	1.00	4.00
68.	100 Bedded ESI Hospital at Rajamundari	97.99	0.00	10.00	10.00	40.00
69.	100 Bedded ESI Hospital at Ullasnagar	102.58	10.25	30.00	40.25	50.00
70.	Construction of ESI Dispensary sector 80 Noida Phase II	6.07	0.60	1.00	1.60	4.00
71.	Construction of ESI Dispensary sector 22 Noida	5.97	0.59	1.00	1.59	4.00
72.	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Ompura, J&K	158.00	0.00	10.00	10.00	50.00
73.	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Bareilly, UP	77.66	7.51	20.00	27.51	35.00
74.	Extension of ESI Hospital at Malkapuram	21.79	5.92	6.61	12.53	6.00
75.	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Bikaner	41.15	8.00	20.00	28.00	10.00
76.	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Pithampura, MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Garshyamnagar, West Bengal	90.00	0.25	9.00	9.25	0.00
	Total D	**4,646.68**	**155.21**	**757.09**	**912.30**	**1221.13**
78.	Purchase of land for ESIC Hospitals/Dispensaries/Offices **(E)**	550.00	0.00	0.00	250.00	300.00
	Grand Total(A+B+C+D+E)	**16652.92**	**198.03**	**1079.43**	**1527.46**	**1805.89**

Note:
ESIC Medical Colleges – K K Nagar, Rajaji Nagar, Sanat Nagar, Gulbarga, Joka, Faridabad.
Medical Colleges handed over to State Governments – Paripalli, Coimbatore, Mandi
ESIC PG Institutes – Basaidarapur, Andheri, K K Nagar, Rajaji Nagar, Maniktala (Joka)
ESIC Dental Colleges – Gulbarga, Rohini
ESIC Nursing Colleges – Indiranagar, Gulbarga

PERFORMANCE BUDGET
निष्पादन बजट

2022-2023

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नईदिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110002

PERFORMANCE BUDGET

2022-2023

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110002

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

निष्पादन बजट 2022-2023

1. भूमिका

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन की गई है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम 36) को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि भी शीघ्र अधिसूचित होना संभावित है। संहिता, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अन्य केंद्रीय अधिनियमों के साथ क.रा.बी. अधिनियम, 1948 को सम्मिलित करती है। संहिता की तिथि अधिसूचित होने के बाद क.रा.बी. योजना को देश के समग्र क्षेत्र में लागू करने का प्रस्ताव है।

2. **व्याप्ति**

वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 उन सभी कारखानों पर लागू होता है जिनमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति वेतन पर नियोजित हों। समुचित सरकार (केन्द्रीय या राज्य) के पास अधिनियम के उपबंधों का स्थापनाओं के अन्य वर्गों-औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्यथा पर विस्तार करने की शक्तियां हैं। इन उपबंधों के अंतर्गत, राज्य सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों का विस्तार 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले, पूर्वदर्शन थियेटर, होटल, रेस्तरां, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों तथा समाचार पत्र स्थापनाओं सहित सिनेमाओं, दूकानों पर किया है । ज्यादातर राज्य सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों का उनके राज्यों में स्थापित चिकित्सा और शिक्षा संस्थानों पर विस्तार किया है। फिलहाल, ₹ 21000 (01.01.2017 से प्रभावी) प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी क.रा.बी.योजना के अधीन आते हैं ।

3. **मुख्य उद्देश्य :**

क.रा.बी. योजना बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने के अलावा बीमारी, मातृत्व तथा रोजगार चोट के मामले में बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा और नकद हितलाभ तथा रोजगार चोट के कारण हुई मृत्यु के मामले में आश्रितजन हितलाभ भी उपलब्ध कराती है।

कारखानों आदि के बंद होने के कारण हुई बेरोजगारी के दौरान बेरोजगारी भत्ता तथा चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 01.04.2005 से राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना नामक नकद हितलाभ योजना तथा कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए बीमाकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू में दो वर्षों की अवधि के लिए, अखिल भारत में प्रायोगिक आधार पर दिनांक 01.07.2018 से "अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना" शुरू की गई है । वर्तमान में इस योजना को वर्धित दर तथा रियायती अर्हता एवं अंशदान शर्तों के साथ दिनांक 30.06.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने कोविड-19 के कारण अपना जीवन खोने वाले बीमाकृत व्यक्तियों के परिजनों को सहायता तथा मदद करने के लिए दिनांक 24.03.2020 से "क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना" शुरू करने का अनुमोदन किया है।

जहां कहीं भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यान्वित की गई है, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अधीन अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं।

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
PERFORMANCE BUDGET 2022-2023

1. INTRODUCTION

The Employees' State Insurance Corporation has been established under the Employees' State Insurance Act, 1948. However, the Code on Social Security, 2020 (Act 36 of 2020) has been notified by the Central Government. The effective date of implementation is also expected to be notified shortly. The code subsumes ESI Act,1948 along with eight other central enactments in the field of Social Security. Once notified ESI Scheme is proposed to be made applicable to entire area of the country.

2. COVERAGE

Presently, the Employees' State Insurance Act, 1948 applies to all factories employing 10 or more persons for wages. The appropriate Government (Central or State) is empowered to extend the provisions of the Act to other classes of establishments – industrial, commercial, agricultural or otherwise. Under these provisions, the appropriate Governments have extended the provisions of the Act to shops, cinemas including preview theatres, hotels, restaurants, road motor transport undertakings and newspaper establishments employing 10 or more persons. Most of the State Govts. have extended the provisions of the Act to the medical and educational institutions established in their State. At present, the ESI Scheme covers employees drawing wages up-to ₹ 21,000/- (w.e.f. 01.01.2017).

3. PRINCIPAL OBJECTIVE:

The ESI Scheme provides medical and cash benefits to insured persons in case of sickness, maternity, and employment injury and also dependent benefit in case of death due to employment injury besides providing medical care to insured person and their families.

The cash benefit schemes related to unemployment, named as Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna, which is in force w.e.f. 1.4.2005 to provide unemployment allowance and medical benefit during unemployment arising out of closure of factories etc and "ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA", started w.e.f. 01.07.2018 initially on Pan India pilot basis for a period of two years providing relief to the IPs who have become unemployed during COVID-19 pandemic. Presently, this scheme has been extended upto 30.06.2022 with enhanced rate & relaxed qualifying and contributory conditions.

Besides above, the Chairman, ESI Corporation has approved the "ESIC COVID-19 Relief Scheme", started w.e.f. 24.03.2020 to provide help and succor to the families of the IPs who lost life due to COVID-19.

4. **प्रशासन :**

यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम नामक निगमित निकाय द्वारा चलाई जाती है। इसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों, चिकित्सा व्यवसाय, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और संसद के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। निगम के सदस्यों में से गठित एक स्थायी समिति कार्यपालक निकाय के रूप में काम करती है। चिकित्सा हितलाभों की व्यवस्था से संबंधित मामलों में निगम को सलाह देने के लिए एक चिकित्सा हितलाभ परिषद् भी है।

5. चिकित्सा सेवाएं :

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत, क.रा.बी.अधिनियम, 1948 की धारा 58 के अनुसार बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, दिल्ली तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में निगम सीधे चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करा रहा है।

निगम ने आंचलिक आधार पर बसईदारापुर (दिल्ली), ठाकुरपुकुर (पश्चिम बंगाल), के.के. नगर (चेन्नै), इंदौर (मध्य प्रदेश) और अंधेरी (मुंबई) में व्यावसायिक रोग केन्द्रों की स्थापना की है। व्यावसायिक रोग केन्द्रों के संचालन पर होने वाला समस्त व्यय क.रा.बी. निगम द्वारा ही वहन किया जाता है।

निगम ने अधिकतर राज्यों में आदर्श अस्पताल भी स्थापित किए हैं/एक अथवा अधिक अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लेकर सीधे चला रहा है। आदर्श अस्पताल राज्यों में अन्य क.रा.बी. योजना अस्पतालों के उन्नयन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। आगे, राज्य सरकारें भी इससे लाभान्वित होंगी, क्योंकि इन अस्पतालों को चलाने के लिए पूरा व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है, जो क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल सेवाओं की लागत के लिए राज्य सरकार को भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त होता है। निगम ने योजना के हितलाभार्थियों को निगम अस्पतालों में ही आंतरिक अतिविशिष्टता उपचार उपलब्ध कराने के लिए सनत नगर, हैदराबाद में अतिविशिष्टता अस्पताल का निर्माण किया है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में निगम के 48 आदर्श/क.रा.बी. निगम अस्पताल [व्यावसायिक रोग केंद्रों सहित] हैं, जिनकी सूची निम्नवत् है :-

आदर्श/क.रा.बी.निगम अस्पताल (ओडीसी) सहित

क्र.सं.	राज्य	करा.बी.निगम. अस्पताल का नाम	बिस्तरों की संख्या
1.	असम	बेलटोला, गुवाहाटी	75
2.	बिहार	बिहटा	330
3.		फुलवारीशरीफ, पटना	50
4.	चंडीगढ)संघ राज्य क्षेत्र(	रामदरबार, चंडीगढ़	70
5.	छत्तीसगढ़	कोरबा	50
6.		रायपुर	50
7.	दिल्ली	बसईदारापुर	600
8.		झिलमिल	300
9		ओखला	251
10		रोहिणी	300
11	गुजरात	बापूनगर	264
12		अंकलेश्वर	50
13		नरोडा	50

Wherever the ESI Scheme has been implemented, the employers are absolved of their liability under the Workmen's Compensation Act, 1923 and the Maternity Benefit Act, 1961.

4. ADMINISTRATION:

The scheme is administered by a corporate body called the Employees' State Insurance Corporation. It has members representing employers, employees, the medical profession, the Central and State Governments and the Parliament. The Standing Committee, constituted from amongst the members of the Corporation, acts as the Executive Body. There is also a Medical Benefit Council to advise the Corporation in matters connected with the provision of medical benefit.

5. MEDICAL SERVICES

Under the ESI Scheme, it is the responsibility of the State Governments to provide medical services to the insured persons and their families as per Section 58 of the ESI Act, 1948. However, in Delhi and NOIDA (U.P), the Corporation is providing medical care directly.

The Corporation has set up Occupational Disease Centres (ODC) on zonal basis at Basaidarapur (Delhi), Thakurpukur (West Bengal), K.K. Nagar (Chennai), Indore (M.P.) and Andheri (Mumbai). The entire expenditure on running of these ODCs is borne by the ESI Corporation.

The Corporation has also set up a Model Hospital/taken over one or more hospital in most of the States and runs them directly. The model hospitals are expected to serve as a benchmark for up gradation of other ESIS hospitals in the States. Further, the State Govts. will also be benefited as the entire expenditure on running these hospitals is borne by the Corporation over and above the amount paid to the State Governments on account of cost of medical care services under ESI Scheme. The Corporation has also constructed super specialty hospital at Sanath Nagar, Hyderabad for providing in-house super specialty treatment to the beneficiaries of the Scheme. The Corporation now has 50 model/ESIC hospitals (including ODCs) in various states as listed below.

MODEL/ESIC HOSPITALS (INCLUDING ODCS)

S.No.	State	Name of the ESIC Hospital	No. of Beds
1.	Assam	Beltola,Guwahati	75
2.	Bihar	Bihta	330
3.		Phuwarisharif, Patna	50
4.	Chandigarh (UT)	Ramdarbar, Chandigarh	70
5.	Chhattisgarh	Korba	50
6.		Raipur	50
7.	Delhi	Basaidarapur	600
8.		Jhilmil	300
9		Okhla	251
10		Rohini	300
11	Gujarat	Bapunagar	264
12		Ankleswar	50
13		Naroda	50

14		वापी	75
15	हरियाणा	फरीदाबाद अस्पताल और एमसी	510
16		गुरूग्राम	150
17		मानेसर	100
18	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	100
19	जम्मू और कश्मीर	बारी ब्राह्मण	50
20	झारखंड	आदित्यपुर	50
21		नामकुम, रांची	50
22	कर्नाटक	राजाजीनगर, बेंगलुरू	500
23		गुलबर्गा	470
24		पीण्या	100
25	केरल	आश्रमम, कोल्लम	200
26		एज़ुकोन	150
27		उद्योगमंडल	100
28	मध्य प्रदेश	इंदौर	300
29	महाराष्ट्र	अंधेरी	205
30		बिबवेवाडी	50
31		कोल्हापुर	30
32	ओडिशा	अंगुल	0
33		राउरकेला	50
34	पंजाब	लुधियाना	262
35	राजस्थान	अलवर	50
36		भिवाड़ी	50
37		जयपुर	270
38		उदयपुर	50
39	तमिलनाडु	केके. नगर., चेन्नै	508
40		तिरुनेलवेली	100
41	तेलंगाना	एसएस. सन.त नगर	150
42		सनत नगर एमसी	470
43	उत्तर प्रदेश	बरेली	50
44		जाजमऊ, कानपुर	50
45		नोएडा	300
46		साहिबाबाद	100
47		सरोजिनी नगर, लखनऊ	75
48		वाराणसी	135
49	उत्तराखंड	रुद्रपुर	50
50	पश्चिम बंगाल	जोका	470

6. राज्य सरकारों को भुगतान :

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 10.09.2021 को आयोजित अपनी 185वीं बैठक में राज्य सरकार को लेखागत अदायगी की संपूर्ण नीति को परिशोधित किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

i) **वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बाद से निधि आबंटन/जारी करने की कार्यरीति** :

क. ₹3,000/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की कुल उच्चतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं। हालांकि ₹3000/- की इस व्यापक उच्चतम सीमा के अंतर्गत विभिन्न उच्चतम सीमा को निम्नानुसार परिशोधित किया गया है : -

i. चिकित्सा देखभाल व्यय के लिए हकदारी पर वार्षिक उच्चतम सीमा को "प्रशासन" शीर्ष के अंतर्गत व्यय करने हेतु ₹ 1,300/- की उच्चतम उप सीमा सहित विद्यमान ₹ 2,150/- से बढ़ाकर ₹ 2,600/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष किया जाएगा।

ii. परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) के अंतर्गत व्यय के लिए ₹200 प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की हकदारी।

iii. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के क.रा.बी. अस्पतालों और औषधालयों में क.रा.बी. निगम धनवंतरी मॉड्यूल के कार्यान्वयन की सीमा के आधार पर यथानुपात आधार पर ₹ 200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की हकदारी।

ख. समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 70% से अधिक बिस्तर अधिभोग वाले सभी राज्यों के क.रा.बी. अस्पतालों को ₹ 3,000/- की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में ₹ 200.00 प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की अतिरिक्त हकदारी ।

S.No.	State	Name of the ESIC Hospital	No. of Beds
14		Vapi	75
15	Haryana	Faridabad Hospital & MC	510
16		Gurgaon	150
17		Manesar	100
18	Himachal Pradesh	Baddi	100
19	Jammu & Kashmir	Bari Brahmana	50
20	Jharkhand	Adityapur	50
21		Namkum, Ranchi	50
22	Karnataka	Rajajinagar, Bangalore	500
23		Gulbarga	470
24		Peenya	100
25	Kerala	Asramam, Kollam	200
26		Ezhukone	150
27		Udyogamandal	100
28	Madhya Pradesh	Indore	300
29	Maharashtra	Andheri	205
30		Bibvewadi	50
31		Kolhapur	30
32	Odisha	Angul	0
33		Rourkela	50
34	Punjab	Ludhiana	262
35	Rajasthan	Alwar	50
36		Bhiwadi	50
37		Jaipur	270
38		Udaipur	50
39	Tamilnadu	K.K. Nagar, Chennai	508
40		Tirunelveli	100
41	Telangana	S.S. Sanathnagar	150
42		Sanathnagar MC	470
43	Uttar Pradesh	Bareilly	50
44		Jajmau, Kanpur	50
45		Noida	300
46		Sahibabad	100
47		Sarojinagar, Lucknow	75
48		Varanasi	135
49	Uttrakhand	Rudrapur	50
50	West Bengal	Joka	470

6. PAYMENT TO STATE GOVERNMENTS:

The ESI Corporation in its 185th meeting held on 10.09.2021 revised entire policy on account payment to State Government as detailed below: -

i) Modalities for fund allocation/release for FY 2021-22 onward:

a. No change in overall ceiling of ₹3,000/- per IP per annum. However, various Sub- ceiling under this broader ceiling of ₹3000/- have been revised as under: -

i. Annual ceiling on entitlement for medical care expenditure to be enhanced to ₹2,600 per IP per annum from existing ceiling of ₹2150/- with maximum sub ceiling of ₹1,300 for expenditure under "Administration" head.

ii. Entitlement of ₹200 per IP per annum for incurring expenditure under Project Implementation Plan (PIP).

iii. Entitlement of ₹200 per IP per annum on pro-rata basis based on extent of implementation of ESIC Dhanwantari module in State ESI hospitals & dispensaries during previous financial year.

b. Additional Entitlement of ₹200 per IP per annum as incentive, over and above the ceiling of ₹3,000/- where bed occupancy in all the State ESI Hospitals is more than 70% during the concluded financial year.

ग. निवारक एवं उन्नायक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत व्यय के लिए **₹ 3,000/-** की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष **₹ 20/-** की अतिरिक्त हकदारी।

ii) राज्य क.रा.बी. योजनाओं को लेखागत अदायगी के लिए बजटीय प्राक्कलन (बीई) के परिकलन की कार्यरीति

माह मार्च तथा अक्टूबर में राज्य सरकार के साथ बैठक में निधि जारी करने और व्यय की समीक्षा के साथ-साथ बजट प्राक्कलन के अनुमोदन पर भी विचार किया जाएगा।

पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के दौरान वास्तविक प्रति बीमाकृत व्यक्ति व्यय के औसत के आधार पर राज्य क.रा.बी. योजनाओं की हकदारी का प्राक्कलन किया जाएगा। चिकित्सा व्यय की उच्चतम सीमा को **₹ 2,150/-** से बढ़ाकर **₹2,600**/- करने का प्रस्ताव है इसलिए (जो लगभग 21% की वृद्धि है), वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजटीय प्राक्कलन पर पहुंचने के लिए वास्तविक प्रति बीमाकृत व्यक्ति व्यय के औसत को 21% बढ़ाया जाएगा।

आगामी वित्तीय वर्षों के बजटीय प्राक्कलन की गणना हेतु मुद्रास्फीति और बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्तमान उच्चतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के औसत में 10**%** की वृद्धि की जाएगी।

यदि राज्य सरकार वर्ष के लिए अनुमोदित बजटीय प्राक्कलन के अलावा अपने संपूर्ण व्यय के अंदर रहते हुए अतिरिक्त निधि के आबंटन हेतु इच्छुक हो तो वह परिशोधित प्राक्कलन के प्रयोजनार्थ व्यय के विवरण और उपयोग प्रमाणपत्र सहित औचित्य के साथ 31 अक्टूबर तक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रस्ताव को महानिदेशक के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

इसके अलावा, किसी भी वित्तीय वर्ष के कुल अनुमोदित बजट में से राज्यों के बीच बजट पुनर्विनियोग को अनुमोदन करने हेतु महानिदेशक को अधिकृत किया गया है।

राज्यों को लेखागत अदायगी के लिए परिशोधित प्राक्कलन 30 नवम्बर तक तैयार किया जाना चाहिए तथा विस्तृत अनुदेशों और दिशा-निर्देशों सहित बजटीय प्रावधान परिपत्र आगामी वित्तीय वर्ष से पूर्व 15 दिसम्बर तक जारी किया जाना चाहिए ।

iii) **"लेखागत अदागयी" जारी करने की प्रस्तावित कार्यरीति**

लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उपर्युक्त परिकलित बजटीय प्राक्कलन में से 10**%** रखने के बाद बजट प्राक्कलन का 90**%** संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 15 अप्रैल और अक्टूबर तक दो किश्तों में निम्नानुसार जारी किया जाएगा :

- पहली किश्त (अप्रैल से सितम्बर) : बजट प्राक्कलन के 90**%** का 50**%** अप्रयुक्त निधि के समायोजन (यदि कोई हो), के बाद जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से पूर्व एक वर्ष के लिए राज्य क.रा.बी. योजना को प्रदान किया गया था, जो इसके अप्रयुक्त प्रमाण पत्र के माध्यम से दर्शाया गया है, **15** अप्रैल तक जारी किया जाएगा। अप्रयुक्त प्रमाण पत्र की देय तिथि अगले वर्ष की 30 सितम्बर होगी।
- दूसरी किश्त (अक्टूबर से मार्च) : बजट प्राक्कलन के 90**%** का शेष 50**% 15** अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। दूसरी किश्त देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए :

  क. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से पहले एक वर्ष के अव्ययित शेष, पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय होता है जो अप्रयुक्त प्रमाण पत्र (देय तिथि अगले वर्ष की 30 सितम्बर है), के माध्यम से दर्शाया गया है, इस प्रकार के मामले में दूसरी किश्त के अलावा पहली किश्त के दौरान किया गया समायोजन भी दिया जाए।

  ख. वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक में यह संज्ञान में आया है कि पिछली किश्त के दौरान दी गई निधि का 50**%** 30 सितम्बर के अंत तक समाप्त नहीं हुआ है, दूसरी किश्त समानुपातिक आधार पर दी जाए।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-2022 से जारी की गई किश्त की राशि और उपयोग प्रमाण पत्र का समायोजन निम्नानुसार किया जाएगा :

c. Additional entitlement of ₹20 per IP per annum, over and above the ceiling of ₹3,000/- for expenditure under preventive and promotive health services.

ii) Modalities for Calculation of Budgetary Estimates (BE) for "On Account" payment to State ESI Schemes.

The release of funds and review of expenditure as well approval of BE will be made in the meeting with the State Govt. in the month of March & October.

Entitlement of State ESI Schemes shall be estimated based on average of actual per IP expenditure incurred during last three completed financial year. As increase in medical expenditure ceiling is proposed from ₹ 2,150/- to ₹ 2,600/- (which is around 21 percent increase), the average of actual per IP expenditure will be enhanced by 21 percent to arrive at budgetary estimate (BE) for FY 2021-22.

For calculation of Budgetary Estimate (BE) of subsequent financial years, average of actual expenditure will be enhanced by 10 percent considering cost of inflation and increase in nos. of lPs subject to prevailing maximum ceiling

In case the State Govt. desires additional allocation of funds over and above the approved BE for the year but within its overall entitlement, it may submit a proposal with justification with details of expenditure and utilization certificate for the purpose of Revised Estimate by 31st October. The proposal will be submitted before Director General for approval.

Further, the Director General has been authorized to approve re-appropriation of budget among States from within the total approved budget for any financial year.

The preparation of the revised estimates for On Account payment to State should be done by 30th November and budgetary provision circular with details instructions and guidelines will be issued by 15th December prior to subsequent financial year.

iii) Proposed Modalities for release of "On Account" payment.

Out of the calculated budgetary estimate (BE) as above, after holding 10% of BE for release subsequent to submission of Audit certificate, 90 percent shall be released in two instalments by the 15th of April and October, by concerned Regional office as per following:

- First Instalment (April to September): 50 percent of 90 percent of BE shall be released by 15thApril after adjustment for unutilized fund (if any) which was provided to State ESI Scheme for one year prior to preceding financial year as reflected through its utilization certificate. Due date for UC will be 30thSeptember of following year.
- Second Instalment (October to March): Remaining 50 percent of 90 percent of BE shall be released by 15thOctober. While releasing 2nd instalment following may be taken care of:
  - a) In case of unspent balances of one year prior to the preceding F.Y. get spent in previous F.Y. as reflected through utilization certificate (due date is 30th Sept of following year), adjustment made during 1stinstalment may also be released in addition to 2nd instalment.
  - b) In case in the review meeting with State in the 1stweek of October of financial year, it is revealed that the 50 percent of fund released during 1st instalment has not been exhausted till the end of 30thSept, 2ndinstalment may be given on proportionate basis.

Further, the adjustment of released instalment amount and utilisation certificate from financial year 2021-2022 onwards will be carried out as under:

पहली किश्त : अप्रैल, **2021** के दौरान जारी – वित्तीय **2019-20** का उपयोग प्रमाणपत्र
दूसरी किश्त : अप्रैल, **2022** के दौरान जारी – वित्तीय **2020-21** का उपयोग प्रमाणपत्र
पहली किश्त : अप्रैल, **2023** के दौरान जारी – वित्तीय **2021-22** का उपयोग प्रमाणपत्र

- **अतिरिक्त किश्त :** राज्य सरकार को उपर्युक्त पैरा 'ख' में यथा उल्लिखित परिशोधित प्राक्कलन के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निधि की अतिरिक्त मांग की अनुमति दी गई है। अतिरिक्त निधि, यदि अनुमोदित हो तो उसी वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक जारी की जाएगी बशर्ते वर्ष का कुल आबंटन उच्चतम उप-सीमा सहित उच्चतम सीमा राशि हकदारी के अंदर हो।

- **अन्य शीर्ष के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं** : वेतन पर अधिक व्यय को नियंत्रित करने के प्रयास में वर्तमान में राज्यों को प्रशासनिक एवं अन्य (औषधि एवं मरहम पट्टी आदि) की उच्चतम उप सीमा के भीतर **50:50** के अनुपात में भुगतान किया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं जहां कुछेक राज्य अन्य शीर्षों पर हकदारी की उच्चतम उप सीमा से अधिक व्यय कर रहे हैं। अब यह अनुमोदित किया गया है कि अन्य की उच्चतम सीमा को सीमित न किया जाए, बशर्ते प्रशासनिक व्यय पर उच्चतम सीमा के साथ बीमाकृत व्यक्तियों को सेवा पर व्यय को प्रोत्साहित करने हेतु पूरी हकदारी उच्चतम सीमा के अंदर जारी रखी जाए।

- **परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) निधि किश्त** : परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) निधि लेने के लिए राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 15 अक्टूबर तक अग्रिम रूप में योजना प्रस्तुत करेगें । क.रा.बी. निगम मुख्यालय के स्तर पर इनकी जांच की जाएगी तथा महानिदेशक से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 31 दिसम्बर तक राज्य सरकार को संस्वीकृति की सूचना दी जाएगी। परियोजना कार्यान्वयन मामले में उपयोग प्रमाण पत्र पूर्ववर्ती वर्ष से पूर्व की 12 महीने की अवधि पर विचार करके लिया जाए। राज्यों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संस्वीकृति की सूचना वित्तीय वर्ष की शुरूआत से पूर्व दी जाएगी जबकि निधि पूरे वर्ष जारी की जाएगी, बावजूद इसके कि 90**%** की कोई उच्चतम सीमा को ध्यान में रखते हुए लेखागत अदायगी लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के साथ लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।

- **पूर्ण तथा अंतिम निपटान** : राज्य क.रा.बी. योजना द्वारा विभिन्न उप शीर्षों और व्यापक उच्चतम सीमा के अध्यधीन व्यय की गई राशि को जारी करने के लिए संबंधित वित्तीय वर्षों का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नीति में अति-विशिष्टता उपचार पर व्यय का प्रावधान सम्मिलित नहीं है क्योंकि क.रा.बी. निगम ने दिनांक 07.08.2015 को आयोजित अपनी 166वीं बैठक में हितलाभार्थियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों का अवलोकन किया तथा यह निर्णय किया कि अतिविशिष्टता उपचार के व्यय का वहन सीधा क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा।

7. वित्त : अंशदान का युक्तिकरण

क.रा.बी.योजना का वित्तपोषण नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से होता है। कैंद्रीय सरकार द्वारा क.रा.बी.(कैंद्रीय) विनियमावली 1950 के नियम 51 में संशोधन की अधिसूचना द्वारा दिनांक 01.07.2019 से नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों द्वारा अंशदान की दर को क्रमश: 3.25% एवं 0.75% परिशोधित किया गया। प्रतिदिन ₹ 176/- तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 06.09.2019 से कर्मचारी के अंशदान भाग का भुगतान करना आवश्यक नहीं है।

निगम को केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। नियोक्ता तथा कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त निगम की आय को आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 10 (25)(क) के तहत कर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

1st instalment: Released during April, 2021 — UC of FY 2019-20.
1st Instalment: Released during April, 2022 — UC of FY 2020-21.
1st Instalment: Released during April, 2023 — UC of FY 2021-22 and so on.

- **Additional instalment**: The State Govt. has been allowed to submit additional requirement of fund through submission of revised estimate as explained in Para B above. Additional fund, if approved, shall be released by 31stDecember of the same financial year subject to total allocation of the year being within the entitlement of ceiling amount including sub-ceiling.

- **No sub-ceiling for Others head**: At present payment to States are done within a sub- ceiling of Administration & Others (Drugs & Dressing etc.) in an effort to control excess expenditure on salaries in the ratio of 50:50. Instances have been seen where some of the State are incurring expenditure on Others above the sub-ceiling entitlement. Now It has been approved that the ceiling of Others may not be restricted subject to within the overall entitlement ceiling to encourage expenditure on service to IPs with ceiling on Administrative expenditure to continue.

- **PIP Fund Instalment**: To avail the Project Implementation Plan (PIP) fund, the State Government shall submit plan in advance by 15thOct for subsequent financial year. This will be examined at ESIC Hqrs' level and after getting approval from Director General, the sanction will be communicated to State Government by 31 Dec for subsequent financial year. Utilisation Certificate in case of PIP may be taken by considering period of 12 months before preceding year. While sanction for the subsequent financial year will be communicated to the States before commencement of the financial year, the release will be spread over the year irrespective of any ceiling of 90 percent with audit certificate to be furnished with On Account payment audit certificate.

- **Full & final Settlement**: Audit certificate of concerned financial years shall be required for release of balance fund spent by State ESI Scheme subject to various sub-heads and broader ceiling.

Further, above policy does not contain the provisions towards expenditure on super specialty treatment as the ESI Corporation it its 166th meeting held on 07.08.2015 took stock of the difficulties being faced by the beneficiaries and decided that the expenditure on super specialty treatment would be borne directly by the ESI Corporation.

7. FINANCE: Rationalization of Contribution

The ESI Scheme is financed by contributions from employers and employees. The rate of contribution by employers and employees was revised to 3.25 percent and 0.75 percent respectively from 01.07.2019 by notification of an amendment to Rule 51 of the ESI (Central) Rules 1950 by the Central Govt. Employees earning wages up-to ₹ 176/- per day are not required to pay employee's share of contribution, effective 06.09.2019.

The Corporation does not receive any financial assistance from the Central Government. The income of the Corporation, received by way of contributions from

8. योजना का विस्तार

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, यह प्रत्याशित है कि देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण 19.88 लाख कर्मचारियों की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-2023 के बजट प्राक्कलन में व्याप्त किए जाने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 21.48 लाख है। व्याप्त कर्मचारियों की संख्या और चिकित्सा देखरेख के लिए हकदार बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या को पैरा 7.2 पर प्रस्तुत विवरण में तालिकाबद्ध किया गया है।

दिनांक 31.3.2022 को कर्मचारियों की संख्या 266.60 लाख अनुमानित है, जबकि इसकी तुलना में दिनांक 31.3.2021 को कर्मचारियों की संख्या 246.72 लाख है। दिनांक 31.03.2023 को तदनुरूपी संख्या 288.09 लाख होने का अनुमान है। चिकित्सा हितलाभ के लिए लाभार्थियों की कुल संख्या (बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिवार के सदस्य) परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में 1,197.16 लाख तथा बजट प्राक्कलन 2022-2023 में 1,331.00 लाख होने का अनुमान है।

8.1 निष्पादन और हाथ में लिए गए कार्य से संबंधित सांख्यिकीय आकडें निम्नानुसार समाविष्ट हैं :-

क्र. सं.	सूचना का स्वरूप	वास्तविक 2019-2020	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
1.	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	246.72	266.61	288.10
2.	चिकित्सा देखभाल के हकदार बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	277.52	308.55	343.04
3.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन पर चिकित्सा देखभाल का विस्तार किया गया है (लाख में)			
	क. बीमाकृत व्यक्तियों को छोड़कर	799.26	888.62	987.97
	ख. बीमाकृत व्यक्तियों को मिलाकर	1,076.78	1,197.17	1,331.01
4.	(क) निर्मित अस्पतालों की संख्या			
	सामान्य	151	155	160
	क्षय रोग (टीबी)	8	8	8
	(ख) अनैक्सियों की संख्या			
	सामान्य	27	27	27
	क्षय रोग (टीबी)	15	15	15
	कुल (क) तथा (ख)	**201**	**205**	**210**
5.	बिस्तरों की संख्या (सरकारी तथा अन्य मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित)			
	(क) सामान्य + क्षय रोग	25799	26149	26729
	क्षय रोग	2050	2050	2050
	(ख) अनैक्सी/सामान्य में	520	520	520
	क्षय रोग (टीबी)	329	329	329
	कुल (क) + (ख)	**28698**	**29048**	**29628**
6.	निर्माणाधीन बिस्तरों की संख्या :	1180	3130	4720
7.	उपचार किए गए रोगियों की संख्या :			
	क. क.रा.बी.निगम अस्पतालों में दाखिल किए गए रोगियों की संख्या (लाख में)	30.72	32.87	35.18
	ख. औषधालयों में उपस्थिति (बीमाकृत व्यक्ति और परिवार सदस्य दोनों) (लाख में)			
	i. नए मामले	170.00	181.91	194.64

employer & employees is exempted from payment of tax under Sec 10 (25) (A) of the Income Tax Act, 1962.

8. EXTENSION OF SCHEME

During the Financial Year 2021-2022, it is expected there will be an increase of 19.88 lakhs employees due to improvement in economic activity in country. Further, in the Budget Estimates for 2022-2023, the additional number of employees estimated to be covered is 21.48 lakhs. Number of employees covered and number of Insured Persons entitled to medical care are tabulated in the statement placed at para 7.2.

It is expected that the number of employees as on 31.3.2022 will be 266.60 lakhs corresponding to 246.72 lakhs employees on 31.03. 2021.The corresponding figures for 31.03.2023 is estimated to be 288.09 lakhs. The total number of beneficiaries (insured persons and their family members) for medical benefit is estimated at 1197.16 lakhs in the Revised Estimates 2021-2022 and 1331.00 lakhs in Budget Estimates 2022-2023.

8.1. The following table contains the statistical data relating to performance and work handled:

Sl. No.	Nature of Information	Actual 2020-2021	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
1.	Number of employees covered (in lakhs)	246.72	266.61	288.10
2.	No. of Insured Persons entitled to medical care (in Lakhs)	277.52	308.55	343.04
3.	Number of family members to whom medical care has been extended (in Lakhs)			
	a. Excluding the IPs	799.26	888.62	987.97
	b. Including the IPs	1076.78	1197.17	1331.01
4.	(a) Number of hospitals Constructed			
	General	151	155	160
	T.B (Tuberculosis)	8	8	8
	(b) No. of annexes			
	General	27	27	27
	T.B.	15	15	15
	TOTAL (a) & (b)	**201**	**205**	**210**
5.	Number of beds (including beds reserved in Govt. & other recognised hospitals)			
	(a) General+ TB	25799	26149	26729
	T.B.	2050	2050	2050
	(b) In annexes / General	520	520	520
	T.B.	329	329	329
	TOTAL (a) + (b)	**28698**	**29048**	**29628**
6.	Number of beds under construction:	1180	3130	4720
7.	Number of patients treated:			
	a. Number of cases admitted in ESIC Hospitals (in lakhs)	30.72	32.87	35.18
	b. Attendance at dispensaries (both insured persons and family members) (in lakhs)			
	i. New Cases	170.00	181.91	194.64

क्र. सं.	सूचना का स्वरूप	वास्तविक 2019-2020	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
	ii. पुराने मामले	120.28	128.70	137.71
8.	नकद हितलाभ के पात्र कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	277.52	308.55	343.04
9.	आश्रितजन हितलाभ प्राप्त कर रहे आश्रितजनों की संख्या	133738	140186	147916
10.	राजस्व प्राप्तियाँ (₹ लाख में)	2109132.30	2073942.00	2261935.00
11.	राजस्व व्यय (₹ लाख में)	1376711.68	1918266.00	1738546.00
12.	कार्यालयों, औषधालयों, अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण पर पूंजीगत व्यय (₹ लाख में)	30262.26	152750.00	180589.00

(क) वर्ष 2020-2021 के वास्तविक आंकड़ों व 2020-2021 के परिशोधित प्राक्कलन में अन्तर

	सूचना का स्वरूप	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	वास्तविक 2020-2021	अन्तर (परिशोधित प्राक्कलन में से वास्तविक)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	305.36	246.72	(-) 58.64
2.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन तक चिकित्सा देखरेख का विस्तार किया गया है। (लाख में)	1293.66	1076.67	(-) 216.99
3.	राजस्व आय (₹ लाख में)	1861561.00	2109132.30	247571.30
4.	राजस्व व्यय (₹ लाख में)	1504869.40	1376711.68	(-) 128157.72
5.	कार्यालयों, औषधालयों व अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय (स्टाफ क्वार्टरों सहित) (₹ लाख में)	80146.80	30262.26	(-) 49884.24

नोट : 1. कर्मचारियों की संख्या में परिशोधित प्राक्कलन. वर्ष 2020-2021 (305.36 लाख) की तुलना में वर्ष 2020-2021 में 246.72 लाख तक की गिरावट हुई है।

2. राजस्व व्यय में बचत मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा हितलाभ मद के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल की संपूर्ण उच्चतम सीमा तक राशि का पूरा उपयोग नहीं किए जाने के कारण है।

3. पूंजीगत व्यय में बचत मुख्य रूप से अस्पतालों एवं औषधालयों के निर्माण तथा नवीयन हेतु अनुमानित व्यय से कम व्यय के कारण है।

Sl. No.	Nature of Information	Actual 2020-2021	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
	ii. Old Cases	120.28	128.70	137.71
8.	Number of employees eligible for cash benefits (in lakhs)	277.52	308.55	343.04
9.	Number of dependants in receipt of dependants' benefits	133738	140186	147916
10.	Revenue Receipts (₹ in Lakhs)	2109132.30	2073942.00	2261935.00
11.	Revenue Expenditure (₹ in Lakhs)	1376711.68	1918266.00	1738546.00
12.	Capital expenditure for construction of buildings for offices, dispensaries and hospitals& Medical College (₹ in Lakhs)	30262.26	152750.00	180589.00

(A) VARIATION BETWEEN ACTUAL FOR 2020-2021 AND THE REVISED ESTIMATES FOR 2020 - 2021.

	Nature of Information	Revised Estimates 2020-2021	Actual 2020-2021	Variation (Actual from Revised Estimates)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Number of employees covered (in Lakhs)	305.36	246.72	(-) 58.64
2.	Number of family members to whom medical care has been extended (in Lakhs)	1293.66	1076.67	(-) 216.99
3.	Revenue Receipts (₹ in lakhs)	1861561.00	2109132.30	247571.30
4.	Revenue Expenditure (₹ In Lakhs)	1504869.40	1376711.68	(-) 128157.72
5.	Capital Expenditure for construction of buildings for offices, dispensaries and hospitals& Medical College (including staff Qtrs.) (₹ in Lakhs)	80146.80	30262.26	(-) 49884.24

NOTE - 1. There has been decrease in number of employees from RE 2020– 2021(305.36 lakhs) to 246.72 lakhs in 2020-2021.

2. Saving in Revenue Expenditure is mainly on account of non-utilisation of entire ceiling amount for medical care under the medical benefit head by the State Govt.

3. Saving in capital expenditure is mainly on account of lesser outgo in projected expenditure for construction and renovation of hospitals and dispensaries.

(ख) 2021-2022 वर्ष के परिशोधित प्राक्कलन और 2021-2022 के मूल बजट प्राक्कलन में अन्तर ।

क्र.सं.	सूचना का स्वरूप	बजट प्राक्कलन 2021-2022	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022	अन्तर (बजट प्राक्कलन और परिशोधित प्राक्कलन में) (4) - (3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	क. व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	311.10	266.61	(-) 44.49
	ख. बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	341.08	308.55	(-)32.53
2.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन पर चिकित्सा देखभाल का विस्तार किया गया (लाख में)			
	ग. बीमाकृत व्यक्तियों को छोडकर	982.32	888.62	(-)93.70
	घ. बीमाकृत व्यक्तियों की मिलाकर	1323.41	1,197.17	(-)126.24
2.	राजस्व आय (₹ लाख में)	2033914.00	2073942.00	40028.00
3.	राजस्व व्यय (₹ लाख में)	1771018.82	1918266.00	147247.18
4.	पूंजीगत व्यय (₹ लाख में)	154880.00	152750.00	(-)2130.00

नोट:

1. वर्ष 2019-20 से 2020-2021 तक कर्मचारियों की संख्या में वास्तविक वृद्धि के आधार पर, परिशोधित प्राक्कलन 2021-22 में कर्मचारियों की संख्या में प्राकल्लित (प्रोजेक्टिड) वृद्धि को सीमित (मॉडरेट) किया गया है।
2. राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण हुई है।
3. राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से आश्रितजन हितलाभ निधि तथा क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना निधि के लिए की गई व्यवस्था के कारण हुई है।
4. पूंजीगत व्यय में बचत, अस्पतालों एवं औषधालयों के निर्माण और नवीयन हेतु अनुमानित व्यय से कमतर व्यय के कारण है।

8.2 चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 तथा अगले वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए निगम की वित्तीय आवश्यकताएं (क) कार्यक्रम/कार्यकलापवार (ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण के तहत और उनके वित्त स्रोत का विवरण नीचे के पैराओं में दिया गया है :-

(क) कार्यक्रम/कार्यकलाप-वार

वर्गीकरण	वास्तविक 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022	बजट प्राक्कलन 2022-2023
			(₹ लाख में)
कार्यकलाप व्यय :			
चिकित्सा हितलाभ	953063.81	1199031.00 (L)	1234359.00 (LL)
नकद हितलाभ	276188.25	526000.00 (M)	273600.00 (MM)
अन्य हितलाभ	339.45	501.00	456.00
प्रशासनिक व्यय	147120.17	192734.00 (N)	230131.00 (NN)
गैर-कार्यकलाप व्यय :			
आबंटन :			
पूंजीगत निर्माण निधि में	0.00	0.00 (O)	0.00 (O)
आकस्मिकता आरक्षित निधि में	0.00	0.00 (OO)	0.00 (OO)
कुल राजस्व व्यय	**1376711.68**	**1918266.00**	**1738546.00**
कार्यालयों, औषधालयों तथा अस्पतालों के लिए भूमि के अर्जन तथा भवन के निर्माण पर पूंजीगत व्यय तथा निर्माण और अन्य गैर परियोजना परिसम्पत्तियां	**42651.40**	**195057.46**	**225444.00**

(B) VARIATION BETWEEN REVISED ESTIMATES FOR 2021-2022 ANDTHE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES FOR 2021-2022.

Sl. No.	Nature of Information	Budget Estimates 2021-2022	Revised Estimates 2021-2022	Variation (BEs and REs) (4) – (3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	a. Number of employees covered (in Lakhs)	311.10	266.61	(-) 44.49
	b. Number of Insured Persons (in Lakhs)	341.08	308.55	(-)32.53
2.	Number of family members to whom medical care has been extended (in Lakhs)			
	c. Excluding the IPs	982.32	888.62	(-)93.70
	d. Including the IPs	1323.41	1197.17	(-)126.24
2.	Revenue Receipts (₹ in Lakhs)	2033914.00	2073942.00	40028.00
3.	Revenue Expenditure (₹ In Lakhs)	1771018.82	1918266.00	147247.18
4.	Capital Expenditure (₹ in Lakhs)	154880.00	152750.00	(-)2130.00

NOTE –1. Based on the actual decrease in the number of employees from 2019-20 to 2020-21, the projected increase in the number of employees in RE 2021-22has been moderated.
2. Increase in Revenue Receipts is on account of improvement in economic activities in the country.
3. Increase in Revenue Expenditure is mainly on account of provision made for Dependent Benefit Fund and ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund.
4. Savings in capital expenditure is on account of lesser outgo in projected expenditure for construction and renovation of hospitals and dispensaries.

8.2 The financial requirements for the current financial year 2021-2022 and the next financial year 2022-2023 under (A) Programme/activity-wise (B) Object wise classification and their source of Finance are described in the following paragraphs.

(A) PROGRAMME / ACTIVITY WISE

CLASSIFICATION	Actual 2020-2021	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
			(₹ in Lakhs)
Activity Expenditure:			
Medical Benefit	953063.81	1199031.00 (L)	1234359.00 (LL)
Cash Benefits	276188.25	526000.00 (M)	273600.00 (MM)
Other Benefits	339.45	501.00	456.00
Administrative Expenditure	147120.17	192734.00 (N)	230131.00 (NN)
Non-Activity Expenditure			
Allocation to:			
Capital construction Fund	0.00	0.00 (O)	0.00 (O)
Contingency Reserve Fund	0.00	0.00 (OO)	0.00 (OO)
TOTAL Revenue Expenditure	**1376711.68**	**1918266.00**	**1738546.00**
Capital Expenditure on acquisition of land and construction of building for offices, dispensaries & Hospitals and other non-project assets	**42651.40**	**195057.00**	**225444.00**

(ठ)	निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल हैं :-	(₹ लाख में)
1	राज्य सरकारों को पूर्व देयता के निमित्त	48761400
2	क.रा.बी. निगम अस्पतालों/औषधालयों के निमित्त	36768000
3	अति विशिष्टता उपचार के निमित्त	175236
4	सूचना प्रौद्योगिकी के सूत्रपात पर व्यय	568813
5	आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय एवं आई एम पी	2800
6	एस.ए.पी.	30
7	चिकित्सा महाविद्यालय	83390

(ठ) निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल हैं : (₹ लाख में)

1	राज्य सरकारों को पूर्व देयता के निमित	43936200
2	क.रा.बी. निगम अस्पतालों/औषधालयों के निमित्त	42140300
3	अति विशिष्टता उपचार के निमित्त	182280
4	सूचना प्रौद्योगिकी के सूत्रपात पर व्यय	1324300
5	आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय एवं आई एम पी	3000
6	एस.ए.पी.	35
7	चिकित्सा महाविद्यालय	87570

(ड) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए ₹ 3300 लाख तथा क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना निधि के लिए ₹ 70500 लाख शामिल हैं।

(डड) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए ₹ 3300 लाख तथा क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना निधि के लिए ₹ 11000 लाख शामिल हैं।

(ढ) भर्ती व्यय के लिए ₹ 5785 लाख का प्रावधान शामिल है।

(ढढ) भर्ती व्यय के लिए ₹ 10000 लाख का प्रावधान शामिल है।

(ण) निगम के निर्णय के अनुसार अगले पांच वर्षों में आगे कोई अतिरिक्त परिवर्धन नहीं किया जाएगा।

(ण) आकस्मिकता आरक्षित निधि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि निधि में शेष ₹ 7500 लाख की राशि पहले ही निर्धारित उच्चतम सीमा तक पहुँच चुकी है।

(ख) उद्देश्य वर्गीकरण

	वास्तविक 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022	बजट प्राक्कलन 2022-2023
			(₹ लाख में)
निम्नलिखित व्यवस्था पर व्यय :			
1. हितलाभार्थियों को चिकित्सा देखभाल	953063.81	1199031.00	1234359.00
2. नकद हितलाभ	276188.25	526000.00	273600.00
3. अन्य हितलाभ	339.45	501.00	456.00
4. वेतन तथा अन्य प्रशासनिक व्यय :			
i. वेतन (यात्रा व्यय तथा बोनस सहित)	73,222.75	96,448.00	1,13,567.00
ii. लेखन सामग्री तथा फॉर्म	408.52	550.00	700.00
iii. जल तथा विद्युत प्रभार	1987.09	2675.00	2710.00
iv. किराया, दर तथा कर	3675.10	4500.00	4800.00
v. बीमा न्यायालय तथा विधिक प्रभार	260.13	600.00	750.00
vi. भर्ती तथा परीक्षा	14.63	5785.00	10000.00
vii. विज्ञापन तथा प्रचार	1024.37	1500.00	3300.00
viii कम्प्यूटर तथा अन्य की खरीद व मरम्मत एवं रखरखाव	3871.66	6403.00	10749.00
ix. बैंक खाता रखरखाव प्रभार	858.94	1000.00	1300.00
x. लेखापरीक्षा शुल्क	9.00	150.00	240.00
xi. प्रशिक्षण	18.12	100.00	300.00
xii. टेलीफोन/डाक खर्च तथा श्रेणी 'घ' कर्मचारियों की वर्दी सहित अन्य कार्यालयी व्यय	730.54	850.00	1000.00
xiii विविध/अन्य	10099.03	14388	16121
xiv आई.एस.एस.ए. आदि को अंशदान	93.52	150.00	200.00
xv. कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत एवं रखरखाव	4310.00	6107.00	7607.00
xvi मूल्यह्रास	4198.00	5730.00	6200.00
xvii. सेवानिवृत्ति हितलाभ	42,338.77	45,798.00	50,587.00
5. पूंजीगत निर्माण निधि के लिए आबंटन	0.00	0.00	0.00
कुल राजस्व व्यय :	**1376711.68**	**1918266.00**	**1738546.00**

(L)	Includes Provision for: -	(₹ In Lakhs)
1	Towards past liability to State Govts.	48761400
2	Towards ESIC Hospitals/ Dispensary	36768000
3	Towards Super Specialty Treatment	175236
4	Expenditure on IT Roll out	568813
5	MEUD& IMP	2800
6	SAP	30
7	Medical Colleges	83390

(LL) Includes provision for: (₹ In Lakhs)

1	Towards past liability to State Govts.	43936200
2	Towards ESIC Hospitals/ Dispensary	42140300
3	Towards Super Specialty Treatment	182280
4	Expenditure on IT Roll out	1324300
5	MEUD& IMP	3000
6	SAP	35
7	Medical Colleges	87570

(M) Includes ₹ 3300 Lakhs for Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna and ₹ 70500 Lakhs for ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund.

(MM) Includes ₹ 3300 Lakhs for Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna and ₹ 11000 Lakhs for ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund.

(N) Includes provision of ₹ 5785 Lakhs for Recruitment Expenses.

(NN) Includes provision of ₹ 10000 Lakhs for Recruitment Expenses.

(O) In accordance with the decision of the Corporation no further additions would be done for further five years.

(OO) No provision has been made for the Contingency Reserve Fund as the balance in the Fund has already reached the prescribed ceiling of ₹ 7500 Lakhs.

(B) OBJECT WISE CLASSIFICATION

	Actual 2020-2021	**Revised Estimates 2021-2022**	**Budget Estimates 2022-2023**
			(₹ in lakhs)
Expenditure on providing:			
1. Medical care to beneficiaries	953063.81	1199031.00	1234359.00
2. Cash Benefit	276188.25	526000.00	273600.00
3. Other Benefits	339.45	501.00	456.00
4. Salaries and other Admn. Expenditure:			
i. Salaries (including travelling expenses and bonus)	73,222.75	96,448.00	1,13,567.00
ii. Stationery & Forms	408.52	550.00	700.00
iii. Water & Elect. Charges	1987.09	2675.00	2710.00
iv. Rent, Rates & Taxes	3675.10	4500.00	4800.00
v. Insurance Courts and Legal Charges	260.13	600.00	750.00
vi. Recruitment & Examination	14.63	5785.00	10000.00
vii. Advertisement & Publicity	1024.37	1500.00	3300.00
viii. Purchase and R & M of Computers & others	3871.66	6403.00	10749.00
ix. Charges for maintaining Bank A/cs.	858.94	1000.00	1300.00
x. Audit Fees	9.00	150.00	240.00
xi. Training	18.12	100.00	300.00
xii. Other office expenses including telephone / postage charges and liveries to Gr. 'D' Staff	730.54	850.00	1000.00
xiii. Miscellaneous/Others	10099.03	14388	16121
xiv. Contribution to ISSA etc.	93.52	150.00	200.00
xv. Repair & maintenance of office building (including staff quarters)	4310.00	6107.00	7607.00
xvi. Depreciation	4198.00	5730.00	6200.00
xvii. Retirement benefits	42,338.77	45,798.00	50,587.00
5. Allocation to Capital Construction Fund	0.00	0.00	0.00
TOTAL REVENUE EXPENDITURE:	**1376711.68**	**1918266.00**	**1738546.00**

पूंजीगत व्यय :	वास्तविक 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022	बजट प्राक्कलन 2022-2023
क.) कार्यालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	211.49	3148.00	1804.00
ख.) अस्पताल तथा औषधालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	25867.94	127746.00	161809.00
ग.) चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	4182.83	21856.00	16976.00
घ.) अन्य परिसंपत्तियां (अन्य गैर परियोजना व्यय)	12389.14	42307.00	44855.00
6. वित्तीय स्रोत : राजस्व प्राप्तियां			
कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं का अंशदान	1378778.53	1450000.00	1595000.00
निवेश ऋणों तथा अग्रिमों आदि पर ब्याज़	597383.41	611492.00	642635.00
भवनों का किराया	491.25	1450.00	13300.00
अन्य राजस्व प्राप्तियां	132479.11	11000.00	11000.00
कुल राजस्व :	**2109132.30**	**2073942.00**	**2261935.00**

9. अनुबंध-II में दिया गया विवरण, व्यय के प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत प्रति व्यक्ति व्यय की दर को दर्शाता है।

9.1.निगम के व्यय को मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है :-

i. चिकित्सा हितलाभ

ii. नकद हितलाभ तथा अन्य हितलाभ

iii. निदेशन, अधीक्षण तथा क्षेत्र कार्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय

iv. पूंजीगत व्यय जिसमें निर्माण कार्य शामिल हैं ।

9.2. निगम के व्यय को विनियमित करने के लिए अंतर्निहित प्रतिमानक, उच्चतम सीमाएं तथा सांविधिक नियम हैं।

इनका आगे का विवरण निम्नलिखित पैरा में दिया गया है :-

I - चिकित्सा हितलाभ

10. चिकित्सा हितलाभ पर व्यय नीचे दिखाया गया है :

वास्तविक 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022	बजट प्राक्कलन 2022-2023
		(₹ लाख में)
953063.81	1199031.00	1234359.00

इस गतिविधि पर होने वाला व्यय (दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र को छोड़कर) प्रारंभ में राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा देखरेख के प्रशासनिक नियंत्रक हैं। व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एक उच्चतम सीमा नियत की गई है। निगम, राज्य सरकारों को उच्चतम सीमा के 7/8 वें अंश का 90% तिमाही आधार पर अग्रिम रूप में तथा शेष राशि संबंधित राज्य सरकारों के महालेखाकार द्वारा जारी लेखा परीक्षित व्यय विवरण के आधार पर अदा करता है। इन उच्चतम सीमाओं से अधिक होने वाला व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है तथा इस अधिक व्यय को निगम के बजट में दर्शाया नहीं जाता । दिनांक 01.04.2015 से पूर्ण चिकित्सा देखभाल पर व्यय की उच्चतम सीमा ₹2,150/- कर दी गई है। इसे दिनांक 01.04.2017 से दोबारा बढ़ाकर ₹3,000/- कर दिया गया है।

हालांकि, क.रा.बी. निगम ने दिनांक 10.09.2021 को आयोजित अपनी 185वी. बैठक में राज्य सरकार का लेखागत भुगतान की संपूर्ण नीति को आशोधित किया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है: -

CAPITAL EXPENDITURE:	Actual 2020-2021	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
a) Office Buildings (including staff quarters)	211.49	3148.00	1804.00
b) Hospital & Dispensary Buildings (including staff quarters)	25867.94	127746.00	161809.00
c) Medical Education Projects	4182.83	21856.00	16976.00
d) Other Assets (Other Non-Project Expenditure)	12389.14	42307.00	44855.00
6. Source of Finance: Revenue Receipts			
Employees' & Employers' Contribution	1378778.53	1450000.00	1595000.00
Interest on investment loans & advances etc.	597383.41	611492.00	642635.00
Rent of Buildings	491.25	1450.00	13300.00
Other Revenue Receipts	132479.11	11000.00	11000.00
TOTAL REVENUE:	**2109132.30**	**2073942.00**	**2261935.00**

9. The Statement in Annexure-II shows the incidence of per-capita expenditure under the main heads of expenditure.

9.1. The expenditure of the Corporation is classified broadly under the following heads:

i. Medical Benefit
ii. Cash Benefits and Other Benefits
iii. Admin. Expenditure under Direction, Superintendence and Field Work.
iv. Capital expenditure which include Construction work.

9.2. There are in-built norms, ceilings and statutory rules, which regulate the expenditure of the Corporation.

These are further detailed in the following paras:

I – MEDICAL BENEFIT

10. The expenditure on medical benefit is shown below:

Actual 2020-2021	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
		(₹ in Lakhs)
953063.81	1199031.00	1234359.00

The expenditure on this activity is initially borne by the State Govts. who are having administrative control over the medical care under the ESI Scheme, (except in Delhi & Noida area of U.P). A ceiling has been fixed for expenditure reimbursement of expenditure. The Corporation pays in advance to State Govts to the tune of 90% of its 7/8th share of the ceiling on quarterly basis, and the balance on the basis of audited expenditure statements issued by the concerned Accountants General to the State Govts. Expenditure incurred by the State Govts. over and above these ceilings are borne by them and such excess expenditure is not reflected in the Corporation's budget. The ceiling of expenditure on full medical care is ₹ 2,150/- with effect from 01.04.2015. It has been again raised to ₹ 3,000 w.e.f. 01.04. 2017.

However, the ESI Corporation in its 185th meeting held on 10.09.2021 revised entire policy on account payment to State Government as detailed below: -

वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगे निधि आबटंन/जारी करने की कार्यरीति**:**

क. प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष ₹3,000/- की उच्चतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं है हालांकि, ₹3000/- की इस व्यापक उच्चतम सीमा के अंतर्गत विभिन्न उप-उच्चतम सीमा को निम्नानुसार परिशोधित किया गया है: -

i) चिकित्सा देखभाल व्यय के लिए पात्रता की वार्षिक सीमा को "प्रशासन" शीर्ष के अंतर्गत व्यय के लिए ₹1,300 की उच्चतम उप-सीमा के साथ ₹2150/- की मौजूदा उच्चतम सीमा से बढ़ाकर ₹2,600 प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष किया जाएगा।

ii) परियोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना (पीआईपी) के अंतर्गत व्यय करने के लिए ₹200 प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की पात्रता।

iii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य क. रा. बी. अस्पतालों और औषधालयों में क.रा. बी. निगम धनवंतरी मॉड्यूल के कार्यान्वयन की सीमा के आधार पर आनुपातिक रूप में ₹200 प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की पात्रता।

ख) ₹ 3,000/- की उच्चतम सीमा के उपर प्रोत्साहन के रूप में ₹200 प्रति बीमाकृत व्यक्ति वर्ष की अतिरिक्त पात्रता, जहां समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सभी राज्य क. रा. बी अस्पतालों में बिस्तर अधिभोग 70% से अधिक है।

ग) निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत व्यय के लिए ₹ 3,000/- की उच्चतम सीमा से अधिक, ₹20 प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की अतिरिक्त पात्रता।

इसके अलावा, व्यावसायिक रोग केन्द्र वाले क.रा.बी. अस्पताल बसईदारापुर (दिल्ली), ठाकुर पुकुर (पश्चिम बगांल), के.के. नगर (चेन्नै), इंदौर (मध्य प्रदेश) और अंधेरी (मुंबई) पर होने वाला संपूर्ण व्यय क.रा.बी. निगम द्वारा वहन किया जाता है ।

साथ ही, क.रा.बी.निगम ने आदर्श अस्पतालों की एक योजना बनाई है जिसके तहत चिकित्सा देखभाल सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक अस्पताल अपने नियंत्रण में लेकर उसका प्रशासन सीधे निगम द्वारा चलाया जाएगा। इन आदर्श अस्पतालों को चलाने का सारा व्यय भी पूर्णतः क.रा.बी.निगम द्वारा वहन किया जाता है। अब तक क.रा.बी.निगम ने निष्पादन बजट के पैरा 4 में उल्लिखित अस्पतालों को अपने अधीन ले लिया है/निर्माण किया है। अतिविशिष्टता उपचार हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में ₹ 175236 लाख तथा बजट प्राक्कलन 2022-2023 में ₹ 182280 लाख का प्रावधान किया गया है।

क.रा.बी. निगम ने अपनी 174 वीं बैठक में प्राथमिक देखभाल सेवा हेतु क.रा.बी.निगम की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए प्रत्येक जिले में, चाहे वह जिला आंशिक रूप से व्याप्त हो अथवा पूर्णतः या उस क्षेत्र में राज्य सरकार का संचालित कोई औषधालय हो, एक डीसीबीओ की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया है | डीसीबीओ को संचालित करने के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 तथा बजट प्राक्कलन 2022-2023 में क्रमशः ₹ 4700 लाख तथा ₹ 5100 लाख रुपए का नियतन किया गया है|

परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में ₹ 83390 लाख तथा बजट प्राक्कलन 2022-2023 में ₹ 87570 लाख की राशि का प्रावधान चिकित्सा शिक्षा पर व्यय करने के लिए किया गया है।

क.रा.बी.निगम में समग्र रूप से हो रहे कम्प्यूटरीकरण के कारण अस्पतालों एवं औषधालयों में आईटी सूत्रपात के लिए बजट प्राक्कलन 2022-2023 में ₹ 13243 लाख का प्रावधान किया गया है।

i) Modalities for fund allocation/release for FY 2021-22 onward:

a) No change in overall ceiling of ₹3,000/- per IP per annum. However, various Sub- ceiling under this broader ceiling of ₹3000/- have been revised as under: -

- Annual ceiling on entitlement for medical care expenditure to be enhanced to ₹2,600 per IP per annum from existing ceiling of ₹2150/- with maximum sub ceiling of ₹1,300 for expenditure under "Administration" head.
- Entitlement of ₹200 per IP per annum for incurring expenditure under Project Implementation Plan (PIP).
- Entitlement of ₹200 per IP per annum on pro-rata basis based on extent of implementation of ESIC Dhanwantari module in State ESI hospitals & dispensaries during previous financial year.

b) Additional Entitlement of ₹200 per IP per annum as incentive, over and above the ceiling of ₹3,000/- where bed occupancy in all the State ESI Hospitals is more than 70% during the concluded financial year.

c) Additional entitlement of ₹20 per IP per annum, over and above the ceiling of ₹3,000/- for expenditure under preventive and promotive health services.

In addition, the entire expenditure on the ESI Hospitals Basaidarapur (Delhi), Thakurpukur (W.B), K.K. Nagar (Chennai), Indore (M.P.) and Andheri (Mumbai) having Occupational Diseases Centre is borne by the ESI Corporation.

Further, the ESI Corporation has formulated a scheme for Model Hospitals, under which at least one hospital in each State shall be taken over and administered directly to upgrade the medical care facilities. The expenditure on running of these Model Hospitals are also borne fully by the ESIC. So far ESIC has taken over/constructed Hospitals as stated in Para 4 of the Performance Budget. For Super Speciality Treatment a provision of ₹ 175236 Lakhs has been made in Revised Estimate 2021-2022 and ₹ 182280 Lakhs in Budget Estimates 2022-2023.

The ESI Corporation in its 174th meeting has approved setting up of a DCBO in every district to mark the presence of ESIC for primary care service in each district, irrespective of whether a district has been partially implemented or fully implemented or existence of a State-run Dispensary in the area. For operating DCBOs an amount of ₹ 4700 *Lakhs* and ₹ 5100 *Lakhs* has been allocated in the Revised Estimates 2021-2022 and Budget Estimates 2022-2023 respectively.

An amount of ₹ 83390 *Lakhs* in Revised Estimates 2021-2022 and ₹ 87570 *Lakhs* has been kept in Budget Estimates 2022-2023 for running expenditure of Medical Education.

A provision of ₹ 13243 *Lakhs* has been made in Budget Estimates 2022-2023 for IT Roll Out of Hospital & Dispensaries due to ongoing computerization of ESIC as a whole.

II -क - नकद हितलाभ

11 नकद हितलाभों पर अनुमानित व्यय नीचे दिया गया है :

वास्तविक 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022	बजट प्राक्कलन 2022-2023
		(₹ लाख में)
276188.25	526000.00	273600.00

रोजगार चोट के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के नकद हितलाभों की पात्रता, किसी एक अंशदान अवधि में दिनों की संख्या पर आधारित है जिनके लिए कर्मचारियों द्वारा अंशदान का भुगतान किया गया हो/देय हो । बीमारी हितलाभ की वर्तमान दैनिक दर को औसत दैनिक मजदूरी को 60% से बढ़ाकर इसका लगभग 70% तथा नि:शक्तता और आश्रितजन हितलाभ की दैनिक दर को 75% से बढ़ाकर मजदूरी का लगभग 90% कर दिया गया है। बीमाकृत महिलाओं को देय मातृत्व हितलाभ पूर्ण मजदूरी दर है और इसे जनवरी 2017 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जा चुका है।

12. पिछले दस वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं:

क. निर्वाह मूल्यों में वृद्धि के चलते बीमाकृत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के लिए स्थायी नि:शक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ की राशि को समय-समय पर परिशोधित किया जाता है | मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप इनके वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई हेतु दिनांक 01.08.2018 से स्थायी नि:शक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ की मूल राशि में 10% से 6425 प्रतिशत (पिछली बढ़ोत्तरियों सहित) तक वृद्धि की जा चुकी है।

ख. स्थायी नि:शक्तता हितलाभ प्राप्त कर रहे बीमाकृत व्यक्ति उक्त आवधिक भुगतान को संराशिकृत कर सकते हैं अगर इन भुगतानों की दैनिक दर ₹ 1.50/- प्रतिदिन तक हो अथवा स्थायी नि:शक्तता का अंतिम निर्णय करते समय संराशिकृत मूल्य ₹ 10000/- से अधिक न हो | दिनांक 19.04.2003 से इस सीमा को बढ़ाकर ₹ 5.00/- प्रतिदिन अथवा ₹ 30,000/- तक कुल संराशीकृत मूल्य कर दिया गया है। आगे, दिनांक 01.06.2013 से इसे ₹ 10.00/- प्रतिदिन अथवा संराशीकृत मूल्य ₹ 60,000/- तक दोबारा बढ़ा दिया गया है।

ग. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि खर्च का भुगतान किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ राशि को दिनांक 18.09.2018 से ₹ 15000/- कर दिया गया है।

घ. बेरोजगार हुए कर्मचारियों को नकद भत्ता देने के लिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना हेतु वर्ष 2022-2023 के बजट प्राक्कलन में ₹ 3300 लाख का प्रावधान किया गया है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट देते हुए बीमायोग्य रोज़गार को 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया है। हितलाभ की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है। प्रथम 12 महीनों के लिए हितलाभ की दर पिछली औसत दैनिक मजदूरी का 50% तथा शेष अवधि के लिए पिछली औसत दैनिक मजदूरी का 25% की गई है |

ङ. विस्तारित बीमारी हितलाभ (ईएसबी) की वर्तमान कुल अवधि 400 दिनों (91+309) को बढ़ाकर अधिकतम दो वर्ष करना और योग्य मामलों में ईएसबी को 400 दिनों से अधिक अवधि की मंजूरी देने हेतु महानिदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

II – A – CASH BENEFIT

11 The expenditure on cash benefit has been anticipated as under:

Actual 2020-2021	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
		(₹ in Lakhs)
276188.25	526000.00	273600.00

The eligibility for different categories of cash benefits, except employment injury, is dependent on the number of days for which contributions are paid / payable by the employees in a contribution period. The present daily rate of Sickness Benefit has been enhanced from about 60 percent of average daily wage to about 70 percent of average daily wage and the daily rate of disablement and dependent benefits was enhanced from about 75 percent to about 90 percent of wages. Maternity Benefit payable to Insured Women (IW) is the full wage rate and has been enhanced to 26 weeks from January 2017.

12 The following improvements have been affected in the ESI Scheme during the last ten years:

a. The amount of permanent disablement benefits and dependents' benefits is revised from time to time to compensate the IP's against increase in the cost of living. The rates of PDB and DB have been enhanced ranging from 10 percent to 6425 percent of the basic amount (including previous increases) w.e.f. 01.08.2018, to protect against erosion in the real value of these as a result of inflation.

b. The insured persons in receipt of permanent disablement benefit were entitled to commute the periodical payment of permanent disablement benefit if the daily rate of such payments was up-to ₹ 1.50/- per day or the commuted value did not exceed ₹ 10,000/- at the time of final award of permanent disability. This limit has now been further enhanced to ₹ 5.00/- per day or commuted value not exceeding ₹ 30,000/- w.e.f. 19.4.2003. Further it has again enhanced to ₹ 10.00/- per day or commuted value not exceeding ₹ 60,000/- w.e.f. 01.06.2013.

c. Funeral expenses are paid in the event of the death of the insured person. The amount for this purpose was raised to ₹ 15,000/- w.e.f 18.09.2018.

d. Provision of ₹ 3300 Lakh has been made in Budget Estimates 2022-2023 for Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna to provide cash allowances to employees who are out of employment. Eligibility conditions for availing the Unemployment Allowance has been relaxed from 5 years of insurable employment to 3 years. The duration of benefit has been enhanced from 12 months to 24 months. The rate of benefit for first 12 months is 50 percent of the last average daily wage and for the rest of the period is 25 percent of the last average daily wage.

e. Enhancement of the total duration of extended sickness benefit (ESB) from present 400 days (91+309) to a maximum period of two years and delegation of powers to the Director General for granting ESB beyond 400 days in deserving cases.

च. प्रसव के दौरान शिशु को छोड़कर मृतक बीमाकृत महिला के मामले में प्रसूति हितलाभ हेतु पात्रता की वर्तमान अवधि छह सप्ताह से बढ़ाकर प्रसूति हितलाभ हेतु पात्रता की पूरी अवधि के लिए करना ।

छ. बीमाकृत महिलाओं और बीमाकृत व्यक्ति की पत्नियों को चिकित्सा बोनस (वर्तमान में प्रसूति व्यय) की दर को रू. 50/- से 250/- तक प्रति मामले में वृद्धि यदि यह प्रसव उस स्थान पर हुआ हो जहाँ कराबी योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हों। निगम ने दि.13.02.2020 को आयोजित अपनी 181वीं बैठक में प्रसूति खर्च की मौजूदा राशि को 5,000 से बढ़ाकर 7,500 कर दिया है जो दि. 27.10.2020 से लागू है।

ज. कृत्रिम अंग के प्रतिस्थापन को जोडने और सुधारने हेतु अपंग बीमाकृत व्यक्ति को कृत्रिम अंग केंद्र में ठहरने के लिए पुनर्वास भत्ता को दैनिक मानक हितलाभ दर से बढ़ाकर दोगुना करना।

झ. चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने पर बीमाकृत व्यक्ति को होने वाली मजदूरी के नुकसान की क्षतिपूर्ति की दर को दैनिक मानक हितलाभ दर से बढ़ाकर दोगुना करना ।

ञ. दि. 06.09.2019 से अंशदान के कर्मचारी के हिस्से के भुगतान हेतु औसत दैनिक मजदूरी की छूट सीमा रू. 137/- प्रतिदिन से रू. 176/- प्रति दिन बढ़ाना।

ट. बीमारी हितलाभ और प्रसूति हितलाभ की पात्रता शर्तों का उदारीकरण।

ठ. लाभार्थियों की परेशानी को कम करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र को 06 माह के स्थान पर वर्ष में 1 बार प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कराबीनि संस्थानों को प्रमाण पत्र जमा करने के लिए प्रति वर्ष रू.100 प्रति लाभार्थी का भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया है।

13. "अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना" योजना को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है अर्थात् दि.01.07.2021 से दि. 30.6.2022 तक कर दिया गया है। पात्रता और योग्यता शर्तों को निम्न प्रकार और अधिक शिथिल कर दिया गया है :-

वर्तमान पात्रता शर्तें	**परिशोधित पात्रता शर्तें**
अपनी बेरोजगारी से तत्काल पहले बीमाकृत व्यक्ति को दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए और बेरोजगारी से ठीक पहले कम से-कम 78 दिनों का अंशदान का भुगतान-किया हुआ होना चाहिए था तबेरोजगारी से पहले दो वर्षों के तीन अंशदान अवधियों में से किसी एक में कम से-कम 78 दिनों के अंशदान का भुगतान किया-हुआ होना चाहिए ।	अपनी बेरोजगारी से तत्काल पहले बीमाकृत व्यक्ति को कमसे-कम 12 महीने तक- बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए और बेरोजगारी से तत्काल पहले 12 महीनों के दौरान एक पूर्ण अंशदान अवधि में कम से-कम 78-दिनों के अंशदान का भुगतान किया हुआ होना चाहिए।

14. कोविड-19 के कारण जान गवांने वाले बी व्यक्तियों के परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए, अध्यक्ष कराबीनि ने “कराबीनि कोविड-19 राहत योजना” को मंजूरी दी है। बीमाकृत व्यक्तियों के लिए यह कल्याणकारी योजना

f. Enhancement of period of entitlement for maternity benefit in the case of death of an insured woman during delivery while leaving behind a child from the present six weeks to the entire period of entitlement to maternity benefit.

g Enhancement in the rate of medical bonus (now called Confinement Expenses) on account of confinement expenses from ₹ 50/- to ₹ 250/- per case to Insured Women & Wives of insured persons, if the confinement has taken place where medical facilities under ESI Scheme are not available. The Corporation in its 181st meeting held on 13.02.2020 enhanced existing amount of confinement expenses from ₹ 5,000 to ₹ 7,500w.e.f 27.10.2020.

h. Enhancement of the rate of Rehabilitation allowance for stay of the disabled IP in artificial limb center for fixation, repair to replacement of artificial limb from the daily standard benefit rate of double that rate.

i. Enhancement of the rate of compensation for loss of wages of an IP required to appear before the Medical Board, from the daily standard benefit rate to double that rate.

j. Raising of exemption limit of average daily wage for payment of employees share of contribution from ₹ 137/- per day to ₹ 176/- per day from 06.09.2019.

k. Liberalization of eligibility conditions for entitlement of sickness benefit and liberalization of eligibility conditions for entitlement of maternity benefit.

l. To mitigate the hardship of the beneficiaries, life certificate has been introduced once in a year instead of 6 monthly periods and it has also been decided to pay ₹ 100 per beneficiary per annum for submission of the certificate to the ESIC institutions.

13 The "ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA"Scheme has been extended for a period of one year i.e. from 01.07.2021 to 30.6.2022. The eligibility and qualifying conditions have further been relaxed are as under: -

Existing Eligibility Conditions	Revised Eligibility Conditions
The Insured Person should have been in insurable employment for a minimum period of two years immediate before his/her unemployment and should have contributed for not less than 78 days in the contribution period immediately preceding to unemployment and minimum 78 days in one of the remaining three contribution periods in two years prior to unemployment.	The Insured Person should have been in insurable employment for a minimum period of 12 months immediately before his/her unemployment and should have contributed for no less than 78 days in the one completed contribution period in 12 months immediately preceding to unemployment.

14. In order to provide help and succor to the families of the IPs who died due to COVID-19, the Chairman, ESIC approved the 'ESIC COVID-19 Relief Scheme', This scheme is a

दि.24/03/2020 से दो वर्षों की अवधि के लिए लागू है। यह कोविड-19 के कारण जान गवांने वाले बीमाकृत व्यक्तियों के आश्रितों को राहत प्रदान करती है। इस योजना के तहत मृतक बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को सीधे बैंक खाते में समय-समय पर भुगतान किया जाता है। योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार, मृतक बीमाकृत व्यक्ति कोविड-19 रोग के निदान की तारीख को रोजगार में होना चाहिए और कोविड-19 निदान की तारीख से ठीक पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान कम-से-कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान हुआ हो या संदेय हो। इसके अलावा इस योजना के तहत बीमाकृत व्यक्ति के सम्बंधी मृतक बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की समतुल्य राशि पाने के पात्र होंगे जिसे राहत की पूर्ण दर कहा जाएगा।

15. बीमाकृत व्यक्तियों/लाभार्थियों को नकद हितलाभ निगम की शाखाओं और भुगतान कार्यालयों द्वारा सीधे वितरित किए जाते हैं। ये कार्यालय लगभग सभी औद्योगिक केन्द्रों में स्थित है जहाँ योजना लागू की गई है। दि.31-03-2021 को इन कार्यालयों की संख्या 660 थी जो दि. 31.3-2020 को 744 थी। नकद हितलाभों पर व्यय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे स्वास्थ्य की स्थिति, औद्योगिक शांति और हितलाभों की पात्रता के बारे में कामगारों की जागरूकता आदि।

16. विभिन्न वर्गों के तहत नकद हितलाभों के व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

	वास्तविक 2020-21		**परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022**		**बजट प्राक्कलन 2022-23**	
	कर्मचारियों की भारित औसत संख्या लाख) (में	**राशि (लाख में)**	**कर्मचारियों की भारित औसत संख्या लाख) (में**	**राशि (लाख में)**	**कर्मचारियों की भारित औसत संख्या लाख) (में**	**राशि (लाख में)**
बीमारी हितलाभ	278.20	28989.87	288.13	39000.00	277.34	43000.00
विस्तारित बीमारी हितलाभ	278.20	4964.16	288.13	6500.00	277.34	8200.00
प्रसूति हितलाभ	278.20	39004.13	288.13	48800.00	277.34	56900.00
अस्थायी अपंगता हितलाभ	278.20	8264.85	288.13	12000.00	277.34	12500.00
स्थायी अपंगता हितलाभ	278.20	184951.83	288.13	75000.00	277.34	80900.00
आश्रित हितलाभ	278.20	27493.10	288.13	261400.00	277.34	48800.00
अंत्येष्टि खर्च	278.20	2779.51	288.13	6000.00	277.34	6000.00
राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	278.20	1317.18	288.13	3300.00	277.34	3300.00
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	278.20	5916.76	288.13	3500.00	277.34	3000.00
कराबीनि कोविड-19 राहत योजना	-	-	288.13	70500.00	277.34	11000.00
कुल	278.20	**3,03,681.35**	288.13	**526000.00**	277.34	**273600.00**

16क. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना और क.रा.बी.नि. कोविड-19 राहत योजना के अन्तर्गत प्राप्त और अनुमोदित दावों की संख्या : -

क्र.सं	**योजना का नाम**	**23.01.2022 तक प्राप्त दावो की कुल संख्या**	**23.01.2022 तक प्राप्त और अनुमोदित दावो की कुल संख्या**	**भुगतान की गई राशि (रू. लाख में)**
1	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	82569	61116	8122
2	क.रा.बी.नि. कोविड-19 राहत योजना	6043	4803	2892

welfare measure for IPs made effective for a period of two years w.e.f. 24.03.2020 and it provides relief to the dependents of the IP in case of his/her death due to COVID-19. In case of death of IP due to COVID-19, the eligible dependents family members of IP are paid periodic payments directly to the bank account. As per the eligibility condition of the scheme, the deceased IP must have been in employment on the date of diagnosis of COVID-19 disease and contributions for at least 70 days should have been paid or payable in respect of him / her during a period of maximum one year immediately preceding the diagnosis of COVID-19 disease resulting in death. Further under this scheme the relatives of the IP shall be eligible to receive periodical payments equivalent amount of 90 percent of the average daily wages of the deceased IP, which will be called as full rate of the relief.

15. Cash benefits are disbursed to the insured persons / beneficiaries directly by the Corporation through network of its Branch / Pay Offices which are located in almost all the industrial centers where the Scheme has been implemented. The number of such offices was 660 on 31.03.2021 against 744 as on 31.3.2020. The incidence of expenditure on cash benefits depends on a number of factors, e.g. state of health, industrial peace and the awareness of the workers about their entitlement to benefits, etc.

16. The break-up of expenditure under different categories of cash benefits is given in the following table: -

	Actual 2020-2021		**Revised Estimates 2021-2022**		**Budget Estimates 2022-2023**	
	Weighted average of No. of employees(in lakhs)	**Amount (Rs. in lakhs)**	**Weighted average of No. of employees(in lakhs)**	**Amount (Rs. in lakhs)**	**Weighted average of No. of employees(in lakhs)**	**Amount (Rs. in lakhs)**
Sickness Benefit	278.20	28989.87	288.13	39000.00	277.34	43000.00
Extended Sickness Benefit	278.20	4964.16	288.13	6500.00	277.34	8200.00
Maternity Benefit	278.20	39004.13	288.13	48800.00	277.34	56900.00
Temporary Disablement Benefit	278.20	8264.85	288.13	12000.00	277.34	12500.00
Permanent Disablement Benefit	278.20	184951.83	288.13	75000.00	277.34	80900.00
Dependants' Benefit	278.20	27493.10	288.13	261400.00	277.34	48800.00
Funeral Expenses	278.20	2779.51	288.13	6000.00	277.34	6000.00
Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	278.20	1317.18	288.13	3300.00	277.34	3300.00
Atal BimitVyakti Kalyan Yojna	278.20	5916.76	288.13	3500.00	277.34	3000.00
ESIC COVID-19 Relief Scheme	-	-	288.13	70500.00	277.34	11000.00
TOTAL:	**278.20**	**303681.35**	**288.13**	**526000.00**	**277.34**	**273600.00**

16A. Details of no. of claims received and approved under Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna and ESIC Covid-19 Relief Scheme: -

Sl. No.	**Name of the Scheme**	**Total No. of claims received upto 23.01.2022**	**Total no. of claims accepted and approved Upto 23.01.2022**	**Amount Paid (Rs. In Lakhs)**
1	**Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna**	82569	61116	8122
2	**ESIC Covid-19 Relief Scheme**	6043	4803	2892

II (ख) अन्य हितलाभ:

अन्य हितलाभों पर व्यय निम्नानुसार हैः-

वास्तविक 2020-2021	संशोधित **प्राक्कलन** 2021-2022	बजट **प्राक्कलन** 2022-2023
		(रू. लाख में)
339.45	501.00	456.00

इस गतिविधि में मेडिकल बोर्ड के सदस्यों को शुल्क का भुगतानऔर मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल,पुनर्वास भत्ता और वाहन शुल्क का भुगतान, बीमाकृत व्यक्तियों को मजदूरी के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति जब उन्हें मेडिकल रेफरी, मेडिकल बोर्ड या मेडिकल अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने की आवश्यकता होती है, शामिल होता है।इस प्रकल्पित राशि में,वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए वाहन भत्ते के भुगतान के लिए प्रति लाभार्थी 100 रुपये का भुगतान भी शामिल है।

III. निर्देशन, पर्यवेक्षण और फील्ड कार्य :

17. इस मद में बजट प्रावधान निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि तथा स्थापना पर अन्य व्यय के संबंध में है।7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निगम के कर्मचारियों को वेतन की बढ़ी हुई दर के लिए बजट अनुमान 2022-2023 का प्रावधान किया गया है। यह दिनांक 31.03.2021 को कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 20491कर्मचारियों की संख्या के मुकाबले 11592 अधिकारियों की संख्या पर आधारित है।नए क्षेत्रों में योजना के विस्तार के परिणामस्वरूप अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होगी जो मौजूदा कर्मचारियों की पुन:-तैनाती और नई भर्ती से पूरी होने की संभावना है।

IV. सूचना एवं संचार तकनीक (आईसीटी) :

18. कराबीनि ने अपने आईटी मामलों के प्रबंधन में रणनीतिक भूमिकाएं और जिम्मेदारियां लेने में कुछ प्रगति की है। सेवा प्रदाता को डेटा सेंटर(डीसी) और डेटा रिकवरी सेंटर(डीआरसी) के बुनियादी ढांचे के रखरखाव और व्यापार निरंतरता के साथ-साथ सभी केंद्रीय अनुप्रयोगों(ईआरपी बीमा और धनवंतरी, इत्यादि सहित) का काम सौंपा गया है। शेष सभी क्षेत्र-गतिविधियों सहित कंप्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन,नेटवर्क वबैंडविड्थ का प्रावधान और केंद्रीय गतिविधियां जिसमें लाइसेंस का नवीनीकरण, रख रखाव/तकनीकी अनुबंध, डीसी/डीआर में सभी मूर्त और अमूर्त केंद्रीय संपत्तियों की सदस्यता-खरीद शामिल है सब कराबीनि द्वारा अपने आंतरिक गैर-तकनीकी संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है।

कराबीनि ने वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित पहलों को लागू किया है:

(i) लाभार्थियों के लिए आईपी पोर्टल में क्षेत्रीय भाषा (गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलगू, मलयालम और कन्नड़) के चयन का प्रावधान सक्षम किया गया है।

(ii) नियोक्ता पोर्टल में क्षेत्रीय भाषा (गुजराती, पंजाबी, मलयालम और तमिल) के चयन का प्रावधान सक्षम किया गया है।

(iii) पंचदीप मॉड्यूल में माह अप्रैल,2021 के मासिक अंशदान को फाइल करने की तिथि को प्रभावी किया गया है।

II (B) OTHERBENEFITS:

The expenditure on other benefits is as under: -

Actual 2020-2021	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
		(₹ in Lakhs)
339.45	501.00	456.00

This activity embraces the payment of fees to the members of Medical Boards and Medical Appeal Tribunals, rehabilitation allowance and payment of conveyance charges, compensation for loss of wages to insured persons when they are required to appear before Medical Referee, Medical Board or Medical Appellate Tribunal. The amount projected also covers payment of ₹ 100 per beneficiary for payment of conveyance allowances for submission of life certificate once in a year.

III. DIRECTION, SUPERINTENDENCE AND FIELD WORK:

17. The budget provision under this head is in respect of salary etc. of officers and staff of the Corporation and other expenditure on establishment. The provision for Budget Estimate 2022-2023 has been made for increased rate of salaries to employees of the Corporation as per of 7^{th} Central Pay Commission recommendations. It is based on the staff strength of 11592 Officers and Staff in position against the total sanctioned strength of 20491 as on 31.03.2021. The requirement of additional posts consequent on extension of the Scheme to new areas is likely to be met by re-deployment of the existing staff and new recruitment.

IV **INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)**

18. ESIC has made some progress in taking over strategic roles and responsibilities in managing its own IT affairs. The Service Provider has been entrusted with the job of all central Applications (including ERP Insurance and Dhanwantri, etc.), along with Data Centre (DC) and Data Recovery Centre (DRC) infrastructure maintenance and business continuity. Remaining all field activities including management of computer Infrastructure, Network & Bandwidth provisioning and central activities which includes renewal of licences, maintenance /technical contracts, subscriptions of all tangible and intangible central assets at DC/DR are being done by ESIC through its internal non-technical resources.

ESIC has implemented the following initiatives in the year 2021-22:

(i) Provision for selection of Regional Language (Gujrati, Marathi, Punjabi, Tamil, Telgu, Malayalam & Kannada) has been enabled in IP Portal meant for the beneficiaries.

(ii) Provision for selection of Regional Language (Gujrati, Punjabi, Malayalam & Tamil) has been enabled in Employer Portal.

(iii) Extension of date for filing of the monthly contribution for the month of April 2021 has been made effective in Panchdeep Module.

(iv) उमंग मोबाइल ऐप:भारत सरकार के यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म फॉर न्यू-एज गवर्नेंस(उमंग) के माध्यम से लाभार्थियों को कई पंचदीप मूल्य-वर्धित जानकारी औरकार्यक्षमताएं प्रदान की गयी हैं इसे अतिरिक्त सुविधाओं के साथ सफलतापूर्वक बढ़ाया(जून 2021 तक) गया है, जैसा कि पूर्व कल्पित था। किसी भी ईएसआई केंद्र या टाई-अप अस्पताल(पीएमजेएवाई या यूटीआई-आईटीएसएल) को इस पर दूरी और/या सेवाओं के आधार पर खोजा जा सकता है।आवश्यक अंतविभागीय समन्वित प्रयासों की पेचीदगियों और जटिलताओं को देखते हुए यह डेटा गहन विस्तार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

(v) धनवंतरी मोबाइल ऐप:धन्वंतरि मोबाइल ऐप धन्वंतरि वेब ऐप का ही एक विस्तार है और कराबीनि और ईएसआईएस डॉक्टरों, एमआईएमपी, केमिस्ट/एमआईएमपी योजना के डायग्नोस्टिक केंद्रों के लिए है।डॉक्टरों को दवाओं, निदान और परीक्षणों की पूर्व-निर्धारित शर्तों को निर्धारित करने में मदद करने के लिए इसे सफलतापूर्वक (जून 2021तक) बढ़ाया गया है। एमआईएमपी हाथ में थामे जा सकने वाले उपकरणों के माध्यम से नैदानिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में अब अपेक्षित परिणाम के अनुसार सुविधा है। जैसा कि धनवंतरी वेब मॉड्यूल में,रोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण वर्जन-10 (ICD10) और सिस्टमैटिक नॉमिक्लेचर ऑफ मेडिकल एंड क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी (SNOMED-CT) उपलब्ध है, जो चिकित्सकों द्वारा विस्तृत टाइपिंग की आवश्यकता के बिना, निदान/रोग की मानकीकृत शव्दावलियों को स्वत: पढ लेने के लिए इस मोबाइल ऐप से भी जुड़ा हुआ है।

(vi) बीमाकृत व्यक्ति द्वारा आसानी से डिस्पेंसरी बदलना: बीमाकृत व्यक्तियों के लिए अनुमेय सीमा और शर्तों के अधीन, अपनी पसंद के डिस्पेंसरी / आईएमपी क्लिनिक को बदलने के लिए, ऑनलाइन अनुरोध करने के लिए नई सुविधा का प्रावधान किया गया है। इससे लाभार्थी आसानी से सेवाओं तक पहुंच सकेगा और कार्यालयों/नियोक्ता तक आने की अनावश्यक यात्रा को रोकने में मदद करेगा।

(vii) बीमाकृत व्यक्ति को बहुभाषी एसएमएस:लाभार्थियों को अपनी पसंद की भाषा चुनने की सुविधा दी जा रही है जिसमें उन्हें मूल्य वर्धित एसएमएस भेजे जा सकते हैं। उसके पास राष्ट्रीय भाषा के अलावा, चुनने के लिए 12 अलग-अलग भाषाओं में से कोई एक होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से, यह उत्तर भारत के लिए हिंदी और दक्षिण भारत के लिए अंग्रेजी में होगा। मॉड्यूल शुरू किया गया है। हालांकि, 10 क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस का अनुवाद पूरा हो चुका है और बाकी का काम प्रगति पर है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

(viii) www.esic.in परCOVID-19 डैशबोर्ड:नागरिकोंके लाभार्थ,COVID-19 महामारी के इन कठिन समय के दौरान मदद के लिए एक नई मूल्य वर्धित सुविधा लागू की गई है। एक सूचना डैशबोर्ड विकसित किया गया है जो खाली बिस्तरों, ऑक्सीजन और आईसीयू सुविधाओं की उपलब्धता की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। आरटी-पीसीआर परीक्षण क्षमता, उपलब्धता और टीकाकरण कार्यक्रम संबंधी जानकारी भी होगी। भले ही यह एक बहुत छोटा कदम है, लेकिन इस तरह की जानकारी ने आवश्यकता वाले रोगियों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है।

(ix) कराबीनि कोविड-19 पेंशन योजना से संबंधित लाभ डेटा माइग्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है।

(x) कराबीनि द्वारा प्राप्त जाने वाले आधार डेटा वॉल्ट में आधार (प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 16(2) के अनुसार संपूर्ण ई-केवाईसी को स्टोर करने के अलावा आधार का ऑनलाइन प्रमाणीकरण करने के लिएयूआईडीएआई द्वारा कराबीनि को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का उप-एयूए बनने की अनुमति दी गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय

(iv) The UMANG Mobile App: Many Panchdeep value-added information and functionalities are provided to the beneficiaries through the Unified Mobile Application platform for New-age Governance (UMANG) of Government of India has been successfully enhanced (June 2021) with added features, as envisaged. Any ESI centre or a tie-up hospital (PMJAY or UTI-ITSL) can be searched based on distance and/or services available therein. This data intensive enhancement is an important achievement considering the intricacies & complexities of interdepartmental coordinated efforts required.

(v) DHANWANTRI Mobile App: The Dhanwantri Mobile App is an extension of the Dhanwantri Web App and is meant for ESIC & ESIS Doctors, mIMPs, Chemists/ Diagnostic Centres of mIMP scheme. It has been enhanced (June 2021) further successfully to help Doctors prescribe pre-defined terms of drugs, diagnosis and tests. mIMPs can capture clinical data through hand-held devices. The App has now feature as per the expected outcome. International Classification of Disease ver-10 (ICD 10) and the Systemic Nomenclature of Medical and Clinical Terminology (SNOMED-CT) as available in the Dhanwantri web module, are also linked to this Mobile App for capturing of standardised terms of diagnosis/ disease, without requiring extended typing by the physicians.

(vi) Changing Dispensary by IP at ease: New Facility has been provisioned for the Insured Persons to generate request online, at his comfort to Change Dispensary / IMP Clinic of his choice, subject to the permissible limit and conditions. This shall empower the beneficiary to access services at ease and prevent his unnecessary travels to the offices/ employer.

(vii) Multilingual SMSs to the IPs: The Beneficiaries are being facilitated for opting language of choice in which value-addition SMSs may be sent to them. He shall have any one of the 12 different languages to choose, in addition to the National Language. By default, it shall be in Hindi for North India and English for South India. The module has been deployed. However, translation of SMSs in 10 regional languages have been completed and rest are in progress, and shall be implemented soon.

(viii) COVID-19 Dashboard in www.esic.in: A new value-added feature has been implemented for the benefit of the citizen of the Nation to help during these difficult periods of the COVID-19 Pandemic. An information Dashboard has been developed which depicts the near-Realtime status of the availability of vacant beds, oxygen and ICU facilities. RT-PCR testing capability, availability and Vaccination programme related information. Even though it is a very small step, but has earned applauds amongst the patients requiring such information.

(ix) ESIC COVID-19 Pension Scheme related benefit has been made online through the Data Migration process.

(x) ESIC has been permitted by UIDAI to become sub-AUA of Ministry of Labour & Employment for performing online authentication of Aadhaar in addition to storing the complete eKYC, as per Regulation 16(2) of the Aadhaar (Authentication & Offline verification) Regulation, 2021, in the Aadhaar Data Vault to be procured by ESIC. UIDAI

विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने असंगठित कामगारों या अन्य व्यक्तियों को पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया है ।

(xi) यूएएन सीडिंग - क.रा.बी.नि. के डाटाबेस में बीमाकृत व्यक्ति के यूएएन आमेलित करने के लिए नियोक्ता पोर्टल पर "यूएएन सीडिंग" की व्यवस्था की गई है ।

(xii) क.रा.बी.नि. अब "प्रयास" (parayas.nic.in) पर भी है और क.रा.बी. चिकित्सा केंद्रों के बाह्य रोगी सेवाओं के दो कुंजी प्रदर्शन संकेतक साझा कर रहा है और उनकी सूचना को प्रयास डैशबोर्ड पर प्रदर्शित कर रहा है ।

(xiii) तकनीकी सेवाओं में सहायता के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार(आधारिक संरचना) को एक वर्ष की अवधि के लिए रखा गया है ।

19 . पूंजीगत निर्माण कार्य

19.1 पूंजीगत निर्माण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं /किए गए थे :

	वास्तविक 2020-2021	**परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022**	**बजट प्राक्कलन 2022-2023**
			(₹ लाख में)
कार्यालय भवन (कर्मचारी क्वॉटर सहित)	211.49	3148.00	1804.00
अस्पताल और औषधालय (कर्मचारी क्वॉटर सहित)	25867.94	127746.00	161809.00
चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	4182.83	21856.00	16976.00
कुल	**302621.26**	**152750.00**	**180589.00**

उपर्युक्त में संबंधित आरक्षित निधि से अंतरित / अंतरित की जाने वाली राशि सम्मिलित है जो निगम की 08.02.2013 को संपन्न बैठक में निर्धारित प्रतिशतता के अनुरूप है । यह खर्च संबंधित आरक्षित निधि से किया जाता है और इसमें मरम्मत और रखरखाव का खर्च शामिल नहीं है ,यह राजस्व खाते में प्रभारित होता है ।

19.2 परिशिष्ट III में दिए गए विवरण , चालू परियोजनाओं के लिए बजट आवश्यकता को दर्शाया गया हैं ।

19.3 अस्पताल के बिस्तरों, औषधालयों तथा कार्यालय भवनों को मिलाकर पूंजीगत निर्माण कार्य की स्थिति जिनमें उनके निर्माण के लिए मंजूर राशि , निर्माण एजेंसियों के लिए व्यय की जाने वाली निधि तथा लगभग राशि, की जानकारी निम्नलिखित है :

(क) अस्पतालों के बिस्तर

i.	(बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर) दिनांक 31-03-2021 की स्थिति के अनुसार प्रतिमानक के अनुसार स्वीकार्य बिस्तरों की संख्या	135677
ii.	अस्पताल और पूर्व में निर्मित उपभवनों में निर्मित बिस्तरों की संख्या की जा चुकी (सितंबर,2021)	25779 अस्पताल 849 उपभवन
iii.	निर्माणाधीन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या (सितंबर,2021)	1180
iv.	निर्माण के लिए पूर्व में सहमति प्राप्त अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या	7505

(ख) भवन

i.	वर्तमान में निर्माण के लिए पात्र औषधालयों की संख्या	1502
ii.	पैनल क्षेत्र में अपेक्षित औषधालय भवनों की संख्या	1264
	कुल (i) + (ii)	**2766**
iii.	निर्मित औषधालयों की संख्या (सितंबर,2021 तक)	411
	उन औषधालय की संख्या, जिनका निर्माण अभी किया जाना है	**2355**

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मामलों में वित्तीय परिव्यय :

(₹ लाख में)

i.	**निर्मित परियोजनाएं /निर्माणाधीन परियोजनाएं:**	
	सितंबर,2021 तक मंजूर राशि	1605428.00
	सितंबर,2021 तक जारी राशि	1236173.00

has provided approval for registration of un-organised worker or any other person, as mandated in The Code of Social Security, 2020.

(xi) UAN Seeding- A provision of "UAN seeding" has been provided in the Employer Portal to seed UAN of Insured Person in ESIC database.

(xii) ESIC has on boarded in “PRAYAS” (prayas.nic.in) and is sharing 2 Keys Performance Indicators (KPIs) on the outpatient services of the ESI health Centres and showcasing information in the PRAYAS Dashboard.

(xiii) An IT Consultant (Infrastructure) has been engaged for a period of 1 year for support on Technical services.

19. CAPITAL CONSTRUCTION WORKS:

19.1 The following are / were the provision for capital construction works:

	Actual 2020-2021	**Revised Estimates 2021-2022**	**Budget Estimates 2022-2023**
			(₹ in Lakhs)
Office Building (including staff quarters)	211.49	3148.00	1804.00
Hospitals & Dispensaries (including staff quarters)	25867.94	127746.00	161809.00
Medical Education Projects	4182.83	21856.00	16976.00
TOTAL:	**302621.26**	**152750.00**	**180589.00**

The provision represents the amount transferred / transferable to the concerned reserve funds in accordance with the percentage fixed by the Corporation in its meeting held on 08.02.2013 for the purpose. The expenditure is incurred from the concerned reserve fund except for Repair & Maintenance which is charged to revenue account.

19.2 The statements at Appendix-III indicate the budget requirement in respect of projects, which are in progress.

19.3 The position of capital construction programme for hospital beds, dispensaries and office buildings together with the information about funds sanctioned for their construction, funds placed at the disposal of construction agencies and approximate amount that will be further required is given below:

(A) Hospital Beds:

i.	No. of beds admissible as per norms (on the basis of No. of Insured Persons) as on 31-03-2021	135677
ii.	No. of beds in hospitals & annexes already constructed (Sept., 2021)	25799 Hospital 849 Annexes
iii.	No. of beds in hospitals under construction (Sept., 2021)	1180
iv.	No. of beds in hospitals already agreed for construction	7505

(B) Buildings:

i.	No. of dispensaries at present eligible for construction	1502
ii.	No. of dispensary buildings that may be required in panel areas	1264
	TOTAL (i) + (ii)	**2766**
iii.	No. of dispensaries constructed (up-to September, 2021)	411
	No. of dispensaries yet to be constructed	**2355**

	शेष देयता (क)	369255.00
ii.	**निर्माण की जाने वाली परियोजनाएं**	
क	101193 अस्पताल बिस्तर ₹7.00 लाख प्रति बिस्तर की दर से (ख)	708351.00
ख	2355 औषधालय ₹40.00 लाख प्रति औषधालय की दर से (ग)	94200.00
ग	कार्यालय भवन के लिए परिव्यय (स्टाफ क्वॉटर के साथ)	
	i. सितंबर,2021 तक मंजूर राशि	41117.00
	ii. सितंबर,2021 तक जारी राशि	36877.00
	iii. शेष देयता (घ)	4240.00
	कुल देयता (क+ख+ग+घ)	1176046.00

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और साथ ही निर्मित अस्पतालों को शुरू करने के लिए भी आवधिक समीक्षा की जाती है । इस उद्देश्य के लिए एक निर्माण उप-समिति गठित की गई है ।

तुलन पत्र

20. दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का सारांश नीचे दिया गया है :

शीर्ष	**₹ लाख में**		**शीर्ष**	**₹ लाख में**
देयताएं			**परिसंपत्तियां**	
क.रा.बी. सामान्य आरक्षित (व्यय से आय का आधिक्य)	10344000		स्थायी परिसंपत्तियां	1519659
आरक्षित निधियाँ वर्तमान देयताएँ	2896427 373061		चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम	463403
प्रतिभूति जमा	-		उद्दिष्ट/अक्षयनिधि से निवेश	2883645
भविष्य निधि आदि में ऐसी जमा राशियां जिनके दावेदार नहीं हैं।	-		क.रा.बी. सामान्य आरक्षित का रोकड़ शेष तथा निवेश	8746781
कुल :	**13613488**		**कुल :**	**13613488**

(C) Financial outlay in case of (a) & (b) above:

(₹ In Lakhs)

i.	**Projects constructed / under construction**:	
	Amount sanctioned up-to September, 2021	1605428.00
	Amount released up-to September, 2021	1236173.00
	Balance Liability (A)	369255.00
ii.	**Projects to be constructed:**	
a.	101193 hospital beds at a cost of ₹ 7.00 lakhs per bed (B)	708351.00
b.	2355 dispensaries at a cost of ₹ 40 lakhs per dispensary (C)	94200.00
c.	Outlay for office building (with staff quarters)	
	(i) Amount sanctioned up-to Sept. 2021	41117.00
	ii) Amount released up-to Sept. 2021	36877.00
	iii) Balance Liability (D)	4240.00
	Total Liability (A+B+C+D)	1176046.00

A periodical review is conducted in respect of the progress made in case of projects under construction and also commissioning of the constructed hospitals. For this purpose, a Construction Sub-Committee has been constituted.

BALANCE SHEET

20. A summary of the Balance Sheet as on 31-03-2021 is as below:

Heads	₹ In Lakhs	Heads	₹ In Lakhs
LIABILITIES		**ASSETS**	
ESI General Reserve (Excess of Income over Expenditure)	10344000	Fixed Assets	1519659
Reserve Funds Current Liabilities	2896427 373061	Current assets, loans, advances	463403
Deposit of Securities	-	Investment from earmarked/ endowment fund	2883645
Unclaimed deposits in Provident Fund etc.	-	Cash Balance and investment of ESI General Reserve	8746781
TOTAL:	**13613488**	**TOTAL:**	**13613488**

संलग्नक – *I*

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन (1) व्याप्त कर्मचारियों (2) बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार एककों बीमाकृत महिलाओं और लाभार्थियों की संख्या की राज्यवार स्थिति का सूचक विवरण तथा दिनांक 31.03.2023 तक व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आंध्र प्रदेश (i) विजयवाड़ा	4,78,060 5,27,300	1,60,469	20,45,924	1,07,760
	(ii) तिरुपति	1,88,840 2,16,820	70,014	8,41,262	54,260
	(iii) विशाखापट्टणम	2,99,660 3,36,720	79,632	13,06,474	67,990
2.	तेलंगाना	12,81,480 14,42,860	4,14,053	55,98,297	3,83,690
3.	असम, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश	2,55,850 2,74,060	52,790	10,63,353	40,890
4.	सिक्किम	23,820 25,820	7,866	1,00,182	1,940
5.	बिहार	2,76,120 2,98,990	29,662	11,60,081	38,480
6.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	1,08,630 1,21,400	22,762	4,71,032	44,880
7.	छत्तीसगढ़	4,07,420 4,52,190	53,885	17,54,497	47,090
8.	दिल्ली				
	(i) राजेन्द्र प्लेस	2,89,060 3,25,400	47,466	12,62,552	1,08,010
	(ii) रोहिणी	1,85,750 2,05,020	27,298	7,95,478	44,580
	(iii) ओखला	4,89,750 5,58,190	68,381	21,65,777	1,65,240
	(iv) नंदनगरी	1,35,760 1,53,960	19,950	5,97,365	26,810
9.	गोवा	1,36,780 1,61,570	40,037	6,26,892	49,680
10.	गुजरात				
	i अहमदाबाद	6,06,140 6,85,630	97,841	26,60,244	1,63,080
	ii वडोदरा	3,58,450 4,11,570	43,032	15,96,892	46,640
	iii. सूरत	2,87,490 3,23,000	42,609	12,53,240	93,660
11.	हरियाणा				

ANNEXURE – I

STATEMENT SHOWING STATE-WISE POSITION OF NUMBER OF (1) COVERED EMPLOYEES (2) INSURED PERSONS / FAMILY UNITS, INSURED WOMEN AND NUMBER OF BENEFICIARIESUNDER EMPLOYEES' STATE INSURANCE SCHEME AS ON 31-03-2021AND NO. OF EMPLOYEES TO BE COVERED BY 31.03.2023

Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons / Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	No. of employees yet to be covered {Section 2(12) only}
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Andhra Pradesh				
	i. Vijayawada	478060 527300	160469	2045924	107760
	ii. Tirupati	188840 216820	70014	841262	54260
	iii. Visakhapatnam	299660 336720	79632	1306474	67990
2.	Telangana	1281480 1442860	414053	5598297	383690
3.	Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura & Arunachal Pradesh	255850 274060	52790	1063353	40,890
4.	Sikkim	23820 25820	7866	100182	1940
5.	Bihar	276120 298990	29662	1160081	38480
6.	Chandigarh U.T	108630 121400	22762	471032	44880
7.	Chhattisgarh	407420 452190	53885	1754497	47090
8.	Delhi				
	iRajender Place	289060 325400	47466	1262552	108010
	ii Rohini	185750 205020	27298	795478	44580
	iii Okhla	489750 558190	68381	2165777	165240
	iv Nandnagari	135760 153960	19950	597365	26810
9.	Goa	136780 161570	40037	626892	49680
10.	Gujarat				
	i. Ahmedabad	606140 685630	97841	2660244	163080
	ii. Vadodara	358450 411570	43032	1596892	46640
	iii. Surat	287490 323000	42609	1253240	93660
11.	Haryana				

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	(i) फरीदाबाद	6,51,160 7,54,820	1,02,787	29,28,702	1,00,530
	(ii) गुरूग्राम	8,14,790 10,02,350	1,31,515	38,89,118	2,74,440
	(iii) अंबाला	2,22,490 2,47,740	32,084	9,61,231	25,300
12.	हिमाचल प्रदेश	2,65,890 3,03,080	52,799	11,75,950	44,310
13.	जम्मू एवं कश्मीर	1,10,270 1,12,940	17,964	4,38,207	20,710
14.	झारखण्ड	3,50,210 3,78,510	52,903	14,68,619	64,340
15.	कर्नाटक				
	i. बेंगलुरु	7,41,540 8,52,200	2,86,746	33,06,536	2,83,440
	ii. हुबली	2,81,590 3,05,040	84,093	11,83,555	46,730
	iii. पीण्या	3,64,440 4,23,950	1,69,946	16,44,926	1,15,440
	iv. बोम्मसंद्रा	4,96,550 5,79,760	2,14,012	22,49,469	2,32,280
	v. गुलबर्गा	1,38,800 1,51,420	27,115	5,87,510	22,400
	vi. मैसूर	1,99,120 2,20,000	91,564	8,53,600	35,000
	vii. मेंगलूर	1,61,880 1,73,280	79,987	6,72,326	27,800
16.	केरल तथा (लक्षद्वीप)				
	(i) तृश्शूर	1,28,900 1,38,980	72,225	5,39,242	22,990
	(ii) एरणाकुलम	3,19,910 3,51,630	1,49,370	13,64,324	83,040
	(iii) कोल्लम	1,22,170 1,42,280	95,898	5,52,046	15,180
	(iv) कोषिकोड	1,35,930 1,46,030	72,505	5,66,596	24,450
	(v) तिरुवनंतपुरम	1,08,280 1,19,200	62,031	4,62,496	28,440
17.	मध्य प्रदेश				
	(i) इंदौर	5,09,120 5,72,660	1,00,413	22,21,921	1,19,440
	(ii) भोपाल	2,66,250 2,93,310	48,624	11,38,043	58,800
18.	महाराष्ट्र				
	i लोअर परेल	3,63,190 4,03,730	83,643	15,66,472	1,71,110
	ii मरोल	5,48,870 6,14,880	1,31,405	23,85,734	2,62,240

Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons / Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	No. of employees yet to be covered {Section 2(12) only}
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	i) Faridabad	651160 754820	102787	2928702	100530
	(ii) Gurugram	814790 1002350	131515	3889118	274440
	(iii) Ambala	222490 247740	32084	961231	25300
12.	Himachal Pradesh	265890 303080	52799	1175950	44310
13.	Jammu & Kashmir	110270 112940	17964	438207	20710
14.	Jharkhand	350210 378510	52903	1468619	64340
15.	Karnataka				
	i. Bangalore	741540 852200	286746	3306536	283440
	ii. Hubli	281590 305040	84093	1183555	46730
	iii. Peenya	364440 423950	169946	1644926	115440
	iv.Bommasandra	496550 579760	214012	2249469	232280
	v. Gulbarga	138800 151420	27115	587510	22400
	vi. Mysore	199120 220000	91564	853600	35000
	Vii Mangalore	161880 173280	79987	672326	27800
16.	Kerala & (Lakshadweep)				
	(i) Thrissur	128900 138980	72225	539242	22990
	(ii) Ernakulum	319910 351630	149370	1364324	83040
	(iii) Kollam	122170 142280	95898	552046	15180
	(iv)Kozhikode	135930 146030	72505	566596	24450
	(v)Thiruvanthanpuram	108280 119200	62031	462496	28440
17.	Madhya Pradesh				
	(i)Indore	509120 572660	100413	2221921	119440
	(ii)Bhopal	266250 293310	48624	1138043	58800
18.	Maharashtra				
	i. Lower Parel	363190 403730	83643	1566472	171110
	ii. Marol	548870 614880	131405	2385734	262240

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	iii ठाणे	5,44,260 6,11,460	1,07,773	23,72,465	2,19,620
	iv नागपुर	2,79,960 3,06,940	34,256	11,90,927	54,660
	v औरंगाबाद	2,18,500 2,56,220	34,475	9,94,134	53,240
	vi पुणे	9,95,750 11,44,750	2,16,719	44,41,630	3,97,300
	vii नाशिक	1,63,640 1,80,160	24,949	6,99,021	33,320
19.	ओड़िशा	5,89,960 6,50,080	78,439	25,22,310	95,890
20.	पुदुच्चेरी + अंडमान एवं निकोबार	88,980 99,380	38,563	3,85,594	17,480
21.	पंजाब				
	I चंडीगढ़ (पंजाब)	3,83,050 4,26,410	85,370	16,54,471	37,470
	II जालंधर	2,52,210 2,73,660	66,885	10,61,801	22,020
	III लुधियाना	3,33,940 3,72,560	65,439	14,45,533	45,380
22.	राजस्थान				
	I जयपुर	7,25,550 8,22,510	1,09,883	31,91,339	1,72,480
	II उदयपुर	1,63,000 1,84,080	27,671	7,14,230	41,640
	III जोधपुर	1,48,420 1,68,950	24,030	6,55,526	28,500
23.	तमिलनाडु				
	i चेन्नै	13,66,310 15,47,530	5,70,110	60,04,416	4,61,210
	ii तिरुनेलवेली	1,59,820 1,71,790	78,700	6,66,545	19300
	iii सलेम	3,26,220 3,65,190	1,13,672	14,16,937	48,690
	iv कोयम्बतूर	6,06,620 6,93,570	3,07,174	26,91,052	1,72,020
	v मदुरै	3,63,160 3,95,070	1,86,569	15,32,872	52,830
24.	उत्तर प्रदेश				
	i. कानपुर	3,89,270 4,22,060	42,841	16,37,593	72,030
	ii. वाराणसी	1,09,210 1,16,620	10,503	4,52,486	12,410
	iii. नोएडा	9,10,490 10,64,310	1,63,217	41,29,523	2,41,130
	iv. लखनऊ	4,16,830 4,56,710	48,133	17,72,035	59,420

Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons / Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	No. of employees yet to be covered {Section 2(12) only}
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	iii. Thane	544260 611460	107773	2372465	219620
	iv. Nagpur	279960 306940	34256	1190927	54660
	v. Aurangabad	218500 256220	34475	994134	53240
	vi. Pune	995750 1144750	216719	4441630	397300
	vii. Nasik	163640 180160	24949	699021	33320
19.	Odisha	589960 650080	78439	2522310	95890
20.	Puducherry+ Andaman & Nicobar	88980 99380	38563	385594	17480
21.	Punjab				
	i Chandigarh(Punjab)	383050 426410	85370	1654471	37470
	ii Jalandhar	252210 273660	66885	1061801	22020
	iii Ludhiana	333940 372560	65439	1445533	45380
22.	Rajasthan				
	iJaipur	725550 822510	109883	3191339	172480
	ii Udaipur	163000 184080	27671	714230	41640
	iii Jodhpur	148420 168950	24030	655526	28500
23.	Tamil Nadu				
	i. Chennai	1366310 1547530	570110	6004416	461210
	ii. Tirunelveli	159820 171790	78700	666545	19300
	iii. Salem	326220 365190	113672	1416937	48690
	iv. Coimbatore	606620 693570	307174	2691052	172020
	v. Madurai	363160 395070	186569	1532872	52830
24.	Uttar Pradesh				
	i. Kanpur	389270 422060	42841	1637593	72030
	ii. Varanasi	109210 116620	10503	452486	12410
	iii. Noida	910490 1064310	163217	4129523	241130
	iv. Lucknow	416830 456710	48133	1772035	59420

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
25.	उत्तराखण्ड	4,65,980 5,44,330	88,264	21,12,000	92,660
26.	पश्चिम बंगाल				
	i. कोलकाता	10,91,520 11,65,490	1,52,712	45,22,101	2,20,970
	ii. बैरकपुर	2,59,800 2,74,020	33,729	10,63,198	49,170
	iii. दुर्गापुर	2,18,290 2,29,970	15,960	8,92,284	10,850
	अखिल भारत	**2,46,72,150 2,77,52,110**	**61,63,406**	**10,76,78,187**	**62,94,780**

Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons / Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	No. of employees yet to be covered {Section 2(12) only}
1.	2.	3.	4.	5.	6.
25.	Uttarakhand	465980 544330	88264	2112000	92660
26.	West Bengal				
	i. Kolkata	1091520 1165490	152712	4522101	220970
	ii. Barrackpore	259800 274020	33729	1063198	49170
	iii. Durgapur	218290 229970	15960	892284	10850
	ALL INDIA	**24672150 27752110**	**6163406**	**107678187**	**6294780**

संलग्नक – *II*

कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रति व्यक्ति अंशदान आय व विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय

(राशि रु. में)

		वास्तविक 2018-2019	**वास्तविक 2019-2020**	**वास्तविक 2020-2021**	**परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022**	**बजट प्राक्कलन 2022-2023**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**<u>अंशदान आय</u>**	7127.26	5369.60	4956.16	5032.36	5750.96
II.	**व्यय**					
1.	**हितलाभ :**					
क)	**नकद हितलाभ :**					
	बीमारी हितलाभ	120.18	127.30	104.21	135.35	155.04
	विस्तारित बीमारी हितलाभ	15.08	17.44	17.84	22.56	29.57
	मातृत्व हितलाभ	117.54	123.02	140.20	169.37	205.16
	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	31.13	29.79	29.71	41.65	45.07
	स्थायी निःशक्तता हितलाभ	48.20	161.12	664.83	260.29	291.69
	आश्रितजन हितलाभ	31.97	129.40	0.00	907.21	175.95
	अंत्येष्टि खर्च	5.48	7.63	9.99	20.82	21.63
	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	2.69	3.05	4.73	11.45	11.90
	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	0	0.01	21.27	12.15	10.82
	क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना			0.00	244.68	39.66
	अन्य हितलाभ	0.79	0.68	1.22	1.74	1.64
	<u>कुल नकद हितलाभ</u>	**372.93**	**599.44**	**994.01**	**1827.27**	**988.14**
ख)	चिकित्सा हितलाभ पर व्यय (निगम का अंश)	3165.44	2913.53	3425.88	4161.35	4450.63
2.	प्रशासनिक व्यय	369.66	554.04	528.84	668.90	829.76
	कुल प्रतिव्यक्ति व्यय (II)	**3535.11**	**4157.69**	**4948.73**	**6657.53**	**6268.53**
	अंशदान आय में अंतर	**3592.15**	**1211.91**	**7.43**	**(1625.16)**	**(517.57)**

ANNEXURE – II

EMPLOYEES' STATE INSURANCE SCHEME PER CAPITA INCOME FROM CONTRIBUTION AND EXPENDITURE UNDER DIFFERENT HEADS

(Amount in ₹)

		Actual 2018-2019	Actual 2019-2020	Actual 2020-2021	Revised Estimates 2021-2022	Budget Estimates 2022-2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**Contribution Income**	7127.26	5369.60	4956.16	5032.36	5750.96
II.	**Expenditure**					
1.	**Benefits:**					
a)	**Cash Benefit:**					
	Sickness Benefit	120.18	127.30	104.21	135.35	155.04
	Extended Sickness Benefit	15.08	17.44	17.84	22.56	29.57
	Maternity Benefit	117.54	123.02	140.20	169.37	205.16
	Temporary Disablement Benefit	31.13	29.79	29.71	41.65	45.07
	Permanent Disablement Benefit	48.20	161.12	664.83	260.29	291.69
	Dependant's Benefit	31.97	129.40	0.00	907.21	175.95
	Funeral Expenses	5.48	7.63	9.99	20.82	21.63
	Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	2.69	3.05	4.73	11.45	11.90
	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	0.00	0.01	21.27	12.15	10.82
	ESIC Covid -19 Relief Scheme	0.00	0.00	0.00	244.68	39.66
	Other Benefits	0.79	0.68	1.22	1.74	1.64
	TOTAL CASH BENEFIT	**372.93**	**599.44**	**994.01**	**1827.27**	**988.14**
b)	Expenditure on Medical Benefit (Corporation's Share)	3165.44	2913.53	3425.88	4161.35	4450.63
2.	Administrative Expenditure	369.66	554.04	528.84	668.90	829.76
	TOTAL PER CAPITA EXPENDITURE (II)	**3535.11**	**4157.69**	**4948.73**	**6657.53**	**6268.53**
	Margin in Contribution Income	**3592.15**	**1211.91**	**7.43**	**(1625.16)**	**(517.57)**

निष्पादन एक झलक में

प्रति व्यक्ति व्यय राशि (₹)

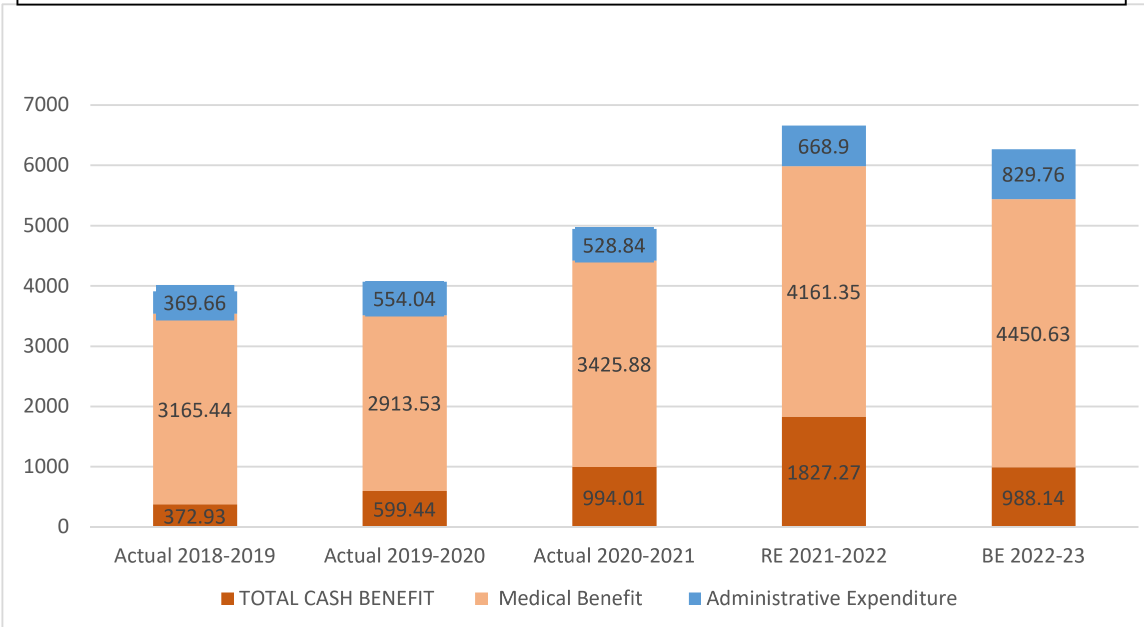

प्रति व्यक्ति अंशदान आय बनाम व्यय (₹)

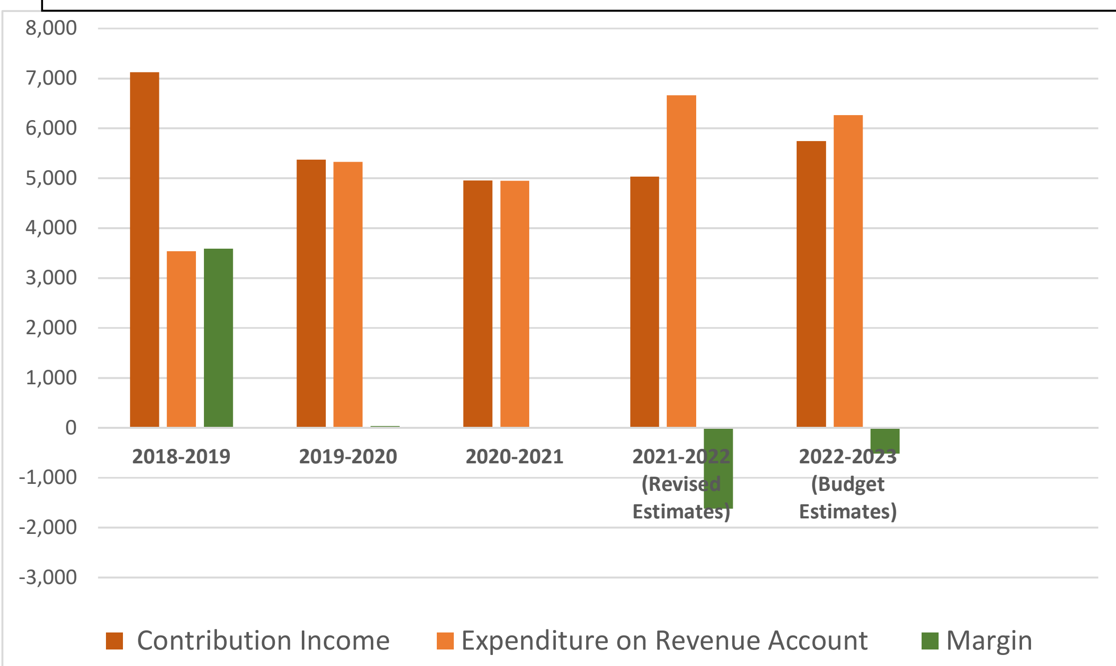

PERFORMANCE AT A GLANCE

PER-CAPITA MONEY EXPENDED (₹)

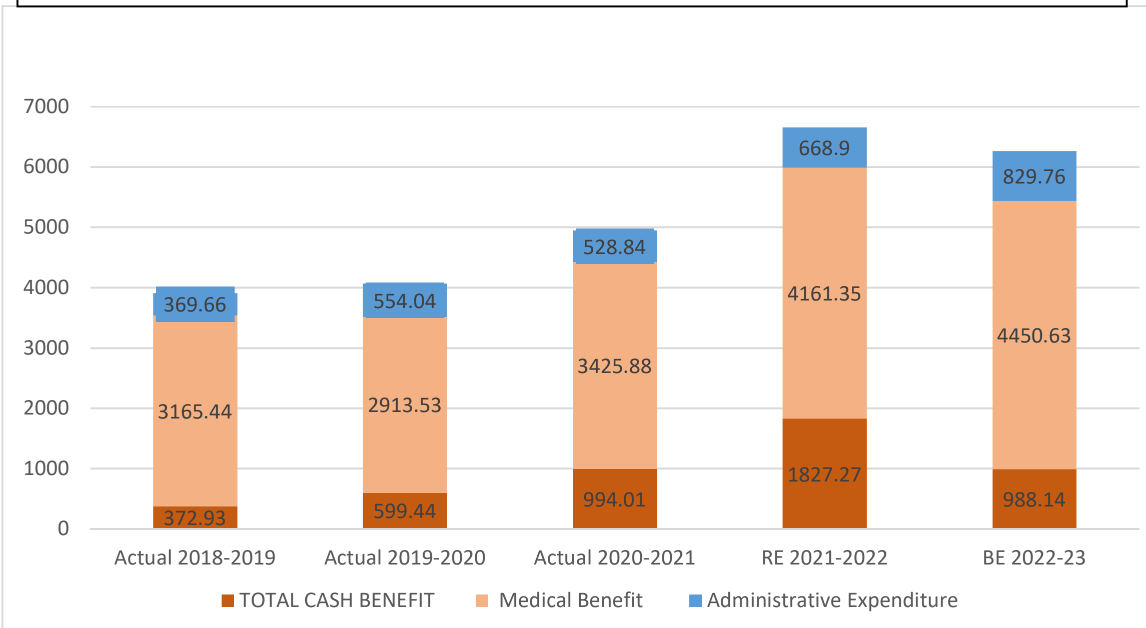

PER CAPITA CONTRIBUTION INCOME Vs EXPENDITURE (₹)

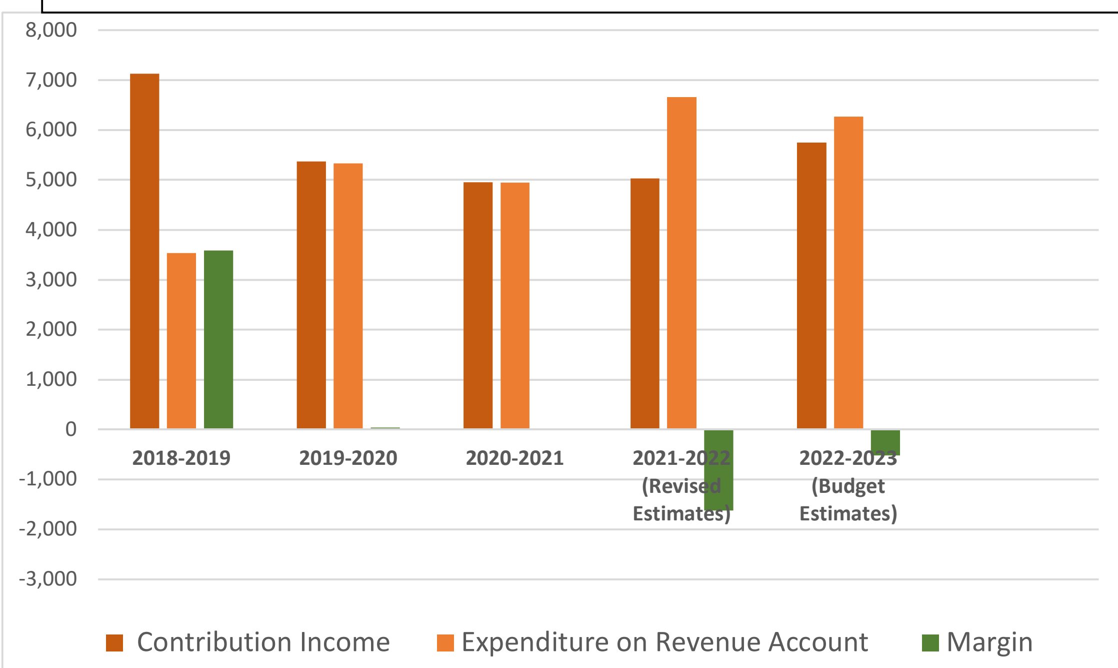

प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय एवं व्यय (₹)

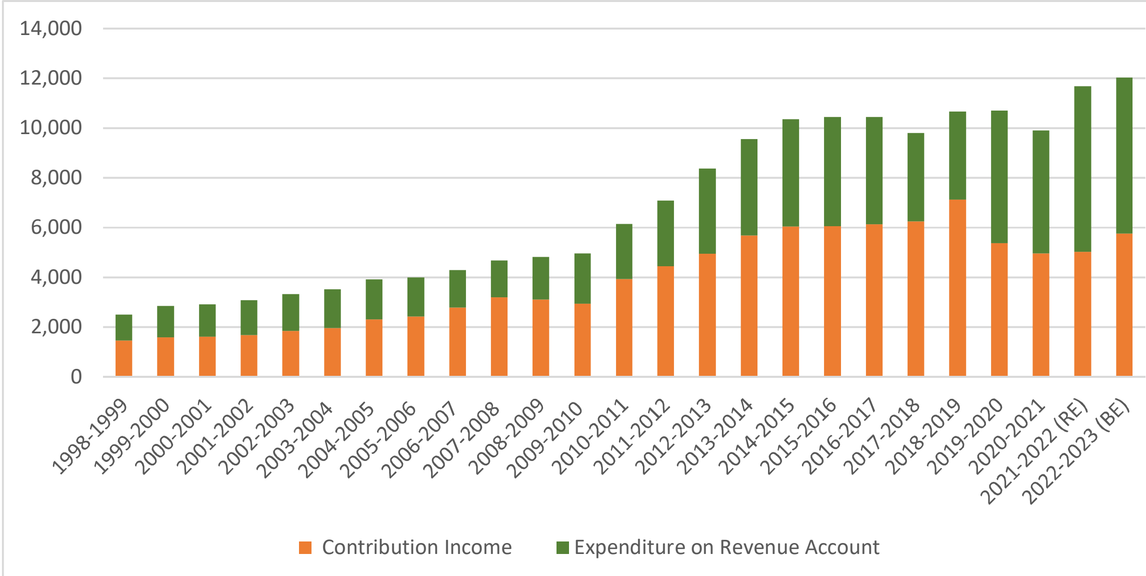

रोकड़ हितलाभ (प्रति व्यक्ति व्यय ₹)

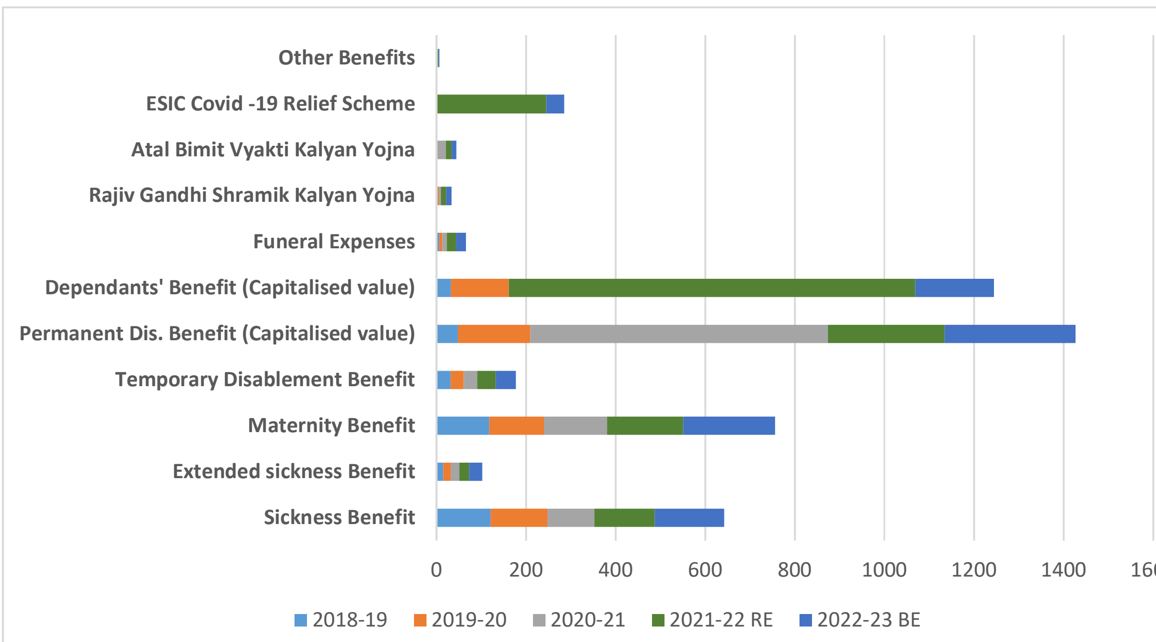

PER CAPITA INCOME & EXPENDITURE PER ANNUM (₹)

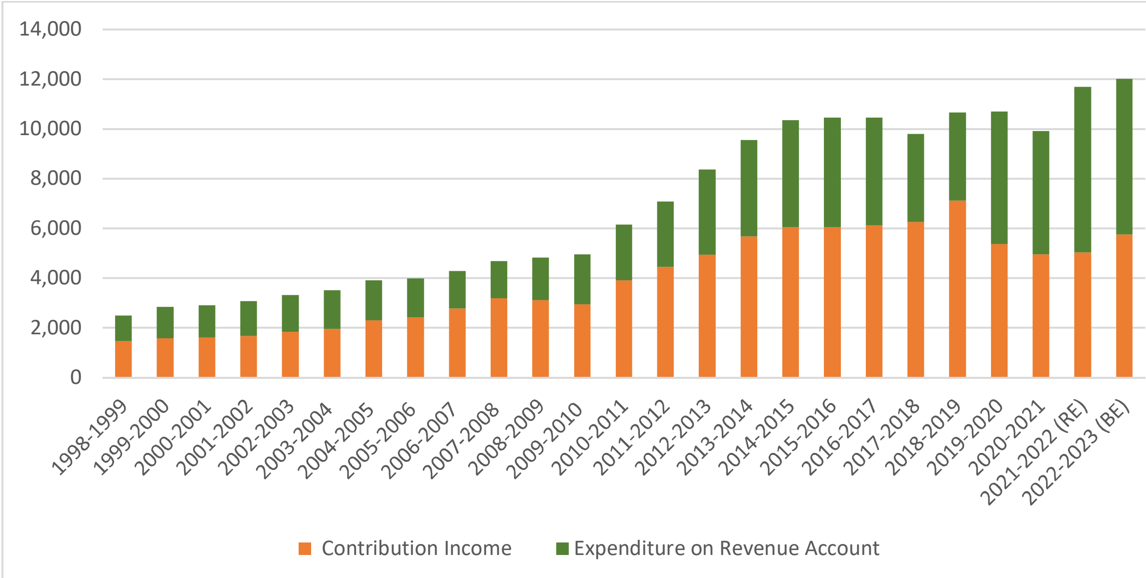

CASH BENEFIT (PER CAPITA EXPENDITURE IN ₹)

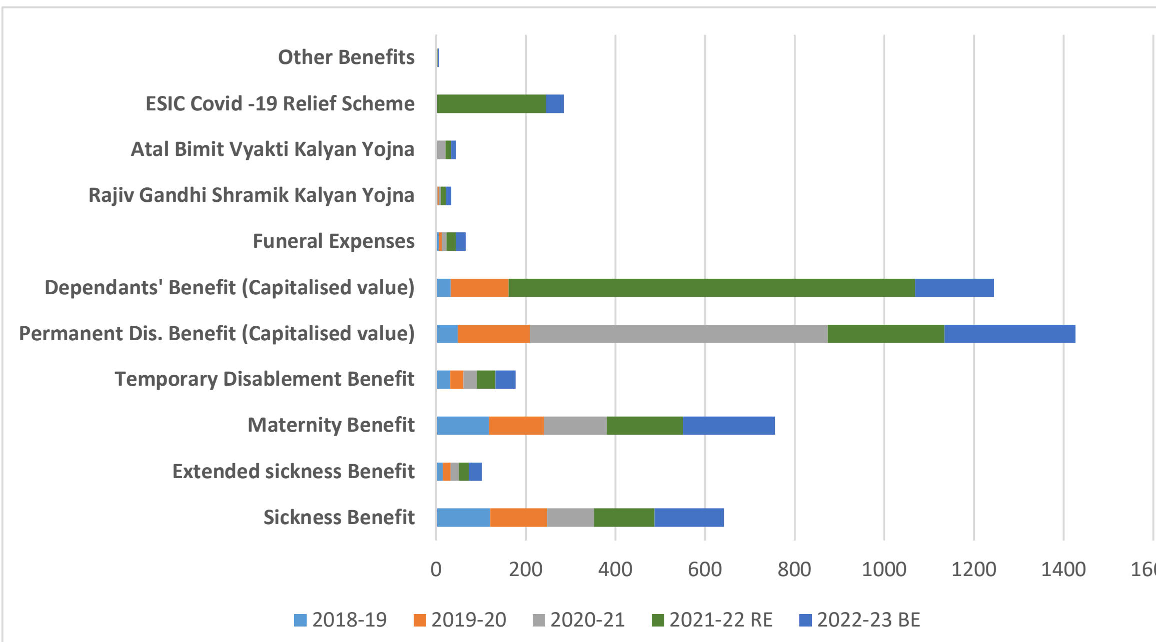

क.रा.बी. निगम - पिछले पांच वर्षों का वित्तीय विवरण

(₹ करोड़ में)

	लेखा-शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	वास्तविक 2018-2019	वास्तविक 2019-2020	वास्तविक 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022
क. राजस्व प्राप्तियां						
i)	अंशदान	20,077.18	22,279.13	16,744.56	13,787.79	14500.00
ii)	ब्याज	3,196.88	4,629.97	5,298.19	5,973.84	6114.92
iii)	किराया, दरें तथा कर	57.52	51.47	5.47	4.91	14.50
iv)	चिकित्सा हितलाभ के निमित्त दिल्ली राज्य सरकार का अंश जो प्रथमत: निगम द्वारा वहन किया गया	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
v)	शुल्क, जुर्माना एवं जब्तियां	36.48	48.78	48.68	31.16	38.00
vi)	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां	15.31	23.17	33.97	35.82	40.00
vii)	विविध	97.00	280.11	31.06	1,257.80	30.00
	कुल राजस्व प्राप्तियां :	**23,480.36**	**27,312.64**	**22,161.93**	**21091.32**	**20739.42**
ख.	**राजस्व व्यय**					
क)	**हितलाभ :**					
i)	चिकित्सा हितलाभ :	6,867.74	8,721.38	9,368.30	9,530.63	11990.31
ii)	नकद हितलाभ :	642.85	1,171.00	1,867.21	2,761.88	5260.00
iii)	अन्य हितलाभ :	2.52	2.47	2.12	3.39	5.01
	कुल हितलाभ :	**7,513.11**	**9,894.85**	**11,237.63**	**12,295.90**	**17255.32**
ख)	**प्रशासनिक व्यय**	**1,031.00**	**1,155.55**	**1,727.70**	**1471.20**	**1927.34**
ग)	वृहत् निर्माण हेतु प्रावधान	200.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल राजस्व व्यय (क+ख+ग)	**8,744.88**	**11,050.40**	**12,965.33**	**13767.10**	**19182.66**
ग	**मुख्य व्यय**					
i)	निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टर्स सहित)	19.12	8.80	5.51	2.12	31.48
ii)	अस्पताल एवं औषधालय	356.58	721.04	439.87	258.68	1277.46
iii)	चिकित्सा शिक्षा परियोजना	321.29	228.68	132.21	41.82	218.56
iv)	अन्य परिसंपत्तियां	63.15	186.94	204.21	123.89	423.07
	कुल पूंजीगत व्यय	**760.15**	**1,145.47**	**781.82**	**426.51**	**1950.57**
	कुल व्यय (ख +ग)	**9505.03**	**12195.87**	**13747.15**	**14193.61**	**21133.23**
	राजस्व व्यय से राजस्व आय की अधिकता	**14,735.48**	**16,262.24**	**9,196.58**	**1556.76**	**5233.89**

E.S.I.C. – FINANCIALS OF LAST FIVE YEARS

(₹ in Crores)

	Head of Account	Actuals 2017-2018	Actuals 2018-2019	Actuals 2019-2020	Actuals 2020-2021	RE 2021-2022
A. REVENUE RECEIPTS						
i)	Contribution	20077.18	22279.13	16744.56	13787.79	14500.00
ii)	Interest	3196.88	4629.97	5298.19	5973.84	6114.92
iii)	Rent, Rates & Taxes	57.52	51.47	5.47	4.91	14.50
iv)	Delhi State Govts. Share towards medical benefit initially incurred by the Corporation.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
v)	Fees, Fines & Forfeiture	36.48	48.78	48.68	31.16	38.00
vi)	Medical Education Receipts	15.31	23.17	33.97	35.82	40.00
vii)	Miscellaneous	97.00	280.11	31.06	1257.80	30.00
	TOTAL REVENUE RECEIPT:	**23480.36**	**27312.64**	**22161.93**	**21091.32**	**20739.42**
B.	**REVENUE EXPENDITURE**					
a)	**BENEFITS:**					
i)	Medical Benefits:	6867.74	8721.38	9368.30	9,530.63	11990.31
ii)	Cash Benefits:	642.85	1171.00	1867.21	2,761.88	5260.00
iii)	Other Benefits:	2.52	2.47	2.12	3.39	5.01
	Total Benefits:	**7513.11**	**9894.85**	**11237.63**	**12295.90**	**17255.32**
b)	**ADMINISTRATIVE EXPENDITURE**	**1031.00**	**1155.55**	**1727.70**	**1471.20**	**1927.34**
c)	Provision for Capital Construction	200.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUE EXPENDITURE (a+b+c)	**8744.88**	**11050.40**	**12965.33**	**13767.10**	**19182.66**
C	**CAPITAL EXPENDITURE**					
i)	Offices of the Corporation (with staff quarters)	19.12	8.80	5.51	2.12	31.48
ii)	Hospitals & Dispensaries	356.58	721.04	439.87	258.68	1277.46
iii)	Medical Education Projects	321.29	228.68	132.21	41.82	218.56
iv)	Other Assets	63.15	186.94	204.21	123.89	423.07
	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE	**760.15**	**1145.47**	**781.82**	**426.51**	**1950.57**
	TOTAL EXPENDITURE (B+C)	**9505.03**	**12195.87**	**13747.15**	**14193.61**	**21133.23**
	EXCESS OF REVENUE INCOME OVER REVENUE EXPENDITURE	**14735.48**	**16262.24**	**9196.58**	**1556.76**	**5233.89**